दसवीं माला, खंड 9, अंक 15

शुक्रवार, 13 मार्च, 1992
23 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

No. 63
Date 4.2.93

(खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। इनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायगा]

विषय सूची

दशम माला, खंड 9 तीसरा सत्र, 1992/1913,(शक)

अंक 15 शुक्रवार 13 मार्च 1992/23 फाल्गुन, 1913 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	245 से 249, 252 और 254	1—35
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		35-247
*तारांकित प्रश्न संख्या :	250, 251, 253, 255, 256 और 258 से 264	35—49
अतारांकित प्रश्न संख्या :	2779 से 2860, 2862 से 2866, 2868 से 2915 और 2917 से 3011	49—247
भारत के प्रति संयुक्त राज्य अमरीका के रुख में हाल में हुए परिवर्तन के बारे में		247—272
सभा पटल पर रखे गए पत्र		272—277
राज्य सभा से संदेश		277
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1992		277
राज्य सभा द्वारा यथापारित—सभा पटल पर रखा गया		
प्राक्कलन समिति		
नौवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत		277

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	278
की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण—सभा पटल पर रखा गया	
सभा का कार्य	278—281
कुछ विनिर्मित विकास परिषद (संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित	281—282
रेल बजट, 1992-93 सामान्य चर्चा	282—283
रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के बारे में संकल्प	
अनुदानों की मांगें (रेल) 1992-93	
और	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 1991-92	
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	283—
श्री कमला मिश्र मधुकर	314—319
श्री मोहन रावले	319—322
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	323
पांचवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	
विधेयक पुर:स्थापित 323, 325, 362,	
(एक) भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक	
[धारा 213 में संशोधन]	
प्रो. के. वी. थामस	323
(दो) राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक (धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)	
श्री रामेश्वर पाटीदार	324
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 31 का अंत:स्थापन)	
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी	324

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 84 और 173 में संशोधन)

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी 324

(पांच) अध्यापक नियोजन विधेयक

श्री मोहन सिंह 325

(छह) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक
(धारा 77, आदि में संशोधन)

श्री चित्त बसु 325—326

(सात) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक
(नई धारा 24 क का अंतःस्थापन)

श्री दत्तात्रेय बंडारु 362

संविधान (संशोधन) विधेयक—अस्वीकृत 326—262
(अनुच्छेद 356 में संशोधन)

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी. सी. थामस 326—328

प्रो. के. वी. थामस 328—329

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य 329—336

श्री गोपीनाथ गजपति 336—337

श्री ई. अहमद 337—341

श्री ऑस्कर फर्नांडीज 341

श्री पीयूष तीरकी 341—344

श्री श्याम बिहारी मिश्र 344—345

श्री रमेश चेन्नितला 346—348

श्री तेज नारायण सिंह 349—350

श्री एम. एम. जेकब 350—356

श्री सुधीर गिरि 357—359

संविधान (संशोधन) विधेयक
(नए भाग II क का अंतःस्थापन)

श्री चित्त बसु 362

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री चित्त बसु 362

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पंजाब के संगरूर जिले में 10 मार्च, 1992 को हुई गोलीबारी की घटना

श्री एम. एम. जेकब 363—364

लोक सभा

शुक्रवार 13 मार्च, 1992/23 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

[हिन्दी]

*245. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्यों में वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु दिए गए प्रस्तावों का राज्यवार ब्योरा क्या है,

(ख) उन पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) वर्ष 1992-1993 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि देने का विचार है ?

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्यमंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

आठवीं योजना के दौरान वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के संबंध में 13.349.60 करोड़ रु. के परिव्यय के प्रस्ताव राज्यों से प्राप्त हुए हैं, जैसा कि परिशिष्ट में दिया गया है।

1992-93 के बजट में 445.50 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान है, जिसकी समस्त राशि वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों के चालू कार्यों तथा नए कार्यों पर व्यय की जाएगी। संसद द्वारा अनुदान मांगों की स्वीकृति के बाद राज्यवार आबंटन को अन्तिम रुप दिया जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के समस्त प्रस्तावों के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

आठवीं योजना के दौरान वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के संबंध में राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का विवरण।

(करोड़ रु.)

क्र सं.	राज्य	सड़क कार्य	पुल कार्य	योग
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2702.20	362.00	3064.20
2.	अरूणाचल प्रदेश	15.54	5.11	20.65
3.	असम	545.50	60-00	605.50
4.	बिहार	538.00	87.00	625.00
2.	गोवा	113.00	50.67	163.67
6.	गुजरात	946.52	266.57	1213.09
7.	हरियाणा	448.26	37.92	486.18
8.	हिमाचल प्रदेश	139.00	67.32	206.32
9.	कर्नाटक	378.35	51.35	429.70
10.	केरल	391.55	215.28	606.83
11.	मध्य प्रदेश	500.00	146.00	646.00
12.	महाराष्ट्र	498.00	59.00	557.00
13.	मणिपुर	51.00	10.60	61.60
14.	मेघालय	142.40	9.21	151.61
15.	नागालैंड	37.75	9.21	151.61
16.	उड़ीसा	398.40	53.00	451.40
17.	पाण्डिचेरी	7.93	—	7.93
18.	पंजाब	515.09	57.57	572.66

1	2	3	4	5
19.	राजस्थान	615.00	60.50	672.50
20.	तमिलनाडु	1101·84	18.66	1120.50
21.	उत्तर प्रदेश	511.40	223.50	734.90
22.	पश्चिम बंगाल	794.52	114.09	908.61
	योग	11391.25	1958.35	13349.60

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि राष्ट्र की दृष्टि से राष्ट्रमार्गों का सबसे अधिक महत्व है और सच्चाई यह है कि पिछले 44 वर्षों में यदि सबसे ज्यादा किसी की अनदेखी की गई है तो वह राष्ट्रमार्ग हैं ।

मान्यवर, इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि राष्ट्रमार्गों के माध्यम से जो सरकार का वार्षिक कलैक्शन होता है वह है 5,040 करोड़ रुपए··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : देखिए ऐसे नहीं··· । भाषण का स्वरूप नहीं लेना है ।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : मान्यवर, यह उससे जुड़ा हुआ है । यह 5,040 करोड़ रुपए की आय है और उसके विपरीत 000 करोड़ का मात्र व्यय हो रहा है । इस प्रकार से पूरे राष्ट्र के अन्दर जो इन सड़कों की दुर्गति है जिसके दुष्परिणाम राष्ट्र के सामने है । राष्ट्रमार्गों में होने वाली दुर्घटनाओं के कारण प्रत्येक दिन हजारों लोग आघात होते हैं और उनको मौत का सामना करना पड़ता है । इसी प्रकार एनफोर्समेंट का सवाल है । बाय पासेज पिछले 7 वर्षों से हुए हैं इसी प्रकार प्रदूषण का बढ़ना, तेल की बचत, ये सारी चीजें हैं । मेरा प्रश्न यह है कि इस वर्ष प्रदेश सरकारों द्वारा अपने प्रदेशों के अन्दर राष्ट्रमार्गों के लिए केन्द्र सरकार से रुपया मांगा गया है, उसके लिए आपका आधार क्या है ? मापदंड क्या है ? किस आधार पर आप प्रदेश सरकारों को उसका वितरण करेंगे ? किस प्रकार वहां पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसकी माननीय मन्त्री जी जानकारी दें ।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमें राज्य सरकारों से 13349.60 करोड़ रुपये के परिव्यय के संबंध में अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । योजना आयोग के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए सभी कार्यों को कर पाना या उन सभी कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराना, जिनके राज्य सरकारें केन्द्र से धनराशि की मांग कर रही हैं, संभव नहीं है । योजना आयोग से प्राप्त कुछ धन को हमने स्वीकृत किया है और हम संसद द्वारा अपने मंत्रालय से संबद्ध बजट की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं । इसके बाद विभिन्न राज्यों को आवंटन के सम्बन्ध में हम विचार सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जैसे ढाई वर्ष पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा जब यह सवाल लिया था राष्ट्रमार्गों के रखरखाव के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए राजमार्गों के प्राधिकरण का निर्णय लिया जा रहा है और उस प्राधिकरण का निर्माण किया जाएगा, इसी प्रकार राजमार्गों की दृष्टि से राजमार्ग विस निगम बनाया जाएगा। क्या इस प्रकार का निर्णय जो सरकार ने ढाई-वर्ष पूर्व लिया था, उसको व्यावहारिक रूप देने पर विचार कर रहे हैं ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहूंगा ···

अध्यक्ष महोदय : जानकारी नहीं देनी है, प्रश्न पूछना है। मैं आपको मनाह नहीं कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : आप प्राधिकरण बनाने जा रहे हैं क्या ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्र की जीवन रेखा होते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो पिछले वर्षों में इस जीवन रेखा की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। इसी कारण राष्ट्रीय रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने यह रिमार्क दिया है···

अध्यक्ष महोदय : यह समय भाषण के लिए नहीं है, आप सिर्फ प्रश्न पूछिए क्योंकि बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं।

श्री रामेश्वर पाटीदार : मैं उसी पर आ रहा हूं कि राष्ट्रीय रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने एक सर्वेक्षण करने के बाद अपना यह निर्णय दिया है कि विश्व के मापदण्ड के हिसाब से यदि देखें तो हमारे देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों में से 98 प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जितना एलाटमैंट किया गया है, या जितना पैसा खर्च करने का विचार किया गया है चूंकि मंत्री जी ने प्रश्नों को केवल भविष्य के निर्णय पर छोड़कर, सारे अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर पालिसी की ओर मोड़ दिया है, मैं आपके माध्यम से पूछना हूं कि जैसा पहले सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था, इस पोलिसी के अन्तर्गत प्राइवेट सेक्टर को भी राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में सहभागी बनाया जाएगा, क्या उसके लिये सरकार सावजनिक बोली की घोषणा करेगी मैं मध्य प्रदेश से आता हूं और मध्य प्रदेश हमारे देश का वह हिस्सा है जो सात राज्यों से घिरा हुआ है लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। उनकी कुल लम्बाई 2,763 किलोमीटर है। उस हिसाब से, मध्य प्रदेश ने जितने प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्गों के सम्बन्ध में आपके पास भेजे हैं, क्योंकि अभी तक केवल मध्यप्रदेश को 30 प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग ही दिये हैं, इस दृष्टि में रखते हुए, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, सरकार इस सम्बन्ध में कोई प्राथमिकता अपनाएगी, क्या इस मामले में, नये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के मामले में, मध्य प्रदेश को सामान्य से अधिक प्राथमिकता दी जायेगी।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : हम इस सत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन करने वाले एक विधेयक को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिससे शुल्क लगाया जा सके और इस काम में निजी क्षेत्र भी शामिल हो सके, महसूस लगाया जायेगा और राष्ट्रीय राजमार्गों और तीव्रगामी मार्गों के निर्माण की अनुमति निजी क्षेत्र को दी जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए कुछ निश्चित मानदण्ड हैं और हम उन मानदण्डों के अनुरूप ही कार्य करेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग-1 ने जो ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्र की प्रगति में अतुलनीय योगदान दिया है और राष्ट्र को गतिशील बनाये रखा है। दिल्ली से अम्बाला और अम्बाला से अमृतसर के खंड को चार लाईनों का करने में काफी देरी हुई है। इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के चयन के मानदण्ड क्या हैं और जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, विश्व बैंक पैकेज क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग-1 को चार लाइनों का करने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री जगदीश टाईटलर : जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग-1 को चार लाईनों का करने का संबंध है इसे चौड़ा करने का कार्य और मौजूदा सड़क मार्ग को मजबूत करने का कार्य पहले ही प्रगति पर है। जहां तक विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजना के चयन के मापदण्ड का सम्बन्ध है विदेशी एजेन्सियों द्वारा परियोजना के लिये ऋण दिये जाने संबंध में परियोजना की पहचान के लिए छह बातों का ध्यान रखा जाता है। जापान सरकार भी विकास कार्यों के लिए ऋण दे रही है। इस कार्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की सामान्य योजना में शामिल किया जायेगा। परियोजनाएं ऐसी होनी चाहिए जिनसे अधिक आर्थिक लाभ हो। सामान्यतः तीव्रगामी राजमार्ग को चार लाईनों वाला करने के लिये और अत्यधिक सघन यातायात गलियारे के निर्माण के लिए ऋण लिया जाता है। राज्यों को आधुनिक टेक्नोलाजी से अवगत कराने के उद्देश्य से पहचान की गई परियोजनाओं को सामान्यतः पूरे देश में से शामिल किया जाता है। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक इस बात पर जोर देता है कि परियोजनाओं से औद्योगिक पट्टी (क्षेत्र) को लाभ मिलना चाहिए अन्ततः परियोजनाएं बैंक द्वारा इनके अपने खुद के आकलन, जोकि तकनीकी आर्थिक संभावना अध्ययनों और ऋण की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। स्वीकृत की जाती है।

श्री के.पी. सिंहदेव : पिछले 10 वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्ग-5, अर्थात कलकत्ता-मद्रास राजमार्ग के यातायात को, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग 42 से होकर जाना चाहिए, दिशा परिवर्तन किया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 42 के पुल क्षतिग्रस्त है। पिछले सत्र में माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि आठवीं योजना में उस वैकल्पिक मार्ग पर विचार करेंगे जिसका उपयोग नेशनल एल्युमुनियम कंपनी लि. और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा भारी यातायात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 42 पर सुकिंदा और तालचेर के बीच में है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस समान्तर मार्ग पर भी आठवीं योजना में विचार किया जायेगा।

श्री जगदीश टाईटलर : मैं इस पर तभी विचार कर सकता हूं जब मेरे मंत्रालय के आबंटनों को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के कटक-भुवनेश्वर खंड का कार्य पिछले दो वर्षों से केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिये लंबित है। उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस परियोजना की स्वीकृति प्रदान करने के लिए अनेकों बार निवेदन किया है, जिससे यह राष्ट्र का सबसे बड़ा संपर्क माध्यम बन सके। क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि केंद्रीय सरकार इस योजना को कब तक स्वीकृति प्रदान करेगी ?

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, मेरा उत्तर वही जो उड़ीसा के माननीय सदस्य को मैं पहले ही दे चुका हूं।

महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन मानना

+

*246. श्री नारायण सिंह चौधरी :

श्री मदन लाल खुराना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महंगाई भत्ते के एक भाग को महंगाई वेतन के रूप में मान्यता देने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो महंगाई भत्ते का कितना प्रतिशत महंगाई वेतन में परिवर्तित किया जाएगा।

(ग) इसे किस तारीख से प्रभावी बनाये जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक स्थायी वेतन समीक्षा समिति नियुक्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी नियुक्ति कब तक किये जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोटदुखे) : (क) से (ङ) तक महंगाई भत्ते के एक हिस्से को महंगाई वेतन के रूप में मानने तथा स्थाई वेतन समीक्षा समिति नियुक्त करने से सम्बन्धित मांग पर 21 सितम्बर, 1991 को हुई जे. सी. एम. की राष्ट्रीय परिषद की पिछली बैठक में चर्चा की गई थी, जिसमें यह फैसला किया था। कि इन मांगों की जांच करने के लिए क्रमशः जे. सी. मी. की राष्ट्रीय परिषद की एक समिति तथा एक विशेषज्ञ दल का गठन किया जाये। महंगाई भत्ते के एक हिस्से को महंगाई वेतन के रूप में मानने पर राष्ट्रीय परिषद की समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। विशेषज्ञ दल का गठन करने के लिए शीघ्र ही आदेश जारी किए जाने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में महंगाई वेतन में परिवर्तित

करने तथा स्थायी वेतन समीक्षा समिति के गठन के बारे में पूछा है जिसका उत्तर देते हुए मन्त्री महोदय ने कहा है कि महंगाई भत्ते के एक हिस्से को महंगाई वेतन के रूप में मानने तथा स्थायी वेतन समीक्षा समिति नियुक्त करने से सम्बन्धित मांग पर 21 सितम्बर, 1991 को हुई जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद की पिछली बैठक में चर्चा की गई थी और यह भी कहा है कि उपसमिति की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंता हूं कि उप समिति का गठन कब किया गया था तथा रिपोर्ट देने की क्या समय सीमा रखी थी तथा टर्म्स एंड रिफरेंस क्या थीं तथा विशेष दल गठित करने में 21 सितम्बर के निर्णय के बाद इतनी देरी क्यों की गई ?

[अनुवाद]

श्री शांताराम पोटदुखे : महोदय, एक समिति गठित की गई है जोकि परिलब्धियां ढांचे और महंगाई भत्ते के निर्धारण के कार्य को देखेगी समिति का गठन इस प्रकार किया गया है : श्री एस. एम. राय अवकाश प्राप्त वित्त सचिव को जो कि तीसरे वेतन आयोग के सदस्य-सचिव भी रहे हैं, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है; श्री ए. अट्टल स्टेट बैंक आफ इंडिया के अवकाश प्राप्त प्रबन्ध निदेशक को सदस्य के रूप में तथा श्री बी. स्वामीनाथन कोल इंडिया (लि.) के अवकाश प्राप्त निदेशक (वित्त) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। समिति चार माह के भीतर भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी। शीघ्र ही समिति के गठन के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी फरमाया है, कि चार महीने के अंदर रिपोर्ट करनी थी और इसके गठन का फैसला 21 सितम्बर को किया गया, तो इसका गठन क्यों नहीं हुआ और क्या इन समितियों का गठन करने की बात कहकर उचित मांगों को टालमटोल करने का बहाना या एक तरीका निकला है, यह मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है और दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि 1986 में जो पे कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसकी सिफारिशों में कहा गया था कि जब भी महंगाई-भत्ता पे के 60 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो इसका एक भाग महंगाई वेतन माना जाए, तो अब जबकि 60 प्रतिशत महंगाई-भत्ता हो चुका है और अब 1-1-92 की रिपोर्ट के मुताबिक तो यह 67 प्रतिशत तक जा सकता है, तो क्या उस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस महंगा-भत्ते को वेतन का भाग बनाने का सरकार क्या कोई विचार कर रही है और उन सिफारिशों के मुताबिक एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना था। इस बात को निश्चित करने के लिए, तो उस सिफारिश के मुताबिक उसका गठन क्यों नहीं किया गया, यह जानना चाहता हूं ?

[अनुवाद]

श्री शांताराम पोटदुखे : महोदय, यह बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इससे 40 लाख सरकारी कर्मचारियों का संबध है। जैसाकि मैं कह चुका हूं कि मामला समिति के पास है और जब समिति सिफारिश करेगी तब हम निर्णय लेंगे।

श्री राम कापसे : महोदय, मंत्री महोदय ने हाल ही में पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह

कहा था कि समिति के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये जायेंगे। समिति चार माह बाद अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी। जैसाकि सदन को जानकारी है, महंगाई भत्ते की कुछ किस्तों की अदायगी नहीं की गई है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार महंगाई भत्ते की किस्तों की अदायगी समिति द्वारा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने से पहले करेगी या वह महंगाई भत्ते की किस्तों का भुगतान समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद करेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इसकी प्रतीक्षा करेंगे।

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में थोड़ा भ्रम है, जिसे मैं दूर करना चाहूंगा। वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसके कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। यह समिति महंगाई भत्ते का महंगाई वेतन में समायोजन के तरीके प्रश्न पर विचार करेगी। इस समिति की एक बैठक हो चुकी है। यह मामला समिति के विचारार्थ है। मेरे साथी माननीय मंत्री ने एक और कार्यदल की नियुक्ति का उल्लेख किया है। इसे अभी नियुक्त किया जाना है। यह सरकारी कर्मचारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन और महंगाई भत्ते के ढांचे के प्रश्न पर समग्र रूप से विचार करेगा।

इस कार्यदल का अभी गठन होना है, जहां तक महंगाई भत्ते की अदायगी का सम्बन्ध है, जब भी अदायगी होनी होगी, सरकार उचित कार्यवाही करेगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया जाता है, वह बढ़ी हुई महंगाई सहने के लिए दिया जाता है और उसके ऊपर आप इनकम टैक्स लगाते हैं जो इनकम नहीं है। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि महंगाई भत्ते के कुछ प्रतिशत भाग को आयकर से छूट देने का क्या सरकार का इरादा है ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : मैं इस प्रश्न के पीछे छिपी उत्प्रेरण की प्रशंसा करता हूं। लेकिन मैं यह स्वीकार करूंगा कि राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को दृष्टि में रखते हुए इस सुझाव को लागू कर पाना संभव नहीं है।

मैं सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि 85 प्रतिशत आयकर राज्यों को जाता है। केन्द्रीय वित्त मन्त्री के लिए उदारता दिखाते हुए यह कहना बहुत आसान है कि घटा दिए जाएंगे। छूट बढ़ा दी जायेगी लेकिन इस सबसे बड़ी हानि राज्य सरकारों को होगी।

जब हम राज्य सरकारों के राजस्व की चिंता करते हैं, तभी हम समझते हैं कि हमें विभिन्न हितों में संतुलन स्थापित करना होगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह राज्य सरकारों के राजस्व की स्थिति है, हम ऐसा नहीं कर सकते।

नये राष्ट्रीय राजमार्ग

[हिन्दी]

+

*247. श्री सत्य नारायण जटिया :

श्री गामाजी मंगाजी ठाकुर :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

[अनुवाद]

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से कुल 37,566 किलोमीटर लम्बे नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिये 135 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या और प्रस्तावित नये राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई संलग्न है। अक्तूबर 1991 में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित मार्गों के बारे में मौलिक सूचना और प्रत्येक के औचित्य के साथ-साथ एन टी पी सी (राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति) द्वारा की गई सिफारिशों, नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए निर्धारित मानदण्ड आदि प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा
के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा भेजे गए
प्रस्तावों का सारांश

क्र. सं.	राज्य	प्रस्तावों की संख्या	अनुमानित लम्बाई कि. मी.
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	19	6045
2.	असम	3	380
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	400
4.	बिहार	5	1180

1	2	3	4
5.	गुजरात	9	2271
6.	हरियाणा	4	586
7.	हिमाचल प्रदेश	2	618
8.	जम्मू और कश्मीर	1	400
9.	केरल	5	300
10.	कर्नाटक	13	4425
11.	महाराष्ट्र	11	4679
12.	मणिपुर	1	190
13.	मेघालय	2	220
14.	मध्य प्रदेश	14	6656
15.	मिजोरम	2	205
16.	नागालैंड	1	220
17.	उड़ीसा	2	700
18.	पांडिचेरी	1	39
19.	पंजाब	5	915
20.	राजस्थान	5	1480
21.	सिक्किम	1	30
22.	तमिलनाडु	16	3355
23.	त्रिपुरा	1	135
24.	उत्तर प्रदेश	6	1142
25.	पश्चिम बंगाल	5	495
	योग।	135	37,566 कि. मी.

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, आठवीं योजना में सड़क निर्माण के लिए जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं वे 13,350.60 करोड़ रुपये के हैं जिसमें मध्य प्रदेश ने 646 करोड़ रुपये के

प्रस्ताव प्रेषित किये हैं। केरल प्रदेश से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं वे 606.83 करोड़ रुपये के हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रान्त है जहां सड़क का घनत्व केवल 0.70 प्रतिशत है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सड़क निर्माण की दृष्टि से मध्य प्रदेश के जिन सात मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए राष्ट्रीय यातायात समिति ने 1984 में सिफारिश की थी क्या उन सात राजमार्गों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव में सम्मिलित करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय यह संभव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : जैसाकि मंत्री जी ने कहा है कि संभव नहीं है। क्या सम्भव है, क्या किया जा सकता है ? राष्ट्रीय नीति समिति जो नीतियां बनाती है, 1984 की नीति बनी हुई है। उसके बारे में उसकी सिफारिशों को मानने के लिए और जिस प्रदेश के अन्दर सड़कें नहीं हैं, उन सड़कों की मांगों को पूरा करने के लिए यह कह कर कि यह सम्भव नहीं है, फिर सम्भव क्या है, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : यह अच्छा सवाल है। राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें 37,566 कि. मी. सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्गों में और शामिल करने का आग्रह किया गया है जो कि फिलहाल देश में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई से अधिक है। प्रस्तावों की संख्या को देखते हुए हमने राज्य सरकारों से अब अनुरोध किया है कि उन्हें हमें ये प्रस्ताव केवल संसद सदस्य होने या जनसेवक होने के नाते पूछने के लिए नहीं भेजने चाहिए बल्कि उन्हें ये प्रस्ताव सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए भेजने चाहिए कि किन जगहों को प्राथमिकता दी जाए। अतः हमने राज्य सरकारों को एक प्रपत्र पहले ही भेज दिया है। मुझे खेद है कि इसमें काफी समय लग गया है। केवल एक या दो राज्यों ने जवाब दिया है। अन्य राज्यों ने इसका जवाब नहीं दिया है। आप लोगों की मेहरबानी होगी यदि आप अपने मुख्यमंत्रियों से उस प्रपत्र को भरने के लिए कहें जो केन्द्र सरकार ने उन्हें भेजे हैं और जिसमें हम मौजूदा वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लिख सकते हैं। यदि हमारे बजट में गुंजाइश हुई तो हम जो कुछ कर सकते हैं निश्चित रूप से करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मामाजी मंगाजी ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजरात की स्थापना होने के बाद 1961 से 1981 तक 3500 किलोमीटर की लम्बाई योजना को तय करने का निर्णय हुआ था लेकिन आज तक वह 1700 किलोमीटर ही मिल पायी है जबकि बाकी प्रपोजल्स केन्द्र सरकार को भेजी गई हैं और 4066 किलोमीटर कुल लम्बाई की भेजी हैं। मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि हर प्रान्त उन प्रस्तावों का जस्टिफिकेशन दे और उनके बारे में ब्योरा दे। मेरा कहना यह है कि गुजरात की आबादी बढ़ती जा रही है...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना है और बहुत से सदस्यों ने भी प्रश्न पूछना है। कल ही कहा था कि हम 10-11 प्रश्नों तक जायेंगे। अगर भाषण देंगे तो वहां तक नहीं जा पायेंगे।

श्री नाथाजी मंगाजी ठाकुर : समझाने के लिये कुछ मौका मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आपको मौका दिया है। आप प्रश्न पूछिये।

श्री नाथाजी मंगाजी ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, औद्योगिकीकरण ज्यादा हो रहा है और व्हिकल्स बढ़ते जा रहे हैं। जहां क्रासिंग होता है, वहां ट्रैफिक जाम हो जाता है। इससे देश का नुकसान होता है, पैट्रोल और डीजल की वजह से···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर नहीं आ रहे हैं। मैं डिसलाऊ कर दूंगा।

श्री नाथाजी मंगाजी ठाकुर : मेरा प्रश्न है कि ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए, गुजरात गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल्स भेजे हैं, उनके ऊपर सरकार ने क्या किया है और वह उसे कब तक पूरा करना चाहती है ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : गुजरात सरकार ने जो प्रस्ताव भेजे हैं जिनमें लगभग 2271 कि.मी. की दूरी शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के कुछ मानदण्ड हैं। वित्तीय स्थिति और मेरे मन्त्रालय को मिलने वाले बजट को देखने के बाद ही मैं निर्णय ले सकता हूं।

श्री ओस्कार फर्नान्डीज : माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए इस उत्तर के संबंध में कि सभी राज्यों द्वारा मांग की गई है इसलिए इतनी अधिक सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना भारत सरकार के लिए संभव नहीं है, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई नया दृष्टिकोण अपनाया जाएगा ? फिलहाल हम डामर का इस्तेमाल कर रहे हैं और सड़कों के अनुरक्षण पर काफी धन खर्च किया जा रहा है। क्या भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय आर. सी. सी. सीमेंट का इस्तेमाल करने का निर्णय लेगी ?

श्री जगदीश टाईटलर : मुझे अति प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न रखा है। कर्नाटक सरकार ने तेरह प्रस्ताव भेजे हैं और 4425 कि. मी. सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए कहा है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, हमने पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक संसद में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निजी क्षेत्र पर शुल्क लगाया जा सके। यह भी सही है कि सीमेंट वाली सड़कों की मियाद अधिक होती है। मेरे मन्त्रालय के बजट का अधिकांश भाग राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण पर खर्च होता है। हमने इस प्रयोग को पहले ही आरम्भ कर दिया है और हम भविष्य में इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रति लाख की आबादी पर कितनी

लम्बाई में राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धता है, राष्ट्रीय औसत है, जिन क्षेत्रों में जिन इलाकों में, जिन राज्यों में उससे उपलब्धता है, उसको ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय असन्तुलन को मिटाने के लिए क्या सरकार अपनी नीति में इस प्रकार का परिवर्तन करेगी कि जो क्षेत्रीय असन्तुलन है, उसको मिटाते हुए जिन राज्यों मे और जिन क्षेत्रों में प्रति लाख की आबादी पर राष्ट्रीय औसत से कम राजमार्ग उपलब्ध हैं, वहां राजमार्ग घोषित करने मे और नये राजमार्ग बनाने मे प्राथमिकता देगी और आठवीं पंचवर्षीय योजना में राशि के आबंटन में पिछड़ेपन को और सड़क की लम्बाई में आबादी को आधार मानेगी ? यह हम जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : यह पहले से ही एक निर्धारित मानदण्ड है। हमने इसे पहले ही निर्धारित कर रखा है।

कृषकों को बैंक से ऋण

+

*248. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

डा. वसन्त पवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में से प्रत्येक ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज तक, प्रत्येक राज्य में कृषकों को कितनी-कितनी धनराशि का ऋण दिया है;

(ख) राज्य-वार कितने कृषक लाभान्वित हुए; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में बैंक वार इन ऋणों की वसूली की स्थिति क्या रही ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

बैंकों के विभिन्न पहलुओं संबंधी कार्य निष्पादन के बारे में विस्तृत आंकड़ों के समेकन और संकलन की प्रक्रिया एक समय खपाने वाली प्रक्रिया है और, अत: विभिन्न पैरामीटरों पर एक विशेष समय पर उसी अवधि के लिये सूचना उपलब्ध नहीं है। दिसम्बर 1988, सितम्बर 1989 और मार्च 1990 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास कृषि क्षेत्र के राज्य-वार खातों की संख्या और बकाया अग्रिम अनुबन्ध-I में दिये हैं। दिसम्बर 1989, दिसम्बर 1990 और सितम्बर 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास इसी क्षेत्र के बैंक-वार खातों की संख्या और अग्रिमों की बकाया राशि अनुबंध-II में दर्शायी गयी है। जून 1988, जून 1989 और जून 1990 के अन्त की स्थिति के अनुसार कृषि अग्रिमों (प्रत्यक्ष वित्त) की राज्य-वार और बैंक-वार प्रतिशत वसूली क्रमश: अनुबंध-III और IV में दी गयी है।

अनुबंध-I

सितम्बर 1988, सितम्बर 1989 और मार्च 1990 के अन्तिम शुक्रवार (अद्यतन उपलब्ध) तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों की राज्यवार बकाया राशि को दर्शाने वाला विवरण।

(करोड़ रुपए)

(खातों की संख्या लाखों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सितम्बर 1988		सितम्बर 1989		मार्च 1988	
	खाते	राशि	खाते	राशि	खाते	राशि
1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	4.89	584	5.05	631	5.18	676
हिमाचल प्रदेश	1.29	68	1.28	71	1.30	95
जम्मू व कश्मीर	0.45	29	0.45	30	0.45	30
पंजाब	6.81	950	7.07	1046	7.43	1110
राजस्थान	6.77	658	7.08	693	7.43	765
चंडीगढ़	0.06	170	0.05	186	0.05	198
दिल्ली	0.19	122	0.20	233	0.20	192
अरुणाचल प्रदेश	0.04	2	0.05	3	0.05	3
असम	2.42	117	2.40	130	2.48	133
मणिपुर	0.15	5	0.23	6	0.25	7
मेघालय	0.25	9	0.29	12	0.30	13
मिजोरम	0.16	2	0.02	2	0.02	2
नागालैंड	0.15	15	0.19	18	0.02	20
त्रिपुरा	0.65	18	0.73	23	0.70	26
बिहार	12.63	622	13.55	690	14.45	752
उड़ीसा	9.76	330	10.15	359	10.44	391
सिक्किम	0.10	4	0.11	4	0.14	5
प. बंगाल	12.77	516	13.99	580	13.56	669
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.04	2	0.04	2	0.04	3

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	9.40	807	9.95	933	10.74	1035
उत्तर प्रदेश	21.06	1333	22.32	1449	23.67	1708
गोवा	0.39	28	0.43	33	0.47	38
गुजरात	0.34	775	9.14	785	9.32	831
महाराष्ट्र	14.07	1339	15.54	1514	16.55	1642
दादरा और नागर हवेली	0.01	1	0.01	1	0.01	1
दमन और दीव	*	*	0.009	1	0.01	1
आन्ध्र प्रदेश	29.71	1798	29.19	1897	31.01	2057
कर्णाटक	17.65	1234	18.72	1409	19.25	1469
केरल	11.45	526	11.26	548	12.34	665
तमिलनाडु	26.65	1464	27.33	1664	29.00	1946
लक्षद्वीप	—	0.4	0.005	0.3	0.006	0.3
पांडिचेरी	0.62	31	0.59	30	0.65	33
अखिल भारतीय		13570.4		14982.3		16516.3

* संख्याओं को पूरा करने के कारण जोड़ का मिलान नहीं हो सकता।

अनुबन्ध-II

दिसम्बर 1989, दिसम्बर 1990 और सितम्बर 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार कृषि के लिए ऋण देने के संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बैंकवार कार्य-निष्पादन।

कृषि अग्रिम

(राशि करोड़ रुपए)

(खातों की संख्या लाखों में)

बैंक का नाम	दिसम्बर 1989 खाते	दिसम्बर 1989 राशि	दिसम्बर 1990 खाते	दिसम्बर 1990 राशि	सितम्बर 1991 खाते	सितम्बर 1991 राशि
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय स्टेट बैंक	64.96	4133	58.81	4080	54.65	4415

1	2	3	4	4	5	7
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	2.35	242	2.44	224	2.31	248
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	6.10	316	6.46	355	6.55	337
स्टेट बैंक आफ इंदौर	1.35	144	1.29	137	1.26	150
स्टेट बैंक आफ मैसूर	2.59	160	2.67	166	2.81	174
स्टेट बैंक आफ पटियाला	1.56	237	1.70	269	1.84	314
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1.14	114	1.25	124	1.38	140
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	4.13	176	4.65	219	4.39	219
इलाहाबाद बैंक	4.88	424	4.98	479	5.52	597
आंध्रा बैंक	5.68	357	5.49	368	4.29	368
बैंक आफ बड़ौदा	9.47	832	9.69	867	9.67	1004
बैंक आफ इन्डिया	10.58	971	10.83	1029	10.53	1097
बैंक आफ महाराष्ट्र	3.00	292	2.96	274	2.97	290
केनरा बैंक	15.21	970	15.51	1053	15.85	1174
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	13.34	899	12.21	897	12.20	903
कार्पोरेशन बैंक	1.70	138	1.70	136	1.60	139
देना बैंक	3.21	261	3.18	257	3.14	270
इंडियन बैंक	8.11	569	8.91	680	10.52	751
इंडियन ओवरसीज बैंक	8.42	410	6.01	395	7.03	485
न्यू बैंक आफ इंडिया	1.12	182	1.15	194	1.09	203
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1.47	202	1.58	251	1.63	296
पंजाब नेशनल बैंक	10.42	1107	11.03	1181	11.24	1362
पंजाब एंड सिंध बैंक	1.51	203	1.47	220	1.48	230
सिंडिकेट बैंक	8.20	537	8.05	520	7.59	498
यूनियन बैंक आफ	6.80	510	7.21	551	6.98	593
यूनाइटेड बैंक इंडिया	7.46	363	7.14	318	7.85	342

1	2	3	4	5	6	7
यूको बैंक आफ इंडिया	7.10	432	7.46	486	6.85	458
विजया बैंक	3.09	241	3.28	258	3.14	259
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक	214.96	15421	209.01	15986	206.27	17316

संख्याओं को पूरा करने के कारण जोड़ का मिलान नहीं हो सकता।

अनुबन्ध-III

जून 1988, जून 1989 और जून 1990 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि अग्रिमों (प्रत्यक्ष वित्त) की राज्यवार वसूली

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मांग की तुलना में कम्पनियों की प्रतिशतता 1988 जून	1989 जून	1990 जून
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र	60.2	58.8	51.2
हरियाणा	48.0	55.3	48.7
हिमाचल प्रदेश	40.8	43.2	37.3
जम्मू व कश्मीर	21.8	36.8	37.8
पंजाब	71.8	69.4	64.0
राजस्थान	44.8	44.3	38.0
चंडीगढ़	66.6	70.1	24.8
दिल्ली	35.9	35.8	31.6
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	35.2	38.6	21.9
असम	36.4	38.9	24.1
मणिपुर	15.2	22.4	9.4
मेघालय	32.5	39.1	19.7
नागालैंड	40.0	45.9	18.2
त्रिपुरा	30.7	27.2	16.5
अरुणाचल प्रदेश	56.5	58.9	56.2

1	2	3	4
मिजोरम	38.9	37.4	29.9
सिक्किम	53.8	59.9	35.1
पूर्वी क्षेत्र	50.2	50.4	40.3
बिहार	47.7	47.8	42.85
उड़ीसा	52.3	54.3	37.0
पश्चिम बंगाल	51.2	50.6	40.7
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	37.7	33.0	17.1
मध्य क्षेत्र	55.6	57.8	46.2
मध्य प्रदेश	52.1	57.5	42.5
उत्तर प्रदेश	57.6	58.0	48.5
पश्चिमी क्षेत्र	50.9	54.6	45.6
गुजरात	53.3	58.6	48.0
महाराष्ट्र	49.7	52.0	43.8
दमन और द्वीव	43.5	23.3	45.3
गोवा	50.7	56.1	48.3
दादर और नागर हवेली	50.6	55.8	59.5
दक्षिणी क्षेत्र	59.6	59.1	52.3
आन्ध्र प्रदेश	58.8	59.4	48.3
कर्नाटक	46.1	47.3	42.9
केरल	68.4	65.2	57.6
तमिलनाडु	68.1	66.5	61.4
पाण्डिचेरी	66.5	62.0	51.5
लक्षद्वीप	56.1	59.3	55.8
अखिल भारतीय	56.8	57.3	48.8

अनुबन्ध-IV

जून 1988, 1989 और 1990 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्रत्यक्ष कृषि संबंधी अग्रिमों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बैंकवार वसूली की स्थिति

बैंक का नाम	मांग की तुलना में वसूली की प्रतिशतता		
	जून 1988	जून 1989	जून 1990
1	2	3	4
स्टेट बैंक का समूह			
भारतीय स्टेट बैंक	57.1	59.6	47.4
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	29.3	33.0	226.9
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	55.4	56.3	27.3
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	44.3	44.3	29.4
स्टेट बैंक आफ मैसूर	55.6	56.5	28.1
स्टेट बैंक आफ पटियाला	68.0	73.5	58.7
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	74.4	69.5	61.1
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	58.0	55.5	52.4
राष्ट्रीयकृत बैंक			
इलाहाबाद बैंक	53.0	53.6	40.2
आंध्रा बैंक	62.0	67.9	47 5
बैंक आफ बड़ौदा	53 3	52.8	44.7
बैंक आफ इंडिया	56.3	60.0	38.0
बैंक आफ महाराष्ट्र	50.5	43.4	38.0
केनरा बैंक	61.9	59.8	55.6
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	57.1	51.8	48.4
कार्पोरेशन बैंक	56.1	51.6	31.1
देना बैंक	53.3	54.2	39.9
इंडियन बैंक	51.3	75.1	63.8

1	2	3	4
इंडियन ओवरसीज बैंक	64.5	60.7	52.1
न्यू बैंक आफ इण्डिया	52.3	54.0	35.8
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	66.2	64.7	54.8
पंजाब नेशनल बैंक	66.4	65.4	55.5
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	59.0	59.1	43.5
सिंडिकेट बैंक	45.1	44.2	32.6
यूनियन बैंक आफ इंडिया	50.5	48.7	46.1
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	44.0	48.6	28.3
यूको बैंक	46.3	51.6	48.3
विजया बैंक	49.9	46.0	37.8
अखिल भारतीय सरकारी क्षेत्र के बैंक	57.5	58.1	46.8

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : माननीय मंत्री ने बहुत लम्बा उत्तर दिया है लेकिन इस उत्तर का अधिकांश भाग अप्रासंगिक है और मैंने जो आंकड़े मांगे थे, मंत्री महोदय ने वे आंकड़े नहीं दिए हैं। प्रश्नों को उनके उत्तर के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम 20 दिन पूर्व दिया जाता है और यहां यह कहा गया है कि इस प्रश्न से संबंधित पैरामीटर इस समय उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन फिर भी भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री श्री देवीलाल सहित जनता दल ने 1989-90 में लोक सभा के लिए अपने चुनाव अभियान के दौरान इस मुद्दे का बहुत प्रचार किया था और अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि अगर वे सत्ता में आए तो ऋण माफ कर देंगे, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या दिसम्बर 1989 से अप्रैल 1991 के बीच की दो सरकारों ने कृषि ऋण माफ किए थे; और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और ऋणों की वसूली पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है।

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : सर, माननीय सदस्य ने कहा है कि इसमें इतने लम्बे आंकड़े दिये हैं तो जितना लम्बा सवाल है, उतना ही लम्बा प्रश्न का उत्तर भी है। जहां तक माननीय सदस्य का जो सवाल है कि पिछली सरकार ने जो 10 हजार तक के किसानों के ऋण थे, उनको माफी की थी। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं, पिछली बार भी मैंने इसी सदन में बतलाया था कि केन्द्रीय सरकार के ऊपर यह जो भार है, यह करीब 7714 करोड़ का आया था लेकिन चूंकि वित्तीय की हालत भी पिछले वर्ष बहुत खराब थी, इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने इस

सहानुभूति से स्वीकार किया कि किसानों का मामला था इसलिए 1100 करोड़ रुपया पिछले बजट में हमने रखा था और 1425 करोड़ रुपया इस बजट में हमने रखा है। इसमें कोआपरेटिव सेक्टर भी आता है, जो राज्य के अधीन है, उसमें 50 परसेंण्ट राज्य सरकारों को देना होगा और 50 परसेंण्ट केन्द्रीय सरकार को देना होगा। इस तरह से केन्द्र सरकार पर 4400 करोड़ रुपये का भार आता है, लोन वेव का। हमारी सरकार ने इसको स्वीकार किया, चूंकि यह किसानों का मामला है इसलिए हम किसानों के क़र्ज़ को चुकता करेंगे।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मैंने दिसम्बर, 1989 से लेकर अप्रैल-मई, 1991 तक के समय के बारे में पूछा है कि कितना लोन वेव किया गया, वह पूछा है।

[अनुवाद]

इसका उत्तर नहीं दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से पुन: अनुरोध करता हूं कि वह मेरे दूसरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते समय इसका उत्तर दें।

[हिन्दी]

मेरा सेकिण्ड सप्लीमेण्टरी यह है कि हर साल कुछ लोन राइट आफ किया जाता है, जिसको बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जिसको बैड डेट भी कहते हैं, जिसको लोग पे नहीं कर पाते, उसको यह राइट आफ करते है। यह राइट आफ वेव से अलग है। मैं इसमें यह जानना चाहता हूं कि किसानों का कितना कर्जा पिछले तीन सालों में राइट आफ हुआ है और इण्डस्ट्रियलिस्ट्स का कितना कर्जा राइट आफ हुआ है? इसके साथ मैं चाहूंगा कि रेट आफ इण्टरेस्ट···

श्री बलबीर सिंह : अभी मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य को जानकारी चाहिए उसको बराबर हम सप्लाई करेंगे।

[अनुवाद

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : महोदय, मुझे कोई जानकारी नहीं है। प्रश्न अत्यधिक प्रासंगिक है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उन्हें लिखित में जानकारी भेजेंगे। उसे सभा पटल पर भी रख दिया जाए।

डा. वसंत पवार : अध्यक्ष महोदय, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद किसानों को ऋणों के रूप में अनेक लाभ मिल रहे हैं। किसान मुख्यत: बीजों उर्वरकों पौष्टिक पदार्थों इत्यादि के लिए ऋण लेता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किसानों को ऋण मंजूर करने की शर्तें क्या हैं; मेरा मतलब यह है कि क्या ये इतनी ही सरल है जैसी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमारे सम्मुख रखी हैं।

(हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसानों को लेंडिंग का प्रश्न है, हमारा जो

प्रायोरिटी सेक्टर में कुल लैंडिंग था, उसका चालीस परसेंट, जैसा कि हमारी आरबीआई की गाइड-लाइन्स हैं, उस सैक्टर में होना चाहिए। कुल लैंडिंग का दस प्रतिशत, हमारी जो गरीबी की रेखा से नीचे लोग हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, आर्टिजन्स हैं या एससीएसटी हैं, उनको जाना चाहिए। जहां तक, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है, इनके ब्याज की बात है, हमने पिछले वर्ष 1990-91 में अक्टूबर में जो ब्याज दर रखी है, वह बहुत ही कम रखी है। अगर कोई 7,500 रु. लेता है, तो ब्याज की दर 11.5 परसेंट है, साढ़े पन्द्रह हजार तक कोई लेता है तो 13 प्वाइंट कुछ है और यदि कोई दो लाख तक लेता है, तो 19 परसेंट है। जहां तक डीआरआईज का सवाल है, उसमें भी आठ परसेंट रखा है। इसमें हम पैसा खर्च कर रहे हैं। यह किसानों का सवाल है, उनके उत्पाद को बढ़ावा देने का मामला है। इसलिए हम बड़ा लिबरल-व्यूह अपनाते हैं, ताकि किसानों को कर्जा इसके तहत मिलता रहे।

(अनुवाद)

श्री सोमनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि वाणिज्यिक और सहकारी दोनों तरह के बैंकों द्वारा एक किसान को जो ऋण राशि दी जा सकती है, उसकी सीमा तय है और यह ऋण राशि फसल तैयार करने के लिए किसान की जरूरत पूरी करने के लिये पर्याप्त नहीं है। 10,000 रुपये की सीमा बहुत पहले कई वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी। क्या सरकार इस समय कृषि लागत को देखते हुए इस सीमा को बढ़ाकर कम से कम 25,000 रुपये करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी ? क्या सरकार इस मामले पर भी विचार करेगी कि जब किसान वाणिज्यिक बैंकों अथवा सहकारी बैंकों को समय पर अदायगी कर देते हैं, तो उन्हें कुछ ब्याज राज-सहायता दी जाए ? कुछ समय पूर्व आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस ब्याज राज-सहायता योजना को लागू किया था। क्या सरकार इस पर गौर करके इस योजना को भी लागू करेगी ?

(हिन्दी)

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दस हजार से बीस हजार की बात कही है, जो उन्होंने सजेशन दिया है, उस पर भी हम विचार करेंगे। जहां तक सवाल इन्टरेस्ट का है, जैसा मैंने अभी माननीय सदस्य को बतलाया, अक्टूबर, 1990-1991 में बहुत कम ब्याज की दर पर किसानों को दिया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी हमारे बीस नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, वहां क्रेडिट-कार्ड सिस्टम रखा है, ताकि उनको बहुत लम्बी दरख्वास्त न देनी पड़े। वह अपना क्रेडिट कार्ड लेकर जाए, उसकी जो आवश्यकता है, कीटनाशक दवाई या फर्टिलाइजर की है, वह उसको पूरा कर सके। यह तीन साल के लिए किया है।

(अनुवाद)

श्री सोमनाद्रीश्वर राव वाड्डे : इससे वसूली में सुधार होगा।

(हिन्दी)

श्री दलबीर सिंह : मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। पिछले साल लोन की रिकवरी की वजह से इसमें गिरावट आई है। इस बारे में मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा, जहां तक बैंक सेक्टर का सवाल है, बड़े किसान भी लोन-मेल के नाम से कर्जा नहीं चुकाना चाहते हैं। इस वजह से हम छोटे किसानों को कर्ज नहीं दे पाते हैं। यह पहले 48 परसेंट था, उसके बाद यह 33 परसेंट आया है। इसके साथ-साथ हम एक प्रयास और कर रहे हैं। चूंकि लोन-मेल साथ-आठ हजार करोड़ रुपए का है, इसलिए बैंकों पर इसका असर पड़ा है। हम यह प्रयास कर रहे हैं, रबी या खरीफ की फसल जो आती है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्रयास करते हैं और हैडक्वार्टर पर भी बैठक होती है। इसमें प्रयास हम यह करते हैं कि रिकवरी ज्यादा से ज्यादा हो।

(अनुवाद)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, उत्तर में यह कहा गया है कि विभिन्न पैरामीटरों पर एक विशेष समय पर उसी अवधि के लिए सूचना उपलब्ध नहीं है। वास्तव में अनेक अवसरों पर यह बताया गया है कि बैंकिंग खाते बुरी स्थिति में हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय निकट भविष्य में बैंक खातों की नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा करने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। महोदय यह मुद्दा इसी प्रश्न से उत्पन्न होता है। उत्तर में कहा गया है कि इस कठिनाई के कारण ऐसा है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके लिए कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहा। आप अपना प्रश्न कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा यही प्रश्न है कि क्या सरकार इसके लिए सहमत है कि बैंक खातों की लेखा परीक्षा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कराई जाए।

(हिन्दी)

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी आर.बी.आई. की गाइड लाइन्स हैं, यदि माननीय सदस्य की कोई भी समस्या हो, किसी भी बैंक के एकाउंट्स में स्पेसिफिक गड़बड़ी हो तो मुझे लिखें, हम जरूर उसमें जांच करवाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है।

हिन्दी में विधि पुस्तकें

[हिन्दी]

*249. श्री राम टहल चौधरी :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी में विधि पुस्तकों के प्रकाशन हेतु कोई पुरस्कार दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी पुस्तकों का कोई मूल्यांकन किया गया है,

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ङ.) इस अवधि में दिए गए पुरस्कारों का ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) जी हां।

(ख) किसी कलेंडर वर्ष में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में लिखी गई या प्रकाशित की गई उन सर्वोत्तम विधि पुस्तकों पर, जो महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों, वकीलों और न्यायपालिका द्वारा पाठ्य पुस्तक या संदर्भ पुस्तक के रूप में उपयोग में लाने के लिए उपयुक्त हैं, 10,000 रु. का प्रथम पुरस्कार, 6,000 रु. का द्वितीय पुरस्कार, 3,000 रु. का तृतीय पुरस्कार और 2,000 रु. का सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ.) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

कलेण्डर वर्ष 1988 और 1989 के दौरान, निम्नलिखित पुस्तकों का लेखन प्रकाशन किया गया, जिनका चयन उनके सामने दर्शाए पुरस्कार के लिए किया गया:—

वर्ष, 1988

	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	पुरस्कार की रकम
1	2	3	4
1.	भारतीय दंड संहिता	हनुमान प्रसाद गुप्ता	5,000 रु. (द्वितीय पुरस्कार)
2.	अपराध अन्वेषण	प्रेम चंद शर्मा	3,000 रु. (तृतीय पुरस्कार)
3.	चिकित्सा न्यायशास्त्र	बसन्ती लाल बाबेल	2,000 रु. (सांत्वना पुरस्कार)

1	2	3	4
4.	वाणिज्यिक विधि के सिद्धांत	कैलाश राय	5,000 रु. (द्वितीय पुरस्कार)
5.	हस्तांतरण, प्रारूपकार और विलेखों एवं दस्तावेजों का निर्वचन	कृष्ण अग्रवाल और कृष्ण कुमार सिंह	5,000 रु. (द्वितीय पुरस्कार)
6.	सहकारिता एवं अधिभार	रघुनाथ प्रसाद तिवारी कंचन सिंह चौधरी और राम लाल	5,000 रु. (तृतीय पुरस्कार)
7.	संविदा विधि	एस. के. कपूर	2,000 रु. (सांत्वना पुरस्कार)
8.	राजस्थान भूमि विधायन	बसन्ती लाल बावेल	3,000 रु. (तृतीय पुरस्कार)
9.	राजस्थान, काश्तकारी अधिनियम, 1955, भू-राजस्व अधिनियम, 956 एवं अन्य अधिनियम	आसकरण अग्रवाल	2,000 रु. (सांत्वना पुरस्कार)
	वर्ष 1989		
1.	सिविल सेवा विधि एवं अधिकरण	श्री कृष्ण दत्त शर्मा	5,000 रु. (द्वितीय पुरस्कार)
2.	विधि दर्शन	विजय नारायण मणि त्रिपाठी	3,000 रु. (तृतीय पुरस्कार)
3.	हत्या	पदम कुमार जैन	5,000 रु. (द्वितीय पुरस्कार)
4.	हस्ताक्षर एक विज्ञान	ए. एन. गनोरकर	5,000 रु. (द्वितीय पुरस्कार)
5.	अपराध अन्वेषण एवं अभियोजन	प्रकाश चन्द्र जैन	3,000 रु. (तृतीय पुरस्कार)
6.	मोटरयान अधिनियम, 1988	रामसेवक शर्मा	5,000 रु. (द्वितीय पुरस्कार

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पुरस्कार की राशि के सम्बन्ध में बताया इन्होंने 1988-89 में पुरस्कार दिए हैं तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि 1989 के बाद कोई विधि, न्याय का हिन्दी में अनुवाद कार्य नहीं हुआ क्या और अगर हुआ है तो 1990-91 का पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया, जिससे इस हिन्दी अनुवाद कार्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यदि 1989 से अभी तक जो लोग अनुवाद किए हैं और उन सबों को पुरस्कार नहीं मिला है तो सरकार उन सबों को कब तक पुरस्कार देने जा रही है और यह व्यवस्था सरकार बनाए रखना चाहती है या नहीं ? यह मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमार मंगलम् : महोदय, प्रथम अनुपूरक में दो भाग हैं, पहला भाग वर्ष 1990 से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ला : अगर आप हिन्दी में जवाब दे सकते हैं तो आप हिन्दी में जवाब दे दीजिए।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : ठीक है, अगर आपका हुकम है तो हम मानेंगे लेकिन अगर भाषा में गलतियां हो तो माफ करेंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं। वह मंत्री को बाध्य नहीं कर सकते···

(व्यवधान)

(हिन्दी)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक ही परेशानी पैदा कर रहे हैं ···

(व्यवधान)

श्री सी. के. कुप्पुस्वामी : महोदय, इसको अनुमती न दें···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका ध्यान रखूंगा। कृपया आप पहले बैठ जाइए ··

(व्यवधान)

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन : हम चाहते हैं कि उत्तर तमिल में दिया जाए, महोदय,

(व्यवधान)

(हिन्दी)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग पहले बैठ जाएं ।

(अनुवाद)

कृपया पहले बैठ जाएं

(व्यवधान)

श्री ए. अशोकराज : हम केवल इंडिया चाहते हैं 'हिन्डिया' नहीं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें यह पता होना चाहिए कि मंत्री महोदय बहुत अच्छी अंग्रेजी के साथ बहुत अच्छी हिन्दी भी बोलते हैं और हमें यह जानना चाहिए कि वह बहुत अच्छी हिन्दी भी बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी हिन्दी या अपनी इच्छानुसार किसी भी अन्य भाषा में बोल सकता है। लेकिन अगर माननीय मंत्री अपनी इच्छानुसार और माननीय सदस्य के अनुरोध पर हिन्दी में उत्तर दे रहे हैं तो हमें इसका भी स्वागत करेंगे।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : महोदय, यदि मैं कहूं ··(व्यवधान)

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन : महोदय, हम तमिल में उत्तर चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया मान जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मान जाइए और शांत रहें। यह प्रश्न विधि की पुस्तकों के हिन्दी संस्करण के बारे में है। मान लीजिए कि माननीय मंत्री महोदय हिन्दी में उत्तर इस प्रकार दे रहे हैं कि उससे माननीय सदस्य को कुछ संतुष्टि हो रही है जो कि कानूनी साहित्य के हिन्दी संस्करण पर प्रश्न कर पूछ रहे हैं, तब उन्हें हिन्दी में बोलने दें। वह बहुत सुन्दर और अत्यधिक काव्यात्मक हिन्दी बोल सकते हैं और हिन्दी में उनका बोलना स्वयं में हिन्दी साहित्य में वृद्धि है।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : महोदय, मैं आपके अच्छे कथन का अत्यधिक आभारी हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं जो हिन्दी जानता हूं उसे मैंने अपने चारों तरफ मौजूद अपने मित्रों से सुनकर सीखा है।

अध्यक्ष महोदय : कुमारमंगलम जी, मैं प्रमाणित करता हूं कि आप अच्छी हिन्दी बोलते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं। कृपया बहुरिए और विभाजन उत्पन्न मत कीजिए।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से कहता हूं कि वे इसकी प्रशंसा करेंगे कि तमिल और अंग्रेजी भाषाएं तो मुझे स्कूल में पढ़ाई गई है और मैंने हिन्दी को सभी मित्रों से बातचीत करके सीखा है। मगर वे यह जानना चाहते है कि मेरी हिन्दी कितनी खराब है तो मैं इसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तब तथ्य यह है कि मैं थोड़ा लड़खड़ा जाऊंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वे मेरी भी सहायता करेंगे। उनके पास भाषा-न्तरण की सुविधा है। मैं इसका प्रयत्न करूंगा; लेकिन वे इसके लिए मुझे दोषी न ठहराएं।

(व्यवधान)

(हिन्दी)

जहां तक 1990 वर्ष के लिए अवार्ड्स की बात है, आमतौर पर साल खत्म होने के बाद पिछले साल के लिए हम लोग इश्तहार देते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं और सम्बन्धित लोगों से अवार्ड के लिए प्रार्थना-पत्र मांगे जाते हैं और इसके लिए उनको 30 अप्रैल तक का समय दिया जाता है। 1990 वर्ष के अवार्ड्स के लिए 30 मार्च, 1991 तक का समय दिया गया था। उसके बाद जो पुस्तकें प्राप्त हुई उनकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई और प्रत्येक पुस्तक के लिए दो-दो सदस्यों को यह काम सौंपा गया है कि वे इवेल्युएशन करें कि वह पुस्तक अवार्ड के लायक है या नहीं। वर्ष 1990 के अवार्ड्स के लिए कमेटी द्वारा पुस्तकों का इवेल्युएशन कार्य अभी जारी है और मैं समझता हूं कि एक आध महीने तक यह कार्य पूरा हो जाएगा और अवार्ड दिए जाएंगे। हिन्दी की 14 किताबें हैं और बाकी भाषाओं की 19 किताबें हैं, जिनको इवेल्युएट कर रहे हैं।

जहां तक पिछले साल के अवार्ड्स की बात है, 30 अप्रैल तक का समय था, इसके लिए इश्तहार दिया गया है। 30 तारीख के बाद अवार्ड्स के लिए किताबों का इवेल्युएशन करने के लिए कमेटी को सौंपा जाएगी।

दूसरी बात जहां तक अनुवाद की है, ये अवार्ड्स अनुवाद के लिए नहीं दिए जाते हैं, बल्कि स्वयं जो किताब लिखी जाती है, उसके लिए दिए जाते हैं। अनुवाद के लिए हम कभी भी अवार्ड नहीं देते हैं।

(अनुवाद)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, वह त्रि-भाषा सूत्र बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां उन्होंने त्रि-भाषा सूत्र से पास किया है।

(व्यवधान)

(हिन्दी)

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सामान्य नागरिकों को विधि-न्याय की जानकारी हो, इस दृष्टि से यह कार्य किया जा रहा है। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि हिन्दी में विधि पुस्तकों का प्रकाशन जल्दी हो और लोग इस कार्य में रुचि लें, ज्यादा संख्या में पुस्तकें प्रकाशित हों इसके लिए जो वर्तमान पुरस्कार राशि है, क्या उसमें बढ़ोत्तरी की जाएगी?

(अनुवाद)

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : बढ़ोतरी ता करना चाहेंगे।

महोदय, मैं इस समय इस पर अंग्रेजी में बोलना चाहूंगा;

अध्यक्ष महोदय । आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं आपने स्पष्ट कर दिया है कि आप हिन्दी में भी बोल सकते हैं ।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : चुने हुए विषयों पर हिन्दी भाषा में लिखित विधि पुस्तकें प्राप्त करने के लिए विशेष कार्य उपलब्ध है, सरकार की सहायता उपलब्ध है, लेकिन उन मामलों में पुरस्कार नहीं दिये जाते हैं । हम पुस्तक के विषय के आधार पर पुस्तकों के लिए 5000/- रुपये तक की सहायता भी देते हैं और हम प्रति पृष्ठ टाइपिंग आदि का भी भुगतान करते हैं । हमारे पास अनुवाद के लिए भी एक योजना है । दोनों प्रकार के अनुवाद और विशेष कार्य करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हिन्दी को प्रोत्साहन देते हैं । हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं ।

(हिन्दी)

श्री राम टहल चौधरी : क्या पुरस्कार राशि बढ़ाना चाहेंगे ?

(अनुवाद)

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । लेकिन मैं इस पर अवश्य विचार करूंगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है ।

(हिन्दी)

श्रीराम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय विधि मन्त्री भी हैं, इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने पता लगाया है कि विधि की, ला की कितनी बुक्स हैं जिनका अभी तक हिंदीकरण नहीं किया गया है ? क्योंकि आफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसका मैं भी मेम्बर हूं, उसके मुताबिक जितनी जल्दी हो सके अंग्रेजी का हिन्दी में अनुवाद हो जाना चाहिए और उसका प्रमाणीकरण भी होना चाहिए । आपने अभी तक कुछ पता लगाया है और कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है कि कितने समय तक इसका अनुवाद हो जाएगा और प्रमाणीकरण भी कर लिया जाएगा ?

(अनुवाद)

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि हमने विभिन्न कानूनों का हिन्दी में अनुवाद करने के प्रश्न पर विचार करने का प्रयास किया था । हमने यह देखने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं कि जितना सम्भव हो इसमें शामिल किया जाये, लेकिन अन्तिम ब्यौरे के लिए मैं अलग से नोटिस चाहूंगा ।

श्री सी. के. कुप्पुस्वामी : महोदय, आठवीं अनुसूची के अनुसार भारत में चौदह भाषाएं हैं परस्पर सम्पर्क करने के लिए हिन्दी ही एक मात्र भाषा नहीं है । अत: मैं माननीय अध्यक्ष से जानना

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

चाहूंगा कि क्या प्रश्नकाल के दौरान उठाये गये प्रश्न का उत्तर तमिल या अन्य चौदह भाषाओं में किसी भाषा में प्राप्त करने के लिए कोई प्रबन्ध किये जायेंगे।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम* : महोदय, इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जायेगी।

बैंक कर्मचारियों द्वारा आंदोलन

*252. श्री हरिन पाठक :

श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक कर्मचारियों ने राष्ट्र व्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण है,

(ग) क्या बैंक उद्योग के मजदूर संघों से एक द्विपक्षीय समझौते हेतु बातचीत करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) (ख), (ग), (घ) और (ङ.) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी परिसंघ ने निम्नलिखित मुद्दों/मांगों के कार्यान्वयन के लिए/समर्थन में 27 मार्च, 1992 को एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है :—

1. वित्तीय प्रणाली पर नरसिंहम समिति की कथित हानिकारक सिफारिशों को रद्द करना,

2. बाकी गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण;

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रायोजक बैंकों के साथ विलय और राष्ट्रीय औद्योगिक न्याया-धिकरण के पंचाट का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन;

4. भर्ती पर लगे प्रतिबन्धों को हटाना;

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण

5. जमा संग्राहकों को पंचाट के अनुसार खपाना;

6. सेवानिवृत्ति के तीसरे लाभ के रूप में पेंशन की शुरुआत;

7. एस. बी. आई./आई. ओ. बी. के लाभों का पैकेज अन्य बैंकों को भी करना,

8. सवारी भत्ता कर्मकार स्टाफ को भी देना।

(ग), से (ड.) 1989 में बैंकिंग उद्योग में हस्ताक्षरित पिछला वेतन-समझौता (पांचवा द्विपक्षीय समझौता) 1.11.1987 से 5 वर्षों के लिए था और 31 अक्तूबर, 1992 तक लागू रहेगा। समझौते के अनुसार, यूनियनें, अपने मांग-पत्र समझौता समाप्त होने के छः महीने पूर्व भारतीय बैंक संघ को प्रस्तुत कर सकती हैं। ऐसे मांग पत्र पर बातचीत समझौते की समाप्ति के अन्तिम तीन महीनों से पहले शुरू की जाएगी। यूनियनों ने, जिनके साथ भारतीय बैंक संघ का द्विपक्षीय सम्बन्ध है, अभी तक अपने मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं। भारतीय बैंक संघ द्वारा ऐसा मांग पत्र प्राप्त होने के बाद ही वार्ता प्रारम्भ की जाएगी।

श्री हरिन पाठक : महोदय, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने हाल ही में कोचीन में हुई केन्द्रीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया है कि वे 27 मार्च को दिल्ली में वित्तीय प्रणाली पर नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के विरोध में एक विशाल रैली आयोजित करेंगे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा। (क) क्या यह सच है कि यदि समिति की कुछ सिफारिशें लागू हो जाती है तो इससे भारतीय बैंकिंग उद्योग कमजोर होगा और राष्ट्र के हितों को नुकसान पहुंचेगा; विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग और कृषि लघु उद्योगों तथा ग्रामीण दस्तकार। और (ख) क्या सरकार उन सिफारिशों को स्वीकार करने जा रही है।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस आशंका से सहमत नहीं हूं कि समिति की रिपोर्ट, जिसका उन्होंने हवाला दिया है, से राष्ट्र द्वारा निर्धारित बैंकिंग उद्योग क्षमता कमजोर पड़ेगी।

जहां तक रिपोर्ट का सम्बन्ध है, यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करूंगा कि आज हमारी बैंकिंग प्रणाली को पुर्नसंगठित करने की आवश्यकता है। इसकी आज इतनी लाभकारिता है कि हम यथास्थिति बनाए रखने से संतुष्ट नहीं है। इस संदर्भ में हमें सदन के सहयोग की आवश्यकता है और हमें अपने समाज के सभी देशभक्त वर्गों के सहयोग की आवश्यकता है। यह केवल व्यवहार्य बैंकिंग प्रणाली के आधार पर है और हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं नहीं मानता कि हड़ताल पर जाने का कोई औचित्य है। हमें कर्मचारियों के सभी हितों का ध्यान रखेंगे।

श्री हरिन पाठक : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि यदि नरसिम्हन समिति के सुझाव लागू हो जाते हैं तो सरकारी क्षेत्र के बैंक आन्तरिक रूप से रुग्ण हो जायेंगे और बहुत से कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ेगी।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, उत्तर नहीं, में है। रिपोर्ट का मूल उद्देश्य भारतीय बैंकिंग

प्रणाली को व्यवहार्य बनाना है और विस्तार में जाये बिना मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हमारे बहुत से सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है जैसी एक अच्छे बैंक की होनी चाहिए। समूची रिपोर्ट का उद्देश्य हमारी बैंकिंग प्रणाली को गतिशीलता प्रदान करना है जिससे कि हमारी बैंकिंग प्रणाली उन सामाजिक व आर्थिक कार्य को पूरा कर सके जो हमारे राष्ट्र ने बैंकों को सौंपे थे।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, माननीय मंत्री के उत्तर से स्पष्ट लगता है कि बैंक कर्मचारियों द्वारा इस हड़ताल के मुख्य विषयों में से एक विषय नरसिम्हम समिति की सिफारिशें हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार इन सिफारिशों में से किसी भी सिफारिश को लागू करने से पहले सदन में रिपोर्ट पर पूरी तरह चर्चा करेगी।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, यह रिपोर्ट अब सार्वजनिक की जा चुकी है। इसे सभा पटल पर रखा जा चुका है। हम विभिन्न ग्रुपों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। बैंक के चेयरमेन के साथ इस विषय में मेरा चर्चा करने का विचार है। मुझे बैंक कर्मचारियों के साथ भी इस पर चर्चा करने में प्रसन्नता होगी। यदि आवश्यक समझा गया तो हम भी इस पर चर्चा कर भी सकते हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य महोदय, मैं मंत्री जी से पूछ रही थी कि क्या इस पर चर्चा करने से पहले किसी सिफारिश को लागू किया जायेगा।

श्री मनमोहन सिंह : जी नहीं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, बिना किसी चर्चा के इसे पहले ही लागू किया जा चुका है एस एल आर 38.5 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दी गयी है। यह सिफारिश का एक हिस्सा है।

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : आप प्रत्येक कार्य का विरोध करते हो जो सरकार करना चाहती है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरे विचार से आप जानते हैं कि आप भी इससे प्रभावित होंगे।

श्री जगदीश टाईटलर : आप प्रत्येक कार्य में बाधाएं उत्पन्न करना चाहते हो जो सरकार करना चाहती है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जी हां, हम प्रत्येक बुरे कार्य में बाधाएं उत्पन्न करेंगे जो सरकार करना चाहेगी (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : आप प्रत्येक व्यक्ति को गुमराह करते हो। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय आप सुनिश्चित करें कि मंत्री जैसा ही व्यवहार करें इस इस तरह नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है वित्त मंत्री उत्तर देंगे और कोई नहीं।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। अन्य मंत्री इस तरह कैसे खड़े हो सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को अन्य सदस्यों के साथ बात करना भी आवश्यक नहीं था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : यहां पर तीन वित्त मंत्री बैठे हुए है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

मैं अपेक्षा करता हूं कि सदस्य आपस में बात नहीं करें। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि सदस्य खड़े होकर और अध्यक्षपीठ की अनुमति से बोलेंगे। मैं अपेक्षा करता हूं कि प्रश्न प्रासंगिक होना चाहिए और सम्बन्धित मंत्री को ही उत्तर देना चाहिए किसी अन्य को नहीं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय ने यह कहा कि नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट कामन करते हुए, कि कर्मचारियों के और हमारे अपने सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनके हितों का रक्षण करेंगे। रिजर्व बैंक ने एक महीने पहले जो रिपोर्ट जाहिर की है उसमें पिछले सितम्बर के अन्त तक देश में डिपाजिट में 17.4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है 12 महीनों में, वहीं हमारे विदेशी बैंकों में जो पैसा जमा हुआ है उसकी बढ़ोत्तरी 34.3 प्रतिशत है, लगभग दुगुनी है। हमारे सार्वजनिक बैंकों में जो डिपाजिट में बढ़ोत्तरी हुई है वह 11.1 प्रतिशत है, यानि विदेशी बैंकों का एक तिहाई। नरसिम्हन कमेटी ने जिस प्रकार हमारे बैंक व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट दी, हमारे सार्वजनिक बैंकों की जो कमजोरियां रहीं, क्या यह हमारी विफलता का द्योतक नहीं हैं? इन परिस्थितियों से निपटने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मेरी धारणा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अधिक प्रतिस्पर्द्धा की आवश्यकता हैं। भारतीय बैंकों में आज कामकाज की स्थिति यह नहीं है जो इन बैंकों से लेन देन करने वाले चाहते हैं इसलिए लोग विदेशी बैंकों में जाते हैं।

मुझे विश्वास है समय आ गया है जब हमें कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ेगा। मुझे मध्यपूर्व के देशों में रह रहे भारतीय श्रमिकों से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। वे मुझे लिखते हैं कि यदि हम भारतीय बैंकों को अपना धन भेजते हैं तो इसमें दो महीने का समय लग जाता है। हवाला बाजार में इसके लिए 48 घंटे का समय लगता है। अब सदन इस बारे में तय कर सकता है कि क्या इस देश में वर्तमान बैंकिंग प्रणाली सफल है जिसमें इस प्रकार के लेन देन में तीन महीने का समय लगता है। यह बहुत ही दु:खद स्थिति है। (व्यवधान)

मेरे विचार से इस सदन के सभी वर्ग जानते है कि बैंकिंग प्रणाली आर्थिक प्रणाली का आधार है यदि बैंकिंग प्रणाली का यही हाल रहेगा तो देश की यही दुखद स्थिति रहेगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री खार्बे फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, आप मेरी तरफ देखिए। उन्होंने यह कबूल किया कि विदेशी बैंकों में लाया जायेगा, हमारे बैंकों को बन्द किया जायेगा। मेरा प्रश्न था हमारे बैंकों को सुधारने के लिए क्या करने जा रहे हैं ? बैंक कर्मचारियों के व्यवहार का सवाल अलग है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह मत भूलिए कि आप पर निगरानी रखी जा रही है।

कोचीन पत्तन पर कर्षों की संख्या

*254. प्रो. के. वी. थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कोचीन पत्तन में कितने कर्ष (टग) हैं,

(ख) उनमें से कितने चालू हालत में हैं,

(ग) ऐसे कितने कर्ष हैं जिन्हें भविष्य में बदलने का प्रस्ताव है,

(घ) क्या कोचीन पत्तन के लिए नए कर्ष खरीदने का कोई प्रस्ताव है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) इस समय कोचीन पत्तन में चार टग हैं।

(ख) सभी चार टग प्रचालन में हैं।

(ग) चार टगों में से दो टगों को बदलने का प्रस्ताव है।

(घ) तथा (ङ) मौजूदा दो टगों "वरिस्टों" और "वाक्सन" के स्थान पर दो टग खरीदने का प्रस्ताव है। इन दो टगों के लिए पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं।

प्रो. के. वी. थामस : मैं माननीय मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने दो पुरानी कर्ष टगों को बदलने के लिए तुरन्त कार्यवाही की है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा इन दो कर्ष (टग) को जो निर्माणाधीन है को कब चालू किया जायेगा और इनकी कीमत क्या होगी ?

श्री जगदीश टाईटलर : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि प्रथम (कर्ष) टग देने की अवधि अप्रैल 1993 है और दूसरी टग जुलाई 1993 में देनी है उन्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि हम समय से एक माह आगे है।

श्री पी. सी. थामस : माननीय मंत्री कोचीन पोर्ट का एक महीने में दो बार दौरा करते हैं।

उन्होंने देखा होगा कि कोलम्बो पत्तन की तुलना में कोचीन पत्तन कितनी क्षमता है। मैं माननीय मंत्री से कोचीन पत्तन के आधुनिकीकरण के लिए उठाये गये कदमों के बारे में जानना चाहूंगा।

श्री जगदीश टाईटलर : हम कन्टेनर टर्मिनल विकसित कर रहे हैं। हमने पहले से ही समुद्र तट कानून में छूट दे दी है। इन दो छूटों और नये विकास को ध्यान में रखते हुए हमें आशा है कि इस पत्तन को कोलम्बो पत्तन के साथ प्रतियोगी बनाया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बिहार को विकास परियोजनाओं के लिए ऋण

*250. श्री ललित उरांव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 और 1991-92 में केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार को विकास परियोजनाओं के लिए कितना ऋण मंजूर किया है;

(ख) क्या इस आशय की शिकायत मिली है कि इन ऋणों का दुरुपयोग किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) भारत सरकार द्वारा बिहार को विभिन्न शीर्षों जैसे राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता, लघु बचतों से संग्रहण आदि के अन्तर्गत 1990-91 के दौरान 948.83 करोड़ रुपए तथा 1991-92 के दौरान अब तक 729.61 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है।

(ख) विकास सम्बन्धी निधियों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) केन्द्रीय सहायता राज्य की वार्षिक योजना के लिए ऋण तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है। किसी भी राज्य में विकास-प्रयोजनों के लिए रखी गई निधियों की संबंधित राज्य के महालेखाकार द्वारा लेखा-परीक्षा की जाती होती है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार किसी राज्य के लेखों के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती हैं जो उन्हें राज्य की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कराता है। राज्य के विधान मंडल राज्य में विकास संबंधी निधियों के दुरुपयोग, यदि कोई हो, के बारे में उचित कारंवाई करता है।

[अनुवाद]

जापान को निर्यात

*251. डा. सी. सिलवेरा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान को निर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय वहां निर्यात की जा रही वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन वस्तुओं के निर्यात से पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी; और

(घ) जापान को निर्मित वस्तुओं के निर्यात को और अधिक बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी हां, इनमें चमड़ा तथा निर्मित वस्तुएं रत्न तथा आभूषण, खेल का सामान, रासायनिक पदार्थ तथा भेषजीय पदार्थ, रबड़ उत्पाद, मशीनें तथा उपस्कर, इन्जीनियरी मदें तथा वस्त्र मदें शामिल हैं ।

(ग) डीजीसीआई एण्ड एस के आंकड़ों के अनुसार विनिर्मित वस्तुओं अर्थात् कृषि एवं बागान उत्पादों, खनिज पदार्थ तथा अयस्क को छोड़कर अन्य वस्तुओं के निर्यात निम्नोक्त रहे :—

1989-90	1990-91	
1489	1517	(करोड़ रु. में)

(घ) नीति संबंधी विभिन्न उपायों के माध्यम से हमारे उद्योग की प्रतियोगी क्षमता बढ़ाने के अतिरिक्त इनमें ये उपाय भी शामिल हैं : द्विपक्षीय व्यापार की समय-समय पर समीक्षा, जापान में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान, बाजार सर्वेक्षण तथा ऐसे अन्य उपाय ।

काफी बोर्ड का खर्च

*253. श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा :

श्री बी कृष्णा राव :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान काफी बोर्ड का प्रशासनिक खर्च कितना-कितना रहा ;

(ख) क्या इसके खर्च में लगातार वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके खर्च को कम से कम करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी चिदम्बरम) : (क), (ख), और (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) काफी बोर्ड के प्रशासनिक खर्च की राशि, जिसमें पिछले तीन वर्ष के दौरान के वेतन और भत्ते, यात्रा, वाहनों का रखरखाव तथा आकस्मिक व्यय सम्मिलित है, नीचे दी गई ।

वर्ष	राशि (लाख रु. में)
1988-89	1,035.48
1989-90	1-120.59
1990-91	1,227.29

(ख) महंगाई भत्ते इत्यादि में वृद्धि के कारण काफी बोर्ड के प्रशासनिक खर्च में वृद्धि हुई है।

(ग) प्रशासनिक खर्च में कमी करने के लिए काफी बोर्ड ने निम्नांकित उपाय किए हैं :

(क) कुछ पदों को अतिरिक्त के रूप में पहचान की गई है और उन्हें समाप्त किया जा रहा है।

(ख) काफी बोर्ड अन्य अतिरिक्त पदों की पहचान कर रहा है जिससे कि उन्हें समाप्त किया जा सके।

(ग) अप्रैल, 1991 से कोई भरती नहीं की गई है।

(घ) काफी बोर्ड के कार्यालयों के 12.12 प्रतिशत दूरभाषों को त्यागा जा रहा है।

(ङ) कर्मचारी गण के समयोपरि भत्ते को सीमित किया गया है।

(च) वाहनों पर खर्च को ध्यानपूर्वक मानीटर किया जाता है।

हथकरघा बुनकरों को हैंक यार्न की सप्लाई

255. श्री अन्ना जोशी :

प्रो. (श्रीमती) रीता वर्मा :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा बुनकरों को सरकारी और अर्ध-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वर्ष 1991 के दौरान, राज्य-वार, कितनी-कितनी मात्रा में "हैंक यार्न" की सप्लाई की गयी;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान यार्न उत्पादक एककों को राज्य-वार कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) इस अवधि के दौरान मंडी विकास योजना के अंतर्गत शीर्ष सहकारी समितियों को राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गयी ?

वस्त्र राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण-I

(क) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम और राज्य सहकारी कताई मिलों द्वारा 1990-91

के दौरान हथकरघा बुनकरों और उनके संगठनों को दिये गए हैंक यार्न का राज्यवार विवरण विवरण I में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 1990-91 और 1991-92 (दिसम्बर, 1991 तक) के दौरान सहकारी कताई मिलों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार/योजनावार विवरण विवरण-II में दिया गया है।

(ग) हथकरघा क्षेत्र में कार्यान्वित विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत राज्य/राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष हथकरघा सहकारी समितियों, हथकरघा विकास निगमों और प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियों को सहायता दी जाती है। राज्य शीर्ष हथकरघा सहकारी समितियों को 1991 के दौरान (जनवरी-दिसम्बर) जारी की गई विपणन विकास सहायता का राज्यवार ब्यौरा विवरण III में दिया गया है।

विवरण-I

एन. एच. डी. सी. और सहकारी कताई मिलों द्वारा हथकरघा बुनकरों और उनके संगठनों में दिए गए हैंक यार्न का विवरण।

(मात्रा लाख किलोग्राम में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	सहकारी कताई मिलों द्वारा की गई बिक्री	एन. एच. डी. सी. द्वारा आपूर्ति 1990-91	1991-92 (जनवरी 92 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	36.59	12.64	3.84
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	0.15	0.01
3.	असम	—	14.10	5.46
4.	बिहार	—	6.08	4.45
5.	दिल्ली	—	0.01	0.01
6.	गुजरात	0.09	0.47	0.33
7.	हरियाणा	0.69	0.45	4.86
8.	जम्मू व कश्मीर	—	1.50	0.04
9.	कर्नाटक	15.43	0.90	7.02
10.	केरल	6.56	0.95	1.98

1	3	4	5
11. मध्य प्रदेश	3.29	15.26	4.22
12. महाराष्ट्र	61.31	8.14	3.18
13. मनीपुर	—	0.46	—
14. मेघालय	—	0.08	0.01
15· मिजोरम	—	—	0.04
16. उड़ीसा	26.53	5.82	0.56
17. पांडिचेरी	1.00	0.11	0.34
18. पंजाब	5.76	—	0.01
1c. राजस्थान	0.27	3.52	1.04
20. सिक्किम	—	0.01	0.11
21. तमिलनाडू	114.42	13.54	4 69
22. त्रिपुरा	—	1.39	0.50
23. उत्तर प्रदेश	73.79	34.74	1.57
24. पश्चिमी बंगाल	10.75	9.94	1.02
योग	356.38	139.26	45.29

विवरण-11

एन. सी. डी. सी. द्वारा सहकारी कताई मिलों को 1990-91 और 1991-92 दिसम्बर 1991 तक दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा ।

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	योजना का नाम	1990-91 संस्वीकृत	1990-91 जारी	1991-92 (दिसम्बर 91 तक) संस्वीकृत	1991-92 (दिसम्बर 91 तक) जारी
क.	उत्पादक सहकारी कताई मिलों में अंशपूंजी भागीदारी के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	(i) महाराष्ट्र	660.71	150.00	—	225.00
	(ii) उड़ीसा	506.25	50.00	—	54.38

ख. बुनकर सहकारी कताई मिलों में अंशपूंजी भागीदारी के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना				
(i) केरल	—	45.00	—	—
ग. सहकारी कताई मिलों को मार्जिन मनी सहायता के लिए निगम प्रायोजित योजना				
(i) कर्नाटक	—	23.107	—	—
(ii) तमिलनाडू	10.75	49.26	—	—

विवरण-III

राज्य शीर्ष हथकरघा सहकारी समितियों को 1991 के दौरान जारी की गई एम. डी. ए. का राज्यवार ब्यौरा।

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	एम डी. ए. के अन्तर्गत जारी की गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	315.95
2.	असम	20.84
3.	गुजरात	1.98
4.	कर्नाटक	45.00
5.	केरल	54.00
6.	मध्य प्रदेश	37.35
7.	उड़ीसा	158.60
8.	पंजाब	11.50
9.	राजस्थान	22.25
10.	तमिलनाडू	1320.95
11.	त्रिपुरा	11.92
12.	उत्तर प्रदेश	130.00
13.	पश्चिमी बंगाल	339.42
	कुल	2470.76

क्र सं. योजना का नाम	1990-91 संस्वीकृत	1990-91 जारी	1991-92 (दिसंबर 91 तक) संस्वीकृत	1991-92 (दिसंबर 91 तक) जारी
क. एनसीडीसी-III एग्रो उद्योग प्रोजेक्ट-कपास घटक				
आवधिक ऋण सहायता के लिए केन्द्रीय सेक्टर योजना				
(i) आंध्र प्रदेश	—	1469.625	—	—
(ii) कर्नाटक	—	100.000	96.00	302.00
(iii) महाराष्ट्र	4017.00	100.000	—	1499.250
(iV) पंजाब	—	500.000	462.50	400.00
(V) राजस्थान	—	—	213.63	213.63
ख. अंशपूंजी सहायता के लिए निगम प्रायोजित योजना				
(i) आंध्र प्रदेश	—	891.200	—	—
(ii) कर्नाटक	—	537.250	42.44	244.97
(iii) महाराष्ट्र	1127.33	1117.600	—	—
(iv) पंजाब	—	—	231.25	—
(v) राजस्थान	—	—	170.91	—
कुल	6322.04	5033.042	1216.73	2939.23
कुल संस्वीकृत	7538.77			
जारी	7972.272			

फ्रांस के शिष्टमंडल का दौरा

[हिन्दी]

*256. श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1991 से दिसम्बर, 1991 के दौरान फ्रांस के किसी शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच किन-किन विषयों पर चर्चा की गई ;

(ग) फ्रांसीसी शिष्टमंडल ने किन-किन क्षेत्रों में पूंजी-निवेश करने का प्रस्ताव किया है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां । इस अवधि में फ्रांस से निम्नलिखित शिष्टमंडलों ने भारत का दौरा किया :—

(1) कन्सील नेशनल पेट्रोनट फ्रांसाइस (सीएनपीएफ) से व्यापार शिष्टमंडल ;

(2) विदेश आर्थिक संबंध मंत्रालय से सरकारी शिष्टमंडल ;

(3) फ्रेंच ट्रेजरी से शिष्टमंडल ।

(ख) (ग) और (घ) : फ्रांस के व्यापार शिष्टमंडल ने भारत-फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद की 9 वीं बैठक में अपने भारतीय प्रतिपक्ष के साथ दोनों देशों के बीच वाणिज्यक और औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं के बारे में विचार विमर्श किया था । इस बात पर सहमति व्यक्ति की गई थी कि कंप्यूटर साफ्टवेयर, खाद्य संसाधन, दूरसंचार, प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा, सूचना विज्ञान और रसायन जैसे क्षेत्रों में भारत-फ्रांस सहयोग के लिए पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान

दोनों सरकारी शिष्टमंडलों ने फ्रांस द्वारा भारत को सहायता के संबंध में वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया जिसके फलस्वरूप दो संलेखों पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें फ्रांस द्वारा 299.4 मिलियन एफ.एफ की सहायता की व्यवस्था है ।

साधारण बीमा निगम

[हिन्दी]

*258. श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय साधारण बीमा निगम घाटे में चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुए घाटे का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि फर्जी एजेन्ट निगम से अवैध रूप से कमीशन ले रहे हैं ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) (च) और (छ) : प्रश्न ही नहीं उठता

राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज

[अनुवाद]

*259 श्री पवन कुमार बंसल :

श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह संभवत : कब तक कार्य करने लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) (क), (ख) और (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(क), (ख) और (ग) : सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड द्वारा नई बम्बई में राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज की स्थापना को सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया है। आशय यह है कि यह एक्सचेंज एक माडल एक्सचेंज के रूप में कार्य करेगा और देश के विभिन्न भागों के निवेशकों के लिए द्वार खोलेगा। इस समय यह बताना कठिन है कि यह कब तक कार्य करना शुरू कर देगा क्योंकि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत एक्सचेंज को अभी मान्यता दी जानी है।

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना

*260 श्री ई. अहमद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना में कोई परिवर्तन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप इस योजना के अन्तर्गत जमाराशि में कितनी वृद्धि/कमी हुई ?

(वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) :— विदेशी मुद्रा (अनिवासी) लेखा योजना को अनिवासी भारतीयों के लिए अधिक आकर्षक बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित तरीके से और अधिक उदार बनाया गया है,

1. प्राधिकृत विक्रेताओं द्वारा विदेशी मुद्रा अनिवासी लेखा धारकों के भारत में निवेश को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए स्वीकृत की जाने वाली ऋण/ओवर ड्राफ्ट की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गयी है।

2. प्राधिकृत विक्रेताओं को, विदेशी मुद्रा अनिवासी लेखा धारकों को स्वीकृत गति विधियों में संलग्न भारतीय फर्मों/कम्पनियों की पूंजी में अप्रत्यावर्तन आधार पर प्रत्यक्ष निवेश करने के प्रयोजनों के लिए 10 लाख रुपए तक रुपए में ऋण/ओवर ड्राफ्ट स्वीकृत करने की अनुमति दी गयी है।

3. प्राधिकृत विक्रेताओं को, भारत में निवासी व्यक्तियों/फर्मों/कम्पनियों को कुछ शर्तों के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किए बिना विदेशी मुद्रा अनिवासी लेखों में धारित समपार्श्विक सावधि जमा प्रति ऋण/ओवर ड्राफ्ट सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति दी गयी है।

4. स्वयं लेखा धारकों को उनकी विदेशी मुद्रा अनिवासी बचतों के प्रति स्वीकृत ऋण की राशि उनके अनिवासी सामान्य लेखा में धारित रुपया निधि से अब इस शर्त के साथ वापस अदा किया जा सकता है कि इस प्रकार के ऋणों पर देय ब्याज वाणिज्यिक दरों पर होगा।

(ग) विदेशी मुद्रा अनिवासी योजना के अन्तर्गत बकाया शेष राशि की स्थिति अगस्त, 1991 से माहवार नीचे दी जा रही है :—

माह	करोड़ रुपए में
अगस्त, 1991	14838
सितम्बर, 1991	14455
अक्तूबर, 1991	14144
नवम्बर, 1991	14071
दिसम्बर, 1991	14253
जनवरी, 1992	14173

अखबारी कागज का आयात

*261. श्री मान्ये गोवर्धन

श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज के आयात में हाल ही में कुछ अनियमितताओं का पता चला है जैसाकि 9 फरवरी, 1992 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए अनुमानित घाटे का ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार द्वारा कथित अनियमितताओं की जांच कराई गई है अथवा जांच कराये जाने का विचार है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(च) ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (च) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (च) सरकार ने टाइम्स आफ इंडिया में दिनांक 9.2.92 के समाचार को देखा है। इस विषय में तथ्य निम्नलिखित है :—

(1) एसटीसी ने एफ आई एन एन पी ए पी से अक्तूबर, 1991 में 609 डालर प्रति मीट्रिक टन एफ ओ बी दर पर 5000 मीट्रिक टन चिकना अखबारी कागज खरीदा था जिसमें 5000 मीट्रिक टन अतिरिक्त मात्रा खरीदने का विकल्प था।

(2) एस टी सी ने 30. 12.91 को एफ आई एन एस पी एपी से 509 डालर प्रति मीट्रिक टन एफ ओ बी दर पर 5000 मीट्रिक टन की इस अतिरिक्त मात्रा को खरीदने के लिए इस विकल्प का प्रयोग करने का विनिश्चय किया।

(3) जनवरी, 1992 में प्राप्त इस आशय की शिकायत के आधार पर कि अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 609 डालर प्रति मीट्रिक टन एफ ओ बी की तुलना में कम है, एस टी सी ने सप्लायर एफ आई एन पी ए पी को यह सलाह दी कि जब तक इस विषय म एस टी सी सुचित न करे तब तक उत्पादन न करें।

(4) एस टी सी अब 5000 मीट्रिक टन की इस वैकल्पिक मात्रा की खरीदारी की संविदा को रद्द करने से पहले कानूनी राय ले रहा है।

कालीन बुनाई प्रशिक्षण-केन्द्र

[हिन्दी]

*262. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) देश में कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों का राज्य-वार ब्योरा क्या है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे कितने प्रशिक्षण केन्द्र बन्द किए गए ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार इन राज्यों में कुछ नये प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ङ) यदि हां, तो किन स्थानों पर तथा इन केन्द्रों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ; और

(च) उपर्युक्त अवधि के दौरान कुल कितने व्यक्तियों को कालीन की बुनाई में प्रशिक्षित किया गया तथा स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण/अनुदान के रूप में उन्हें कुल कितनी धन-राशि प्रदान की गई ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) संघ सरकार द्वारा विभागीय रूप से चलाए जा रहे कालीन-बुनाई प्रशिक्षण केंद्रों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई भी केंद्र बंद पड़ा हुआ नहीं है। तथापि कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र भ्रमणशील किस्म के होते है और उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अन्तरित किया जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान कालीन की बुनाई में प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नोक्त अनुसार है :—

1988-89	8212
1989-90	6230
1990-91	6554

स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को दिए गए ऋणों/अनुदान की राशि के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह विषय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

विवरण

प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्यौरा

क्रमांक राज्य का नाम	गहन प्रशिक्षण केन्द्र	उच्च प्रशिक्षण केन्द्र	प्रशिक्षण बुनाई केन्द्र	योग
1. उत्तर प्रदेश	91	60	4	155
2. जम्मू एवं कश्मीर	118	57	—	175
3. बिहार	25	4	1	30
4. राजस्थान	13	—	—	13
5. मध्य प्रदेश	18	—	1	19
6. हरियाणा	4	1	—	5
7. पंजाब	4	1	—	5
8. हिमाचल प्रदेश	4	—	—	4
9. आंध्र प्रदेश	15	4	—	19
10. तमिलनाडु	3	—	—	3
11. कर्नाटक	5	—	—	5
12. पश्चिमी बंगाल	4	—	—	4
	304	127	6	437

म्यूचुअल फण्ड

[अनुवाद]

*263 श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम ने म्यूचुअल फण्ड की अब तक कितनी योजनाएं प्रायोजित की हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र को म्यूचुअल फण्ड की योजनाएं शुरू करने की अनुमति देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके लिए क्या शर्तें रखी जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) (ख) और (ग) : भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा पारस्परिक निधियों द्वारा अभी तक आरम्भ की गई स्कीमों की संख्या नीचे दी गई है :—

नाम	स्कीमों की संख्या
भारतीय यूनिट ट्रस्ट	52
भारतीयस्टेट बैंक पारस्परिक निधि	12
केनबैंक पारस्परिक निधि	14
इण्डियन बैंक पारस्परिक निधि	7
बैंक आफ इण्डिया पारस्परिक निधि	4
पंजाब नेशनल बैंक पारस्परिक निधि	4
जीवन बीमा निगम पारस्पिरिक निधि	15
साधारण बीमा निगम पारस्परिक निधि	3
जोड़	111

सरकार ने निजी क्षेत्र में पारस्परिक निधियों की स्थापना के लिए अनुमति देने का निर्णय किया है। 14 फरवरी, 1992 को समस्त पारस्परिक निधियों जो मुख्य रूप से पूंजी बाजार में निवेश करती हैं, के विकास और विनियमन के लिए तथा निवेशकों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक मार्गनिर्देशों का एक विस्तृत सेट जारी किया गया है। इन मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत विनियामिक ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ कतिपय पात्रता मानदण्डों, उनकी व्यापार गतिविधियों पर प्रतिबंधों, प्रकटन तथा लेखा सम्बन्धी अपेक्षाओं के आधार पर भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड द्वारा पारस्परिक निधियो का प्राधिकार तथा इन मार्गनिर्देशों के उल्लंघन के लिए दण्डनीय प्रावधान सम्मिलित हैं।

तीसरी विश्व बीमा कांग्रेस

*264 श्री धर्मण्णा मोण्डय्या सादुल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 फरवरी, 1992 को नई दिल्ली में पहली बार तीसरी विश्व बीमा कांग्रेस आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई थी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मोटे तौर पर निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श किया गया था :—

(1) क्षेत्रीय सहयोग
(2) जीवन बीमा
(3) कृषि बीमा
(4) बीमा और निवेश
(5) पुनर्बीमा
(6) बीमा, पुनर्बीमा तथा सुरक्षा विश्लेषण में पर्यवेक्षी प्राधिकारी की भूमिका
(7) प्रबंध, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा कार्मिक पक्ष

(ग) बदलती हुई अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में पर्यवेक्षी प्राधिकरणों को मजबूत बनाने, बीमा सम्बन्धी शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता, कृषि बीमा, क्षेत्रीय पुनर्बीमा विनियम केन्द्र तथा पर्यवेक्षी प्राधिकारियों के लिए प्रशिक्षण-मंचों के बारे में तीसरी विश्व बीमा कांग्रेस द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों को सरकार ने तथा साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम ने नोट कर लिया है तथा उचित समय आने पर इनपर कार्रवाई की जाएगी।

चन्दन की लकड़ी की तस्करी

[हिन्दी]

*2779. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार को वर्ष 1992 के दौरान उज्जैन से विदेशों को चन्दन की लकड़ी की तस्करी की घटनाओं की जानकारी मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) जब्त की गई चन्दन की लकड़ी की मात्रा और ऐसी तस्करी की गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) (क), (ख), (ग) और (घ) : क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क अधिकारियों ने अभी हाल में उज्जैन से विदेशों को चन्दन की लकड़ी की तस्करी किए जाने की किसी घटना की सूचना नहीं दी है।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा कर्नाटक राज्य कृषि ग्रामीण विकास बैंक को पुनर्वित्तपोषण सुविधाएं

[अनुवाद]

2780. श्रीमती बासवाराजेश्वरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक, मुम्बई ने ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण और मरम्मत के लिए कर्नाटक राज्य कृषि ग्रामीण विकास बैंक को पुनर्वित्तपोषण की सुविधायें प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा कुल कितनी राशि के ऋण दिए गए;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इसका उपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकारी भूमि बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा 1989 में तैयार की गई "विशेष ग्रामीण आवास ऋण-पत्रों" के अंशदान के लिए योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक ने कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लि. (के. एस. सी. ए. आर डी. बी) को ऐसे ऋण-पत्रों के लिए अंशदान द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की है, जो कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा संवितरित आवास ऋणों के लिए बड़ी-बड़ी मरम्मतों सहित नये आवासीय एककों के अधिग्रहण/निर्माण और उन्नयन के लिये उनके प्राथमिक भूमि विकास बैंकों (पी. एल. डी. बी.) के माध्यम से जारी किए गये हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के विशेष ग्रामीण आवास ऋण-पत्रों में अंशदान के द्वारा प्रदान की गयी वित्तीय सहायता की कुल राशि 222.32 लाख रुपये थी।

(ग), (घ) और (ङ) कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किए गये विशेष ग्रामीण आवास ऋण पत्रों में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अंशदान तभी किया जाता है जब अन्तिम हिताधिकारियों द्वारा बंधक के सृजन के बाद प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण संवितरित कर दिए गए हों। प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा संवितरित की गई 222.32 लाख रुपए की उपरोक्त वर्णित राशि को कर्नाटक राज्य के 14 जिलों के अन्तर्गत 425 नए आवासों के निर्माण और 515 पुराने आवासों की मरम्मत के लिए वित्त पोषित करने के लिए उपयोग में लाया गया है।

निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा श्रमिकों की छंटनी

2781. डा. जयन्त रंगपी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्धन परिषदों में कई कर्मचारियों की छंटनी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसका औचित्य क्या है; और

(ग) सरकार ने छटनी के आदेशों को रद्द करने और निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की स्तर और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता

2782. श्री के. प्रोलका राव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के समक्ष ऋण सबंधी कितनी आवश्यकताओं का प्रस्ताव किया गया था;

(ख) क्या बैंक ने समस्त आवश्यकताओं के अनुसार ऋण प्रदान किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि वे राज्य सहकारी बैंकों को ऋण सीमा और राज्य सरकारों को मंजूरी, विद्यमान मानदण्डों और साथ ही वास्तविक उधार कार्यक्रमों संबंधित संस्थानों का स्रोतों की स्थिति, अतिदेय राशियों के स्तर और अन्य संबद्ध पहलुओं के आधार पर करते हैं। उपर्युक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने वर्ष 1991-92 के दौरान आंध्र प्रदेश को निम्नलिखित सहायता प्रदान की है :—

(लाख रुपये)

प्रयोजन	ऋण सीमा/ऋण किसके के लिए आवेदन किया गया	मंजूर ऋण सीमा/ऋण
(i) फसल के विपणन, उत्पादन ऋण और अन्य उत्पादों के विपणन सहित अल्पावधिक (कृषि) ऋण	55735.00	42290.00
(ii) बुनकरों का वित्तपोषण	8913.36	7967.04
(iii) समितियों की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को ऋण	503.37	293.68

काकीनाडा पत्तन का विकास

2783. श्री के. वी. आर. चौधरी :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का काकीनाड़ा पत्तन को एक प्रमुख पत्तन बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पत्तन के विकास हेतु उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वस्त्रों के निर्यात कोटे में वृद्धि

[हिन्दी]

2784. श्री मृत्युञ्जय नायक :

क्या कपड़ा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के वस्त्रों के निर्यात कोटे में वृद्धि करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वाशिंगटन में हुई वार्ता का ब्योरा क्या है;

(ख) इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ताओं स वर्ष 1992 के लिए अमरीकी बाजार मे वस्त्र और क्लादिग उत्पादों के निर्यात के लिए प्रवेश स्तरों पर एक समझौता हुआ । इसके अनुसार कुछ उत्पादो के कोटों में वृद्धि हुई है । कुछ उत्पादों के मामलों में कुछ अतिरिक्त उदारता उपलब्ध होगी जिसके फलस्वरूप निर्यात बढ़ाने के अवसर मिलेंगे । ऐसी आशा है कि इन परिवर्तनों के फलस्वरूप वर्ष 1992 के दौरान अमरीकी बाजार में निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी ।

सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन

2785. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में सशस्त्र बलों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन और शक्ति का दुरुपयोग करने के संबंध में आरोप मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आरोपों की जांच की गई है; और

(ग) आरोपों का ब्योरा क्या है और प्रमुख मामलों में की गई जांच के क्या परिणाम निकले और राज्यवार सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) नौसेना या वायुसेना के खिलाफ इस प्रकार के कोई आरोप नहीं है। यद्यपि सेना के खिलाफ इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दाखिल 344 रिट याचिकाओं में से जिनमें असम में सेना द्वारा लोगों को अवैध रूप से नजरबन्द किए जाने, नजरबन्दियों से अवैध पूछ-ताछ, उन्हें परेशान और प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगाए गए थे; 292 मामले निपटा दिए गए हैं। इनमें से 291 मामलों में लगाए गए आरोप निराधार पाए गए हैं। अन्य मामले उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं।

जम्मू और कश्मीर में सिविलियनों के साथ ज्यादतियां किए जाने के 11 मामले सरकार की जानकारी में आए हैं। इनकी जांच की गई और दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई पहले से ही प्रारम्भ कर दी गई है।

भारतीय सेना अत्यधिक देशभक्त और व्यावसायिक दक्षता रखने वाली सशस्त्र सेना है। वह अपनी उच्चतम परम्परा के अनुरूप अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही है जहां निर्धारित शर्तों व प्रक्रियाओं का थोड़ा सा भी उल्लंघन पाया गया वहां दोषी कार्मिकों के खिलाफ कठोर कारंवाई की गई है।

सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं का आयोजनों

2786. श्री बलराज पासी :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्रीमती रीता वर्मा :

श्री अन्ना जोशी :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः कितने सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालायें आयोजित किए गये हैं; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन पर कितना खर्च हुआ है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान मंत्रालय द्वारा आयोजित सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं की संख्या और उसमें उपगत व्यय नीचे दिया गया है :—

वर्ष	आयोजित सेमिनारों/सम्मेलनों/ कार्यशालाओं की संख्या	उपगत व्यय की रकम
1989	4	23,912
1990	4	1,42,444
1991	3	12,940

भारत-हंगरी सहयोग

2787. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हंगरी के साथ सहयोग के कुछ क्षेत्रों का विस्तार करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो वे विशिष्ट क्षेत्र कौन से हैं जहां भारत और हंगरी के बीच संयुक्त सहयोग स्थापित करने और उसका विस्तार करने का विचार है;

(ग) क्या पिछली जनवरी में हुई भारत-हंगरी संयुक्त व्यापार परिषद की पिछली बैठक में इस दिशा में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(ख) हंगरी के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार की जाने वाली वस्तुओं का विविधीकरण और विस्तार, संयुक्त उद्यमों की स्थापना, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने को प्रोत्साहन देना, वाणिज्यिक और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान शामिल है।

(ग) और (घ) भारत-हंगरी संयुक्त व्यापार परिषद की नई दिल्ली में 23 जनवरी, 1992 को हुई दसवीं बैठक में हंगरी में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए जिन क्षेत्रों का अभिज्ञात किया गया उनमें टैक्सटाइल्स, वस्त्र, चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं, आटोमोबाइल संघटक, इलेक्ट्रानिक खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और होटल शामिल हैं। बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया और भारत से हंगरी को निर्यात के लिए अभिज्ञात की गई प्रमुख मदों में कम्प्यूटर, कम्प्यूटर-साफ्टवेयर, मशीनरी और उपस्कर, कर्षण पम्प, घरेलू उपभोक्ता वस्तुयें, सिले-सिलाए परिधान बिजली का सामान, प्रसंस्कृत खाद्य, इलेक्ट्रानिक मदें आदि शामिल हैं।

कुछ मदों के निर्यात की ओर विशेष ध्यान

2788. श्री आर्क कर्नाण्डीज :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ ऐसी मदों का चयन किया है जिनके निर्यात की ओर उनका मंत्रालय विशेष ध्यान देगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वे मदें कौन-कौन सी हैं जिनका चयन किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार ने अन्य क्षेत्रों से निर्यात वृद्धि करने के महत्व को कम किए बिना, 15 (पन्द्रह) प्रमुख क्षेत्रों को विदेशी बाजारों में विशेष प्रस्ट के लिए चुना है। ये 15 प्रस्ट क्षेत्र हैं :—

(1) चाय, खासकर पैकेट तथा मूल्यवर्द्धित रूप में, (2) अनाज, (3) फल और जूस, गोश्त और गोश्त उत्पाद तथा ताजे फलों और सब्जियों सहित, प्रसंस्करण और खाद्य, (4) समुद्री उत्पाद खासकर मूल्य वर्द्धित रूप में, (5) लौह अयस्क, (6) चमड़ा और चमड़ा विनिर्माण, बाद वाले पर अधिक जोर सहित (7) हस्तशिल्प और आभूषण, (8) पूंजीगत माल और उपभोक्ता वस्तुयें (9) इलेक्ट्रोनिक माल और कम्प्यूटर साफ्टवेयर, (10) आधारभूत रसायन, (11) फेब्रिक्स, थान और बने-बनाए कपड़े, (12) सिले-सिलाए परिधान, (13) ऊनी वस्त्र और निटवीयर, (14) परियोजना सेवायें और (15) ग्रेनाइट।

20 प्रमुख चूककर्ताओं पर बकाया आयकर

2789 श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1992 को 20 प्रमुख चूककर्ताओं में से प्रत्येक चूककर्ता पर आयकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :(क) मंत्रालय द्वारा ऐसे 20 करदाताओं के बारे में जो नवीनतम सूचना समेकित की गयी है, वह दिनांक 31-12-1991 की स्थिति के अनुसार है, जिनकी तरफ आयकर की अधिकतम राशि बकाया थी और उसे संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है।

(ख) बकाया राशि की वसूली के निमित्त समुचित प्रशासनिक तथा विधायी उपाय किये जाते हैं तथा इन सभी मामलों में वसूली विषयक कार्यवाही पर आयकर आयुक्त के स्तर पर तथा इससे उच्च स्तर पर आवधिक रूप से निगरानी रखी जाती है। अधिकांश मामलों में मांग अपीलों आदि में विवादग्रस्त है तथा अपीलीय प्राधिकारियों से इन अपीलों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए अनुरोध किया गया है। कुछ मामलों में, इन मांगों में कर की वापस अदायगी के समायोजन विषयक मामले अथवा अपील प्रभाव के मामले अथवा कर अदायगियों के सत्यापन विषयक मामले विचाराधीन हैं।

विवरण

क्र. सं.	व्यक्ति का नाम	दिनांक 31-12-1991 की स्थिति के अनुसार आय-कर बकाया मांग की राशि (करोड़ रुपए में)
1.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	495.81
2.	ओ. टी. सी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड	179.66
3.	पीयरलेस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. लि.	119.46
4.	इण्डियन आयल कारपोरेशन लि.	109.11
5.	भारतीय स्टेट बैंक	82 62
6.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	63.12*
7.	डनलप इंडिया लि.	59.99
8.	कान्टीनेंटल कन्स्ट्रक्शन लि.	47.53
9.	नेशनल आर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लि.	47.17
10.	ऑविरय फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लि.	45 63
11.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	44.61
12.	मोदी रबड़ लि.	40.73
13.	डिपाजिट इन्श्योरेन्स एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन	37.53
14.	मोदी पोन लि.	36.38
15.	रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्स लि.	33.38
16.	जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	32.02
17.	एस्कोर्ट्स लि.	31.74
18.	संचयिता इन्वेस्टमेंट	30.81
19.	विनोद कुमार डिडवानिया	31.34
20.	सुकर भाई नारायण भाई बखिया	30.39

* बाद में यह मांग घटकर शून्य रह गई।

बैंकों में शेयर पूंजी निवेश घटाना

2790. श्री दत्तात्रेय बन्डारू :

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अपने शेयर की पूंजी निकालने का विचार है ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे निकाले गए धन को इन बैंकों के कर्मचारियों को आबंटित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होते ।

अभ्रक की कतरनों का निर्यात

2791. श्री पीयूष तिरकी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार अभ्रक निर्यातक संघ (बी. एम. ई. आर.) ने अभ्रक कतरन/वेस्ट के निर्यात पर नियंत्रण को हटाने के लिए तथा अभ्रक उत्पादों के न्यूनतम निर्यात मूल्य का संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये उपायों अथवा प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष अभ्रक निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(ङ) इसके निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) बिहार अभ्रक निर्यातक संघ, गिरिडीह ने अभ्रक कतरन/वेस्ट पर से नियन्त्रण समाप्त करने तथा अभ्रक पत्तर/पाउडर के न्यूनतम निर्यात मूल्य का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया है ।

(ग) अभ्रक कतरना/वेस्ट की निर्यात नीति के पुनः पुनरीक्षण के लिए इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अभ्रक पत्तर/पाउडर सहित अभ्रक और अभ्रक उत्पादों के न्यूनतम निर्यात मूल्य का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अभ्रक और अभ्रक उत्पादों का निर्यात निम्नानुसार रहा :—

वर्ष	(मूल्य लाख रुपयों में)
1988-89	5027
1989-90	5123
1990-91	5153

(ग) अभ्रक और अभ्रक उत्पादों के बारे में न्यूनतम निर्यात मूल्य और निर्यात नीति की पुनरीक्षा निर्यात के लिए परिष्कृत उत्पादों के विनिर्माण के लिए घाटे में चल रही परियोजनाओं की स्थिति में सुधार लाना और अनुसंधान और विकास केन्द्रों की स्थापना आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जो अभ्रक और अभ्रक उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है।

विद्युत करघों के विकास के लिए कार्यबल

2792. श्री परशुराम भारद्वाज :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों में विद्युतकरघों को दिये गए ऋणों की वर्तमान स्थिति का जायजा लेने और उनके आधुनिकीकरण के लिए इनकी उपलब्धता और उनकी कार्यशील पूंजी को बढ़ाने हेतु कोई कार्यबल गठित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) कार्यबल समिति की स्थापना वस्त्र मन्त्रालय द्वारा मई, 1987 में की गई थी। कार्यबल समिति का मुख्य उद्देश्य विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के लिये अध्ययन करने तथा योजनाओं की सिफारिश करने और कार्यशील पूंजी व ऋण की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के साथ-साथ विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र को तेजी से ऋण बढ़ाने के लिये उठाये जाने वाले उपायों के बारे में विशेष सिफारिशें करना था।

कार्यबल समिति की मुख्य सिफारिशें ये थीं कि कार्यशील पूंजी तथा आधुनिकीकरण के लिए एक बार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये निधियां उपलब्ध कराई जाएं जिसे बाद के वर्षों में बढ़ाया जा सकता है। ये ऋण उन्हीं शर्तों पर होने चाहिएं जोकि एस एस आई एककों पर लागू है। राज्य सरकारों को विद्युतकरघा क्षेत्र में सहकारीकरण को प्रोत्साहन देना चाहिये। विपणन क्रियाकलापों के लिये राज्य स्तरीय शीर्ष विपणन संस्थानों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

डी डी सी बसों की मरम्मत

2793. श्रीमत दीपिका एच॰ टोपीवाला :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1991 की स्थिति के अनुसार ऐसी डी टी सी बसों की डिपोवार संख्या क्या है जो खराब हैं क्षतिग्रस्त हैं और विभिन्न डिपुओं में बेकार खड़ी हुई हैं; और

(ख) सरकार ने यथाशीघ्र उनकी मरम्मत कराने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : दिल्ली परिवहन निगम की ऐसी बसों के डिपोवार ब्यौरे अनुबन्ध में दिए गए हैं जो 31-1-92 की स्थिति के अनुसार खराब/क्षतिग्रस्त थीं।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि 90% बसें शिड्यूल के अनुसार बाहर निकलें। दिल्ली परिवहन निगम दो टियर रिप्लेसमैंट पर आधारित अनुरक्षण प्रबन्ध प्रणाली का अनुसरण करता है जिसमें पहले टियर अर्थात डिपो वर्कशाप से आवधिक अनुरक्षण, दिन प्रतिदिन की मरम्मत, विभिन्न डाकिंग्स, यूनिट रिप्लेसमैंट आदि शामिल हैं। द्वितीय टियर अर्थात केंद्रीय वर्कशाप में ऐसेम्बलीज की मरम्मत, टायरों की रिट्रीडिंग/मरम्मत, बड़ी दुर्घटना संबंधी मरम्मत आदि की जाती है।

उपर्युक्त कार्यों के लिए डिपो वर्कशापों में विभिन्न निवारक अनुरक्षण कार्यकलापों/डाकिंग अर्थात 8000 कि. मी., 24000 कि. मी. एम बी आई और दुर्घटना/बड़ी मरम्मतों आदि के लिए प्रतिदिन (शनिवार, रविवार, राजपत्रित अवकाश के दिनों को छोड़कर) लगभग 10% वाहन रखे जाते हैं।

विवरण

डिपो	खराब/क्षतिग्रस्त बसों की संख्या
1	2
नन्द नगरी डिपो	2
पटपड़गंज डिपो	5
शाहदरा डिपो-II	2
दिचाऊँ कलां डिपो	6
हरिनगर डिपो-II	3
वादीपुर डिपो	2
पीरागढ़ी डिपो	3
ओ. टी. नरेला डिपो	1
वजीरपुर डिपो-II	2
रोहिणी डिपो-I	1
कालका जी डिपो	1

1	2
ओखला डिपो-1	1
सरोजनी नगर डिपो	1
बंदाबहादुरमार्ग डिपो	6
नोएडा डिपो	3
शाहदरा डिपो-1	3
यमुना विहार डिपो	1
हरिनगर डिपो-1	1
हरिनगर डिपो-111	1
राजा गार्डन डिपो	1
बवाना डिपो	1
नांगलोई डिपो	1
वजीरपुर डिपो-111	1
रोहिणी डिपो-111	1
नेहरू प्लेस डिपो	2
ओखला डिपो-11	2
वसंत विहार डिपो	4
इन्द्रप्रस्थ डिपो	3
कुल ।	63

इसके अतिरिक्त दिल्ली परिवहन निगम को केंद्रीय वर्कशाप में 19 वाहन बड़ी मरम्मतों के लिए रोके गए ।

आयात और निर्यात

2794. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 की तीन तिमाहियों में देश के आयात और निर्यात की स्थिति का क्या ब्योरा है;

(ख) क्या वर्ष 1992-93 के निर्यात और आयात स्तर में सुधार करने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) अप्रैल-दिसंबर, 1990 के दौरान 31724 करोड़ रु. के आयात की तुलना में वित्तीय वर्ष 1991-92 की पहली तीन तिमाहियों अर्थात् अप्रैल-दिसंबर, 1991 तक के दौरान भारत ने 34238 करोड़ रु. का आयात किया जो 7.9% अधिक रहा। डालर के रूप में आयात में 20.·% की कमी हुई।

सामान्य मुद्रा क्षेत्र को भारत से अप्रैल-दिसंबर, 1990 में हुए 18785 करोड़ रु. के निर्यात की तुलना में अप्रैल-दिसंबर, 1991 के दौरान 27133 करोड़ रु. का निर्यात हुआ जो 44.4% अधिक रहा। डालर के रूप में जी.सी.ए. को हुआ निर्यात 6.3% अधिक रहा। अप्रैल-दिसंबर, 1991 के दौरान रुपया भुगतान क्षेत्र को भारत से 3199 करोड़ रु. का निर्यात हुआ जो अप्रैल-दिसंबर, 1990 के दौरान हुए 4404 करोड़ रु के निर्यात से 27.4% कम रहा। डालर के रूप में आर.पी.ए. क्षेत्र को हुए निर्यात में 46.5% की कमी रही।

(ख), (ग) और (घ) सरकार ने नीति सम्बन्धी कई सुधार किए हैं जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ बनाना और आयात के लिए लाइसेंस की व्यवस्था को काफी हद तक समाप्त करना है। इन सुधारों में रुपये की आंशिक रूप से परिवर्तनीयता, टैरिफ की दरों में कमी, संवेदनशील मदों के आयात को छोड़कर अधिकांश आयातों पर से लाइसेंस हटाना, अग्रिम लाइसेंसिंग प्रणाली को मजबूत बनाना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कुछ अन्य उपाय भी किए हैं। इनमें लाइसेंस के जरिए नियंत्रण कम करना, निर्यात सम्बन्धी क्रियाविधियों को सरल बनाना, व्यापार बोर्ड को सक्रिय बनाना, चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श, व्यापार और उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क करना आदि शामिल हैं।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

2795. श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पन्द्रह महीनों के दौरान माह-वार संसद सदस्यों से सरकार को कुल कितने पत्र प्राप्त हुए हैं;

इनमें से कितने पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत हुए तथा इनमें से कितने पत्रों के माह-वार अन्तिम उत्तर दिए गए/अन्तिम उत्तर नहीं दिए गए; और

(ग) शीघ्र उत्तर दिए जाने तथा भविष्य में ऐसे विलम्ब को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में पिछले

15 मास के दौरान संसद् सदस्यों से 694 पत्र प्राप्त हुए। प्राप्त पत्रों का मास-वार ब्योरा उपाबन्ध में दिया गया है।

(ख) और (ग) संसद सदस्यों से प्राप्त सभी पत्रों की पावती सदैव भेजी जाती है। जून, 1991 से जो पत्र संसद सदस्यों से प्राप्त हुए हैं उन सभी की पावती भेजी गई है। 139 मामलों में अन्तिम उत्तर दिए गए, जिनका ब्योरा उपाबन्ध में दिया गया है। शेष पत्रों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार संसद सदस्यों से प्राप्त हुए पत्रों के उत्तर देने के कार्य को पूर्विकता दी जाती है। ऐसे मामलों का निपटान नियमित रूप से सर्वोच्च स्तर पर मानिटर किया जाता है और जब कभी आवश्यकता प्रतीत होती है तब उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

विवरण

		विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा प्राप्त पत्रों की मासवार सं.	विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा मासवार अंतिम उत्तर दिए गए
1.	दिसम्बर, 1990	7	2
2.	जनवरी, 1991	50	9
3.	फरवरी, 1991	24	3
4.	मार्च, 1991	36	12
5.	अप्रैल, 1991	13	7
6.	मई, 1991	15	10
7.	जून, 1991	9	7
8.	जुलाई, 1991	22	9
9.	अगस्त, 1991	114	24
10.	सितम्बर, 1991	117	8
11.	अक्तूबर, 1991	64	10
12.	नवम्बर, 1991	50	6
13.	दिसम्बर, 1991	72	11
14.	जनवरी, 1992	70	14
15.	फरवरी, 1992	31	7
	योग	694	139

नकद प्रतिपूर्ति सहायता संबन्धी अनिर्णीत दावों का निपटान

2796. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री शशि प्रकाश :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा नकद प्रतिपूर्ति सहायता के 1000 करोड़ से अधिक राशि के अनिर्णीत दावों को निपटाने हेतु कोई नीति तय की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) निर्यातकों को नकद प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा;

(घ) क्या मामले के निपटान हेतु नकद प्रतिपूर्ति सहायता-राशि बढ़ाने के लिये वित्त मंत्रालय को निर्देश दिया है; और

(ङ) यदि हां को तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) दिसम्बर, 1991 में विभिन्न लाइसेन्सिंग कार्यालयों ने लम्बित नकद मुआवजा सहायता के भुगतान के लिए लगभग 1150 करोड़ रुपए की धन राशि की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। तदनुसार वित्त मंत्रालय से अपेक्षित धनराशि की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। ने इस हेतु 410 करोड़ रुपए रिलीज किए थे और इसे धनराशि जनवरी/फरवरी, 1992 में विभिन्न लाइसेन्सिंग कार्यालयों में वितरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1991-92 के लिए संशोधित अनुमान में 260 करोड़ रुपए और वर्ष 1992-93 के लिए बजट अनुमान में 300 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्रालय से और राशि प्राप्त होने पर विभिन्न लाइसेन्सिंग कार्यालयों में इसका वितरण कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की संख्या में कमी

2797. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की संख्या घटाने हेतु समीक्षा करने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां तो उक्त समिति को अपनी रिपोर्ट कब तक देने के लिए कहा गया है; और;

(ग) कर्मचारियों की संख्या घटाने हेतु समिति द्वारा क्या मानदण्ड अपनाया गया है ?

[अनुवाद]

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) (ख) और (ग) अपर मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात की अध्यक्षता में एक त्रिभागीय समिति का गठन किया गया है जिसमें चार अन्य सदस्य अर्थात् संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात (सीएलए). नई दिल्ली, उप सचिव (प्रशासन), वाणिज्य मंत्रालय, उप सचिव (वित्त). वाणिज्य मंत्रालय और संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात (प्रशासन) शामिल है। इसका उद्देश्य नई व्यापार नीति के संदर्भ में सी सी आई.एण्ड.ई. (एव डीजीएआईटी) संगठन के कार्य की मात्रा तथा इसके कर्मचारियों की आवश्यकता का मूल्यांकन करना है। समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी गई है परन्तु आशा है कि इसकी सिफारिशें यथा शीघ्र मिल जाएंगी आशा है कि समिति रिपोर्ट को प्रस्तुत करते समय सभी आवश्यक मानदंडों का ध्यान रखेगी।

कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक समायोजन

2798 श्री राम नाईक :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा टैरिफ और व्यापार का सामान्य करार ने कृषि के क्षेत्र में कुछ संरचनात्मक समायोजन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां तो इसकी विशेषतायें क्या हैं;

(ग) क्या उपरोक्त एजेंसियों ने कृषि मदों में भी मुक्त व्यापार करने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी चिदम्बरम) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

विश्व बैंक, में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और टैरिफ एवं व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार ने कृषि के क्षेत्र में संरचनात्मक समायोजन सम्बन्धी कोई सुझाव संयुक्त रूप से नहीं दिया है। तथापि, अगस्त, 1991 में विश्वबैंक ने 'कृषि-चुनौतियां एवं अवसर' नामक देशगत आर्थिक ज्ञापन तैयार किया, जिसमें भारत में कृषि सम्बन्धी कुछ पहलू शामिल हैं। कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ मुख्य सिफारिशें कृषि क्षेत्र की चुनिंदा आधार पर शुरूआत, कृषिगत विदेशों की कुशलता में सुधार, आर्थिक सहायताओं को तर्कसंगत युक्तिसंगत बनाने और उन्हें सुपात्र लोगों को उपलब्ध कराने, बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए कृषि का विविधीकरण करने, किसानों को फसल उगाने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और ग्रामीण बैंकों को फिर से अर्थक्षम बनाने के लिए बेहतर प्रोत्साहन देने आदि से सम्बन्धित हैं। इस रिपोर्ट में भारतीय कृषि का शेष विश्व की कृषिगत अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करने तथा बाजार संकेतों पर अधिक बल देने और कृषि में निवेश बढ़ाने के लिये मार्गदर्शी कारक के रूप में निजीकरण करने की सिफारिश की गई है। कृषि संबंधी निवेशों की कार्यकुशलता बढ़ाने से सम्बन्धित रिपोर्ट की कुछ सिफारिशें भारत सरकार को कृषि सम्बन्धी नीति

के अनुरूप हैं तथापि भारतीय कृषि का शेष विश्व की कृषिगत अर्थव्यवस्था से समन्वय सुनिश्चित करने हेतु उसे और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए। इसी तरह जहां तक विपणन एवं विकेन्द्रीकरण का सवाल है, भारतीय कृषि में, विशेष रूप से वर्षा पर निर्भर कृषि में, उनके कार्य संचालन की कुछ सीमाएं हैं।

उरुग्वे दौर में गाट के महानिदेशक श्री आर्थर डंकल द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों में कृषि में व्यापार सम्बन्धी प्रस्तावों में गाट के सदस्य देशों द्वारा कृषि को आर्थिक सहायता देने तथा उसके संरक्षण के स्तरों को धीरे-धीरे कम करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव है कि भुगतान संतुलन की समस्या वाले देशों को आयात पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाने की अनुमति होगी। विकासशील देशों के लिए इन प्रस्तावों में कुछ नीतियों तथा उस अपेक्षाकृत उच्च न्यूनतम स्तर से छूट देने से सम्बन्धित विशेष एवं भिन्न व्यवहार की व्यवस्था है, जिससे नीचे उनसे कोई कटौती करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। सरकार द्वारा डंकल दस्तावेज के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला है कि कृषि में व्यापार सम्बन्धी प्रस्तावों से भारत पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं का निर्यात

2799. श्री छीतूभाई गामीत :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान आयुर्वेदिक, यूनानी और अन्य दवाओं के निर्यात में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दवाओं के निर्यात के कारण कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) इन दवाओं का निर्माण करने वाली कम्पनियों को क्या सहायता/समर्थन दिया गया या दिये जाने का विचार है?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र संलग्न है।

आयुर्वेदिक यूनानी और सिद्ध दवाइयों/औषधियों का निर्यात मूल्य नीचे दिया गया है :

1988—89	6.47 करोड़ रुपए
1989—90	2.92 करोड़ रुपए
1990—91	7.29 करोड़ रुपए
अप्रैल से 1991—92 (अप्रैल से जनवरी)	1.90 करोड़ रुपए

हालांकि अनेक आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध दवाइयों के निर्यात की संभावना है, लेकिन विशेषरूप से विदेशी मुल्कों के स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित औषधियों के पंजीकरण सम्बन्धी विस्तृत एवं जटिल क्रियाविधि से सम्बन्धित समस्याओं की वजह से इन दवाइयों को निर्यात बहुत अधिक उल्लेखनीय नहीं रहा। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध दवाइयों के विनिर्माताओं के पास अपने उत्पादों को समर्थन देने के लिए उस प्रकार के चिकित्सा सम्बन्धी आंकड़े नहीं हैं जैसे कि एलोपैथिक दवाइयों के लिए उपलब्ध होते हैं। अनेक देशों ने इस समूह की दवाइयों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिये हैं क्योंकि इनमें मैटल आक्साइड होता है।

विदेशी मुल्कों में आयुर्वेदिक दवाइयों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये मूल रसायन भेषजीय पदार्थ एवं प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल) बम्बई ने सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र के साथ मिलकर विदेशों में प्रचार के लिये "चुनिंदा औषधीय पौधों" पर एक मोनोग्राफ तैयार किया है और वह इस क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने के लिये विदेशों में संवर्धनात्मक दल भेजने तथा क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करने जैसे अन्य सभी सामान्य निर्यात संवर्धन उपाय कर रहा है।

पान के पत्तों का निर्यात

2800. श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान पान के पत्तों का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और वर्ष 1992—93 के दौरान क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : पान के पत्तों के निर्यात की अनुमति बिना किसी नियंत्रक के मुक्त रूप से दी जाती है और इसके लिये कोई निर्यात लाइसेन्स सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), जो वाणिज्य मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है, अन्य मदों के साथ-साथ पान के पत्तों के निर्यातकों की भी सहायता करता है।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा केरल को वित्तीय सहायता

2801. श्री टी. जे. अंजलोस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा केरल को वर्ष 1988 से 1991 के दौरान अब तक वर्ष-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) उस पर कितना ब्याज लगाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा योजनाबद्ध ऋणों के अंतर्गत केरल में 1988—89 से 1990—91 तक प्रदान की गई पुनर्वित्त सहायता की राशि निम्नानुसार है—

(लाख रुपए में)

वर्ष	राशि
1988—89	7126
1989—90	8005
1991—91	8158
1991—92 (फरवरी 1992 तक)	6064

(ख) बैंकों को दिये गये पुनर्वित्त और हिताधिकारियों को दिए गए बैंक ऋणों पर लागू ब्याज की दरें अनुबंध में दी गई हैं।

विवरण

(i) 22 सितम्बर, 1990 से पूर्व

क्र. सं.	उद्देश्य	ब्याज की दर	
		अन्तिम उधारकर्ता	राष्ट्रीय बैंक के पुनर्वित्त पर
1.	लघु सिंचाई	10%	6.5%
2.	विविध प्रयोजन		
	(क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ख) लघु कृषक राष्ट्रीय बैंक की परिभाषा के अनुसार (ग) बायो गैस विकास	10%	6.5%
	(घ) अन्य	12.5%	8%

(ii) 22 सितम्बर 1990 से 8 अक्तूबर, 1991 तक

स्वीकृत ऋण का आकार	ब्याज की दर	
	अंतिम हिताधिकारी	राष्ट्रीय बैंक के पुनर्वित्त पर
1	2	3
7500 रुपए तक और उसके सहित	10.0	9.5

1	2	3
7500 रुपये से अधिक और 15000 रुपए तक	10.5	
15000 रुपए से अधिक और 25000 रु. तक	12.0	6.5
25000 रुपए से अधिक और 50000 रु. तक	13.0	
50000 रुपए से अधिक	14.0	9.5

(iii) 22 सितम्बर ,990 की स्थिति के अनुसार 8% श्रेणी के अन्तर्गत सभी बकाया राशियों पर राष्ट्रीय बैंक द्वारा बैंकों से 9.5% की दर पर ब्याज वसूल किया जाएगा बशर्ते कि बैंक ऋणों पर मूल ब्याज दर वसूल करने का निर्णय करें और राष्ट्रीय बैंक को तदनुसार सूचित करें।

(iv) 9 अक्तूबर, 1991 से तथा उसके बाद (केवल कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में)

स्वीकृत ऋण का आकार	ब्याज की दर (%) अन्तिम हिताधिकारी	राष्ट्रीय बैंक के पुनर्वित्त पर
7500 रुपये तक और उसके सहित	11.5	6 5
7500 रुपए से अधिक और 15000 रु. तक	13.0	6.5
15000 रुपए से अधिक और 25000 रु. तक	13.5	7.5
25000 रुपये से अधिक और 50000 रु. तक	14.0	7.5
50000 रुपये से अधिक और 2 लाख रु. तक	15.0	10.5
2 लाख रुपए से अधिक	15.0	4.5
	(न्यूनतम)	(बैंक द्वारा वसूल की गई दर से कम)

(v) 9 अक्तूबर, 1991 से गैर कृषि क्षेत्र के संबंध में

ऋण का आकार	अन्तिम हिताधिकारी के लिए ब्याज की दर (% वार्षिक)	राष्ट्रीय बैंक के पुनर्वित्त पर ब्याज की दर (% वार्षिक)
.	2	3
75000 रुपए तक	11.5	6.5

1	2	3
7500 रु. से अधिक और 15000 रु. तक	13.0	6.5
15000 रु. से अधिक और 25000 रु. तक	13.5	7.5
25000 रु. से अधिक और 50000 रु. तक	14.0	7.5
50000 रु. से अधिक और 2 लाख रु. तक	15.0	10.5
2 लाख रुपए से अधिक और 7.5 लाख रु. तक	16.5	12.0
7.5 लाख रुपए से अधिक	18.0	13.5

सामाजिक सेवाओं पर व्यय

2802. श्री सुधीर राय :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक सेवाओं पर पृथक-पृथक कितने प्रतिशत व्यय किया गया; और

(ख) यह विकसित देशों द्वारा किये गये व्यय की तुलना में कितना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 1989-90 के दौरान केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किए गए कुल खर्च में (केन्द्रीय सरकार से अन्तरण अदायगियों सहित) सामाजिक क्षेत्र का हिस्सा क्रमश: 4.34 प्रतिशत और 34 प्रतिशत था।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न देशों में सामाजिक सेवाओं पर व्यय समेकित-केन्द्रीय और राज्य सरकारें

मदें	भारत, मार्च, 1988 का समाप्त वर्ष (अरब रुपए) में	कुल का प्रतिशत	संयुक्त राज्य अमेरिका, 30 सितम्बर, 1988 को (अरब डालर में)	कुल का प्रतिशत	यूनाइटिड किंगडम 31 दिसंबर, 1988 को समाप्त वर्ष (दस लाख पौण्ड में)	कुल का प्रतिशत	आस्ट्रेलिया, 30 जून, 1988 को समाप्त वर्ष (दस लाख डालर में)	कुल का प्रतिशत	कनाडा, 31 मार्च 1988 को समाप्त वर्ष (दस लाख डालर में)	कुल का प्रतिशत
कुल व्यय	1005.07	100.00	1732.79	100.00	184091	100.00	110229	100.00	250631	100.00
1. शिक्षा	121.14	12.05	243.93	14.08	24091	13.09	15110	13.71	30016	11.98
2. स्वास्थ्य	32.99	3.28	210.79	12.16	23078	12.54	16287	14.77	33601	13.41
3. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, आवास तथा सामुदायिक सुविधाएं	83.31	8.28	408.83	23.59	66857	36·32	26691	24.21	67972	27.12
4. मनोरंजन संस्कृति आदि			17.78	1.03	2939	1.60	3562	3.23	5113	2.04

स्रोत : सरकारी वित्त सांख्यिकी वर्ष पुस्तक/अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि, 1990

युवाओं को दिये गए ऋण पर ब्याज की छूट

[हिन्दी]

2803. श्री छेदी पासवान :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेरोगार युवाओं को बैंकों द्वारा किये गए ऋण पर लगने वाले ब्याज को माफ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख) और (ग) बेरोजगार युवकों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर प्रभारित ब्याज को माफ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वाणिज्यिक बैंक जमाकर्ताओं से एकत्रित निधि से बेरोजगार युवकों को ऋण देते हैं जिन पर ब्याज की दर जमाराशियों की परिपक्वता अवधि के अनुसार होती है। बेरोजगार युवकों को मंजूर ऋणों पर प्रभावित ब्याज दर को सामान्य रूप से माफ करने से सम्बन्धित बैंक की अर्थक्षमता पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। जिन कार्यों के लिए बैंक ऋणों की मंजूरी दी जाती है, उन्हें इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वे इतने अर्थक्षम हो कि उनसे पर्याप्त अधिशेष प्राप्त हो, जिससे देय किस्त के साथ-साथ ब्याज का भुगतान हो सके। शिक्षित बेरोजगार युवकों स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत सरकार मंजूर ऋणों पर परियोजना लागत के 25% की दर से पूंजी सब्सिडी उपलब्ध करवाती है।

(अनुवाद)

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्यालयों को बन्द करना

2804. श्री उद्धव बर्मन

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कोचिन, भुवनेश्वर, पटना तथा गोहाटी कार्यालयों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सूचित किया है कि फिलहाल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कोचिन, भुवनेश्वर, पटना और गुवाहाटी स्थित कार्यालयों को बन्द करने का उसका कोई इरादा नहीं होता है।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

"स्कीपर विहार" द्वारा यूनियन बैंक आफ इंडिया में खाता खोलना

2805. श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यूनियन बैंक आफ इंडिया ने हाल ही में दिल्ली की एक निर्माण कम्पनी स्किपर गुड़गांव के निकट 'स्कीपर विहार" की बुकिंग हेतु 10,000/-रुपये की दर से पेशगी धनराशि स्वीकार करने हेतु 10 रु. के प्रति स्कीपर विवरणिका की बिक्री करने के लिए एजेन्ट के रूप में कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने यूनियन बैंक आफ इंडिया के उपरोक्त कार्य के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार से विरोध प्रकट किया है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख) (ग) और (घ) स्किपर इंडिया लि. के विशेष अनुरोध पर यूनियन बैंक आफ इंडिया अपने सामान्य कारोबार में "स्किपर विहार" के नाम और स्टायल से आवासीय कालोनी के लिए इसकी योजना हेतु कम्पनी की ओर से आवेदन पत्र और पंजीकरण धनराशियां स्वीकार करने के लिए निर्माण केवसूली एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हुआ था। अलबत्ता जिला नगर योजनाकर्ता(प्रवर्तन)गुड़गांव ने बैंक की गुड़गांव स्थित शाखा के प्रबन्धक से स्किपर इंडिया लि. के नाम पर राशियां स्वीकार न करने की सलाह दी है और यह भी सूचित किया है कि बैंक द्वारा जनता से ली गई पंजीकरण की राशि को कंपनी को निकालने की अनुमति न दी जाए। इस सलाह के आधार पर और कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर बैंक ने कम्पनी को सूचित किया कि बैंक को पदनामित शाखाओं द्वारा भी पंजीकरण की राशि को निकालने या संवितरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह कि कंपनी द्वारा जनता से सीधे ही ली गई तथा यूनियन बैंक आफ इंडिया की लाजपत नगर शाखा में अपने खाते में जमा की गई राशि उस समय तक अवरुद्ध रहेगी जब तक संबद्ध प्राधिकारियों की सन्तुष्टि के अनुसार अपेक्षित अनुमति/मंजूरी/लाइसेंस प्राप्त नहीं हो जाता है। बैंक की प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से प्राप्त पूरी राशि और कंपनी के खाते में जमा शेष फिलहाल अवरुद्ध रहेगा।

भारत को दी जाने वाली सहायता में कटौती

2806। श्री प्रकाश वी. पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने भारत को स्वीकृत सहायता में कटौती करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से देश हैं और प्रत्येक मामले में प्रस्तावित कटौती का ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) विदेशी सहायता का बड़ा भाग भारत सहायता संघ (ऐड इंडिया कंसोर्टियम) के सदस्यों से प्राप्त होता है। 19-20 सितम्बर, 1991 को हुई इसकी हाल ही की बैठक में संघ के सदस्यों ने 6.7 अरब अमेरिकी डालर की सहायता का वचन दिया है जो कि पिछले वर्ष के अन्तर से 6 प्रतिशत अधिक है। किसी भी देश ने औपचारिक रूप से इन वचनबद्धताओं की सहायता में कमी करने के निर्णय के बारे में सूचित नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में कताई मिलें

2807. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक जिलेवार स्थापित की गई कताई मिलों का ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : मध्य प्रदेश में (31.1.92 की स्थिति अनुसार (11 कताई मिलें हैं। इन मिलों के जिलावार) ब्योरे नीचे दिए गए हैं—

जिलों का नाम	मिलों की संख्या (31.1.92 की स्थिति अनुसार)
खण्डवा	2
बिलासपुर	1
नागदा	1
राजगढ़	2
इन्दौर	1
देवास	1
धार	1
खरगोन	1
सनवाड़	1
योग	11

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा यात्री विमानों का निर्माण

2808. श्री साईमन मरांडी :

श्री प्रफुल्ल पटेल

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड 120 यात्रियों की क्षमता वाले यात्री विमानों का निर्माण कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो 1988 से ऐसे कितने विमानों का निर्माण हुआ है और उन पर हुए खर्च का वर्षवार ब्यौरा क्या है,

(ग) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड को कितने प्रतिशत विदेशी सहायता/सहयोग मिली है और उन विदेशी संस्थाओं के नाम क्या हैं, और

(घ) 1992 के दौरान इस कम्पनी द्वारा स्वदेशी प्रयोग के लिए कितने छोटे विमान और निर्यात के लिए कितने बड़े विमान बनाए जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम तथा गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) वर्ष 1992 के दौरान, किसी बड़े वायुयान के निर्माण की योजना नहीं है। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की 1992 में देश में ही आपूर्ति के लिए 6 छोटे वायुयानों (डोरनियर-228) का निर्माण करने की योजना है।

स्वापक औषधि और मनोप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें

[हिन्दी]

2809. श्री पी. सी. थामस :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वापक औषधि और मनोप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत मामलों की सुनवाई के लिए अभी तक गठित की गई विशेष अदालतों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है,

(ख) विशेष अदालत के गठन हेतु केन्द्रीय सरकार और अन्य विभिन्न संगठनों द्वारा केरल को कितनी धनराशि प्रदान की गई है,

(ग) क्या केरल में विशेष अदालत का गठन किया गया है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) (क) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित राज्यों ने स्वापक औषध एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित की हैं,

क्रम सं.	राज्य का नाम	विशेष अदालतों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	2
2.	मणिपुर	4
3.	गोवा	1
4.	त्रिपुरा	1

(ख), (ग) और (घ) स्वापक औषध एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 यथा संशोधित की धारा 36 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकारों द्वारा गठित की जाने वाली विशेष अदालतों में सुनवाई की जायगी। सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार केरल राज्य सरकार ने अभी ऐसी अदालतों का गठन नहीं किया है। भारत सरकार ने केरल सरकार को इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में चाय और काफी की खेती

2810. श्री मोहन लाल झिकराम :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में चाय और काफी की खेती का मूल्यांकन करने की दृष्टि से कोई प्रयोग किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले, और

(ग) उन क्षेत्रों में जहां पर चाय और काफी की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और भूमि पायी जाती है इनकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) चाय के मामले में वर्ष 1979 और 1981 में मध्य प्रदेश के बस्तर और सरगुजा जिलों में परीक्षण आधार पर रोपण किया गया था। ये परीक्षण असफल रहे। काफी के मामले में, काफी बोर्ड ने इस तरह का कोई परीक्षण नहीं किया है।

(ग) गैर-परम्परागत क्षेत्रों में चाय की खेती का संवर्धन करने के उद्देश्य से चाय बोर्ड अपनी नई चाय एकक वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982 से वित्तीय सहायता दे रहा है जिसमें ऋण और आर्थिक सहायता दोनों की व्यवस्था है। जहां तक काफी की खेती का सम्बन्ध है, मांग-आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार नए क्षेत्रों में रोपण को प्रोत्साहित नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

"एग्जिम स्क्रिप" सुविधा

2811. श्री यशवन्त राव पाटिल :

श्री राम नाईक :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंत्रालय ने "एग्जिम स्क्रिप" सुविधा में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या "एग्जिम स्क्रिप" योजना लागू करने से नकद प्रतिपूर्ति समर्थन के स्थान पर सम-मूल्य आयात लाइसेंस प्रतिस्थापित की गई थी,

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान नकद प्रतिपूर्ति समर्थन के स्थान पर कुल कितनी राशि दी गई,

(ङ) आयात बाजार में इस समय को प्रीमियम दर क्या है

(च) क्या आयातकों द्वारा आयातित वस्तुओं के मूल्यों में प्रीमियम को दर नहीं जोड़ी जाती है, और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य राज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(ख) उद्योग मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि आयात क्रियाविधि को और आगे सरल बनाने के हित में सभी औद्योगिक सामग्रियों को एग्जिम स्क्रिप सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। जैसा कि वर्ष 1992-93 के बजट मे घोषित किया गया है, आयात सम्बन्धी सभी आवश्यकताएं उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली (एल ई आर एम एस) में निहित प्रावधानों के जरिए पूरी की जाएगी। ये प्रावधान उद्योग मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप है।

(ग) तथा (घ) नकद मुआवजा सहायता छूट न दिए गए करों को वापसी के रूप में दी जाती थी। नकद मुआवजा सहायता बन्द करने पर ऊंची दरों पर एग्जिम स्क्रिप की अनुमति दी गई थी। चूंकि नकद मुआवजा सहायता निर्यात निष्पादन तथा प्रत्येक अलग अलग निर्यातक द्वारा विहित शर्तों को पूरा करने पर निर्भर थी, इसलिए सरकार के पास इस समय उस नकद मुआवजा सहायता की राशि के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है जो इस योजना के समाप्त होने के बाद वर्ष 1991-92 में देय हो जाती।

(ङ) से (छ) एग्जिम स्क्रिप्स पर प्रीमियम बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है सरकार को इसमें कोई भूमिका नहीं है।

बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों की नियुक्ति

2812. श्री हन्नन मोल्लाह :

श्री के. वी. तंगकाबालू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों, जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आदि में चेयरमैन/शीर्षस्थ प्रबन्धक के पद नहीं है,

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार द्वारा बैंकों तथावित्तीय संस्थानों के प्रबन्धमंडल में उच्चाधिकारियों की नियुक्ति के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख) और (ग) दो राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात विजया बैंक और सिंडिकेट बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का पद रिक्त है। सरकार ने इन रिक्तियों को भरने के लिए पहले ही उपाय शुरू कर दिए हैं।

कौड़ियों का निर्यात

2813. श्री आर. जीवरत्नम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) पिछले छह महीनों के दौरान कितनी कौड़ियों का निर्यात किया गया, और

(ख) इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) पिछले छ: महीनों (सितम्बर 1991 से फरवरी, 1992) के दौरान कौड़ियों का निर्यात 226 टन रहा जिसका मूल्य 340 लाख रु. था।

(ख) रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता तथा हाल ही में किए गए अन्य छ: उदारीकरण उपायों से इसके निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए ऋण

2814 श्री काशीराम राणा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा प्रत्येक राज्य को विभिन्न प्रयोजनों के लिए वितरित की जाने वाली ऋण राशि में कोई कमी की गई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वितरित ऋणों की कुल राशि अप्रैल से अक्तूबर 1991 तक राज्य-वार कितनी थी और यह पिछले तीन वर्षों के प्रतिवर्ष इसी अवधि की तुलना में किस प्रकार थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख) और (ग) वित्तीय वर्षों के अप्रैल से अक्तूबर के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरित ऋण की राज्य-वार राशि अनुबंध में दी गई है। आंकड़ा-सूचना प्रणाली से संवितरित ऋणों का उद्देश्यवार विवरण प्राप्त नहीं होता है कुछ राज्यों को छोड़कर, कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋणों के संवितरणों में वृद्धि हुई है।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरित राज्य-वार ऋण राशि को दर्शाने वाला विवरण।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		संवितरित ऋण (लाखों में)
	अप्रैल 1990 अक्तूबर 1990	अप्रैल 1991 अक्तूबर 1991
1	2	3
आंध्र प्रदेश	2727	3457
अरुणाचल प्रदेश	9	13
असम	225	281
बिहार	1907	2171
गोआ	89	75
गुजरात	716	1067
हरियाणा	346	232
हिमाचल प्रदेश	213	258
जम्मू व कश्मीर	46	121
कर्नाटक	928	905
केरल	859	726
मध्य प्रदेश	1286	2038
महाराष्ट्र	1739	1980
मणिपुर	—	—

1	2	3
मेघालय	—	29
मिजोरम	3	—
नागालैंड	27	47
उड़ीसा	536	632
पंजाब	579	419
राजस्थान	365	1267
सिक्किम	34	24
तमिलनाडु	2548	1592
त्रिपुरा	75	52
उत्तर प्रदेश	4892	6554
पश्चिमी बंगाल	2028	2096
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	10	—
चण्डीगढ़	—	—
दादरा व नागर हवेली	9	10
दिल्ली	17	84
दमन और दीव	15	7
लक्षद्वीप	4	3
पांडिचेरी	11	16
अखिल भारत	22244	26[illegible]87

दिल्ली में चुनाव

3815. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में विधान सभा के चुनाव कराने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दिल्ली में कब तक चुनाव कराए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) (क), (ख) और (ग)।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, दिल्ली में विधानमंडल के लिए निर्वाचन कराने के लिए प्रथमतः दिल्ली का 70 एकल सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में परिसीमन किया जा रहा है। परिसीमन पूरा हो जाने के बाद ही निर्वाचन कराने के लिए और कार्यवाही की जा सकेगी। तथापि, इस प्रक्रम पर ठीक-ठीक समय बताना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का आयात

*2816. श्री राम कृष्ण कुसमरिया :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री बलराज पासी :

श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें आयात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है, और

(ग) किन देशों से इन मशीनों को खरीदे जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग)। प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्याज और लाल मिर्च का निर्यात

2817. डा.वी. राजेश्वरन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के प्याज और लाल मिर्च के व्यापारियों को इन वस्तुओं का खाड़ी के देशों में निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करने की अनुमति दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो घरेलू बाजार में इन वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) किसी भी व्यापारी को नेफेड जो एक सरणीकरण एजेन्सी है के एक सहयोगी पोत लदानकर्ता के रूप में प्याज का निर्यात करने की खुली छूट है। लाल मिर्च का निर्यात अनियन्त्रित आधार पर करने की अनुमित है।

(ख) अधिक खपत वाली मदों के मामले में मात्रा सम्बन्धी सीमा या कृषि उत्पादों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध जैसी प्रतिबन्ध आवश्यकतानुसार लगाये जाते हैं ।

[हिन्दी]

नगरों का दर्जा बढ़ाया जाना

2818. श्री मनफूल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बीकानेर शहर का दर्जा बढ़ाकर "ख" श्रेणी कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या नगरों का दर्जा बढ़ाने के लिए अनेक अनुरोध सरकार के विचाराधीन हैं ;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के उन नगरों के नाम क्या हैं जिनका दर्जा बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता/नगर प्रतिपूर्ति भत्ता दिए जाने के प्रयोजन के लिए बीकानेर का दर्जा बढ़ाकर उसे "ख—2" श्रेणी का शहर बना दिया गया है ।

(ग) से (ङ) : मौजूदा मोजूदा के अनुसार, मकान किराया भत्ता/नगर प्रतिपूर्ति भत्ता मन्जूर किए जाने के प्रयोजन के लिए शहरों का दर्जा बढ़ाना/पुनर्वर्गीकरण दस वर्षीय जनगणना में बताए गए अन्तिम जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर किया जाता है । जिन शहरों का दर्जा बढ़ाए जाने के बारे में पिछले छ महीने के दौरान अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, उनके नाम विवरण में दिए गए हैं । जहां कहीं आवश्यक होगा, शहरों का दर्जा बढ़ाए जाने/उनके पुनर्वर्गीकरण के मामलों पर भारत के महा पंजीयक और जनगणना आयुक्त से 1991 की जनगणना के अन्तिम जनसंख्या-आंकड़े प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जाएगा .

विवरण

क्र. स.	शहरों/कस्बों के नाम	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम
1	2	3
1.	वारंगल	आन्ध्र प्रदेश
2.	भावनगर	गुजरात
3.	जामनगर	
4.	हिम्मतनगर	

1	2	3
5.	गोआ	गोवा
6.	तिरुवनन्थापुरम	केरल
7.	कसारागोड	
8.	मंगलोर	कर्नाटक
9.	जम्मू	जम्मू व कश्मीर
10.	रायपुर	मध्य प्रदेश
11.	बिरार	महाराष्ट्र
12.	औरंगाबाद	
13.	कटक	
14.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
15.	पुरी	
16.	कोटा	
17.	गंगापुर शहर	राजस्थान
18	धौलपुर	
19.	तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु
20.	अगरतल्ला	त्रिपुरा
21.	देहरादून	
22.	अलीगढ़	
23.	हल्द्वानी	उत्तर प्रदेश
24.	पौड़ी	
25.	बड़ौत	
26.	पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी

(अनुवाद)

दालों का आयात

2819. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कितनी मात्रा में दलहनों का आयात किया गया है और वर्ष 1992-93 के दौरान कितना आयात किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) इन आयातों के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र करके सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मैसूर कताई और बुनाई मिल

2820. श्रीमती चन्द्रप्रभा उर्स :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या बंगलौर में स्थित मैसूर कताई और बुनाई मिल (राजा मिल) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की ही इकाई है ;

(ख) क्या उपरोक्त मिल जल गई है ;

(ग) यदि हां, तो कब और इस कारण अनुमानित कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या सरकार का विचार उसके जले हुए भागों को मिनर्वा मिल के पास स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) यह कब तक पुनर्स्थापित हो जाएगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) 19.1.990 को लगी भयंकर आग से एकक प्रभावित हुआ था । इसके 19520 तकुओं और एक बला-रूप लाइन को छोड़कर समस्त कताई विभाग और पूरे भवन में आग लग गई थी जिसमें कि ये मशीनें स्थापित थी । अनुमानित प्रतिस्थापन लागत 12 करोड़ रुपय है ।

(घ) से (च) उसी जगह पर नष्ट हुई मशीनों को प्रतिस्थापित करने के विकल्पों तथा उनको उस स्थान से हटाकर मिनर्वा मिल में स्थापित करने पर विचार किया गया था । बाद वाले विकल्प को प्राथमिकता दी गई . क्योंकि कताई के प्रारंभक कार्य के लिए मिनर्वा मिल में अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध थी तथा इसीलिए उसकी लागत भी काफी कम आएगी । स्थान परिवर्तन करने का कार्य पहले से ही शुरू हो गया है और यह प्रगति पर है ;

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में रिक्त पद

2821. श्री अजय मुखोपाध्याय :

श्री बसुदेव आचार्य :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री छीतूभाई गामीत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1992 को स्थिति के अनुसार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में निदेशकों सहित विभिन्न वर्गों में कुल कितने पद हैं ;

(ख) उक्त तारीख को प्रत्येक श्रेणी में से कितने पद रिक्त पड़े थे ; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की विभिन्न श्रेणियों में स्वीकृत पदों की कुल संख्या तथा उपर्युक्त तारीख के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में रिक्त पड़े पदों की संख्या से सम्बंधित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से प्राप्त सूचना अनुबन्ध में दी गई है।

(ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों में रिक्त पड़े पदों को भरने, लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही, सरकार ने पहले ही सदस्यों की 3 रिक्तियों को भरने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

विवरण

31.1.1992 को स्थिति के अनुसार बी. आई. एफ. आर. में पदों (मंजूर और रिक्त) की संख्या।

क्र. सं.	पद	मंजूर	रिक्त
1	2	3	4
1.	अध्यक्ष	1	—
2.	सदस्य	8	3
3.	सचिव	1	—
4.	निदेशक	5	
5.	उप सचिव	2	—
6.	ई.डी.पी. प्रबन्धक	1	—
7.	अवर सचिव	1	1
8.	वरिष्ठ अनु. अधिकारी	2	1
9.	उप निदेशक	4	2
10.	प्रमुख निजी सचिव	9	2
11.	बेंच अधिकारी	4	—
12.	अनुभाग अधिकारी	7	—
13.	एनालिस्ट प्रोग्रामर	2	1

1	2	3	4
14.	हिन्दी अधिकारी	1	—
15.	निजी सचिव	9	1
16.	वैयक्तिक सहायक (स्टेनो ग्रेड सी)	11	—
17	सहायक	15	1
18.	लाइब्रेरियन	1	—
19.	लेखाकार	1	1
20.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवा	1	—
21.	कनिष्ठ हिन्दी वक	1	—
22.	स्टेनो ग्रेड "डी" अनुवादक	9	4
23.	उच्च श्रेणी लिपिक	2	—
24.	अवर श्रेणी लिपिक	25	1
25.	स्टाफ कार ड्राइवर	13	1
26.	डिस्पेच राइडर	1	—
27.	जमादार	5	—
28.	गेस्टेटनर आपरेटर-सह फोटोकापियर	2	—
29.	दफ्तरी	4	—
30.	पीयन	20	1
31.	फराश	1	1
32.	स्वीपर	5	1
		174	26

शेयर बाजारों के संबंध में भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ समझौता

2822. प्रो. राम कापसे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1991 में बम्बई और मास्को शेयर बाजारों के सम्बन्ध में भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ कोई समझौता किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) बदली हुई परिस्थिति में इस समझौते की क्या स्थिति है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) स्टाक एक्सचेंज, बम्बई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बम्बई स्टाक एक्सचेंज और मास्को केन्द्रीय स्टाक एक्सचेंज के मध्य दिनांक 13 दिसम्बर, 1991 को आपसी सहयोग के कतिपय विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में मास्को केन्द्रीय स्टाक एक्सचेंज स्थापित करने और उसे पूरी तरह प्रचालित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ था।

(ग) स्टाक एक्सचेंज के अनुसार भूतपूर्व सोवियत संघ में राजनीतिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप समझौता ज्ञापन की स्थिति नहीं बदलती।

डी. टी. सी. की सर्विस

2823. श्री अरविन्द नेताम :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी. टी. सी. की पुरानी बसों को इस समय "ग्रोनलाइन सर्विस" "लिमिटेड स्टाप" और "आर. एल. सर्विस के अन्तर्गत चलाया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो अधिक किराया वसूल करने के बाद भी, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) ओन लाइन सेवा में नई बसें लगाई जा रही हैं तथापि "सीमित सेवा" और "रेलवे स्पेशल" सेवाओं में अपेक्षाकृत बेहतर बसें लगाई जा रही हैं।

सूती धागे का निर्यात

2824. श्री काम्मपुर एम आर जनार्दन :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या फरवरी में कपास/सूती धागे के निर्यात को रद्द करने सम्बन्धी घोषणा से हमारे निर्यात से होने वाली आय पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का निर्यात से होने वाली आय में कमी को कैसे पूरा करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ख) कपास/सूती यार्न के निर्यात पर प्रतिबन्धों के कारण निर्यात आय में होने वाली कोई भी मामूली कमी फैब्रिक और परिधान जैसी मूल्यवर्धित मदों के निर्यात द्वारा पूरी हो जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का चार लेनों में विस्तार

2825. श्रीमती दिल कुमारी भन्डारी :

श्री दिलीप भाई संघानी :

श्री मृत्युन्जय नायक :

श्री सूरजभानु सोलंकी :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार उन राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं जिनका पिछले तीन वर्षों के दौरान चार लाइनों में विस्तार किया गया है,

(ख) राज्य-वार, उन राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं जिनका 1992-93 के दौरान चार लेनों में विस्तार करने का प्रस्ताव है, और

(ग) इनके लिए स्वीकृत की गई राज्य-वार राशि क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) चूंकि 1992-93 के लिए अनुदान मांगे अभी संसद द्वारा पारित की जानी हैं, अतः ऐसे प्रस्तावों के ब्योरे और उनके लिए निर्धारित राशि बता पाना अभी सम्भव नहीं है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान चार लेनों में विकसित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची

चण्डीगढ़

पंजाब की ओर संघ क्षेत्र बाउंडरी से जंक्शन 38 के बीच सतह को ऊपर उठाने के लिए मौजूदा चार लेनों को चौड़ा करना।

दिल्ली

पालम डाइवर्शन के 3.67 कि. मी. से 4.90 कि. मी. तक के शेष भाग को चौड़ा करके 2 लेन से 4 लेन का बनाना।

गुजरात

राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के 12.03 कि. मी. में, राष्ट्रीय राजमार्ग 8-ए के 3 कि. मी. में और राष्ट्रीय राजमार्ग 8-सी के 8,45 कि. मी. में सड़क को चौड़ा करके चार लेन का बनाना।

हरियाणा

राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर फरीदाबाद जिला में दिल्ली-मथुरा रोड के 56 से 59.05 कि.मी. तक सड़क को चौड़ा करके चार लेन का बनाना। दिल्ली-मथुरा रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के 37.3-42 कि. मी. में सड़क को चौड़ा करके चार लेन का बनाना।

राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर 6.57 कि. मी. लम्बा गुड़गांव बाईपास।

उड़ीसा

राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के भुवनेश्वर-कटकखंड में 2.8 कि. मी. लम्बी सड़क को चौड़ा करके चार लेन का बनाना।

पंजाब

राष्ट्रीय राजमार्ग-1 के 60.7 कि. मी. में सड़क को चौड़ा करके चार लेन का बनाना।

[हिन्दी]

बुनकरों के कल्याण सम्बन्धी योजनाएं

2826. श्री नीतीश कुमार :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित हथकरघा ग्राम विकास और निःसहाय बुनकरों के लिए समानता राशि योजनाओं के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) समेकित विकास के लिए चुने गए ग्रामों की संख्या और वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यवार इस योजना के अन्तर्गत आने वाले बुनकरों की संख्या क्या है;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी सहकारी समितियां गठित की गई और अभी तक राज्य-वार कितनी सहायता राशि दी गई है; और

(घ) राज्य-वार कितने बुनकर लाभान्वित हुए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए उड़ीसा और असम सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

समेकित हथकरघा ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत 12 जिलों को चुना गया है लेकिन किसी भी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र से इस योजना के अर्न्तगत वित्तीय सहायता के लिए कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग)	1991-92 में गठित सहकारिता	जारी की गई राशि (लाख रु. में)
(1) उड़ीसा	9	4.50
(2) असम	22	11.00

(घ)	लाभान्वित बुनकरों की संख्या
(1) उड़ीसा	450
(2) असम	1100

[अनुवाद]

केन्द्रीय सड़क निधि

2827. श्री ए. चार्ल्स :

श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 30 जून, 1991 तक केन्द्रीय सड़क निधि में से कुल कितना धन लिया गया, और

(ख) केन्द्रीय सड़क निधि से वर्ष 1991-92 के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और प्रदान की गई तथा वर्ष 1992-93 के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि के अनुमोदन का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि में हुई संभूतियां नीचे दी गई हैं।

वर्ष	राशि (लाख रु. में)
1988	1415.18
1989-90	1639.46
1990-91 (अनन्तिम)	16[illegible]8.55

(ख) 1991-92 के दौरान अनुमोदित स्कीमों की लागत तथा विभिन्न राज्यों के लिए रिलीज की जाने वाली प्रस्तावित निधियां अनुबन्ध में दर्शाई गई हैं। 1992-93 में स्वीकृत किए जाने वाले प्रस्ताव अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक संभूतियों प्रत्येक राज्य के मुक्त अधिशेष और राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश किए गए प्रस्तावों पर निर्भर करेंगे।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	91-92 के दौरान के. स. नि. के तहत स्वीकृत स्कीमों की लागत (लाख रु.)	91-92 के दौरान के. स. नि. तहत रिलीज की जाने वाली प्रस्तावित निधियां (लाख रु.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	681.40	50.00

2		3	4
2.	असम	108.12	50.00
3.	बिहार	219.17	40.00
4.	गुजरात	154.71	100.00
5.	हरियाणा	220.00	15.00
6.	जम्मू व कश्मीर	80.00	20.00
7.	कर्नाटक	270.00	75.00
8.	केरल	—	50.00
9.	मध्य प्रदेश	215.00	89.00
10.	महाराष्ट्र	1057.64	150.00
11.	मेघालय	75.00	25.00
12.	मिजोरम	56.29	30.00
13.	मणिपुर	—	1.00
14.	उड़ीसा	70.06	35.00
15.	तमिलनाडु	250.00	100.00
16.	त्रिपुरा	25.66	6.00
17.	पश्चिम बंगाल	166.25	64.00
	योग	3649.40	900.00

[हिन्दी]

राजस्थान में भर्ती

2828. प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भर्ती मेले आयोजित करके अथवा भर्ती केन्द्रों में अधिकारियों को भेज कर रक्षा सेवाओं के विभिन्न स्कन्धों में भर्ती की प्रक्रिया को पुन: प्रारम्भ करना है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को रक्षा कर्मियों की भर्ती के सम्बन्ध में राजस्थान के विभिन्न भागों से वर्तमान प्रक्रिया के बदले पुरानी प्रक्रिया पुन: आरम्भ करने के लिए ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) सरकार का "भर्ती के लिए आवेदन पद्धति" को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, पत्र-व्यवहार में होने वाली देरी को कम करने तथा सामान्य प्रवेश परीक्षा से पूर्व जांच के लिए उपस्थित होने में दूर-दराज क्षेत्रों के उम्मीदवारों की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक भर्ती मण्डल में कुछ भर्ती मेले आयोजित किए जाएं और ऐसे आयोजनों का पहले से प्रचार-प्रसार किया जाए। रेजिमेंटल केन्द्रों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे मेले आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं।

(ख) भर्ती के लिए आवेदन पद्धति 1988 में शुरू की गई थी और यह कुल मिलाकर संतोषजनक पाई गई है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, झुंझुनू में भर्ती मेला आयोजित किए जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

बिहार में सहकारी क्षेत्र में सूती कपड़ा मिलें

2829. मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत सूती कपड़ा मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये मिलें हथकरघा और बिजली करघा उद्योगों की मांगों की पूर्ति कर सकती है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का देश में विशेषकर दरभंगा बिहार में आठवीं योजना के दौरान नयी मिलें स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 31 दिसम्बर, 91 की स्थिति अनुसार देश में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत 110 सूती वस्त्र मिलें हैं। राज्यवार ब्योरे निम्नानुसार हैं :—

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	मिलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	9
असम	1

बिहार	3
गुजरात	5
हरियाणा	1
कर्नाटक	8
केरल	4
मध्य प्रदेश	2
महाराष्ट्र	35
उड़ीसा	6
पंजाब	6
राजस्थान	3
तमिलनाडु	14
उत्तर प्रदेश	11
पश्चिम बंगाल	1
पांडिचेरी	1

(ख) चूंकि यार्न के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है इसलिए हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र की यार्न की मांगों को देश की सभी कताई मिलों के उत्पादन द्वारा पूरा किया जाता है।

(ग) उपरोक्त "ख" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपरोक्त "घ" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र टी. सी. डी. सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत धन

2830. डा. रवि मल्लू :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र यू. एन. टी. सी. डी. सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय कोष के बराबर अनुदान देता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी गत तीन वर्ष का ब्यौरा क्या है;

(ग) वास्तव में कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा व्यय की गई;

(घ) इस राशि के व्यय न होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन धनराशियों का इस्तेमाल विभिन्न सुस्थापित गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किये जाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

क्वीन मेरिस टेक्नीकल स्कूल कीरकी, पुणे में भूतपूर्व सैनिकों को अध्ययता वृत्ति

2831. श्री गुमानमल लोढ़ा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्वीन मेरिस टेक्नीकल स्कूल पुणे में इस समय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भूतपूर्व विकलांग सैनिकों को इस समय प्रतिमाह कितनी अध्ययता वृत्ति प्रदान की जाती है;

(ख) यह राशि किस तारीख से बढ़ाई गई;

(ग) क्या सरकार की अध्ययता वृत्ति की इस राशि में समय-समय पर वृद्धि किए जाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार अन्य स्थानों पर भी ऐसे प्रशिक्षण संस्थान खोलना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) क्वीन मेरी टेक्नीकल स्कूल, खड़की, पुणे में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे निशक्त भूतपूर्व सैनिकों को कोई मासिक छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी, नहीं।

रुपये का अवमूल्यन

2832. श्री दिलीप सिंह भूरिया :

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

प्रो उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में रुपये का और अवमूल्यन करने का है;

(ख) यदि हां, तो कितना और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की साख बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी करेंसी नोटों के अनुपात में सोना गिरवी रखने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उठाये जा रहे अथवा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सरकार ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्धन प्रणाली, राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना और व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों सहित एक सख्त मौद्रिक नीति जैसे बृहद् आर्थिक स्थिरीकरण के एक मुश्त उपाय पहले से ही आरम्भ कर दिये हैं। इन नीतियों से कार्यकुशलता और उत्पादकता में वृद्धि होने, वृद्धि की प्रक्रिया को गति प्रदान करने और उसके फल-स्वरूप उच्च निर्यातों और समग्र वृद्धि के लिए एक ठोस आधार मिलने की आशा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास की बहाली का उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है। विदेशी मुद्रा भंडारों में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आई है। हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गिरवी रखे गए सोने और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पहले बेचे गए सोने को छोड़ने में सक्षम हुए हैं।

[हिन्दी]

भारत-नेपाल सीमा पर सोना और निषिद्ध सामान का जब्त किया जाना

2833. श्री नवल किशोर राय :

श्री रामपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान भारत-नेपाल सीमा पर अभी तक जब्त किए गए तस्करी के सामान का ब्यौरा क्या है;

(ख) तस्करों से जब्त किए गए सोने और अन्य निषिद्ध सामान की मात्रा क्या है तथा उससे कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है; और

(ग) पकड़े गए तस्करों की संख्या और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों और किये गये अभिग्रहणों से पता चलता है कि सोना, सिन्थेटिक यार्न बाल बेयरिंग इलेक्ट्रोनिक सामान, फोटोग्राफिक कैमरे, फिल्में और स्वापक औषध द्रव्य आदि भारत-नेपाल सीमा के आस-पास

तस्करी के लिए बराबर आकर्षण की वस्तुएं बनी हुई हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान अभी तक भारत-नेपाल भू-सीमा सेक्टर में पकड़े गए सोने की मात्रा और मूल्य तथा अन्य निषिद्ध माल का मूल्य, पकड़े गए अधिग्रहित इस सोने का मूल्य जिसे भारत सरकार की टकसाल में जमा किया गया है और भारत-नेपाल सीमा के सीमाशुल्क समाहर्तालय, पटना द्वारा निपटान किए गए अन्य निषिद्ध माल के मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	पकड़ा गया माल			निपटान किए गए माल का मूल्य (लाख रुपयों में)	
वर्ष	सोना (कि. ग्रा. में) मात्रा	मूल्य	अन्य निषिद्ध माल (लाख रुपयों में) मूल्य	सोना	अन्य निषिद्ध माल (लाख रुपयों में) मूल्य
1991-92*	6.3	25.39	2986	237	414

* आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) इसी अवधि के दौरान इस समाहर्तालय द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या, चलाये गये मुकदमों की संख्या, दोषी पाये गये व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	चलाए गए मुकदमों की संख्या	दोषी पाये गये व्यक्तियों की संख्या
186	38	98

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अपराधी

2834. श्री के. तुलसिआ्या वान्डायार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अपराधियों के संबंध में उनकी मुक्ति के विरोध में दायर की गई अपीलों की संख्या क्या है जो विभिन्न न्यायालयों में निर्णयाधीन है;

(ख) क्या ऐसी अपीलें वापस लेने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो आर्थिक अपराधियों को अविलम्ब सजा दिलाने के बारे में सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सरकार ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अपराधियों को छोड़ने के विरुद्ध 33 अपीलें दायर की हैं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) न्यायालयों में इन मामलों की शीघ्र सुनवाई की जा रही है ।

राज्य व्यापार निगम को चीनी के आयात में हानि

2835. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम को मुख्यत: स्टैंडर्ड कान्ट्रैक्ट डोड में एक नये खंड के अन्तः स्थापन के कारण जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सप्लायरों को रियायतें दी गई हैं, चीनी के आयात में विदेशी मुद्रा में भारी हानि हुई है।

(ख) यदि हां, तो इस नये खंड की विषयवस्तु और निश्चित स्वरूप क्या है; और

(ग) इस कारण अभी तक अनुमानत: कितनी हानि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ख) एस. टी. सी. ने वर्ष 1988-89 के बाद से चीनी का कोई आयात नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत धनराशि वापस लेना

2836. डा. ए. के. पटेल :

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीयकृत बैंकों से सावधिक जमा योजना में से भारी संख्या में धन-राशि निकाली गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार धनराशि निकाले जाने को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके पास राष्ट्रीयकृत बैंकों से सावधि जमाराशियों के अन्तर्गत भारी निकासियों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । गत 3 महीनों के दौरान सभी वाणिज्यिक की सावधि जमाराशियों में हुई वृद्धियां नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपए)

के अनुसार	सावधि जमाराशियों की कुल रकम	पिछले माह की अपेक्षा वृद्धि
27.12.1991	1,77,589	(+) 2160

24.01.1992	1,79,391	(+)	1792
21.02.1992	1,81,866	(+)	2485

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न पैदा ही नहीं होते ।

[हिन्दी]

एम्बलिक माइरोबालोन का निर्यात

2837. श्री राजवीर सिंह :

डा लाल बहादुर रावल :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान किन-किन देशों को एम्बलिक माइरोबालन का निर्यात किया गया है और उसकी मात्रा क्या है;

(ख) उन राज्यों और स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर एम्बलिक माइरोबालोन का उत्पादन होता है; विशेषकर उत्तर प्रदेश में; और

(ग) इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) माइरोबालोन आमला (एम्बलिका फिल) विभिन्न देशों को निर्यात किया जा रहा है जैसे, बंगलादेश, फ्रांस, इटली, केनिया, पाकिस्तान, सिंगापुर तथा ब्रिटेन । पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए निर्यात नीचे दिए गए हैं :

1989-90	27343 कि.ग्रा.
1990-91	18662 कि.ग्रा.

(ख) एम्बलिक माइरोबालोन मुख्यतः उत्तर प्रदेश में, मुख्यतः पूर्वभाग में, तथा विशेष रूप से प्रतापगढ़, सुलतानपुर इलाहाबाद एवं वाराणसी में उगाया जाता है । हालांकि इसकी खेती का धीरे-धीरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विस्तार हो रहा है ।

(ग) सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से इस फसल के संबंध में एक अखिल भारतीय अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें ये शामिल हैं : उच्च फसल देने वाली नई किस्मों को अभिज्ञात करना, वनस्पति प्रवर्धन तकनीकी का मानकीकरण उत्पादन प्रौद्योगिकी में सुधार आदि ।

हजारीबाग के लिए बाईपास रोड़

2838. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के हजारीबाग शहर के लिए बाईपास रोड बनाने है, और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) हजारी बाग शहर के लिए एक बाईपास के निर्माण का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में ऋण जमाराशि अनुपात

2839. डा. रमेश चन्द तोमर :

श्री देवी बक्श सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान तथा 31 दिसम्बर, 1991 को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमाराशि के मुकाबले में ऋण राशि का अनुपात क्या था; और

(ख) बकाया ऋण राशि का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मार्च 1991 और सितम्बर, 1991 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ऋण : जमा अनुपात क्रमश: 45.3% और 42.7% है।

(ख) संभाव्यत: माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में बकाया ऋणों के बारे में जानना चाहते हैं। सितम्बर, 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकार क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये बकाया ऋणों के जिलेवार ब्यौरे अनुबन्ध में दिये गए हैं।

विवरण

सितम्बर, 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार उत्तरर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की जिलावार बकाया धन राशियों को दर्शाने वाला विवरण।

जिलों के नाम	धनराशि (लाख रुपए)
1 2	3
1. आगरा	31805
2. अलीगढ़	15929
3. इलाहाबाद	28303
4. अलमोड़ा	7519
5. आजमगढ़	6654
6. बहराइच	6011

1	2	3
7.	बलिया	5122
8.	बांदा	3247
9.	बाराबंकी	4405
10.	बरेली	14143
11.	बस्ती	7255
12.	बिजनौर	11358
13.	बदायूं	6679
14.	बुलन्दशहर	13300
15.	चमोली	757
16.	देहरादून	16477
17.	देवरिया	9389
18.	एटा	6496
19.	इटावा	5341
20.	फैजाबाद	10062
21.	फर्रुखाबाद	9484
22.	फतेहपुर	3930
23.	फिरोजाबाद	6492
24.	गढ़वाल	2298
25.	गाजियाबाद	62050
26.	गाजीपुर	6707
27.	गोण्डा	9117
28.	गोरखपुर	13987
29.	हमीरपुर	3894
30.	हरदोई	5669
31.	हरिद्वार	10510
32.	जालौन	5099
33.	जौनपुर	7433

1	2	3
34.	झांसी	8187
35.	कानपुर सिटी	91616
36.	कानपुर देहात	4601
37.	लखीमपुर खेड़ी	10798
38.	ललितपुर	2220
39.	लखनऊ	92912
40.	महाराजगंज	3128
41.	मैनपुरी	3532
42.	मथुरा	11577
43.	मऊ	3334
44.	मेरठ	43958
45.	मिरजापुर	8577
46.	मुरादाबाद	22363
47.	मुजफ्फरनगर	22452
48.	नैनीताल	19632
49.	पीलीभीत	6639
50.	पिथौरागढ़	1562
51.	प्रतापगढ़	3775
52.	रायबरेली	8008
53.	रामपुर	7802
54.	सहारनपुर	19828
55.	शाहजहांपुर	7450
56.	सिद्धार्थनगर	1797
57.	सीतापुर	6008
58.	सोनभद्र	13821
59.	सुलतानपुर	8214

1	2	3
60.	टिहरी गढ़वाल	1210
61.	उन्नाव	4167
62.	उत्तर काशी	652
63.	वाराणसी	41329

[अनुवाद]

कर्नाटक को केन्द्रीय सहायता

2840. श्री कोडाकनी गोडांगा शिवप्पा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने 50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई ज्ञापन दिया है,

(ख) क्या कर्नाटक सरकार का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि दी जा चुकी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) जी, हां, कर्नाटक सरकार ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्तरी कर्नाटक में दुर्भिक्ष स्थिति से निबटने के लिए 50 करोड़ रु. की सहायता मांगी गई है।

(ख) तथा (ग) : नौवें वित्त आयोग की सिफारिश पर आधारित 1990-95 की अवधि के लिए कर्नाटक में 1. 4. 1990 से आपदा राहत कोष स्थापित किया गया है। इस कोष के लिए 27 करोड़ रु. के आवंटन की व्यवस्था की जाना होता है जिसमें प्रतिवर्ष 20.25 करोड़ (75 प्रतिशत) का अंशदान केन्द्र को करना होता है तथा 6. 75 करोड़ रु. (25 प्रतिशत का अंशदान राज्य को करना होता है। प्राकृतिक आपदाओं पर सभी व्यय की पूर्ति इस कोष में से की जानी होती है और इसके लिए केन्द्र से किसी प्रकार के प्राधिकार की या संदर्भ करने की आवश्यकता नहीं होती। वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के लिए कोष के लिए केन्द्र के अंशदान का 40.50 करोड़ रु. की राशि रिलीज कर दी गई है। चालू वर्ष के दौरान राज्य को कोई अतिरिक्त सहायता रिलीज करने का प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय पोतों के लिए ढुलाई हेतु माल सुनिश्चित करना

2841. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री बलराज पासी :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री दिनांक 29 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1371 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पोतों के लिए ढुलाई हेतु माल सुनिश्चित करना के सम्बन्ध में प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस प्रस्ताव के कुछ भागों में कमियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें सम्बन्धित मंत्रालय के परामर्श से दूर किया जा रहा है। अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है।

राजस्थान में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की एककों को सूत की सप्लाई

[हिन्दी]

2842. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सूत की सप्लाई न होने के कारण राजस्थान में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की एककों को कपड़ा उत्पादन में बड़ी कठिनाई हो रही है,

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त एककों की सूत की मांग कितनी है, और

(ग) इन एककों को सूत की नियमित सप्लाई के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) राजस्थान में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की मांग 140 गांठ प्रति दिन है जिसे पर्याप्त रूप से पूरा कर दिया जाता है।

उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और सुविधाओं में वृद्धि

2843. श्री दिलीप भाई संघानी :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) और (ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा समर्थित प्रस्तावों के अनुसरण में, सरकार ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में दौरे पर रहने के दौरान दिए जाने वाले दैनिक भत्ते में वृद्धि करने और निःशुल्क सुसज्जा की सीमा में वृद्धि और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में सरकारी आवासों में विद्युत और जल प्रभारों के संबंध में अधिकतम सीमा में वृद्धि और सेवा-निवृत्ति पश्चात दिए जाने वाले फायदों के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। जहां तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनमान में वृद्धि के प्रश्न का सम्बन्ध है, न्याय-मूर्तियों के सम्मेलन ने, 30 अगस्त से 1 सितम्बर, 1991 के दौरान हुई उनकी बैठक में, ऐसी वृद्धि का प्रस्ताव करते हुए, एक संकल्प पारित किया था। इस सुझाव पर अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

नौवहन नीति में परिवर्तन

2844. श्री के. वी. तंगकाबालू :

श्री विजय नवल पाटिल :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय नौवहन कम्पनियों को प्रोत्साहित करने हेतु नौवहन नीति में परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जगदीश टाईटलर) (क) और (ख) : जी, हां। भारतीय नौवहन कम्पनियों को चुनिंदा लाइनर रुटों पर प्रचालन हेतु लाइसेंस की छूट, जहाज मालिकों को जहाजों की बिक्री और बिक्री से हुए लाभ के उपयोग का अधिकार नए जहाजों की खरीद हेतु बकाया विदेशी मुद्रा की देयताओं को पूरा करना, फिशिंग ट्रालरों और छोटे क्राफ्टस के निर्यात के प्रयोजन से माध्यम आकार के शिपयार्डों को प्रोत्साहन देना, जहाज मरम्मत सुविधाओं को प्रोन्नत करना जहाज निर्माण हेतु संयुक्त उपक्रम को प्रोत्साहन देना; जहाजों के अधिग्रहण हेतु प्रक्रिया का उदारीकरण जहाजों की "क्रास बार्डर लीजिंग" को प्रोत्साहन देना, विदेशी मुद्रा स्रोतों इत्यादि को जुटाने के प्रयोजन से जहाजों को गिरवी रखने के सम्बन्ध में जहाज मालिकों को अनुमति प्रदान करना इत्यादि मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं।

पंजाब में उद्योगों की ऋण आवश्यकताओं के लिए कार्यदल

2845. श्री मुकुल वासनिक :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब में उद्योगों की ऋण आवश्यकताओं की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठित किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने कुछ सिफारिशें की हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख) और (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कार्यदल का गठन किया है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, पंजाब सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह कार्यदल इस बात पर विचार करेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी जा रही वर्तमान रियायतों के अतिरिक्त पंजाब के उद्योगों की सहायता के लिए और क्या-क्या किया जा सकता है। कार्यदल ने अपने विचार-विमर्श को पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट वित्तीय संस्थानों और बैंकों को उचित मार्ग निर्देश जारी करने के लिए शीघ्र ही भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर देगा।

इंदिरा विकास पत्रों के जरिये एकत्रित की गई राशि का उपयोग

[हिन्दी]

2346. श्रीमती शीला गौतम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान इंदिरा विकास पत्रों के जरिये कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई, और

(ख) इस राशि का किस प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1989-90 और 1990-91 के दौरान इंदिरा विकास पत्र के माध्यम से संग्रहित कुल राशि 5153 करोड़ रुपए की थी।

(ख) अन्य अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत संग्रहित राशियों सहित इंदिरा विकास पत्र के माध्यम से निवल संग्रहित राशियों का राज्य सरकारों को दीर्घावधि ऋण देने के लिए प्रयोग किया गया है।

रक्षा उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण

[अनुवाद]

2847. श्री शंकर राव काले :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार रक्षा उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण करते समय केवल अधिग्रहण प्रभार ही अदा करती है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है कि अधिग्रहण प्रभार के अतिरिक्त, पुनर्वास प्रावधान भी किया जाए और जब तक ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिए नहीं सौंपी जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है या कर रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत सरकार द्वारा अधिगृहीत भूमि के लिए देय मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाती हैं :—

(1) अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत नोटिस जारी किये जाने की तारीख को भूमि का बाजार-मूल्य।

(2) सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किये जाने पर वहां खड़ी फसल/पेड़ों के काटे जाने के कारण संबंधित व्यक्ति को हुआ कोई नुकसान।

(3) संबंधित व्यक्ति की भूमि को अन्य व्यक्तियों की भूमि से अलग किए जाने के कारण हुआ कोई नुकसान।

(4) कलेक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लेते समय संबंधित व्यक्ति को, भूमि का अधिग्रहण किए जाने के कारण उसकी अन्य सम्पत्ति चल अथवा अचल अथवा किसी अन्य प्रकार से उसकी कमाई को हुई कोई हानि।

(5) कलेक्टर द्वारा भूमि अधिगृहीत किये जाने के फलस्वरूप यदि संबंधित व्यक्ति को उस का निवास-स्थान अथवा व्यवसाय का स्थान बदलने के लिये बाध्य किया जाता है तो ऐसा किये जाने के वाजिब खर्च, यदि कोई हो।

(6) धारा-6 के तहत घोषणा का प्रकाशन किये जाने के समय और कलक्टर द्वारा भूमि का कब्जा लिये जाने के समय के बीच भूमि के मुनाफे में कटौती किये जाने के परिणामस्वरूप हुई कोई वास्तविक हानि।

उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार भूमि के बाजार-मूल्य के अलावा, अधिगृहीत भूमि के सम्बन्ध में धारा-4, उपधारा (1) के तहत अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से कलक्टर के अवार्ड की तारीख अथवा भूमि का कब्जा लिए जाने की तारीख, इनमें से जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए उक्त बाजार-मूल्य के अनुसार 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से आकलित की गई राशि का भुगतान भी किया जाता है।

उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार, भूमि के बाजार-मूल्य के अलावा, भूमि का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किए जाने के प्रतिफल के रूप में उक्त बाजार मूल्य की 30 प्रतिशत राशि का भुगतान भी किया जाता है।

भूमि-अधिग्रहण के लिए भारत संघ द्वारा उपर्युक्त के अलावा और कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।

तथापि, हाल ही में, कतिपय मामलों में विशाल भू-क्षेत्र अधिगृहीत किए जाने के परिणामस्वरूप भारी संख्या में लोगों को उनकी भूमि से बेदखल करना पड़ा इसलिए राज्य सरकारों ने

बेदखल किए गए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास अनुदान की मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में रक्षा प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए प्राप्त कतिपय प्रस्तावों के संबंध में भूमि का मुआवजा दिए जाने के अलावा पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था किए जाने का सुझाव दिया है। परन्तु सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

चिट फण्ड कम्पनियां

2848. श्री जी. एम. सी. बालयोगी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी प्रायोजित चिट फण्ड कम्पनियों की गतिविधियों को रोकना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) चिट फण्ड कम्पनियों की गतिविधियां चिट फण्ड अधिनियम, 1982 के उपबंधों के अधीन विनियमित की जाती हैं। अलबत्ता, इनामी चिटों के संचालन पर इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत पाबंदी लगाई गई है।

राजस्थान में मारे गए आयकर छापे

[हिन्दी]

2849. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में मारे गये छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन छापों के दौरान जब्त किए गए अवैध सामान व धन का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक निपटाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संबंधित व्यक्तियों के मामलों का निपटान करने के पश्चात उनसे जब्त किया गया सामान व रोकड़ा उन्हें लौटा दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; तथा ऐसी सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है जिसे अभी लौटाया जाना बाकी है?

वित्त मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) आयकर विभाग द्वारा 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के वित्त वर्षों के दौरान राजस्थान में ली गई तलाशियों का तथा अभिगृहीत की गयी लेखा बाह्य मूल्यवान वस्तुओं का ब्यौरा साथ संलग्न "अनुबन्ध" में दिया गया है।

(ग) से (च) ऊपर उल्लिखित 611 मामलों में से संभवतया कुछ मामलों का अन्तिम रूप से निपटान नहीं किया गया हो क्योंकि अभिगृहीत की गई परिसम्पत्तियों को छोड़े जाने/रोके रखने के बारे में, विभिन्न स्तरों पर लिए जाने हैं, अधीन धारा 132 (5) तथा 132 (12) के अधीन कार्यवाही किए जाने पर, पर्याप्त प्रतिभूति को प्रस्तुत किए जाने पर, कर-निर्धारण के मुकम्मल हो जाने पर तथा अपीलीय कार्यवाहियों पर अन्तिम रूप दिए जाने पर। इन सबके बारे में विभाग द्वारा मामला-वार कोई समेकित रिकार्ड नहीं रखा गया है।

विवरण

वित्त वर्ष	की गई तलाशियों की संख्या	मूल्यवान परिसम्पत्तियों का अभिग्रहण (लाख रु. में)			
		नकदी	जेवर-जवाहरात	अन्य वस्तुएं	कुल
1988-89	3-9	83.74	506.89	138.75	729.28
1989-90	158	45.65	303.93	217.54	567.12
1990-91	104	92.51	399.52	502.13	994.16

उपभोक्ता वस्तुओं के लिए अनिवार्य लागत लेखा परीक्षा

[अनुवाद]

2850. श्री एस. बी. थोरात।

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक उपभोक्ता वस्तुओं को अनिवार्य लागत लेखा परीक्षा के दायरे में लाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) अनेक उपभोक्ता वस्तुएं जैसे औषधि सूत्रीकरण, दुग्ध आहार, शिशु दुग्ध आहार, सूती कपड़ा, पेपर बोर्ड, वनस्पति आदि पहले से ही लागत लेखा परीक्षा के अन्तर्गत हैं। उपभोक्ता वस्तुओं या अन्य वस्तुओं के विनिर्माण या विधायन संबद्ध उद्योगों की लागत लेखा परीक्षा निर्धारित करना एक सतत् प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण उद्योगों तथा उत्पादों को लागत लेखा परीक्षा के अन्तर्गत कवर करने हेतु समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं। सरकार ने हाल ही में खाद्य तेलों तथा टूथ पेस्ट व साबुन आदि प्रसाधन जैसी उपभोक्ता वस्तुओं की अनिवार्य लागत लेखा परीक्षा कराने हेतु कदम उठाए हैं।

जेवर व्यापारियों द्वारा आयकर की चोरी

[हिन्दी]

2851. श्री छित्तुभाई गामित/श्री मनसुखभाई वसावा।

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1991 को शेयर दलालों के विरुद्ध आयकर की कितनी राशि बकाया थी;

(ख) क्या सरकार को शेयर दलालों द्वारा बड़े पैमाने पर आयकर की चोरी किए जाने की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) करों की वसूली तथा उनकी अदायगी विषयक आंकड़े और बकाया कर की राशि आदि से संबंधित आंकड़े आयकर विभाग द्वारा कर निर्धारिती-वार रखे जाते हैं। अतः पूछे गए प्रश्न के उत्तर को प्रस्तुत करने के लिए इस प्रकार की सांख्यकीय सूचना को संकलित करने के उद्देश्य से समूचे देश में स्थित ऐसे प्रत्येक कर-निर्धारण अधिकारी से आंकड़े मंगवाने होंगे, जो शेयर दलालों का कर-निर्धारण करते हैं। यहां इस बात का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि इस सूचना को एकत्र करने में लगने वाला समय तथा श्रम प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे। यदि किसी विशेष शेयर-दलाल के बारे में जानकारी अपेक्षित हो तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(ख) से (घ) कुछ शेयर-दलालों द्वारा आयकर की चोरी किए जाने की घटनायें प्रकाश में आयी हैं। आयकर विभाग द्वारा ली गई तलाशियों के दौरान प्रथम-दृष्टया अघोषित नकदी, जेवर-जवाहरात, स्टाक तथा शेयरों के हस्तलिखित दस्तावेज एवं अन्य परिसम्पत्तियों का भी पता चला है जिन्हें अभिगृहीत कर लिया गया है। शेयर-दलालों ने भी इसे स्वीकार कर लिया है और अतिरिक्त आय पर कराधान किए जाने की पेशकश की है। शेयर-दलालों के मामलों में ली गई तलाशियों के परिणाम निम्नानुसार हैं :

अवधि	तलाशियों की संख्या	अभिगृहीत की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य	आयकर अधिनियम की धारा 132(4) के अधीन घोषणा
		(लाख रुपयों में)	
1990-91	55	851.16	1532.17
1991-92 (फरवरी, 1992 तक)	50	428.72	217.93

व्यक्तियों द्वारा, जिनमें शेयर दलाल भी शामिल हैं, कर की चोरी पर रोकथाम लगाना निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है और आयकर विभाग कर की चोरी का पता लगाने के लिए उचित मामलों में तलाशियां, सर्वेक्षण तथा अन्य जांच-पड़ताल नियमित आधार पर करता रहता है। समय-समय पर यथोचित समझे जाने वाले इस प्रकार के उपाय शेयर-दलालों के मामलों में भी किए जाते हैं।

जहाजों द्वारा माल की ढुलाई

2852. कुमारी उमा भारती :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जहाजों द्वारा अन्तर्राज्यीय और अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों के जरिए वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान अलग-अलग कितने मीटर टन माल की ढुलाई की गई है;

(ख) किन-किन स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय ढुलाई सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) सरकार का भविष्य में किन स्थानों पर इन सुविधाओं का विस्तार करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्यमंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) तटीय व्यापार (अंतर्देशीय) और विदेश व्यापार (अन्तर्राष्ट्रीय) में भारत जहाजों द्वारा हैंडल किए गए कार्गों से संबंधित सूचना निम्नलिखित है :

वर्ष	विदेश व्यापार	तटीय व्यापार
	(मिलियन टन में)	
1990-91	38.9	47.4
1991-92 (अप्रैल, 1991 से सितम्बर, 1991 तक)	19.8	25.4

(ख) जहाजों द्वारा माल के अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन की सुविधाएं सभी महापत्तनों अर्थात बम्बई कलकत्ता/हल्दिया, कोचीन, कांडला, मद्रास, मुरगांव, न्यू मंगलूर, पारादीप, टूटीकोरिन, विशाखापत्तनम और जवाहरलाल नेहरू (न्हावा शेवा) पर उपलब्ध हैं।

कुछ लघु/मंझोले पत्तनों में भी अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कार्गो के निर्यात/आयात से संबंधित सुविधाएं इस समय भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कंटेनर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड) द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं :—

नई दिल्ली, पानीपत, मुरादाबाद, वाडी बंदर, मुलुण्ड, पुणे, अहमदाबाद, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद, लुधियाना, गुन्टूर, अनापर्ती, कोयम्बटूर और अमीनगांव (गुवाहाटी)।

भारत सरकार और बंगलादेश सरकार के बीच 3-10-91 को हस्ताक्षरित प्रोटोकोल के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय ट्रैफिक अन्तर्देशीय जलमार्ग रूटों अर्थात कलकत्ता-पांडु वाया बंगलादेश और कलकत्ता-करीमगंज वाया बंगलादेश के माध्यम से भी चलता है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन सेवाएं पहले से ही सभी महापत्तनों पर उपलब्ध हैं। जहां तक

लघु पत्तनों और मझोले पत्तनों का सम्बन्ध है, ऐसी सुविधाएं सुलभ कराने का दायित्व संबंधित मेराटाइम राज्य सरकार का है।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड) इलाहाबाद, बड़ोदरा, इन्दौर, दिवसान, विजयवाडा, टूटीकोरिन, तिरुपुर और रायपुर में निर्यात-आयात कार्यों के संबंधित सुविधाएं सुलभ कराए जाने का प्रस्ताव है।

जहां तक अन्तर्देशीय जलमार्गों का सम्बन्ध है, ऐसी सुविधाएं सुलभ कराए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जूट उत्पादों के कृत्रिम अनुकल्पों का आयात

[अनुवाद]

2853. डा. असीम बाला :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 के दौरान जूट उत्पादों के कृत्रिम अनुकल्पों की कितनी मात्रा आयात की जा रही है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : सिंथेटिक कच्चेमाल का प्रयोग अनेक किस्म के अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। इसलिए पटसन उत्पादों के प्रतिस्थापनों के निर्माण के लिए इसके आयात की मात्रा बता पाना संभव नहीं है।

अनिवासी भारतीयों के लिए आयकर भुगतान प्रमाण पत्र

2854. श्री पी. सी. नारायणन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनिवासी भारतीयों को देश में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ;

(ख) क्या तीन महीने अधिक अवधि तक भारत में रहने पर अनिवासी भारतीयों को आयकर भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनिवासी भारतीयों के लिए उद्योग लगाने संबंधी औपचारिकताओं को तीन माह की अवधि में पूरा करने में कठिनाई होती है जिसमें अत्यधिक समय लगता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके भारत में रहने की अवधि को तीन महीने से अधिक बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आयकर अधिनियम की धारा 230 के अधीन भारत में अधिवास करने वाले व्यक्तियों की यदि भारत में ठहरने की अवधि 90 दिन से अधिक हो तो उन्हें आयकर प्राधिकारियों से कर-समापत्ति पत्र प्राप्त करना अपेक्षित है। इस अवधि को राजस्व विभाग ने तारीख 13 मार्च, 1990 की अपनी अधिसूचना द्वारा बढ़ाकर अब 120 दिन कर दिया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) तथा (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयुध वस्त्र कारखाना, शाहजहांपुर द्वारा रक्षा वस्त्रों का उत्पादन

[हिन्दी]

2855. श्री सत्यपाल सिंह यादव :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुणवत्ता नियंत्रण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों द्वारा सैनिकों के लिए उत्पादित वस्त्रों की गुणवत्ता आयुध वस्त्र कारखाना, शाहजहांपुर के लिए वस्त्र उत्पादन हेतु स्वीकृत किया है की तुलना में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन कारखानों में उन मदों का पुनः उत्पादन आरम्भ करने का है जिन्हें 1986 में बन्द कर दिया था; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस कृष्ण कुमार) : (क) रक्षा सेनाओं को सप्लाई किए जाने वाले कपड़े की गुणता को सुनिश्चित करने का दायित्व गुणता आश्वासन महानिदेशालय का है। इस संगठन से प्राप्त रिपोर्ट से ऐसा कोई आम निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं है कि गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा रक्षा कार्मिकों के वास्ते तैयार कपड़े की गुणता, आयुध वस्त्र निर्माणी, शाहजहांपुर द्वारा बनाए गए कपड़े की तुलना में घट गयी है।

(ख) और (ग) : राष्ट्रीय औद्योगिक आधार का अधिकतम इस्तेमाल करने की नीति के अनुरूप निम्न प्रौद्योगिकी तथा कम लागत वाली कई मदों का उत्पादन क्रमिक रूप से सिविल क्षेत्र को सौंपा जा रहा है। पहले चरण में वस्त्रों से संबंधित 17 मदें भी सिविल क्षेत्र को सौंपने के लिए निर्धारित की गई हैं। इस निर्णय को वापस लेने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

वाणिज्यिक जहाजों के आकार को बढ़ाना

[अनुवाद]

2856. श्री चित्त बसु :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी मुद्रा पर दबाव को कम करने के लिए देश के व्यापारी जहाजों के आकार बढ़ाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय नौवहन कम्पनियों की सहायता के लिए इस मन्त्रालय ने कई उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया को आसान बनाना जिससे उतार-चढ़ाव वाले अन्तर-राष्ट्रीय बाजार में जहाज अधिग्रहण में शीघ्रता आई,

(ख) पुराने जहाजों को खरीदने के लिए संशोधित आयु संबंधी मानदण्ड,

(ग) जहाज मालिकों को जहाज खरीद लाइसेंसिंग समिति की स्वीकृति लिए बगैर 10-30,000 डी डब्ल्यू टी के बल्क कैरियर खरीदने के लिए अनुमति देना,

(घ) मौजूदा टनेज को बदलने के प्रस्तावों को जहाज खरीद लाइसेंसिंग समिति के समक्ष नहीं रखा जाएगा, यदि बदले जाने का प्रस्ताव 25 प्रतिशत तक अधिक या बदले जाने वाले टनेज कम हो,

(ङ) निजी नौवहन कम्पनियों को मूल्यांकन की नई जरूरतों के सन्दर्भ के बगैर भारतीय शिपयार्डों को आर्डर देने की अनुमति देना।

(च) नौवहन कम्पनियों द्वारा जहाजों को चार्टर करने की प्रक्रिया को सरल बनाना।

निर्यात और आयात

2857. श्री आर. अनुबकोडी आदित्यन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितने मूल्य का आयात और निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया था और सकल स्वदेश उत्पादन पर इनकी प्रतिशतता कितनी है;

(ख) इस वर्ष की अब तक की वास्तविक कार्य निष्पादन स्थिति क्या है;

(ग) क्या एक्जिम स्क्रीप्स निर्यात को बढ़ावा देने में सहायक रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार से ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) विश्व के व्यापारिक वातावरण की अनिश्चितताओं, भूतपूर्व सोवियत संघ के समाप्त होने, जो कि भारत का प्रमुख व्यापारिक सहयोगी है, तथा निर्यातों पर पूरे प्रभावों के लिए दूरगामी नीति सम्बन्धी सुधारों के लिये समयान्तराल को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। इसी प्रकार आयातों के लिये भी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ख) सामान्य मुद्रा क्षेत्र को भारत से अप्रैल-दिसम्बर, 1990 में हुए 18785 करोड़ रु. के निर्यात की तुलना में अप्रैल-दिसंबर, 1991 के दौरान 27133 करोड़ रु. का निर्यात हुआ जो 44 4% अधिक रहा। डालर के रूप में जी. सी. ए. को हुआ निर्यात 6.3 प्रतिशत रहा। अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान रुपया भुगतान क्षेत्र को भारत से 3199 करोड़ रु. का निर्यात हुआ जो अप्रैल-दिसम्बर, 1990 के दौरान हुए 4404 करोड़ रु. के निर्यात से 27.4 प्रतिशत कम रहा। डालर के रूप में आर.पी.ए. क्षेत्र को हुए निर्यात में 46.5 प्रतिशत की कमी रही। अप्रैल-दिसम्बर, 1990 के दौरान 31724 करोड़ रु. के आयात की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान भारत ने 34218 करोड़ रु. का आयात किया जो 7.9 प्रतिशत अधिक रहा। डालर के रूप में आयात में 20.5% की कमी हुई।

(ग) और (घ) घरेलू बाजार में प्रीमियम की शर्तों में निर्यातकों के लिये प्रोत्साहनों में वृद्धि की दृष्टि से एक्जिम स्क्रिप्स योजना निर्यात के लिये लाभप्रद पाई गई है। इस योजना को व्यापक बनाया गया है और इसके स्थान पर उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली (एल.ई.आर.एम.एस.) को लाया गया है जिसमें रुपये के आंशिक संशोधन की व्यवस्था की गई है।

रुपये की परिवर्तनीयता

2858. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री एम. रमन्ना राय :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की भारतीय रुपये को विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बनाने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) 1992-93 के केन्द्रीय बजट में जैसा कि वित्त मंत्री ने घोषणा की थी, सरकार ने 1 मार्च, 1992 से प्रभावी, रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता की एक प्रणाली लागू की है। यह नयी प्रणाली कर्मचारियों की प्रेषणाओं सहित विगत की एक्जिम स्क्रिप प्रणाली का समस्त चालू लेखा प्राप्तियों के सम्बन्ध में विस्तार करती है, व्यापार प्रणाली का काफी सीमा तक सरलीकरण करती है, निर्यातों तथा कारगर आयात प्रतिस्थापन्नों को एक सशक्त बढ़ावा देती है, गैर-कानूनी विदेशी मुद्रा लेने-देनों के प्रोत्साहन को कम करती है और एक स्व-संतुलनकारी तंत्र को लागू करती है जिससे भुगतान संतुलनों का प्रबन्धन आसान हो जायेगा।

उड़ीसा में परियोजनाओं को विदेशी सहायता

[हिन्दी]

2859. श्री श्रीकांत जेना :

श्री मृत्युंजय नायक :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में विदेशी सहायता से नई परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में विदेशी सहायता से स्थापित की गई वर्तमान परियोजनाओं पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है;

(घ) क्या ऐसी कुछ परियोजनाएं धनराशि उपलब्ध न होने के कारण प्रभावित हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के क्या नाम हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (च) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नौवहन उद्योग का विस्तार

2860. श्री विजय नवल पाटिल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों के दौरान अनुमानित कितने अतिरिक्त टन भार की ढुलाई किये जाने की संभावना है, और

(ख) बढ़ते हुये यातायात के वहन के लिये नौवहन-बेड़े में वृद्धि के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) योजना आयोग द्वारा 1990-95 की अवधि के लिये गठित नौवहन संबंधी कार्य-दल ने 1994-95 तक 7.73 मिलियन डी डब्ल्यू टी टनेज की जरूरत का मूल्यांकन किया है। अधिग्रहण किया जाने वाला वास्तविक टनेज मुख्यत: विदेशी मुद्रा सहित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

(ख) बढ़ रहे ट्रैफिक की जरूरतों को पूरा करने के लिये सरकार ने नौवहन बेड़े में वृद्धि करने के लिये कई उपाय किये हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

(I) लाइसेंस दिये जाने की प्रक्रिया को आसान बनाना जिससे उतार-चढ़ाव वाले अंतर-राष्ट्रीय बाजार में जहाज अधिग्रहण में शीघ्रता आई,

(II) पुराने जहाजों को खरीदने के लिये संशोधित आयु संबंधी मानदंड,

(III) जहाज मालिकों को जहाज खरीद लाइसेंसिंग समिति की स्वीकृति लिये बगैर 10-30,000 डी डब्ल्यू टी के बल्क कैरियर खरीदने के लिये अनुमति देना,

(IV) मौजूदा टनेज को बदलने के प्रस्तावों को जहाज खरीद लाइसेंसिंग समिति के समक्ष

नहीं रखा जायेगा, यदि बदले जाने का प्रस्ताव 25 प्रतिशत तक अधिक या बदले जाने वाले टनेज से कम हो;

(V) किसी नौवहन कम्पनियों को मूल्यांकन की गई जरूरतों के संदर्भ के बगैर भारतीय शिपयार्डों को आर्डर देने की अनुमति देना।

[हिन्दी]

सीमाशुल्क अपवंचन

2862. श्री राजेश कुमार :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्रिम कर-मुक्त आयात लायसेंस के दुरुपयोग के कारण लगभग एक हजार करोड़ रुपयों की कर चोरी के लगभग एक हजार से अधिक मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों का ब्योरा क्या है; और उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) भविष्य में ऐसी कर-चोरी को रोकने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) ऐसा कोई भी मामला जानकारी में नहीं आया है जिसमें शुल्क-छूट हकदारी स्कीम का दुरुपयोग करते हुए एक हजार करोड़ रुपयों से अधिक के सीमाशुल्क का अपवंचन किया गया हो। सीमाशुल्क प्राधिकारी सीमाशुल्क के अपवंचन के प्रति सतर्क रहते हैं।

[अनुवाद]

बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण दिया जाना

2863. श्री निर्मल कांति चटर्जी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋण की राशि को कम करने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वित्तीय प्रणाली से संबंधित समिति (नरसिंहम समिति) ने 1991 में सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि वर्तमान निर्दिष्ट ऋण कार्यक्रमों को धीरे-धीरे समाप्त किया जाना चाहिए। इस समय प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, लघु क्षेत्र के उद्योग, लघु सड़क और जल परिवहन चालक, खुदरा व्यापारी, लघु व्यवसाय, व्यावसायिक और स्वरोजगार, निर्दिष्टियों की खरीद और आपूर्ति के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के राज्य द्वारा प्रायोजित संगठनों, शिक्षा, उपभोगता ऋण और आवास

ऋण के लिए बैंक अग्रिम इसके अन्तर्गत आते हैं। नरसिंहम समिति की सिफारिशों के संदर्भ में पुनः परिभाषित प्राथमिक क्षेत्र में छोटे और सीमांतिक किसान, अति लघु क्षेत्र के उद्योग, लघु व्यापार और परिवहन चालक, ग्राम और कुटीर उद्योग, ग्रामीण कारीगर और अन्य कमजोर वर्ग आएंगे। इस समय भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिक क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का 40% का लक्ष्य रखा है। नरसिंहम समिति ने सिफारिश की है कि पुनः परिभाषित प्राथमिक क्षेत्र के लिए कुल बैंक ऋण का 10% का लक्ष्य होना चाहिए और तीन वर्ष के पश्चात यह देखने के लिए समीक्षा की जानी चाहिए कि क्या निर्दिष्ट सीमा को जारी रखने की आवश्यकता है। नरसिंहम समिति की सिफारिशों पर सरकार को अभी अन्तिम निर्णय लेना है।

पत्तनों का आधुनिकीकरण

2864. श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब हरियाणा-दिल्ली व्यापार और संघ ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि शिपर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पत्तनों की पर्याप्त क्षमता बढ़ाने हेतु तत्काल पत्तनों के आधुनिकीकरण हेतु विस्तृत कार्यक्रम शुरू किया जाए,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या पत्तन सुविधाओं के अपर्याप्त आधुनिकीकरण और विकास के कारण पत्तन शिपर्स और निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते है, और

(घ) यदि हां तो देश में विभिन्न पत्तनों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। पत्तनों की क्षमता, जो, 1951 में 20 मिलियन टन की, बढ़कर 1091-92 में 168 मिलियन टन हो गई है। इंडियन शिप्पर्स और निर्यातकों की जरूरतों को पूरा कर दिया गया है।

आठवीं योजना में सरकार द्वारा निम्नलिखित पर ध्यान देकर पत्तनों के कामकाज में और सुधार करने का प्रस्ताव है :

(1) समग्र आर्थिक विकास के अनुरूप पत्तनों में मूलभूत सुविधाओं का विकास,

(2) देश में कन्टेनरीकरण के स्तर को बढ़ाना,

(3) थोक हैंडल करने वाले पत्तनों में बड़े आकार के जहाज हैंडल करने के लिए पत्तनों को गहरा करना,

(4) लोडिंग/अनलोडिंग सुविधाओं का यांत्रिकीकरण, और

(5) श्रमिक और उपकरण उत्पादकता में सुधार।

उच्च न्यायालयों में पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटीगेशन सेल की स्थापना

2865. श्री जगत सिंह द्रोणा :

क्या विधि न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन ने प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक 'पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटीगेशन सेल' स्थापित किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है;

(ग) किन-किन उच्च न्यायालयों ने ये सिफारिशें कार्यान्वित की हैं;

(घ) न्यायिक राहत प्राप्त करने के लिए इस सेल में किन-किन श्रेणियों के व्यक्ति अथवा निकाय अपनी याचिकाएं प्रस्तुत कर सकते हैं; और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार को कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय और विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी हां, अखिल भारतीय मुख्य न्यायमूर्ति सम्मेलन, 1991 ने निर्धन व्यक्तियों, दलितों और आर्थिक शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को न्यायिक राहत की प्राप्ति के लिए समर्थ बनाने के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक लोकहित मुकदमा सेल स्थापित करने के लिए सिफारिश की है।

(ग) उच्चतम न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक आंध्र प्रदेश, मुम्बई, दिल्ली गुवाहाटी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और सिक्किम उच्च न्यायालयों द्वारा ये सिफारिशें लागू कर दी गई हैं।

(घ) और (ङ) भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रश्न में निर्दिष्ट अखिल भारतीय मुख्य न्यायमूर्ति सम्मेलन में, तारीख 1-12-1988 को उच्चतम न्यायालय द्वारा पत्रों/अर्जियों को लोकहित मुकदमें के रूप में ग्रहण करने के लिए अपनाए गए मार्गदर्शक सिद्धांत को उच्च न्यायालयों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार रुपांतरणों के अधीन रहते हुए, उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाए जाने संबंधी संकल्प भी पारित किया गया। इन मार्गदर्शक सिद्धांतोंमें विभिन्न प्रवर्गों के मामले ब्यौरेवार वर्णित हैं जिनकी बाबत जिनके संबंध में सामान्यतया पत्रों अर्जियों को ग्रहण किया जाएगा, जैसे कि बंधुआ मजदूर, उपेक्षित बालक, न्यूनतम मजदूरी न देने, जेलों से यातना संबंधी शिकायतें, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु संबंधी शिकायतें, महिलाओं पर अत्याचार संबंधी अर्जियां, आदि के साथ-साथ, लोक महत्व जैसे मामले हैं किन्तु व्यष्टि का व्यक्तिगत मामले इसमें नहीं है।

कपास का निर्यात मूल्य

2866. श्री गंगाधरा सानीपल्ली :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास का निर्यात मूल्य घरेलू मूल्य से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कपास को घरेलू मूल्य से भी कम मूल्य पर निर्यात करने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) बंगाल देशी कपास की, जिसे चालू कपास मौसम के दौरान निर्यात के लिये एक मात्र अनुमति दी गई है, निर्यात कीमत घरेलू कीमत से अधिक रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पारादीप पत्तन पर मशीनीकृत कोयला बर्थ

2868. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारादीप पत्तन पर बहुउद्देश्यीय कार्गो बर्थ और मशीनीकृत कोयला बर्थ की स्थापना को मंजूरी दे दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) पारादीप पत्तन पर 24.94 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से एक बहुउद्देश्यीय कार्गो बर्थ और 511.25 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से यांत्रिकीकृत कोल बर्थ के निर्माण संबंधी प्रस्तावों पर सरकार द्वारा निवेश निर्णय के लिए कारंवाई की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि श्रमिकों के लिए पेंशन एवं बीमा योजना

2869. श्री वी. सोमनाद्रीश्वर राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्म श्रमिकों के कल्याण के लिए पेंशन एवं बीमा योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए एक सामूहिक बीमा योजना समस्त देश में पहले से ही चालू है, जिसके अन्तर्गत खेतिहर मजदूरों के परिवार प्रमुख हैं, जिसके पास कोई भूमि नहीं है, को 2000/-रुपए की सीमित राशि के लिए कवच किया जाता है। इस बीमा कवच के समस्त प्रीमियम की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा रखी जा रही सामाजिक सुरक्षा निधि से वहन की जाती है।

लघु उद्योग क्षेत्र को वित्तीय सहायता

2870. श्री हरि किशोर सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुटीर और लघु उद्योग संघों के फेडरेशन से लघु उद्योग क्षेत्र को आवश्यकता के आधार पर वहन कर सकने योग्य ब्याज की दरों पर वित्त प्रदान किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) (ख) और (ग) यद्यपि कुटीर और लघु उद्योगों के संघों के फेडरेशन से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है तथापि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए उनकी क्षमता के अनुसार समर्थन ब्याज दरों पर आवश्यकता पर आधारित धन उपलब्ध कराने के बारे में सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 2 लाख रुपए तक के सावधि ऋणों के लिए लघु उद्योग क्षेत्र को रियायती ब्याज की दरें देनी होती हैं। दो लाख रुपए से अधिक के सावधि ऋणों के लिए ब्याज की दर को 2 मार्च, 1992 से 20 प्रतिशत (न्यूनतम) से घटाकर 19 प्रतिशत (न्यूनतम) वार्षिक कर दिया गया है। लघु उद्योग क्षेत्र की कार्यशील पूंजी की अपेक्षाओं की पूर्ति करने, रुग्ण लघु उद्योग एककों के पुनर्वास संबंधी मार्गनिर्देशों की समीक्षा करने और किसी अन्य प्रासंगिक मामले की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक समिति भी गठित की है।

स्विस बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा जहाज पर लदान से पहले वस्तुओं की जांच करना

2771. श्री विजय कुमार हान्डिक :

क्या वित्त मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आयात किए जाने वाली वस्तुओं के जहाज पर लदान से पहले

उसकी जांच के लिए एक विदेश बहुराष्ट्रीय कम्पनी को नियुक्त करने के बारे में कोई निर्णय किया है ;

2 (ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) (ख) और (ग) देश से आयात किए जाने वाले माल की जांच के लिए लदान-पूर्व जांच हेतु किसी एजेन्सी की सेवाएं लेने के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

डी. टी. सी. को बसों में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यात्रा सुविधाएं

2872. श्री पी. एम. सईद :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को डी. टी. सी. की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है, ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम पहले से ही उन सभी स्वतन्त्रता सेनानियों को निशुल्क पास दे रहा है जो दिल्ली परिवहन निगम की टूरिस्ट सेवाओं, पालम कोच और ग्रीन लाइन सेवाओं को छोड़कर, सभी प्रकार की सिटी बस सेवाओं में वैध हैं ।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

जूट से बने थैलों का आयात

2873. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ।

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश से जूट से बने थैलों का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे आयात का जूट उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

"अंकटाड" की बैठक

2874. श्री रवि राय :

श्री साइमन मरान्डी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अंकटाड" की हाल ही में हुई बैठक में भारत ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में हुई चर्चा का क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) इस बैठक में लिए गए निर्णयों का भारत जैसे विकासशील देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमारे देश को इससे क्या लाभ अथवा हानि होगी,

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

विवरण

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड 8) का 8वां सत्र कार्टेगेना डि इण्डियास, कोलम्बिया में दिनांक 8-25 फरवरी, 1992 तक आयोजित किया गया । इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य राज्य मंत्री ने किया था ।

इस सम्मेलन में विकास के लिए नई भागीदारी की मांग करते हुए एक राजनीतिक घोषणा पारित की गई । इस सम्मेलन में कार्यसूची मदों के सम्बन्ध में नीतियां निर्धारित करते हुए, "स्वस्थ, सुरक्षित और न्यायसंगत विश्व अर्थव्यवस्था के लिए बहुराष्ट्रीय सहयोग तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही को सुदृढ़ करने" पर एक दस्तावेज को अंगीकार किया गया ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में इस सम्मेलन ने यह मांग की कि सभी के खासकर विकासशील देशों के लाभ के लिए विश्व व्यापार को और अधिक उदार बनाने और इसके विस्तार के लिए संरक्षणवाद को समाप्त करने तथा उसे उलटने की कार्रवाई की जाये और निरंतर विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित किया जाए कि पर्यावरण और व्यापार नीतियां परस्पर समर्थनकारी हैं । इसमें यह भी मांग की कि बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के उचित और त्वरित, संतुलित, व्यापक और सफल परिणाम के जरिए अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति को सुदृढ़ किया जाए । प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन ने यह बात स्वीकार की कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी अपना एक मूल कारक है इसीलिए यह सिफारिश की गई कि ऐसी नीतियों और उपायों पर जोर दिया जाए जिससे विकासशील देशों में नवीनतम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिले और इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था हो सके । विकास प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए, सम्मेलन ने विकसित देशों से मांग की कि वे विकासशील देशों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग को सुलभ बनाने के उपायों पर विचार करें । ऋण के मुद्दे पर, सम्मेलन ने कम आय परन्तु पर्याप्त ऋण बोझ वाले उन देशों के कार्यों की प्रशंसा की जो काफी बड़ी कीमत पर ऋण को चुकाना तथा अपनी ऋणयोग्यता को रक्षा करना जारी रखे हुए हैं । सम्मेलन ने मांग की कि ऐसे देशों की संसाधन

आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सम्मेलन ने विचार व्यक्त किया कि विकासशील देशों में संरचनात्मक सामंजस्य की प्रक्रिया को पर्याप्त रूप से सहायता देने एवं उसके वित्त पोषण की आवश्यकता है। सम्मेलन ने इस बात पर जोर दिया कि विकासशील देशों के लिए सहायता की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त रूप से अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है। उसने विकसित देशों का आह्वान किया कि उन्होंने अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 0.7 प्रतिशत ओ. डी. ए. को देने के सम्बन्ध में जिस अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने का समझौता किया था उसे कार्यान्वित किया जाए। सेवाओं के मुद्दे पर, सम्मेलन में सहमति हुई कि विकासशील देशों के निर्यात हित की आपूर्ति के तरीकों और क्षेत्रों में बाजार पहुंच के उत्तरोत्तर बहुपक्षीय उदारीकरण का समर्थन करने के लिए सभी सरकारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसमें सेवाओं की आपूर्ति के लिए श्रम का अस्थायी संचलन भी शामिल है। वस्तुओं के क्षेत्र में सम्मेलन ने अंकटाड के महासचिव से अनुरोध किया कि वस्तुओं के प्रश्न पर विश्व सम्मेलन आयोजित करने की संभावनाओं पर बातचीत की जाए जिससे एक संगत अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु नीति बनाने के उद्देश्य से उत्पादकों, उपभोक्ताओं, विपणन उद्यमों और अन्य बाजार कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलकर विचार-विमर्श कर सकेंगे और उक्त नीति में चुनिंदा वस्तु क्षेत्र की खास समस्याओं को ध्यान में रखा जा सकेगा।

सम्मेलन ने स्वीकार किया कि सभी विकास स्तरों पर व्यापक आधार वाले विकास और ठोस आर्थिक निष्पादन कायम रखने के लिए अच्छा प्रबन्ध एक आवश्यक तत्व है।

इस सम्मेलन में लिए गए नीतिगत निर्णय सिफारिशी प्रवृत्ति के हैं और उनका पालन इस उद्देश्य के लिए बनाई गई समितियों द्वारा किया जाएगा। हमारे और अन्य विकासशील देशों के दृष्टिकोण से परिणाम सकारात्मक ही हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निर्यात आबन्ध

2875. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कार्यरत कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान अपने निर्यात आबन्धों का पालन करने में अब तक असफल रही;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान इन कम्पनियों द्वारा अब तक कुल कितनी विदेशी मुद्रा को देश के बाहर ले जाया गया;

(घ) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा की इस हानि को रोकने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व

बैंक द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों ने अपनी निर्यात अनिवार्यताओं को पूरा नहीं किया :—

1. वाबको इंडिया लिमिटेड
2. सेन्डोज इंडिया लिमिटेड
3. जानसन एण्ड जानसन
4. रोश प्रोडक्ट्स लि.
5. बेयर इंडिया लि.
6. यूनियन कार्बाइड लि.

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

छावनी क्षेत्र की रिहायशी भूमि का अधिग्रहण

2876. श्री संतोष गंगवार :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुराने पट्टे की अवधि समाप्त होने पर भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई छावनी क्षेत्रों की रिहायशी भूमि पुन: गृहीत कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया/नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी भूमि तथा भवनों के स्वामियों को क्या मुआवजा दिया जाता है;

(घ) क्या उन भूतपूर्व सैनिकों को कोई विशेष सुविधाएं दी जाती हैं जिनके भूमि और भवन अधिगृहीत किये जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) छावनी क्षेत्रों में आने वाली अधिकतर भूमि सेना की है तथा ऐसी भूमि सैनिकों सहित किसी व्यक्ति द्वारा खरीदी नहीं जा सकती है। इसे केवल पट्टे पर अथवा ओल्ड ग्रांट शर्तों पर लिया जा सकता है जिसमें भूमि पर बनी इमारतों का वास्तिकारी अधिकार पट्टेदार को दिया जाता है। पट्टे अथवा ओल्ड ग्रांट की शर्तों के अनुसार सरकार ऐसी भूमि को वापस अपने कब्जे में ले सकती है जो कुछ अवधि के लिए पट्टे ग्रांट पर है। छावनी क्षेत्र में आने वाली केवल निजी/पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि ही जो कुछ अवधि के पट्टे की शर्त पर नहीं है तथा जिसे भूमि अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिगृहीत किया जा सकता है, किसी व्यक्ति द्वारा खरीदी जा सकती है।

(ख) और (ग) जो भूमि कुछ अवधि के पट्टे ग्रांट पर है उसे पट्टे ओल्ड ग्रांट की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा पुन: अपने अधिकार में लिया जा सकता है और इसके लिए उस पर

दाखिलकारी अधिकार रखने वाले व्यक्ति को एक महीने का नोटिस दिया जाता है और भूमि पर बनाई गई प्राधिकृत इमारतों के लिए स्टेशन कमांडर, रक्षा संपदा अधिकारी गैरीजन इंजीनियर तथा स्थानीय रक्षा लेखा नियंत्रक के प्रतिनिधियों की समिति द्वारा निर्धारित उचित मुआवजा दिया जाता है। मुआवजे की रकम निर्धारित करने से पूर्व धारक को भी अपनी बात कहने का उचित अवसर दिया जाता है। ऐसे दाखिलकारों को जिनका छावनी अथवा उसके निकटवर्ती क्षेत्र, शहर आदि में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान नहीं है, बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत का भुगतान करने पर दाखिलकारी अधिकार वाले भूखण्ड के बराबर भूखण्ड दिया जाता है बशर्ते कि यह 500 वर्ग गज तथा अधिकतम शहरी भूमि नियंत्रण अधिनियम 1976 के प्रावधानों के द्वारा पुन: कब्जे में ले लिया जाता है उसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है क्योंकि उस भूमि का स्वामित्व सरकार के पास होता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आयात/निर्यात

2877. श्री चन्द्रजीत यादव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989 और 1990 में किये गये आयात/निर्यात की तुलना में 1991 के अन्त में विदेशी मुद्रा में अलग-अलग कुल कितना आयात और निर्यात किया गया;

(ख) 1991 के मध्य में दो बार रुपये के अवमूल्यन से कुल निर्यात की उपलब्धि क्या रही है;

(ग) 1991 के दौरान किन-किन वस्तुओं का आयात और निर्यात किया गया;

(घ) 1990 के अन्त में हुए व्यापार घाटे की तुलना में 1991 के अन्त में कितना घाटा हुआ; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान हुए घाटे को सरकार किस प्रकार कम करेगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) विदेश व्यापार के आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर समेकित किए जाते हैं। वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान डालर में भारत के निर्यात एवं आयात के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

मिलियन अमरीकी डालर

	1989-90	1990-91
निर्यात	16626	24128
आयात	21269	24060

(ख) वित्तीय वर्ष 1991-92 के व्यापार सम्बन्धी आंकड़े अर्थ-अनन्तिम, 1991 तक

उपलब्ध हैं। अनन्तिम अनुमानों के अनुसार, अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान भारत से सामान्य मुद्रा क्षेत्र (जीसीए) को 11310 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात किए गए, जबकि अप्रैल-दिसम्बर, 1990 के दौरान 10636 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात किए गए, इस प्रकार 6.3% वृद्धि हुई। रुपए की दृष्टि से सामान्य मुद्रा क्षेत्र को निर्यात में 44.4% वृद्धि हुई। रुपया भुगतान क्षेत्र (आरपीए) को भारत से अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान 1333 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात किए गए, जबकि अप्रैल-दिसम्बर, 1990 के दौरान 2494 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात किए गए थे, इस प्रकार 46.5% की गिरावट आयी। रुपए की दृष्टि से रुपया भुगतान क्षेत्र को निर्यात में 27.4% की आई है।

(ग) अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान आयात की प्रमुख मदें पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, लोहा एवं इस्पात, मोती, कीमती एवं अर्ध-कीमती रत्न, मशीनरी, परियोजना माल, कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन, कृत्रिम राल एवं प्लास्टिक माल, आदि थीं। अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान निर्यात की प्रमुख मदें रत्न एवं आभूषण, सिलेसिलाए परिधान, सूती धागे तथा फैब्रिक्स, इंजीनियरी माल, इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर, रसायन एवं सम्बद्ध सामग्री, चमड़ा एवं चमड़े से बनी वस्तुएं, लौह अयस्क, समुद्री उत्पाद, संसाधित खाद्य मील, काजू की गिरियां, चाय, काफी, आदि थीं।

(घ) अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान 1628 मिलियन अमरीकी डालर का व्यापार घाटा हुआ, जबकि अप्रैल-दिसम्बर, 1990 के दौरान 4832 मिलियन अमरीकी डालर का घाटा हुआ था। रुपए की दृष्टि से अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान 3906 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि अप्रैल-दिसम्बर, 1990 के दौरान 8535 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था।

(ङ) सरकार ने नीति सम्बन्धी कई सुधार किए हैं, जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ बनाना, आयात के लिए लाइसेंसिंग की व्यवस्था को काफी हद तक समाप्त करना और आयात को काफी कम करना है। इन उपायों में रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता, टैरिफ की दरों में छूट, कुछ संवेदनशील मदों को छोड़कर सभी आयातों पर से लाइसेंस हटाना, अग्रिम लाइसेंसिंग योजनाओं को सुदृढ़ बनाना, आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने कुछ और उपाय किए हैं, जिनमें लाइसेंसिंग के जरिए नियंत्रणों में कमी करना, निर्यात संबंधी क्रियाविधियों को सरल बनाना, व्यापार बोर्ड को सक्रिय बनाना, चुनींदा देशों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श, व्यापार एवं उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क करना आदि शामिल हैं।

महाराष्ट्र में एन. सी. सी. यूनिटें

2778. श्री सुधीर सावन्त :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विभिन्न एन. सी. सी. स्कन्धों के कितने यूनिट हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के सभी जिलों में एन. सी. सी. यूनिटों की संख्या बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) महाराष्ट्र में निम्नलिखित राष्ट्रीय कैडेट कोर यूनिटें हैं :—

सेना विंग	...	51
नौसेना विंग	...	5
वायुसेना विंग	...	3

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संसाधनों की कमी के कारण नई यूनिटें स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

चाय का उत्पादन

2879. श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय और काफी के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कुछ नये क्षेत्रों का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार इसका ब्योरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकलने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालेण्ड, मणिपुर, सिक्किम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु केरल तथा कर्नाटक राज्यों में चाय की खेती बढ़ाने की संभाव्यता का पता लगा लिया गया है। कुल 6689 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती के लिए चाय बोर्ड द्वारा 11 चाय परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। राज्यवार क्षेत्र के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे बाद में सभा पटल पर रख दिया जाएगा। चाय बोर्ड ने इन परियोजनाओं के आधार पर दीर्घावधि ऋण के रूप में 149.68 लाख रु. तथा पूंजीगत उत्पादन के रूप में 59.57 लाख रु. की वित्तीय सहायता दी है। इन परियोजनाओं से 16.72 एम किग्रा. का अतिरिक्त उत्पादन होने की आशा है।

जहां तक काफी का सम्बन्ध है, विश्वव्यापी मांग सप्लाई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार का नए क्षेत्रों में बागान को प्रोत्साहन देने का विचार नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई

2880. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवी, छठी, सातवीं योजनाओं के अन्त तक राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार लम्बाई क्या थी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : ब्योरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	5वीं योजना	छठी योजना	7वीं योजना
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2299	2299	2515
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	330	330
3.	असम	1468	2273	2296
4.	बिहार	2117	2117	2117
5.	चंडीगढ़	24	24	24
6.	दिल्ली	72	72	72
7.	गोवा	229	229	229
8.	गुजरात	1352	1398	1631
9.	हरियाणा	698	698	698
10.	हिमाचल प्रदेश	644	644	857
11.	जम्मू और कश्मीर	648	648	648
12.	कर्नाटक	1996	1996	1996
13.	केरल	784	784	940
14.	मध्य प्रदेश	2670	2736	2946
15.	महाराष्ट्र	2861	2888	2918
16.	मणिपुर	211	431	431
17.	मेघालय	345	472	472
18.	नागालैंड	113	113	113

1	2	3		4
19.	उड़ीसा	1649	1649	1649
20.	पांडिचेरी	—	23	23
21.	पंजाब	882	882	892
22.	राजस्थान	2157	2557	2931
23.	तमिलनाडु	1749	1766	1896
24.	उत्तर प्रदेश	2328	2613	2613
55.	पश्चिम बंगाल	1419	1561	1561
26.	मिजोरम	—	245	551
27.	सिक्किम	62	62	62
28.	त्रिपुरा	200	200	200
	कुल	28,977	31,7 0	33,612

हरियाणा में बैंकों का कार्यकरण

2881. श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में, विशेषतः फरीदाबाद जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा प्रस्तावित हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि हरियाणा राज्य में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सम्बन्ध में सितम्बर, 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार कुल जमाराशियां एवं अग्रिम क्रमशः 3,970 करोड़ रुपए और 2,197 करोड़ रुपये थे। हरियाणा का फरीदाबाद जिला गुड़गांव ग्रामीण बैंक द्वारा कवर होता है। उपर्युक्त तारीख को फरीदाबाद जिले में ग्रामीण बैंक की जमाराशियां एवं अग्रिम क्रमशः 22.38 करोड़ रुपए तथा 25.5 करोड़ रुपए थे। फरीदाबाद जिले के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के इसी प्रकार के आंकड़े क्रमशः 493 करोड़ रुपए तथा 378 करोड़ रुपए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि हरियाणा राज्य और साथ ही फरीदाबाद जिले में बैंकों की वार्षिक ऋण योजनाओं का कार्यान्वयन निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले में उपलब्धियों के प्रतिशत के रूप में सामान्यतया संतोषजनक रहा।

राजस्थान में हथकरघा बुनकरों को सहायता

2882. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार सूत के उत्पादन के लिये राजस्थान के हथकरघा बुनकरों को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी;

(ख) क्या राज्य में इस क्षेत्र का विस्तार करने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा बुनकर सहकारी क्षेत्र में कताई मिलों की स्थापना के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई क्योंकि सरकार को इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

(ख) और (ग) बुनकर सहकारी कताई मिलों में अंश पूंजी भागेदारी के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत सरकार नई हथकरघा बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना और विद्यमान कताई मिलों को आर्थिक रूप से जीवनक्षम बनाने और राजस्थान सहित सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर आधुनिकीकरण के ऋण सहायता देती है।

निर्धनों को कन्ट्रोल के कपड़े की सप्लाई

2883. श्री महासमुद्रम ज्ञानेन्द्र रेड्डी :

क्या कपड़ा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्धनों समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को कंट्रोल के कपड़े की सप्लाई करती है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दिए गए कंट्रोल के कपड़े का राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) एन टी सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है लेकिन यह राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ, राज्य सहकारी परिसंघों, राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगमों, एन टी सी के अपने ही फुटकर शो-रूमों एवं सरकार द्वारा यथा अनुमोदित प्राधिकृत डीलरों के माध्यम से नियंत्रित कपड़े का वितरण करती है।

सेनतला स्थित आयुध कारखाने के विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार

2884. श्री शरत् चन्द्र पटनायक :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेनतला स्थित आयुध कारखाने द्वारा अभी तक कितने विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है;

(ख) क्या अभी भी अनेक विस्थापित व्यक्तियों को इस कारखाने में रोजगार दिया जाना जाना शेष है; और

(ग) विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा अभी तक अन्य क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) 239

(ख) भर्ती किए जाने वाले लोगों की संख्या परियोजना की अपेक्षाओं और नौकरी की शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों के उपलब्ध होने पर निर्भर होती है। अतः यह आशा नहीं की जाती कि प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जा सकेगी। इस समय ऐसे 781 विस्थापित परिवार हैं जिन्हें रोजगार नहीं दिया गया है।

(ग) विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए 140.48 लाख रुपये की राशि उड़ीसा सरकार के सुपुर्द कर दी गई है।

मुक्त व्यापार जोन

2885. श्री वी. एस. विजयराघवन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक देश में कार्यरत मुक्त व्यापार जोनों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ऐसे और जोन स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) देश में कांडला, बम्बई मद्रास, कोचीन, नोएडा तथा फाल्टा में 6 निर्यात संसाधन क्षेत्र कार्य कर रहे हैं। विशाखापत्तनम में सातवें क्षेत्र का कार्य चल रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में निर्यात निष्पादन निम्नानुसार रहा है :—

वर्ष	निर्यात
	(करोड़ रुपए में)
1988-89	516.52
1989-90	732.08
1990-91	982.72

(ग) इस प्रकार के और क्षेत्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले पर उपकर के राजस्व पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण राज्यों को हुई राजस्व की हानि के लिए क्षतिपूर्ति

2886. श्री सत्यदेव चालवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवें वित्त आयोग ने कोयले पर उपकर के राजस्व पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के परिणामस्वरूप राज्यों द्वारा वहन की गयी राजस्व की कमी की क्षतिपूर्ति करने की सिफारिश की थी,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) जी, नहीं।

(ख), और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरदार सरोवर परियोजना हेतु अनिवासी भारतीयों के लिए बांड

2887. श्री सोमजी भाई डामोर :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना हेतु अनिवासी भारतीयों के लिए बांड जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इन बांडों की नामावली और शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इन बांडों को जारी करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश को सहायता

2888. श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वित्तीय संकट से उबरने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय मदद देने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय कर लिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोटदुखे) : (क), (ख) और (ग) अन्य राज्यों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश भी सामान्य केन्द्रीय सहायता, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय करों में हिस्सा, रेलवे यात्री किराए के बदले अनुदान, आयोजना भिन्न राजस्व अन्तराल को पूरा करने सम्बन्धी अनुदान पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन इत्यादि लेने का हकदार है। उपर्युक्त के अलावा, उत्तर प्रदेश को बाह्य सहायता वाले अनपाड़ा "डी" ताप विद्युत परियोजना पर देशीय लागत के 50 प्रतिशत को पूरा करने के लिए 127 करोड़ रुपए का विशेष ऋण स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, केन्द्र ने 1.4.1991 से उपर्युक्त परियोजना के लिए द्विपक्षीय सहायता का 100% राज्य को देने का निर्णय लिया है।

बड़े औद्योगिक घरानों के लिए आर्थिक सहायता

[हिन्दी]

2889. श्री उदय प्रताप सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े औद्योगिक घरानों पर आयकर और उत्पाद शुल्क की भारी रकम बकाया होने के बावजूद उनको विभिन्न मदों के लिए भारी मात्रा में आर्थिक सहायता दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सरकार द्वारा आर्थिक सहायता बुनियादी सामाजिक और आर्थिक तथ्यों के आधार पर दी जाती है। मुख्य आर्थिक सहायता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए गए खाद्य उत्पादों और किसानों को वितरित किए गए उर्वरकों पर दी जाती है। बड़े औद्योगिक घरानों को कोई विशिष्ट आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी ऋण पर ब्याज की माफी

2890. श्रीमती सरोज दुबे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गए ऋण पर ब्याज को माफ करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से कहा है;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1991 तक सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए ऋण पर ब्याज की राशि कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा ब्याज माफ करने हेतु कहने के क्या कारण हैं और

(घ) इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) जी, नहीं।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

काली मिर्च पर उपकर एकत्रित करना

2891. श्री के. मुरलीधरन :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व दो वर्षों के दौरान और वर्ष 1991-92 के दौरान अब तक काली मिर्च पर उपकर के रूप में कितनी धनराशि एकत्र की गई;

(ख) इस राशि का उपयोग किस तरह किया गया और किस तरह करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) काली मिर्च सहित मसालों के निर्यात पर लगने वाले उपकर के रूप में संग्रहित राशि को भारत की संचित निधि में जमा कर दिया जाता है वहाँ से मसाला बोर्ड को सभी मसालों के निर्यात संवर्धन उपायों के लिए तथा देश में इलायची के विकास के लिए निधियां रिलीज की जाती हैं। मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) में दिए गए प्रावधानों के तहत बोर्ड को देश में इलायची के उत्पादन और निर्यात का उत्तरदायित्व दिया गया है। काली मिर्च से प्राप्त निर्यात उपकर की राशि निम्नलिखित है :—

1989-90	0.75 करोड़ रु.
1990-91	0.65 करोड़ रु.
1991-92	0.40 करोड़ रु.

श्रमिक पुनर्वास निधि से महाराष्ट्र को आवंटित की गई धनराशि

2892. श्री मोहन रावले :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा श्रमिक पुनर्वास निधि को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इस धनराशि में से राज्य-वार कपड़ा मिलों को विशेष रूप से महाराष्ट्र को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) वास्तव में श्रमिकों को कितनी धनराशि वितरित की गई ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना के अन्तर्गत 40 करोड़ रुपये (संशोधित प्राक्कलन) की कुल निधि कामगारों को आवंटित की गई है। यह राशि वस्त्र आयुक्त बम्बई को सौंपी जाती है जो कि पात्र मिलों/कामगारों को राशि वितरित करते हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	मिल का नाम	वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि के अन्तर्गत वितरित राशि (करोड़ रु. में) (पूर्णांकित)
1	2	3
	तमिलनाडु	
1.	मैसर्स कावेरी स्पि. मिल्स, कोयम्बतूर	0.42
2.	राधाकृष्ण मिल्स, कोयम्बतूर	1.91
	महाराष्ट्र	
3.	मोडेला टेक्सटाइल इण्ड लि. थाने	1.35
4.	फिनको मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई	0.53
	दिल्ली	
5.	डी. सी. एम. लिमिटेड	7.67
	गुजरात	
6.	बंसीधर मिल्स, अहमदाबाद	1.92
7.	नागरी मिल्स, अहमदाबाद	3.26
8.	पी. बी. टेक्सटाइल्स, बड़ौदा	2.38
9.	श्री यमुना मिल्स, बड़ौदा	2.18
10.	नवीन मिल्स, अहमदाबाद	2.79
11.	भारत सर्वोदय मिल्स अहमदाबाद	2.28
12.	प्रसाद मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद	1.26
13.	अहमदाबाद श्री रामकृष्ण मिल्स लिमिटेड	2.47

1	2	3
14.	अयोध्या स्पि. एण्ड विविंग मिल्स अहमदाबाद	—
15.	न्यू गुजरात सिंथेटिक लिमिटेड, नम्बर—1	0.72
16.	न्यू गुजरात सिंथेटिक लिमिटेड, नम्बर—2	1.39
17.	अहमदाबाद कोमर्शियल मिल्स, अहमदाबाद	—
18.	नवजीवन मिल्स (कलोल)	1.46
19.	कलोल मिल्स (कलोल)	—
20.	ओमेक्स इंवेस्टोर्स, अहमदाबाद	1.34
21.	अयोध्या स्पि. मैन्यू. मिल्स अहमदाबाद	0.41
22.	अहमदाबाद जुबली मिल्स, अहमदाबाद	0.52
	योग	36.26

छावनी बोर्डों में जन प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व

2893. श्री मंदी पेरूलैया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्डों के कार्य-कलापों में संसद सदस्यों और विधायकों को सम्मिलित करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) छावनी अधिनियम, 1924 में छावनी बोर्डों के प्रशासन में संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों की भूमिका का कोई प्रावधान नहीं है। छावनी बोर्डों में स्थानीय जनता के अपने चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं।

सामान्य भविष्य निधि में जमा पर ब्याज की दर

2894. श्री जीवन शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंक व डाकघर में सावधि जमा पर ब्याज की दर बढ़ाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सामान्य भविष्य निधि में जमा पर भी ब्याज दर को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान, बैंकों में सावधि जमा पर ब्याज की दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और डाकघर सावधि जमा पर ब्याज की दरें सरकार द्वारा बढ़ाई गई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) लोक भविष्य निधि की तुलना बैंकों की सावधि जमा से नहीं की जा सकती क्योंकि यह एक सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जिसके अन्तर्गत जमाराशियों की अस्थायी और स्थायी निकासियों के लिये उदार शर्तें हैं। इसके अलावा, लोक भविष्य निधि को आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर लाभ प्राप्त हैं। लोक भविष्य निधि पर ब्याज आयकर से पूर्णरूप से मुक्त है, अभिदाता के कर वर्ग के अनुसार प्रभावी प्राप्ति 12 प्रतिशत की सामान्य दर से काफी अधिक हो जाती है।

विदेशों में संयुक्त उद्यमों की खामियों का अध्ययन

2895. डा. कृपासिन्धु भोई :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों में कार्यान्वित किये गये संयुक्त उद्यमों की कमियों के बारे में "फिक्की" द्वारा किये गये अध्ययन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उन कमियों को दूर करने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) फिक्की द्वारा विदेश में भारतीय संयुक्त उद्यम विषय पर आयोजित कार्यशाला में दिए गए सुझावों का सारांश अनुबंध में दिया गया है।

विदेश में संयुक्त उद्यम/डब्ल्यू. ओ. एस. के लिये दिशा निर्देशों का संशोधन विचाराधीन है।

विवरण

फिक्की द्वारा दिनांक 14.12 1991 को विदेश में भारतीय संयुक्त उद्यम विषय पर आयोजित कार्यशाला के सुझाव।

1. एक ही स्थान पर निपटारा व्यवस्था अपनायी जानी चाहिए।

2. सरकार को विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के वाणिज्यिक आसूचना अनुभाग को गतिशील बनाया जाना चाहिए।

3. सरकार को ऐसे कुछ क्षेत्रों का चयन करना चाहिये जहां पर संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित करने में भारतीय उद्यम सक्षम हैं।

4 भारतीय संयुक्त उद्यमों की सुरक्षा के लिये ईसीजीसी को अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए।

5. निवेश गारंटी हेतु अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता किया जाना चाहिए।

6. फेरा की पुनः समीक्षा किये जाने की जरूरत है।

7. भारतीय संयुक्त उद्यमों को कुशल तथा तकनीकी लोगों की सेवाओं का पूर्ण उपयोग करना चाहिए।

8. अन्तःसामूहिक लाभांशों के अन्तरण की अनुमति दी जानी चाहिये।

अतिरिक्त सुझाव

(क) भारतीय उद्योग की सम्मिलित उपस्थित की विशेषकर साफ्टवेयर क्षेत्र में जरूरत है।

(ख) संयुक्त उद्यमों के दैनिक प्रबंधन में स्थानीय सरकारी हस्तक्षेप का सरकारी स्तर पर वर्गीकरण किया जाना चाहिए।

(ग) बैंक गारंटी और ऋण सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए।

(घ) लाभांशों के देश-प्रत्यावर्तन प्रोत्साहन दिये जाने चाहिए।

(ङ) संयुक्त उद्यम कंपनी में नियुक्त भारतीयों को 80 आर. आर. ए. के अन्तर्गत कर में छूट दी जानी चाहिए।

(च) निर्माण सेवाएं प्रदान करने वाले संयुक्त उद्यमों के लिये इक्विटी हेतु प्लान्ट और मशीनरी के निर्यात का आग्रह नहीं किया जाना चाहिए।

वेतनमानों में संशोधन

2896. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने का है जो कि रु. 1400-2300 से रु. 1640-2900 में कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उनके वेतनमानों में संशोधन कब तक किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 44 का बाई-पास

2897. श्री पीटर जी मारबनियांग :

क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिलांग और जोवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 44 का एक बाई-पास का निर्माण करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) इस योजना में कुल कितना व्यय होगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी हां । शिलांग बाईपास (26.5 कि.मी. लम्बा) तथा जोवाई बाईपास (10.70 कि मी. लम्बा) के लिए भू-अधिग्रहण को स्वीकृति हेतु वार्षिक योजना 1991-92 में शामिल किया गया है ।

(ग) इन बाईपासों के भू-अधिगृहीत कर लेने के पश्चात ही इनके निर्माण पर विचार किया जाएगा । इसलिये इन पर होने वाले कुल व्यय के ब्योरे देना अभी संभव नहीं है ।

वल्लारपुरम आयल टैंकर बर्थ को प्राइवेट पार्टी को सौंपना

2898. श्री रमेश चेन्नितला :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन स्थित "वल्लारपुरम आयल टैंकर बर्थ" को प्राइवेट पार्टी को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पार्टी को किन शर्तों पर यह टैंकर बर्थ दिये जाने का विचार है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं । वल्लारपदम में किसी तेल टर्मिनल का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गंगा के पुलों का निर्माण

2899. श्रीमती कृष्णा साही :

श्री ब्रह्मानन्द मण्डल :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिद्वार से बंगाल की खाड़ी तक गंगा नदी पर पुलों के निर्माण के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) अब तक गंगा नदी पर कितने पुल बनाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने आठवीं योजना के मास्टर प्लान में फरक्का राष्ट्रीय राजमार्ग (सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, बक्सर, आरा, पटना, मुंगेर, भागलपुर और शिवगंज से होते हुए) को शामिल करने के लिये राष्ट्रीय परिवहन विकास परिषद की सिफारिशों को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अंतर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व के कार्यक्रम के अंतर्गत मुंगेर में गंगा नदी पर पुल निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देने का है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) संवैधानिक दृष्टि से भारत सरकार का सम्बन्ध मूलत: राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों से ही है। हरिद्वार से बंगाल की खाड़ी तक गंगा नदी पर पुलों के निर्माण के संबंध में सरकार की नीति यह है कि ऐसे सभी स्थानों पर उच्च स्तरीय पुल बनाए जाएंगे जहां राष्ट्रीय राजमार्ग गंगा नदी को पार करते हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर गंगा नदी पर केन्द्र सरकार द्वारा अब तक बनाए गए पुलों की कुल संख्या छह है।

(ग) सुल्तानपुर-जौनपुर सड़क पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग-56 का भाग है। आठवीं योजना को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किये जाने के सम्बन्ध में कोई अन्य निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रबड़ के जूतों का निर्यात

2900. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ के जूतों का निर्यात बढ़ाने की काफी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या नीतियां अपनाई गई हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रबड़ के जूतों के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) तथा (ख) जी हां। पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न देशों को रबड़ के जूतों का निर्यात बढ़ाने की अच्छी गुंजाइश है।

सरकार ने उद्योग के लिए सीमाशुल्क की रियायती दर पर अत्याधुनिक संयंत्र एवं उपस्कर आयात करने की अनुमति दे दी है, ताकि वे विदेशी-बाजारों विशेषरूप से पाश्चमी यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की विनिर्दिष्टियों और मांगों के अनुसार आधुनिक रबड़ के जूते बनाने के लिए अपने उत्पादन आधार का आधुनिकीकरण कर सकें और अपनी प्रौद्योगिकी को उन्नत बना सकें। रबड़ के जूतों खेल कूद के जूतो के विनिर्माता-निर्यातक कच्चे माल और संघटकों की सप्लाई के लिए चालू आयात-निर्यात नीति के तहत डीईईसी योजना का लाभ उठा सकते हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रबड़ के जूतों के लिए कोई विशिष्ट निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

वारंगल में तोप कारखाना

2901. श्री धर्मभिक्षम :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश के वारंगल जिले में तोप कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इस कारखाने पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और इसका अनुमानित उत्पादन कितना होगा ?

पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रक्षेपणास्त्र चेतावनी उपग्रह

2902. श्री गोविन्दराम मिश्राम :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में प्रक्षेपणास्त्र चेतावनी उपग्रह विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में हथकरघा क्षेत्र को सहायता

2903. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

श्री मुख्तार अन्सारी :

श्री ललित उरांव :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1990 से आज तक बिहार को कितना अनुदान दिया गया है;

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 (जनवरी, 1992 तक के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार में बुनकरों के लिए उपलब्ध कराई गई कच्चे माल, वित्त और विपणन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान बुनकरों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बिहार में बुनकरों के लिए कोई नयी कल्याण योजना शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) बिहार राज्य को 1990-91 के दौरान हथकरघा विकास परियोजनाओं के लिए 8.32 लाख रुपये, शीर्ष समितियों का अंश पूंजी सहायता के लिए 5 लाख रुपये, प्रोसेसिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए 23.61 लाख रुपये और जनता सब्सिडी के लिए 409.54 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई। चालू वर्ष के दौरान जनता सब्सिडी के लिए 158.14 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

(ख) देश के समूचे हथकरघा बुनकर अपने कच्चे माल की आपूर्ति और विपणन आवश्यकता के लिए इस सहायता का प्रयोग कर सकते हैं। इस समय चालू योजनाओं में जनता कपड़ा योजना प्राथमिक समितियों को विपणन विकास सहायता योजना और निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी योजना शामिल है। जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत सूती कपड़े पर 3.40 प्रति वर्ग मीटर की दर से सब्सिडी दी जाती है विपणन विकास सहायता योजना के अन्तर्गत हथकरघा संगठनों को उनके कार्यों के आधार पर सहायता दी जाती है। यह सहायता संबंधित हथकरघा संगठनों की विपणन और अवस्थापना सुविधाओं में सुधार करने के लिए प्रयोग की जाती है। प्राथमिक समितियों को अंशपूंजी सहायता कच्चे माल आदि की खरीद के लिए कार्यशील पूंजी में वृद्धि करने में सहायता देती है। इसी प्रकार निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी भी बुनकरों की कार्यशील पूंजी में

वृद्धि करने के लिए सहयोग देती है। 1990-91 में भागलपुर के दंगा प्रभावित बुनकरों की सहायता देने के लिए एक विशेष पैकेज योजना आरम्भ की गई। बिहार राज्य को गत 3 वर्षों में दी गई सहायता का ब्योरा इस प्रकार है :

1989-90	902.20 लाख रुपये
1990-91	545.45 लाख रुपये
1991-92	158.18 लाख रुपए

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) व (च) थ्रिफ्ट फंड योजना और कार्यशाला-सह-आवास योजना में संशोधन किया गया है। संशोधित थ्रिफ्ट फंड योजना में सहकारी क्षेत्र से बाहर के बुनकरों को शामिल किया गया है और भागीदारी के लिए अर्जित भत्तों के 12% से बढ़ाकर अर्जित भत्तों का 16% कर दिया गया है। इसमें से 8 प्रतिशत बुनकरों द्वारा, 4 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा और 4 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। कार्यशाला-सह-आवास योजना के अन्तर्गत इकाई मूल्य के पैमाने में संशोधन किया गया है और विद्युतिकरण के प्रावधान और भूमि मूल्य को भी शामिल किया गया है। ये योजनाएं बिहार राज्य सहित पूरे देश में लागू हैं।'

[अनुवाद]

चीन को निर्यात

2904. डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान चीन को किन उत्पादों का निर्यात किया गया और रुपये में इनका मूल्य कितना था;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान चीन से किन उत्पादों का आयात किया गया और रुपये में इनका मूल्य कितना था;

(ग) क्या चीन के प्रधान मंत्री की हाल की यात्रा के बाद से चीन को किये जाने वाले निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान चीन को जिन मदों का निर्यात किया गया, उनमें प्रमुख हैं :

	मूल्य (करोड़ रु. में)
1. संसाधित खनिज	9.38

2. लौह अयस्क	2.10
3. अयस्क तथा खनिज (लौह अयस्क तथा संसाधित खनिजों को छोड़कर)	4.26
4. तम्बाकू (अनिर्मित)	3.21
5. अन्य वस्तुएं	13.60
	32.55

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान निम्नलिखित मदों का आयात किया गया, उनमें शामिल हैं।

	मूल्य (करोड़ रु. में)
1. कोयला, कोक	17.56
2. अपरिष्कृत रेशम	12.01
3. खनिज	5.73
4. कार्बनिक रसायन	3.66
5. वस्त्र यार्न, फैब्रिक्स, तैयार वस्तुएं	2.70
6. प्लास्टिक रेजिन, प्लास्टिक सामग्री आदि	2.11
7. अकार्बनिक रसायन	1.43
8. औषधीय तथा भेषजीय उत्पाद	1.30
9. लुग्दी तथा रद्दी कागज	1.17
10. मोती, कीमती तथा अर्द्धकीमती रत्न	1.12
11. अन्य	14.83
	63.62

(ग) इस दौर के दौरान चीन पक्ष के साथ व्यापार से संबंधित वार्ताएं परस्पर सहयोग के वातावरण में हुई थीं। अतः यह आशा की जाती है कि व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए बहुत गुंजाइश होगी।

(घ) चीन के प्रधानमन्त्री के दौरे के दौरान कलैंडर वर्ष 1992 के लिए व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें दोनों पक्षों की रुचि की निर्यात और आयात मदों को अभिज्ञात किया गया है और इसमें सांद्रणों तथा क्रोम अयस्क सहित लौह अयस्क के निर्यात की मात्रा में वृद्धि करने की परिकल्पना है।

राष्ट्रीय विकास कोष के लिए विश्व बैंक से सहायता

2905. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में राष्ट्रीय विकास कोष के लिए अन्शदान देने का कोई आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक ने इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में विश्व बैंक द्वारा लगायी गयी शर्तों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

निर्यात उपलब्धियां

2906. श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुद्रा-अवमूल्यन के पश्चात व्यापार में वृद्धि (डालरों में) बिल्कुल भी सन्तोषजनक नहीं रही है ;

(ख) यदि हां, तो जुलाई-दिसम्बर, 1991 के दौरान वस्तुत: कितना निर्यात किया गया (डालरों में) और यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कितना बढ़ा;

(ग) इस कम निर्यात उपलब्धियों के क्या कारण है; और

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान किस वस्तु के व्यापार में घाटे की (डालरों में) सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) विदेश व्यापार आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर संकलित किए जाते हैं। अनन्तिम अनुमानों के अनुसार सामान्य मुद्रा क्षेत्र (जी. सी. ए.) को अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान भारत के निर्यात 11310 मिलियन अमरीकी डालर के हुए जबकि अप्रैल-दिसम्बर, 1990 के दौरान यह निर्यात 10636 मिलियन अमरीकी डालर के हुए थे, इस प्रकार इनमें 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रुपये के रूप में जी. सी. ए. निर्यात में 44.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान रुपया भुगतान क्षेत्र (आर पी ए) को भारत के निर्यात 1333 मिलियन अमरीकी डालर के हुए जब कि अप्रैल-दिसम्बर,

1990 के दौरान यह निर्यात 2494 मिलियन अमरीकी डालर के हुए थे। इस प्रकार इसमें 46.5 प्रतिशत की कमी आई। रुपया के रूप में आर. पी. ए. निर्यातों में 27.4 प्रतिशत की गिरावट आई। आर. पी. ए. देशों को निर्यात में गिरावट के मुख्य कारण बाहय हैं और इसमें पूर्ववर्ती सोवियत संघ में हुए राजनीतिक परिवर्तन भी शामिल हैं। अन्य कारक जिन्होंने निर्यात वृद्धि को प्रभावित किया उनमें शामिल हैं विश्व अर्थव्यवस्था में गिरावट और प्रमुख विकसित देशों में मंदी, अपरिहार्य आयात दबाव और निर्यात ऋण की उच्च दर।

(ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान 1628 मिलियन अमरीकी डालर का व्यापार घाटा हुआ जो अप्रैल-दिसम्बर, 1990 के 4832 मिलियन अमरीकी डालर के व्यापार घाटे की तुलना में कम है। वित्तीय वर्ष 1991-92 की समाप्ति पर व्यापार घाटे का इस समय अनुमान लगाना मुश्किल है। फिर भी मौजूदा निष्पादन के आधार पर ऐसी आशा की जाती है कि यह व्यापार वित्त वर्ष 1990-91 के दौरान हुए 5932 मिलियन अमरीकी डालर के व्यापार घाटे से काफी कम होगा।

[हिन्दी]

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व रोजगार के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवकों को ऋण

2907. श्री रामपूजन पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवकों को कितनी राशि के ऋण दिए गए; और

(ख) इनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवकों को संख्या कितने प्रतिशत है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व रोजगार योजना के अन्तर्गत हिताधिकारियों को मंजूर किये गए ऋणों की राशियों और उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत निम्नानुसार है :—

वर्ष	हिताधिकारियों को मंजूर की गई ऋण राशि (रुपये लाख में)	कुल हिताधिकारियों की कुल संख्या की तुलना में अ. जा./अ. ज. जा. हिताधिकारियों का प्रतिशत
1988-89	40460.61	8.88
1989-90	22481.04	10.78
1990-91	22097.07	11.76

[अनुवाद]

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए पृथक नौवहन निगम की स्थापना

2908. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए द्वीपसमूह-मुख्य भूमि और अन्तर-द्वीपसमूह के लिए जलपोतों का संचालन करने हेतु एक पृथक नौवहन निगम बनाने को अपनी सहमति दे दी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) अण्डमान और निकोबार प्रशासन से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जापान द्वारा निवेश

2909. श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत में निवेश करने के लिए किए गए अपने समझौते में ये शर्तें रखी हैं कि भारत अपने यहां कड़े व्यावसायिक सुधार लागू करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि और रोजगार आदि की समस्या पर इन शर्तों के प्रभाव का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और

(ङ) उक्त निवेश किन-किन क्षेत्रों में करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

कृषि और औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात

2910. श्री के. प्रधानी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए कृषि और औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के दौरान किन-किन वस्तुओं का किन-किन देशों को निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार का उन सभी देशों को हमारे निर्यात की वस्तुओं का निर्यात जारी रखने का प्रस्ताव है, जिन्हें हम इस समय निर्यात कर रहे हैं। मोटे तौर पर ये कृषि उत्पाद हैं जैसेकि अनाज, तम्बाकू, मसाले, काजू की गिरी आयलमील, संसाधित खाद्य, समुद्री उत्पाद अयस्क तथा खनिज, चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुएं, रत्न तथा आभूषण, खेल का सामान, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, इन्जीनियरी सामान, इलक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर, साफ्टवेयर, वस्त्र, हस्तशिल्प, कालीन, पेट्रोलियम उत्पाद आदि हैं। हमारे प्रमुख बाजारों में संयुक्त राज्य अमरीका, यू. के. बेल्जियम, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, इटली, नीदरलैंड, आस्ट्रेलिया, ईरान, जापान, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, हांगकांग, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।

विस्कोस फाइबर का मूल्य

2911. श्री कड़िया मुण्डा :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में उत्पादित विस्कोस फाइबर की कीमत पर नियन्त्रण लगाने का है ताकि लघु कुटीर उद्योग अपने हथकरघा कारोबार चला सकें;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस समय विदेश से आयातित विस्कोस फाइबर के मूल्य की तुलना में भारत में उत्पादित विस्कोस फाइबर का मूल्य कितना कम अथवा अधिक है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले को औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को सौंपने का है जिससे विस्कोस फाइबर के मूल्य का नए निर्धारण किया जा सके ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) (क) देश में ही उत्पादित विस्कोस स्टेपल फाइबर की कीमत का नियन्त्रित करने के बारे में फिलहाल सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) सामान्य मूल्य स्तर की वृद्धि की तुलना में विस्कोस स्टेपल फाइबर के मूल्यों में अत्यधिक या बेहताशा वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए मूल्य नियन्त्रण के लिए सरकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) इस मामले को औद्योगिक लागत एवं मूल्यन ब्यूरो को पहले ही भेजा जा चुका है।

विवरण

अवधि	स्वदेशी	विस्कोस स्टेपल फाइबर के मूल्य विदेश डालर प्रति किलोग्राम	(रु. कि.ग्रा. में) रु. प्रति कि.ग्रा.
अप्रैल, 91	44.29	2.23	41.50
मई, 91	44.29	2.23	43.54
जून, 91	44.29	2.22	52.36
जुलाई, 91	44.29	2.36	55.45
अगस्त, 91	44.83	2.38	55.96
सितंबर, 91	44.83	3.35	55.76
अक्तूबर, 91	44.83	2.36	55.06
नवंबर, 91	44.83	2.37	56.36

वस्तु बोर्ड

2912. प्रो. सुदर्शन रायचौधरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वस्तु बोर्डों का कार्य सम्बन्धित उद्योगों को सौंप देने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में कानूनी सहायता योजना के लिए आवंटित धनराशि

[हिन्दी]

2913. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कानूनी सहायता योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस योजना से कितने व्यक्ति जिलेवार लाभान्वित हुए हैं ;

(ग) क्या यह योजना राज्य में असफल रही रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

लोकसभा कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार और विधिक सहायता (स्कीम कार्यान्वयन समिति) द्वारा वित्तीय वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश में विधिक सहायता स्कीम चलाने के लिए आवंटित रकम निम्नलिखित है :—

वित्तीय वर्ष	उ. प्र. सरकार द्वारा बजट आवंटन	विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा विशेष अनुदान
1988-89	29,78,000	कुछ नहीं
1989-90	50,35,000	1,00,000
1990-91	48,55,000	1,00,000

(ख) वित्तीय वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश विधिक सहायता और सलाह स्कीम से 9,60,212 व्यक्तियों को फायदा पहुंचा। सदन के पटल पर रखे गए विवरण में जिलावार ब्यौरे दिए गए है।

(ग) जी नहीं।

(घ) भाग (ग) के उत्तर के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष 1988-89	वित्तीय वर्ष 1989-90	वित्तीय वर्ष 1990-91	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आगरा	2,162	4,165	1	6,328
2.	अलीगढ़	2,694	3,884	2,560	9,138
3.	इलाहाबाद	5,262	10,482	4	15,748
4.	अल्मोड़ा	592	334	395	1,321
5.	आजमगढ़	7,188	4,711	6,271	18,170
6.	बदायूं	7,126	3,728	4,394	15,248
7.	बहराइच	8,089	5,798	7,791	21,678
8.	बलिया	111	4,790	4,511	9,412

1	2	3	4	5	6
9.	बांदा	5,181	2,449	4,623	12,235
10.	बाराबंकी	3,095	3,935	4,479	11,509
11.	बरेली	8,152	4,211	4,243	16,606
12.	बस्ती	3,[illegible]41	2,447	4,427	10,515
13.	बिजनौर	323	2,444	4,043	6,810
14.	बुलंदशहर	4,001	3,148	4,635	11,794
15.	चमोली	861	583	443	1,887
16.	देहरादून	616	1,094	3,788	5,488
17.	देवरिया	6,965	19,812	11,180	37,957
18.	एटा	2,983	1,486	1,014	5,483
19.	इटावा	9,905	13,520	6,653	30,078
20.	फैजाबाद	18,551	16,611	5,911	41,073
21.	फरूखाबाद	9,407	8,446	10,481	23,334
22.	फतेहपुर	17,735	17,769	10,145	45,649
23.	गाजियाबाद	833	536	614	1,983
24.	गाजीपुर	21,718	16,932	11,390	50,040
25.	गोंडा	6,921	5,609	5,120	17,650
26.	गोरखपुर	4,674	12,457	9,588	26,719
27.	हमीरपुर	3,020	2,776	3,524	9,320
28.	हरदोई	16,211	1,4896	16,384	47,491
29.	जालौन	2,231	2,205	9	4,545
30.	झांसी	3,097	5,387	5,850	14,334
31.	जौनपुर	2,355	7,042	32,562	41,959
32.	कानपुर (न)	297	12,396	11,997	24,690
33.	कानपुर (दे)	3,976	3,478	3,878	11,332
34.	खीरी लखीमपुर	5,301	8,254	7,640	21,195
35.	ललितपुर	3,358	2,453	1,357	7,208
36.	लखनऊ	15,178	7,178	18,665	41,721

1	2	3	4	4	6
37.	मैनपुरी	2,699	2,322	2,526	7,647
38.	मथुरा	1,444	527	—	1,971
39.	मेरठ	5,482	11,130	2,136	18,748
40.	मिर्जापुर	5,002	3,440	4,886	13,328
41.	मुरादाबाद	2,702	2,223	2,576	7,501
42.	मुजफ्फर नगर	1,282	5,558	5,440	12,280
43.	नैनीताल	1,738	2,291	2,444	6,473
44.	पौड़ी गढ़वाल	752	90	237	1,079
45.	पीलीभीत	3,630	3,636	1,189	8,455
46.	पिथौरागढ़	1,000	21	989	2,010
47.	प्रतापगढ़	1,677	5,349	7,147	14,173
48.	रायबरेली	6,813	10,301	18,524	35,638
49.	सहारनपुर	5,387	3,213	2,966	11,566
50.	सुल्तानपुर	8,495	13,118	6,613	28,226
51.	शाहजहांपुर	4,747	3,999	4,489	13,235
52.	सीतापुर	3,534	4,226	3,940	11,700
53.	रामपुर	4,257	9,444	3,197	16,898
54.	टिहरी गढ़वाल	1,336	1,144	1,103	3,583
55.	उन्नाव	5,013	7,357	14,489	26,859
56.	उत्तरकाशी	301	36	590	927
57.	वाराणसी	4,675	10,242	13,387	28,304
58.	इलाहाबाद	38	60	6	104
59.	लखनऊ	30	14	146	190
60.	हरिद्वार			721	721
61.	सोनभद्र			2,382	2,382
62.	फिरोजाबाद	नए बनाए गए जिले।		935	935
63.	सिद्धार्थ नगर			2,618	2,918
64.	मऊनाथ			—	—
	योग	2,85,533	3,38,382	3,36,297	9,60,212

कर्नाटक उच्च न्यायालय में लंबित मामले

[अनुवाद]

2914. श्री जी. माडे गौडा :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक उच्च न्यायालय में 1 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार कितने मामले लंबित थे;

(ख) 1 जनवरी, 1991 से दिसंबर, 1991 के अन्त तक कर्नाटक उच्च न्यायालय में कितने मामले रिट याचिकाएं दायर की गई; और

(ग) 1 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार कितनी रिट याचिकाएं और अन्य मामले निपटाए गए ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) 99067

(ख) रिट अर्जियां	—	29395
अन्य मामले	—	34923
(ग) रिट अर्जियां	—	23689
अन्य मामले	—	29385

आयुध कारखानों में नई प्रौद्योगिकी अपनाना

2915. श्री प्रताप राव बी. भोंसले :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अत्याधुनिक हथियार और गोला-बारूद बनाने के लिए आयुध कारखानों में नई रक्षा प्रौद्योगिकी अपनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कुछ नए कारखाने भी स्थापित किये जायेंगे;

(घ) यदि हां, तो ये कारखाने कहां-कहां लगाए जायेंगे;

(ङ) क्या इन परिवर्तनों से नई चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकता है; और

(च) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) आयुध कारखाने नई डिजाईन की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके शस्त्रों एवं गोला-बारूद की कुछ नई मदों के उत्पादन की प्रक्रिया में हैं।

(ख) उसका विवरण बताना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) देश में नया आयुध कारखाना लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एवं (च) नई मदों के निर्माण की योजना बनाते समय भावी चुनौतियों को ध्यान में रखा जाता है।

दिल्ली में पकड़े गए स्वापक पदार्थ

2917. श्री तारे लाल यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान पकड़े गए प्रत्येक स्वापक औषध का मूल्य कितना है; और

(ख) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिल्ली में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पिछले तीन महीनों के दौरान पकड़े गए नशीले पदार्थों की मात्रा निम्न प्रकार है :—

नशीले पदार्थ का नाम	(अनन्तिम) (पकड़ी गई मात्रा किलोग्राम में)		
	दिसम्बर 1991	जनवरी 1991	फरवरी 1992
चरस	29.292	30.355	—
अफीम	1.460	1.813	—
हेरोइन	0 609	1.303	2.818
गांजा	10.000	19.500	—

नशीले पदार्थ, जो प्रायः अनिर्धारित मात्रा तथा मिश्रण के होते हैं और नष्ट किये जाने योग्य होते हैं, का सही मूल्यांकन संभव नहीं है।

(ख) 134 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। अपराधियों के विरुद्ध संगत कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

कर्नाटक में रेशम कीट पालन का विकास

2918. श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में रेशम कीट पालन का विकास करने के लिए केंद्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को रेशम को आयात न करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है क्योंकि इससे राज्य में किसानों के हित पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) पेब्राइन रोग फैलने, जिससे देश में रेशम का उत्पादन एवं मूल्य प्रभावित हुए थे, के सन्दर्भ में सरकार ने हाल ही में 200 मीट्रिक टन रेशम आयात करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय की समीक्षा करने के बारे में कर्नाटक सरकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है। सरकार द्वारा प्रायोजित कर्नाटक के कुछ संगठनों ने आयातित रेशम के आबंटन के बारे में केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सम्पर्क किया है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में सुधार

2919. श्री के. प्रोधका राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों, बुनकरों, आदि को समय पर ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कार्यकरण में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक किसानों, बुनकरों आदि को सहायता प्रदान करने के लिए पात्र बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कार्यकरण में बदलाव लाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विभिन्न क्षेत्रों द्वारा कपास और वस्त्रों का उत्पादन

2920. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघों और विद्युतकरघों सहित वर्ष 1990-91 के दौरान देश में कपास के साथ ही साथ मिश्रित वस्त्र का कुल उत्पादन और वर्ष 1991-92 के लिये अनुमानित उत्पादन क्या है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कुल आयात और निर्यात और 1991-92 के लिए अनुमानित आयात और निर्यात क्या हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों की तुलना में 1991 में ऐसे वस्त्रों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में क्या परिवर्तन आए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) इस अवधि के दौरान देश में कपड़े (सूती, मानव निर्मित तथा ब्लेंडिड) का कुल उत्पादन निम्नोक्त अनुसार है :—

(मिलियन वर्ग मीटर में)

क्षेत्र	1990-91	1991-92 (अनुमानित)
मिल क्षेत्र	2,720	2,544
विद्युतकरघा क्षेत्र	10,988	12,955
(होजरी)	1,758	1,783
हथकरघा क्षेत्र	4,888	4,967
योग :	20,354	22,249

(ख) इस अवधि के दौरान विभिन्न वस्त्र मदों के निर्यात और आयात निम्नोक्त अनुसार है :—

(करोड़ रु. में)

वर्ष	निर्यात	आयात
1990-91	8361.77	787.64
1991-92 (अनुमानित)	111.67	693.00

(ग) वर्ष 1991-92 में कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 18.22 मिलियन मीटर होने की संभावना है जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 में यह क्रमशः 17.75, 17.32 तथा 18.21 थी।

कपास की मांग

2921 श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिल क्षेत्र, विद्युत करघा क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र में से प्रत्येक क्षेत्र की कपास की कुल मांग कितनी है और उनके लिए आयातित कपास की कितनी-कितनी मात्रा निश्चित की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : कपास सलाहकार बोर्ड ने 14 मार्च,

वरी, 1992 को हुई अपनी बैठक में वर्ष 1991-92 के कपास मौसम के दौरान कपास की मिल खपत 106.25 लाख गांठ तथा गैर मिल खपत 8 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है। कपास के आयात के लिए आवश्यकताओं का निर्धारण किया जा रहा है।

बैंकों के एक स्थान पर और दूरदराज के स्थानों पर स्थित कार्यालय

2922. श्री बलराज पासी :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्रीमती रीता वर्मा :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान एक स्थान पर और दूरदराज के स्थानों पर स्थित कार्यालयों के सरकारी क्षेत्रों के बैंकों की संख्या क्या है ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान, इन कार्यालय के द्वारा दी गई सहायता की राज्य-वार राशि क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कोई क्लस्टर/सेटलाईट कार्यालय नहीं खोला है। ग्रामीण ऋणों के सन्दर्भ में, सेवा क्षेत्र योजना को अपनाने के बाद और 15 से 25 गांवों को प्रति शाखा आबंटित करने के बाद क्लस्टर या सेटलाईट कार्यालय की भूमिका कम हो गई है क्योंकि संबंधित शाखा सीधे ही अपने ग्राहकों से सम्पर्क कर सकती है।

कर्नाटक में राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण-जमाराशि अनुपात

2923. श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में बैंक ऋणों के वितरण में क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी

में है। वाणिज्यिक बैंकों का राज्य-वार ऋण जमा अनुपात को दर्शाने वाला विवरण अनुबन्ध में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि कर्नाटक राज्य के लिए ऋण जमा अनुपात अखिल भारत औसत की अपेक्षा अधिक है। बैंकों द्वारा स्थानीय तौर पर जुटाए गए स्रोतों के वृहत्तर वितरण के लिए सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक को राज्यों से विभिन्न स्तरों पर सुझाव प्राप्त हुए हैं। किसी खास क्षेत्र में ऋण का उपलब्ध कराया जाना, आर्थिक क्रिया-कलापों, उद्यमवृत्ति, कच्चे माल की उपलब्धता और अन्य मूलभूत सुविधाओं, निवेश अवसरों और उक्त क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति जैसे मुद्दों पर निर्भर करता है। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है कि ऋण के वितरण में विभिन्न राज्यों के बीच विस्तृत क्षेत्रीय असमानता को कम किया जाए और विभिन्न क्षेत्रों में सभी उत्पादक और पहचान किए गए अर्थक्षम प्रस्तावों के लिए ऋण के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं।

विवरण

मार्च 1990 और मार्च 1991 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों का राज्य-वार ऋण-जमा अनुपात

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च 1990 ऋण जमा अनु. (%)	मार्च 1991 ऋण-जमा अनु. (%)
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र	54.8	63.6
हरियाणा	61.2	90.3
हिमाचल प्रदेश	38.6	37.4
जम्मू व कश्मीर	31.8	48.7
पंजाब	45.5	44.8
राजस्थान	62.2	56.5
चण्डीगढ़	65.5	82.2
दिल्ली	58.6	78.6
उत्तरी क्षेत्र	51.7	45.6
अरुणाचल प्रदेश	20.1	16.4
असम	55.5	51.2
मणिपुर	69.9	65.4
मेघालय	24.6	30.1
मिजोरम	34.2	[illegible].1

1	2	3
नागालैंड	42 6	38.5
त्रिपुरा	72.2	58.4
पूर्वी क्षेत्र	52.6	51.8
बिहार	40.0	39.6
उड़ीसा	81.3	76.5
सिक्किम	28.3	18.3
पश्चिम बंगाल	54.9	54.5
अंडमान व निकोबार	35.1	34.3
केन्द्रीय क्षेत्र	52.8	51.6
मध्य प्रदेश	68.6	67.1
उत्तर प्रदेश	47.0	45.8
पश्चिमी क्षेत्र	74.0	71.4
गोवा	31.9	33.2
गुजरात	61.3	59.7
महाराष्ट्र	79.7	76.3
दादरा व नागर हवेली	55.5	51.7
दमन और दीव	22.4	23.4
दक्षिणी क्षेत्र	87.4	84.5
आन्ध्र प्रदेश	87.1	82.6
कर्नाटक	91.0	85.7
केरल	64.4	59.1
तमिलनाडु	99.4	100.1
लक्षद्वीप	16.2	16.9
पांडिचेरी	57.4	55.1
अखिल भारत	65.8	66.2

साहुवरा ऊपरि पुल का निर्माण

2924. श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या पूर्वी दिल्ली के आठवीं लेन के शाहदरा ऊपरि पुल के डिजायन में परिवर्तन करने से परियोजना की लागत कम से कम 12 करोड़ रुपए बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो डिजायन में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं;

(ग) ऊपरि पुल के कब तक पूरा होने की संभावना है और

(घ) रेलवे लाइन जिस पर शाहदरा ऊपरि पुल का निर्माण किया जा रहा है पैदल चलने वालों के लिए दो मुख्य भूमि गत पैदल पार पथ का निर्माण कब तक किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम, जो इस परियोजना को कार्यान्वित करने वाला प्राधिकरण है, से प्राप्त सूचना के अनुसार फ्लाई ओवर के डिजाइन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और इसके फलस्वरूप इस कारण लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तथापि मूल्यवृद्धि तथा अन्य घटकों का ध्यान में रखते हुए दिल्ली नगर निगम, लागत प्राक्कलन को संशोधित कर रहा है।

(ग) फ्लाई ओवर की अक्तूबर, 93 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है बशर्ते भूमि उपलब्ध हो जाए जिसका दिल्ली नगर निगम द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है।

(घ) दिल्ली नगर निगम के अनुसार भूमि अधिग्रहण के बाद दो पैदल पारपथों (सबवेज) का निर्माण किया जाएगा और मुख्य फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाएगा।

पांच रुपए के सिक्के को ढालना

2925. श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांच रुपए के सिक्के को ढालने के लिए स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो सिक्के के भार और परिधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान एक रुपया, पचास पैसे, बीस पैसे और दस पैसे के सिक्कों का क्रमश: भार और परिधि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 5/-रुपए का नया सिक्का क्युप्रो-निकल मिश्र-धातु का होगा इसका व्यास 23 मिली मीटर, गोलाकार, किनारे दांतेदार और सुरक्षात्मक तथा भार 8 ग्राम होगा।

(ग) इस समय ढाले जा रहे एक रुपए 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों से सम्बद्ध ब्यौरे निम्न प्रकार है :—

मूल्य वर्ग	भार (ग्राम में)	व्यास (मि.मी. में)	धात्विक संरचना
1	2	3	4
1 रुपए	6.00	26	क्युप्रो-निकल

1	2	3	4
50 पैसे	3.79	22	स्टेनलैसस्टील
25 पैसे	2.83	19	—वही—
10 पैसे	1.75	23 (चार-पार्श्व मकाकार)	एल्यूमीनियम मैगनेशियम
—वही	2.00	16	स्टेनलैस स्टील

समुद्र नियंत्रण जहाज का अधिग्रहण

2926. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आई. एन. एस. विक्रांत के स्थान अत्याधुनिक समुद्र नियंत्रण जहाज लेने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो अधिग्रहण किए जाने वाले नये जहाज का ब्यौरा क्या है और इसकी कितनी लागत है; और

(ग) नया जहाज लेने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गये हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) भारतीय नौसेना के लिए भारतीय नौसेना पोत विक्रांत के स्थान पर समुद्री नियन्त्रण पोत प्राप्त करने के संबंध में निर्णय नहीं लिया गया है ।

भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों को सामान की अधिक आपूर्ति

2927. श्री आर्थर फर्नान्डीज :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों को सामान की अधिक आपूर्ति को रोकने और वर्तमान बाजार शेयर समाप्त होने की संभावना को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ख) क्या निर्यात व्यापार घरानों को प्रत्येक गणराज्यों के प्रति-व्यापार करने की भी अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो निर्यात का कुल मूल्य और मात्रा की निगरानी के लिए सभी निर्यात सौदों को पंजीकृत करने हेतु क्या प्रणाली शुरू करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारत ने रूस तथा उजबेकिस्तान की सरकारों के साथ व्यापार लेखों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें संतुलित आधार पर

तुरफा व्यापार की व्यवस्था है, जिसकी निकासी अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में की जाएगी। जहां जरूरी है वहां पर तकनीकी ऋण के संबंध में अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है, ताकि भारतीय निर्यात इन देशों से होने वाले आयातों से पिछड़ न जाए। इसके अतिरिक्त भारतीय निर्यातकों को भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों में अपने बाजार बनाए रखने तथा उन्हें बढ़ाने की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए इन संबंधों में वास्तविक तथा विधिमान्य व्यक्तियों को वस्तु विनिमय, परस्पर व्यापार तथा दुर्लभ मुद्रा में भुगतान करने के आधार पर व्यापार करने की भी अनुमति है। ऐसी आशा है कि अन्य गणराज्यों के साथ निकट भविष्य में व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

2928. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की जांच करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले लेखा परीक्षक/परीक्षकों को नामित करने में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की भूमिका को कम करने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लेखापरीक्षकों को नामित करने में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की भूमिका कम करने के संबंध में क्या तर्काधार है; और

(ग) वर्तमान प्रक्रिया की अपेक्षा इसमें कितना सुधार होने की सम्भावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भुगतान संतुलन समिति

[हिन्दी]

2929. श्री बारे लाल जाटव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान ऋण के ढांचे की जांच हेतु स्थापित की गई भुगतान संतुलन कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कमेटी की सिफारिशों का विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त कमेटी अपनी रिपोर्ट (प्रतिवेदन) कब तक प्रस्तुत कर देगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं। समिति ने वर्तमान ऋण संरचना के सम्बन्ध में अभी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) समिति ने अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत के लिए 30 अप्रैल, 1992 तक के लिए समयावधि बढ़ाने की मांग की है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

29?0. श्री प्यारे लाल जाटव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्य-वार और जिला-वार कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) अभी तक कितनी राशि का व्यय किया गया है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के समक्ष विचाराधीन प्रत्येक राज्य के प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख) और (ग) विशेष कृषि परियोजना (एस. पी. ए.) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का एक कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्डों को ग्रामीण क्षेत्रों में पम्प सैटों को बिजली प्रदान करने के लिए परेषण लाइनें खींचने और अन्य आधारभूत ढांचे सम्बन्धी समर्थन प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है । ग्रामीण विद्युतीकरण निगम वाणिज्यिक बैंक और राष्ट्रीय कृषिएवंग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राज्यों में राज्य बिजली बोर्डों और को वित्तीय सहायता प्रदान कर इस कार्यक्रम का वित्त पोषण किया जाता है । *राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा जिले-वार आवंटन किया जाता है ।कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वर्ष 1986.87 से 1991-92 के दौरान राज्य-वार आबंटित राशि और इसके अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियां अनुबन्ध में दी गई है । राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि आठवीं योजना अवधि केलिए उन्होंने विभिन्न राज्यों के लिए आबंटन का निर्धारण नहीं किया है ।

विवरण

योजनाबद्ध ऋण कार्यक्रम—ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के लिए नाबार्ड की सहायता—सातवीं योजना अवधि (1985-86 से 1989-90) और वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के लिए विशेष कृषि परियोजना कार्यक्रम

	1986-87		1987-88		1988-89		1989-90		1990-91		1991-92 अप्रैल 91 से जनवरी 92	
राज्य	आवंटन	उपलब्धि	आवंटन	उपलब्धि	आवंटन	उपलब्धि	आवंटन	उपलब्धि	आवंटन	उपलब्धि	आवंटन	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
हरियाणा	150	215	200	213	—	276	256	259	250	237	566	109
पंजाब	700	682	700	341	—	94	482	189	175	175	46	30
राजस्थान	400	185	200	94	145	96	328	325	500	460	482	134
बिहार	150	39	50	13	9	15	—	—	—	—	—	—
उड़ीसा	150	158	200	77	81	58	100	81	270	264	—	62
प. बंगाल	300	204	250	377	369	298	478	439	450	365	459	137
मध्य प्रदेश	1500	1233	1500	1498	1931	1409	3328	1891	3123	3123	2500	1351
उ. प्रदेश	500	280	600	227	61	552	485	367	300	186	130	79
गुजरात	*	1143	500	918	494	592	578	381	800	820	1132	511
महाराष्ट्र	120	3433	600	1512	1614	3418	3325	3022	4100	3832	3752	1993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	1600	2168	1180	2496	1696	2841	3100	2705	1900	1981	3581	1283
कर्नाटक	400	851	650	1069	608	530	149	241	57	36	—	—
केरल	150	306	250	312	256	314	371	372	410	487	632	310
तमिलनाडु	700	646	800	798	816	1165	1600	1623	1500	1568	1600	506
जोड़	6520	11523	8500	9935	8679	12658	14500	11895	13835	13456	15000	6505

* आर. ई. सी./एस. पी. ए. कार्यालय के लिए अलग से आवंटन नहीं किया गया था क्योंकि इसे लघु सिंचाई के साथ जोड़ा गया था।

[हिन्दी]

"पब्लिक इश्यूज" के लिए अधिक राशि जमा करना

2931. श्री भगवान शंकर रावत :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन "पब्लिक इश्यूज" का ब्यौरा क्या है जिनके लिए पिछले बारह माहों के दौरान उनके मूल्य से अधिक अंशदान किया गया;

(ख) क्या कुछ सरकारी संगठन कुछ कम्पनियों के उनके मूल्य से अधिक अंशदान किए गए "पब्लिक इश्यूज" की जांच कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उन व्यक्तियों के नाम बताएं जिन्होंने किसी "इश्यू" में 10,000 से अधिक शेयरों के लिए आवेदन पत्र दिए हों;

(ङ) क्या शेयरों इत्यादि में काले धन के निवेश का मामला प्रकाश में आया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्ष 1991 के दौरान काले धन को रखने के लिए आयकर अधिनियम के अधीन कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज किए गए हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) स्टाक एक्सचेंज बम्बई द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, जनवरी-दिसम्बर, 1991 के दौरान कम्पनियों द्वारा जारी किए गए 77 सार्वजनिक निगमों में से, 56 इक्विटी निर्गम और IV परिवर्तनीय ऋणपत्र कई गुना के अधिक अंशदान किए गए थे।

(ख) किसी भी केन्द्रीय संगठन से इस मामले की जांच करने के लिए नहीं कहा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्टाक एक्सचेंज, बम्बई द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1220 व्यक्तियों ने उपरोक्त (क) में उल्लिखित कुल 67 निर्गमों में से 27 सार्वजनिक निर्गमों में 10,000 से अधिक शेयरों के लिए आवेदन किया था।

(ङ) और (च) समय-समय पर शेयरों में उल्लेख न किए गए निवेशों के मामले जानकारी में आए हैं और कानून के अन्तर्गत यथा-उपबंधित उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई की गई है; लेकिन इस सम्बन्ध में अलग से कोई ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

विवाह की आयु में वृद्धि

2932. श्री के. कोका राव :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के साधन के रूप में विवाह की आयु बढ़ाने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ व्यापार संबंध

2933. श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में हाल में हुए आर्थिक परिवर्तनों तथा पूंजी निवेश के बेहतर अवसरों के बावजूद व्यापारिक संबंधों के मामले में यूरोपीय आर्थिक समुदाय दल का रुख भारत के प्रति उदासीनता पूर्ण रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पुर्तगाली राष्ट्रपति, को किस प्रकार विश्वास दिलाया ताकि भारत के प्रति उदार सकारात्मक रवैया अपनाने हेतु इस दल के अन्य सदस्य देशों को मनाया जा सके, और

(ग) इस विषय में पुर्तगाली राष्ट्रपति की हाल ही की यात्रा के दौरान हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग) पुर्तगाल के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान यूरोपीय समुदाय का भारत के साथ आर्थिक संबंध और सुदृढ़ करने की इच्छा को दोहराया गया। यूरोपीय समुदाय इस समय भारतीय निर्यातों के लिए सबसे बड़ा बाजार तथा विदेशी निवेश का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है :—

भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय संबंधों को बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में जो पहल की गई उनमें शामिल है :—

(I) आर्थिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक तकनीकी सहयोग बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक तकनीकी कार्यदल की स्थापना का निर्णय।

(II) भारत में इन्डो ई ई सी संयुक्त उद्यम स्थापित करने में यूरोपीय समुदाय की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्डो ई ई सी अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी योजना पर हस्ताक्षर करना।

(III) एक व्यापक इण्डो ई ई सी मत्स्य पालन करार करने के लिए वार्ताएं करने का निर्णय; और

(IV) मानदंडों के सम्बन्ध में सहायता के अलावा चुनिंदा क्षेत्रों में व्यापार संवर्धन कार्यक्रम के लिए यूरोपीय समुदाय की वित्तीय और तकनीकी सहायता का प्रावधान करना।

पाकिस्तान द्वारा सैन्य गतिविधियां तेज करना

2934. श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने हाल ही में नियंत्रण रेखा के पास अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में जनवरी, 1992 से आगे क्या प्रतिकारात्मक उपाय किए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार वर्तमान परिस्थिति में जम्मू कश्मीर से गुजरात तक पूरी भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने का है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि पाकिस्तान ने हाल ही में नियन्त्रण रेखा पर अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाई हैं।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियंत्रण रेखा तथा हमारी सीमाओं पर किसी भी समय अतिक्रमण न हो, पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

(घ) भारत पाकिस्तान सीमा पर कुछ चुने हुए क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है।

भारत-चीन व्यापार

2935. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री सूर्यनारायण यादव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के प्रधानमंत्री की भारत-यात्रा के बाद, भारत-चीन व्यापार के बढ़ने की गुंजाइश बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो भारत और चीन के बीच व्यापार किस सीमा तक बढ़ा है;

(ग) इस सम्बन्ध में हुए समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोनों देशों के बीच व्यापार में और अधिक सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) इस बारे में प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए यह अवधि बहुत कम है।

(ग) और (घ) आर्थिक सहयोग, व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी भारत चीन संयुक्त ग्रुप की हाल में 12-13 दिसम्बर, 1991 को नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान आर्थिक सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई :

I. संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभावना का पता लगाना।

II. लौह-अयस्क खनन, रेलवे क्षेत्र, संचार, विमानन, जल संरक्षण, निर्माण, लौह एवं इस्पात प्रोसेसिंग के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की संभावना का पता लगाना।

III. दोनों में से किसी भी देश में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए निविदाओं में भाग लेना।

IV. तीसरे देश की परियोजनाओं में संयुक्त रूप से भाग लेने की संभावना का पता लगाना।

V. भारत से परामर्श सेवाओं के निर्यात की सम्भावना का पता लगाना।

VI. दोनों में से किसी भी देश के लिए निर्यात और आयात हित वाली मदों को अभिज्ञात किया गया और उन्हें कैलेण्डर वर्ष 1992 के लिए व्यापार संलेख में शामिल किया गया।

VII. चीन के साथ सीमा व्यापार पुनः प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 13-12-91 को एक विवरण-पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए।

[हिन्दी]

पुर्तगाल द्वारा गोवावासियों के सोने के आभूषणों की वापसी

2936. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाली बैंकों में रखे गये गोवावासियों के सोने के आभूषणों को पूर्णतया वापस कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो अब भी पुर्तगाली संरक्षण में रखे आभूषणों का मूल्य क्या है;

(ग) क्या पुर्तगालियों द्वारा गोवावासियों के स्वर्ण आभूषणों को पुर्तगाल में रखी गई अवधि के लिए उन्हें ब्याज का भुगतान भी किया गया;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ब्याज का दावा प्रस्तुत करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय स्टेट बैंक और बाको नेशनल अल्ट्रामारिनो (बी एन यू) लिस्बन के बीच हुए समझौते के अनुसार स्वर्ण ऋणों के लिए "प्रतिभूति" वाले पैकेटों को अगस्त 1991 में भारत वापस लाया गया था।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) बी एन यू, लिस्बन के पास जिस अवधि तक स्वर्ण/आभूषण रहे उसके लिए बी एन यू ने उधारकर्ताओं की प्रतिभूति पर स्वर्ण ऋण लिया था। ऐसे सभी मामलों में ब्याज उधारकर्ताओं ने देना है न कि बैंक ने।

[अनुवाद]

काफी बोर्ड द्वारा की गई कटौतियां

2937. श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड द्वारा भण्डारण लागत, सफाई, विपणन और सांविधिक करों तथा शुल्कों के रूप में, काफी उत्पादकों की राशि से की गई कटौतियां, देश के किन्हीं अन्य बोर्डों द्वारा की गई कटौतियों से बहुत अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन कटौतियों को कम से कम करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) तथा (ख) काफी उत्पादकर्ताओं द्वारा दी गई काफी के मूल्य के सम्बन्ध में उन्हें भुगतान किए जाने से पहले कुल बिक्री आय से काफी के वास्तविक विपणन खर्च काट लिए जाते हैं। विपणन खर्च कुल आय के लगभग 5 प्रतिशत होते हैं। ऐसा केन्द्रीकृत विपणन चाय, रबड़ अथवा मसाला बोर्डों द्वारा नहीं किया जाता है।

(ग) विपणन खर्चों को कम से कम करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनमें शामिल हैं; बेशी स्टाफ का पता लगाना तथा उन्हें क्रमबद्ध रूप में कम करना, नई भर्ती को रोकना, टेलीफोन लौटाना आदि।

अखबारी कागज का आयात

2938. श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की मांग को पूरा करने हेतु अखबारी कागज के आयात को दोगुना करने का है;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना के प्रमुख मुद्दे क्या हैं; और

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने अखबारी-कागज का आयात किया गया और अगले तीन वर्षों के दौरान देशवार और कितना आयात करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री ((श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान आयात किये गये अखबारी कागज की मात्रा और उन देशों के नाम जहां से आयात किया गया, नीचे दिए गए हैं :—

मात्रा 1000 मी. टन में

वित्तीय वर्ष	मात्रा	देशों के नाम
1990-91	226	चीन, कनाडा, जी डी आर रोमानिया, स्वीडन, युगोस्लाविया न्यूजीलैंड, फिनलैंड, यू. एस. एस. आर. नार्वे, बंगला देश, यू एस. ए. पोलैंड दक्षिण कोरिया।
1991-92 (अन.)	215	चीन, न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, स्वीडन, फिनलैंड, यू एस. एस. आर. बंगलादेश, आस्ट्रिया

[अनुवाद]

अखबारी कागज के आयात के लिए भावी अनुमान नहीं लगाया गया है।

[हिन्दी]

औद्योगिक घरानों की आस्तियां

2939. श्री राम टहल चौधरी :

क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सम्पत्ति के कुछ औद्योगिक घरानों के हाथों में केन्द्रित होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) बारह औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों के तीन वर्ष-वार मूल्य और वर्तमान मूल्य का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या औद्योगिक घरानों की आस्तियां एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के बावजूद बढ़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) सरकार की नीति का उद्देश्य धन के संकेंद्रण को रोकना नहीं है बल्कि आर्थिक शक्ति के ऐसे संकेंद्रण को रोकना है जो जनता के लिए अहितकर हो। हाल ही के संशोधन से पूर्व सभी वृहद औद्योगिक घरानों से अपेक्षा की गयी थी कि वे अपनी परियोजनाओं के लिए क्षमता के विस्तार तथा नयी क्षमता को स्थापित करने हेतु पूर्व अनुमोदन प्राप्त करके संस्वीकृत लें। तथापि, पिछली प्रणाली के अन्तर्गत भी कतिपय प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने से वृहद घराना को छूट उपलब्ध थी। सरकार का आशय औद्योगिक वृद्धि रोकना नहीं था बल्कि इस का उद्देश्य जन-साधारण के अहित वाली आर्थिक शक्ति का दुरुपयोग रोकना था। इस प्रयोजन के लिए, नीति में विनियमन और एकाधिकारिक तथा अवरोधक व्यापार प्रथाओं के नियन्त्रण की ओर केन्द्रित किया गया है। एम. आर. टी. पी. अधिनियम धारा 27 के अन्तर्गत सरकार को ये शक्तियां भी प्राप्त हैं कि वह उपक्रमों के विभाजन के लिये आदेश दें। यदि यह पाया जाये कि इन उपक्रमों का कार्यकरण जनता के हित के प्रतिकूल है।

(ख) एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत पंजीकृत और 1989-90 (अप्रैल 1989-90 के बाद समाप्त लेखा वर्ष) में उनकी परिसम्पत्तियों के अनुसार अग्रणीय 12 प्रमुख औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित कम्पनियों की 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 में परि-सम्पत्तियां (नवीनतम उपलब्ध) दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

27.9.1991 से एम. आर. टी. पी. अधिनियम के संशोधन के बाद, ऐसी कम्पनियों के पंजी-करण से संबंधित उपबन्ध हटा दिये गये हैं।

(ग) एम. आर. टी. पी. अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों में गत वर्ष की अपेक्षा 1989-90 तथा 1988-89 के दौरान क्रमशः 24.84 प्रतिशत तथा 23.91 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(घ) वृहद औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों में विस्तार, विविधता, नये उपक्रमों की स्थापना, आधुनिकीकरण, समामेलन आदि जैसे विभिन्न संघटकों के कारण वृद्धि हुई।

विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	औद्योगिक घराना	उपक्रमों की संख्या			परिसम्पत्तियां		
		1988	1989	1990	1987	1988	1990
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	टाटा	82	83	85	5558.56	6621.38	8530.93
2,	बिड़ला	169	170	166	5564.37	6974.06	8473.35
3.	रिलायन्स	14	14	15	2033.15	3241.24	3600.27
4.	थापर	47	45	49	1317.10	1762.52	2177.15
5.	जे. के. सिंघानिया	53	59	62	1566.41	1828.75	2139.00
6.	लार्सन एंड टूब्रो	7	7	7	931.28	1130.33	1681.52
7.	मोदी	38	43	44	902.52	1192.34	1399.37
8.	बजाज	30	27	34	953.68	1228.37	1391.06
9.	मफतलाल	41	42	44	1131.18	1296.55	1343.55
10.	एम. ए. चिदम्बरम	33	34	35	866.56	1032.23	1273.35
11.	हिन्दुस्तान लीवर	13	16	16	775.42	924.85	1209.46
12.	यूनाइटिड ब्रेवरीज	31	34	47	488.84	715.71	1189.24*

* क्रम संख्या 12 पर यूनाइटेड ब्रेवरीज औद्योगिक घराने के आंकड़े में उससे पहले की "बैस्ट एंड क्राम्पटन" औद्योगिक घराने के 1988-89 के आंकड़े भी शामिल हैं।

भारतीय पटसन निगम के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

2940. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम के कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का आवाहन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बैंकों में सांकेतिक हड़ताल

2941. श्री हरिन पाठक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी हाल ही में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर रहे थे;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित बैंकों को एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सूचित किया है कि विशिष्ट यूनियनों/परिसंघों से सम्बद्ध उनके कर्मचारियों ने बैंकों के निजीकरण भर्ती पर प्रतिबंध आदि के विरोध में बैंक कर्मचारियों के अखिल भारतीय संघों द्वारा हड़ताल के लिए किये गये आह्वान के समर्थन में दिनांक 29.11.91 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी।

(ग) और (घ) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों को स्थायी निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई कर्मचारी हड़ताल में हिस्सा लेता है तो "काम नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत पर उसका वेतन काट लिया जाये।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा सहायता वितरण

2942. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक ने जुलाई 1991 से प्रारम्भ होने वाले चालू वर्ष के दौरान एक हजार करोड़ रुपयों का ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों को यह सहायता प्रदान की जायेगी;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने के लिए राज्य आवास बोर्डों को अपनी योजनाएं प्रस्तुत करने को कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो राज्यों को वहां के निम्न आय वर्ग के कमजोर वर्गों को घर मुहैया कराने के लिए कितनी राशि निश्चित की गई है; और

(ङ) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इस प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत अब तक कितना ऋण प्रदान किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। पात्र प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की क्षमता उन संसाधनों पर निर्भर है, जिन्हें जुटाने में वह सक्षम है। फरवरी, 1992 तक राष्ट्रीय आवास बैंक से सभी पात्र संस्थाओं को सचयी पुन वित्त सहायता की धनराशि 907 करोड़ रुपये थी। राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास बोर्डों एवं विकास प्राधिकरणों जैसे सरकारी अभिकरणों द्वारा शुरू की गई भूमि विकास और आश्रय परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी दिशा निर्देश बनाए हैं।

विदेशी व्यापारिक मेहमानों पर व्यय

2943. श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के व्यापारिक मेहमानों पर भारतीय रुपए में ही व्यय किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कम्पनियों के विदेशी मेहमानों को संबंधित कम्पनियों से प्रमाण पत्र लेना होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक ने 13 सितम्बर, 1991 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें भारतीय फर्मों/कम्पनियों और अन्य संगठनों समेत भारत में निवास कर रहे व्यक्तियों को, कारोबार गतिविधियों या मेजबान के किसी अन्य कार्य के सम्बन्ध में भारत आने वाले उनके अनिवासी मेहमानों के खान-पान, आवास और सम्बद्ध सेवाओं तथा भारत में यात्रा के लिये खर्चों को रिजर्व बैंक की विशिष्ट पूर्वानुमति लिए बिना भारतीय रुपयों में पूरा करने की सामान्य अनुमति प्रदान की गई है। यह निर्णय सरकार की उदार औद्योगिक नीति के अनुसरण में लिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अमेरिकी बौद्धिक संपदा अधिकार केन्द्र के बारे में वार्ता

2944. श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और भारत ने भारत में अमरीकी बौद्धिक संपदा अधिकारों (अमेरिकन इन्टेलेक्चुअल प्रापर्टी राइट्स) की सुरक्षा में कमी के बारे में द्विपक्षीय वार्ता आमन्त्रित करने का निर्णय किया है;

(ख) उक्त वार्ता हो चुकी है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ? और वार्ता किस हद तक लाभप्रद सिद्ध हुई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में हुए करारों का क्रियान्वित कब तक हो जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) (घ) एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

विवरण

(क) से (घ) जनेवा में उरुग्वे दौर में चल रही बहुपक्षीय वार्ताओं के भाग के रूप में भागीदारों के बीच द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय स्तरों पर समय-समय पर परामर्श किए गए हैं । ऐसे द्विपक्षीय परामर्श संयुक्त राज्य के साथ वार्ता अधीन विभिन्न विषयों पर भी किए गए, जिनमें बौद्धिक संपदा अधिकारो के व्यापार से संबंधित पहलू (ट्रिप्स) भी शामिल है ।

हालांकि इन परामर्शों से भारत तथा संयुक्त राज्य को अपने-अपने दृष्टिकोण एक दूसरे के समक्ष स्पष्ट करने में मदद मिली है, तथा ट्रिप्स के विषय में इन परामर्शों में परस्पर कोई सहमति नहीं हुई है ।

पुर्तगाल के साथ व्यापार संबंध

2945. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री चन्द्रजीत यादव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाल के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में किस हद तक सुधार आने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) पुर्तगाल के राष्ट्रपति की यात्रा के अवसर पर हुई चर्चाओं में यूरोप तथा अफ्रीका में संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने की संभाव्यताओं का उल्लेख किया गया था ताकि यूरोपीय साझा बाजार के लिए प्रवेश स्थल के रूप में पुर्तगाल का उपयोग किया जा सके और दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को और आगे बढ़ाने में पुर्तगाल स्थित भारतीय समुदाय की संभाव्यता को काम में लाया जा सके ।

फेडरेशन ग्राफ इंडियन चेम्बर ग्राफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (एफ. आई. सी. सी. आई.) तथा फारेन ट्रेड इंस्टीट्यूट ग्राफ पुर्तगाल के बीच एक सहयोग करार पर भी हस्ताक्षर किए गए जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक आर्थिक तथा तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान सुकर हो सकेगा।

गेहूं और चीनी का निर्यात

[अनुवाद]

2946. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों के दौरान कितना और कितने मूल्य के गेहूं और चीनी का निर्यात किया गया;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने गेहूं और चीनी का निर्यात किया और प्रत्येक ने कितना निर्यात किया;

(ग) क्या निर्यात भुगतान की शर्त पर किया गया अथवा वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर; और

(घ) प्रत्येक मामले में तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) भारतीय चीनी तथा सामान्य उद्योग निर्यात आयात निगम ने चीनी का निर्यात किया और एम एम टी सी तथा एस टी सी में भुगतान आधार पर गेहूं का निर्यात किया उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण के अनुसार वर्ष 1991-92 के दौरान गेहूं तथा चीनी के निर्यात नीचे दिए गए हैं :—

गेहूं :	मात्रा :	672019 मी. टन
	मूल्य :	178.44 करोड़ रु.
	(20.3.92 तक)	
चीनी :	मात्रा :	4.492 लाख मी. टन
	(21.2.92 तक)	
	मूल्य :	323.15 करोड़ रु.

कपास का उत्पादन

2947 श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कपास और धागे का वर्षवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या किसानों को कपास के लाभकारी मूल्य मिल रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास और सूती यार्न के उत्पादन के ब्यौरे निम्नोक्त अनुसार हैं :—

वर्ष	कपास सलाहकार बोर्ड के अनुमानों के अनुसार कपास का उत्पादन (लाख गांठ में)	सूती यार्न का उत्पादन (मिलियन कि. ग्रा. में)
1988-89	106	1302
1989-90	133.50	1367
1990.91	117	1467

टिप्पणी :—कपास के उत्पादन के आंकड़े कपास मोसमवार हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

2948. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिलहाल कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रत्येक राज्य तथा जिलावार संख्या कितनी है; और

(ख) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास में इन बैंकों ने क्या भूमिका निभाई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मार्च, 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या का ब्योरा और उनके द्वारा कवर किए जाने वाले जिलों को अनुबन्ध में दिया गया है।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने समाज के कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने सम्बन्धी उद्देश्य को प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मार्च 1991 की स्थिति के अनुसार इन बैंकों ने 171 लाख खातों में 3535 करोड़ रुपये की राशि का ऋण दिया। इसके अलावा मार्च

1991 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 334 लाख खातों में 4979 करोड़ रुपये की राशि जुटाई। ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति और प्रचालन से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने न केवल विकास कार्यों में सहयोग दिया बल्कि ग्राहकों की धार्मिक प्रवृत्ति में भी सहायता दी है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	क्षेत्र ग्राम बैंक की संख्या राज्य में कार्यरत	शामिल जिले संख्या	नाम
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	4	14	भिवानी, हिसार, महेन्द्रगढ़, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, रिवाड़ी, सिरसा, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुना नगर।
2.	हिमाचल प्रदेश	2	4	मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और शिमला।
3.	जम्मू और कश्मीर	3	10	जम्मू, बडगाम, रजौरी, पुंछ, श्रीनगर, अनन्तनाग, बारामूला, पुलवामा, बारामूला और कुपवाड़ा।
4.	पंजाब	5	10	रोपड़, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, संगरूर, पटियाला, फरीदकोट और भटिंडा।
5.	राजस्थान	14	27	जयपुर, नागौर, पाली, सिरोही, जालौर, सीकर, झुनझुनू, चुरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, जोधपुर जैसलमेर, बाड़मेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, और बीकानेर।
6.	अरुणाचल प्रदेश	1	4	पूर्वी सियांग, पश्चिम सियांग, अपर-सुबनंसिरि, लोअर सुबनंसिरि।
7.	असम	5	22	कार्बी आंगलांग, उत्तर कूचबिहार, बारपेटा, दारांग, धुबरी, गोआलपाड़ा, कामरूप, कोकराझाड़, नलबाड़ी, प्रागज्योतिषपुर, सोनितपुर, कछार, डिब्रूगढ़, जोरहाट, करीमगंज, लखीमपुर, नौगांव, शिवसागर, गोलाघाट, तिनसुकिया, मारिगांव, हैलाकांडी।

1	2	3	4	5
8.	मणिपुर	1	8	विष्णुपुर, इम्फाल, मणिपुर, पूर्व, मणिपुर उत्तर, मणिपुर दक्षिण, मणिपुर, पश्चिम, तेंगनुपाल, चान्देल।
9.	मेघालय	1	3	जयंतिया हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, और पश्चिम खासी हिल्स
10.	मिजोरम	1	3	एइजावल, लुंगलेत, छिमटुइपुइ।
11.	नागालैंड	1	7	कोहिमा, मोकोकचुंग, मोन, पेक, वोखा, तुएनसांग जुन्हेबोटो।
12.	त्रिपुरा	1	3	उत्तर त्रिपुरा, पश्चिम त्रिपुरा और दक्षिण त्रिपुरा।
13.	आंध्र प्रदेश	16	23	महबूबनगर, मेडक, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, वारंगल, आदिलाबाद, करीमनगर, नालगोंडा, खम्माम, निजामाबाद, रंगारेड्डी, करीमनगर, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, गुंटूर, श्रीकाकुलम, चित्तूर, कृष्णा, अनन्तपुर, नेल्लोर, कुड्डापह, कुरनूल, प्रकाशम और हैदराबाद।
14.	बिहार	22	40	भोजपुर, रोहतास, पूर्वी चम्पारन, पश्चिमी चम्पारन, नवादा, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, माधेपुरा, कटिहार, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मुंगेर, खगड़िया, साहबगंज देवघर, दुमका, गोड्डा, मधुबनी, नालंदा, सिंहभूम, दरभंगा, समस्तीपुर, पालमऊ, गुमला, लोहरदगा, रांची, किशनगंज, सारन, सीवान, गिरिडीह, हजारीबाग, पटना, भागलपुर, और बेगुसराय।
15.	मध्य प्रदेश	22	44	होशंगाबाद, रायसेन, बिलासपुर, रीवा,

1	2	3	4	5
				रायपुर, सिधि, छतरपुर, टीकमगढ़, सतना, सरगुजा, बस्तर, दुर्ग, धार, राजनन्दगांव, झाबुआ, रायगढ़, गुना, शिवपुरी, पूर्वी निमार, पश्चिमी निमार मंडला, बालाघाट, शाहपुर, दमोह, पन्ना, सागर, देवास, छिंदवाड़ा, सिओनी, राजगढ़, सिहोर, शहडोल, रतलाम, मदसौर, भिंड, मुरैना, नरसिंहपुर, जबलपुर' इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, दतिया, विदिशा और भोपाल।
16.	केरल	2	6	कोझीकोडु, मल्लपुरम, वाईनाड, कन्नानोर, और कासरगोड।
17.	उत्तर प्रदेश	40	60	मुरादाबाद, रामपुर, देवरिया मऊ, गोरखपुर, महाराजगंज, आजमगढ़, गाजीपुर, बाराबंकी रायबरेली, फर्रुखाबाद, सीतापुर, सुल्तानपुर, बलिया, लखनऊ, कानपुर देहात, बहराइच, इटावा, बदायूं मैनपुरी, वाराणसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, प्रतापगढ़ फतेहपुर, पीलीभीत, गोंडा, एटा, जौनपुर, ललितपुर, झांसी, बिजनौर हरिद्वार, शाहजहांपुर नैनीताल, मिर्जापुर, लखीमपुर, खेरी, आगरा, मुजफ्फरपुर, पिथौरागढ़' टिहरी, गढ़वाल, बुलंदशहर' उन्नाव' कानपुर शहर, फिरोजाबाद, बरेली, हमीरपुर अल्मोड़ा सोनभद्रा, देहरादून, चमोली, गाजियाबाद, उत्तर काशी, हरदोई, मेरठ, जालौन।
18.	पश्चिम बंगाल	9	18	मालदा, मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, पश्चिम दिनाजपुर, मिदनापुर, नदिया, पुरूलिया, बीरभूमि, दार्जिलिंग, जलपाई-

1	2	3	4	5
				गुड़ी, कूचबिहार, हुगली, एन. परगना, एस. परगना, बर्दवान, हावड़ा।
19.	गुजरात	9	17	जामनगर, कच्छ, राजकोट, सूरत, मेहसाणा, बनासकंठा, पंचमहल, बड़ोदरा, भावनगर, सुरेन्द्रनगर, बलसाड़ डांगस, भरूच, गांधीनगर, साबरकंठा, अमरेली और जूनागढ़।
20.	उड़ीसा	9	13	पुरी, सुन्दरगढ़, सम्बलपुर, बोलांगीर, कटक, कोरापुट गनजम, फुलबनी कालाहांडी' मयूरभंज, क्योनझर, बालासोर, धनकेनल।
21.	महाराष्ट्र	10	17	परभनी, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड़, लातूर, औरंगाबाद, जालना, अकोला, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली, रत्नागीरि, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, भान्डारा, यवतमाल, बुल्डाना और ठाणे।
22.	कर्नाटक	13	20	बीदर, गुलबर्ग, रायचूर, मैसूर, टुम्कूर, बंगलोर (ग्रामीण), बंगलोर (शहरी), चित्रदुर्ग, हसन, कोलार, शिमोगा, चिकमुंगलूर, मडीकेरी, बेलगाव, बेल्लरी, बीजापुर, दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, धारवाड़, मण्डेया।
23.	तमिलनाडु	3	7	रामनाथपुरम, तिरूनलवेली, पुसुमपोन-मथुरामलिंगम, धर्मपुरी, तिरूमरानार, दक्षिण अरकोट, और कामराजार।

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा पेंशन की मांग

2949. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी लम्बे समय से सेवा निवृत्ति के बाद पेंशन सुविधा की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार, दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम लागू करने से सम्बन्धित मामले पर विचार कर रही है।

ओझर हवाई पट्टी

2950. डा० बसंत पवार :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी और कार्गो ट्रैफिक के लिए हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड-ओजहर हवाई पट्टी उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) इसमें विलंब करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने अपने ओझर हवाई अड्डे का राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सिविल हवाई यातायात के लिए उपयोग किए जाने लिए कुछ शर्तों पर अपनी सहमति दे दी है। ये शर्तें हवाई अड्डे की भूमि के पट्टे उसके इस्तेमाल के घंटे, यात्री टर्मिनल सुविधाओं के विकास आदि से संबंधित हैं। इस मामले में आगे की कार्रवाई नागर विमानन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा की जानी है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में विधि सलाहकार

2951. डा. बसंत पवार :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में विधि सलाहकार की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनके कार्य का मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) मुकदमों पर कार्यवाही करने के लिए अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनाई गई पद्धति तथा प्रक्रिया की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पुनरीक्षा की गई है। पुनरीक्षा को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1991 में विस्तृत मार्गनिदेश जारी किए थे। इन मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ वांछनीय अनुभव तथा अधिवक्ता के रूप में पैनल पर रखने के लिए साख, उपयुक्त अधिवक्ताओं के विवरण एकत्र करने के कार्यक्रम, पैनल की समय-समय पर समीक्षा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य के आबंटन फीस की अनुसूची तैयार करने आदि सम्बन्धी बातों का निर्धारण किया गया था। मार्गनिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि अन्य बातों के समान

होने पर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अधिवक्ताओं को पैनल में शामिल किया जाए तथा उन्हें कार्य आबंटित करके उत्साहित करने के विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को मार्गनिर्देशों का पूर्णरूप से अनुसरण करके अधिवक्ताओं की नई सूची तैयार करने की सलाह दी गई है। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि सूची की प्रत्येक 3 से 4 वर्ष बाद पुनरीक्षा की जाए।

एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान तक टैक्सी सेवा

2952. डा. सी. सिलवेरा :

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन-किन रूटों पर दिल्ली में साझा टैक्सी सेवा शुरू की गई है;

(ख) इन टैक्सियों द्वारा वसूल किए जाने वाले किराए का ब्यौरा क्या है और

(ग) भविष्य में किन-किन रूटों पर यह सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा 32 विभिन्न रूटों पर प्वाइंट-टू-प्वाइंट टैक्सी सर्विस शुरू की गई थी, रूटों और विभिन्न प्वाइंटों के लिए वसूल किए जाने वाले किराए के ब्यौरे संलग्न वक्तव्य में दिए गए हैं।

(ग) इस समय किसी नये रूट का प्रस्ताव नहीं है।

टैक्सी सेवा के रूट/किराया चार्ट (1.9.91 से)

पूर्वी दिल्ली

मार्ग। शाहदरा से कनाट प्लेस कस्तूरबा गांधी मार्ग, हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, नई दिल्ली वाया आईएसबीटी दिल्ली गेट

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति पैसेंजर
1.	शाहदरा	आईएसबीटी	6	5.00
2.	शाहदरा	दिल्ली गेट	12	9.00
3.	शाहदरा	कनाट प्लेस	15	11.00
4.	आईएसबीटी	कनाट प्लेस	6	5.00
5.	आईएसबीटी	कनाट प्लेस	3	3.00

पूर्वी दिल्ली

मार्ग : प्रीति विहार (शान्ति विहार) से राजेन्द्र प्लेस नजदीक विक्रम टावर (पूर्वी राजेन्द्र प्लेस) वाया आई. टी. ओ. गोल मार्केट

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	प्रीति विहार	आई टी ओ	6	5.00
2.	प्रीति विहार	गोल मार्केट	11	8.00
3.	प्रीति विहार	राजेन्द्र प्लेस	15	11.00
4.	आईटीओ	गोल मार्केट	5	4.00
5.	गोल मार्केट	राजेन्द्र नगर	4	3.00
6.	राजेन्द्र प्लेस	आईटीओ	9	7.00

पूर्वी दिल्ली

मार्ग : लक्ष्मी नगर (राधू पैलेस) से करोल बाग तक (देव नगर डबल स्टोरी; आउटर करोल बाग में आर्य समाज रोड पर वि. न. नि के कार्यालय के सामने (वाया आईटीओ सुपर बाजार)

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	लक्ष्मी नगर	आईटीओ	5	4.00
2.	लक्ष्मी नगर	सुपर बाजार	8	6.00
3.	लक्ष्मी नगर	करोल बाग	12	9.00
4.	आईटीओ	सुपर बाजार	3	3.00
5.	आईटीओ	करोल बाग	7	5.00
6.	सुपर बाजार	करोल बाग	4	3.00

पूर्वी दिल्ली

मार्ग : कृष्णा नगर (चन्द्र नगर) से कनाट प्लेस (कस्तूरबा गांधी मार्केट, हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, नई दिल्ली (वाया आई टी ओ)

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	कृष्णा नगर	आईटीओ	8	6.00
2.	कृष्णा नगर	कनाट प्लेस	11	8.00
3.	आईटीओ	कनाट प्लेस	3	3.00

पूर्वी दिल्ली

मार्ग : मयूर विहार फेज-I से कनाट प्लेस तक (कस्तूरबा गांधी मार्ग, हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, नई दिल्ली) वाया नोएडा क्रासिंग प्रगति मैदान

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति व्यक्ति
1.	मयूर विहार फेज I	नोएडा	2	2.00
2.	मयूर विहार फेज-I	क्रासिंग प्रगति मैदान	7.5	6.00
3.	मयूर विहार	कनाट प्लेस	11.5	9.00
4.	नोएडा क्रासिंग	प्रगति मैदान	5.5	4.00
5.	नोएडा क्रासिंग	कनाट प्लेस	9.5	7.00
6.	प्रगति मैदान	कनाट प्लेस	4	3.00

पूर्वी दिल्ली

मार्ग : मयूर विहार फेज-II से कनाट प्लेस तक (कस्तूरबा गांधी मार्ग हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस नई दिल्ली) वाया नोएडा क्रासिंग प्रगति मैदान

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	मयूर विहार फेज-II	नोएडा क्रासिंग	3	3.00
2.	मयूर विहार फेज-II	प्रगति मैदान	8.5	7.00
3.	मयूर विहार फेज-II	कनाट प्लेस	22.5	9.00
4.	नोएडा क्रासिंग	प्रगति मैदान	5.5	4.00
5.	नोएडा क्रासिंग	कनाट प्लेस	9.5	7.00
6.	प्रगति मैदान	कनाट प्लेस	4	3.00

पश्चिम दिल्ली

मार्ग : मोती नगर (मोती नगर क्रासिंग, नजफ गढ़ रोड) से कनाट प्लेस तक (हरियाणा इम्पो. बाबा खड़ग सिंह मार्ग) वाया राजेन्द्र प्लेस

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	मोती नगर	राजेन्द्र प्लेस	4.5	4.00
2.	मोती नगर	कनाट प्लेस	9.5	7.00
3.	राजेन्द्र प्लेस	कनाट प्लेस	5	4.00

पश्चिमी दिल्ली

मार्ग : राजोरी गार्डन (मेटल फोर्जिंग बस स्टैंड के नजदीक, राजोरी गार्डन) से कनाट प्लेस तक (हरियाणा इम्पोरियम बाबा खड़ग सिंह मार्ग) वाया शादीपुर डिपो, शंकर रोड

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	राजोरी गार्डन	शादीपुर डिपो	4	3.00
2.	राजोरी गार्डन	शंकर रोड	7	5.00
3।	रा. गार्डन	कनाट प्लेस	12	9.00
4.	शादीपुर डिपो	शंकर रोड	3	3.00
5.	शादीपुर डिपो	कनाट प्लेस	8	6.00
6.	शंकर रोड	कनाट प्लेस	5	4.00

पश्चिमी क्षेत्र

मार्ग : पंजाबी बाग (पंजाबी बाग क्लब) से कनाट प्लेस तक (हरियाणा इम्पोरियम बाबा खड़गसिंह मार्ग) वाया लिबर्टी सिनेमा

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	पंजाबी बाग	लिबर्टी सिनेमा	7	5.00
2.	पंजाबी बाग	कनाट प्लेस	12	9.00
3.	लिबर्टी सिनेमा	कनाट प्लेस	5	4.00

पश्चिमी दिल्ली

मार्ग : नारायणा (कम्युनिटी सेन्टर पायल सिनेमा, नारायणा) से कनाट प्लेस (हरियाणा इम्पोरियम बाबा खड़ग सिंह मार्ग) वाया राजेन्द्र प्लेस

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	नारायणा	राजेन्द्र प्लेस	6.00	5.00
2.	नारायणा	कनाट प्लेस	11	8.00
3.	राजेन्द्र प्लेस	कनाट प्लेस	5	4.00

पश्चिमी क्षेत्र

मार्ग : उत्तम नगर (उत्तम नगर बस टर्मिनल के समीप) से करोल बाग (आर्य समाज रोड का फुटपाथ दिल्ली नगर निगम कार्यालय देवनगर) डब्बल स्टोरी बाहरी करोल बाग के सामने) वाया पश्चिम पटेल नगर

	से	तक	दूरी कि.मी. में	प्रति यात्री किराया
1.	उत्तम नगर	पश्चिमी पटेल नगर	10.5	8.00
2.	उत्तम नगर	करोल बाग	14.5	11.0
3.	पश्चिमी पटेल नगर	करोल बाग	4.5	3.00

उत्तरी दिल्ली

मार्ग : मधुबन चौक (मधुबन चौक) से आईटीओ (मस्जिद आईटीओ पार्किंग के समीप) वाया दिल्ली विश्वविद्यालय, आईएसबीटी

	से	तक	दूरी कि.मी. में	प्रति यात्री किराया
1.	मधुबन चौक	दिल्ली वि.वि.	10	8.00
2.	मधुबन चौक	आईएसबीटी	14	11.00
3.	मधुबन चौक	आईटीओ	20	15.00
4.	दिल्ली यूनि.	आईएसबीटी	4	3.00
5.	दिल्ली यूनि.	आईटीओ	10	8.00
6.	आईएसबीटी	आईटीओ	6.0	5.00

उत्तरी क्षेत्र

मार्ग : अशोक विहार (ए ब्लाक बस स्टेंड फेज-I अशोक विहार के समीप) से आईएसबीटी (कश्मीरी गेट डी.टी.सी. बस स्टेंड के समीप बाटा के सामने) वाया दिल्ली यूनिवर्सिटी

	से	तक	दूरी कि.मी. में	प्रति यात्री किराया
1.	अशोक विहार	दिल्ली यूनि.	6.5	5.00
2.	अशोक विहार	आईएसबीटी	10.5	8.00
3.	दिल्ली यूनि.	आईएसबीटी	4	3.00

उत्तरी दिल्ली

मार्ग : रानी बाग (रानी बाग मार्किट) से आईएसबीटी) कश्मीरी गेट डी.टी.सी बस स्टेंड के समीप बाटा के सामने) वाया दिल्ली यूनि.

	से	तक	दूरी कि.मी. में	प्रति यात्री किराया
1.	रानी बाग	दिल्ली यूनि.	10	8.00
2.	रानीबाग	आईएसबीटी	14	11.00
3.	दिल्ली यूनि.	आईएसबीटी	4	3.00

उत्तरी दिल्ली

मार्ग : पश्चिमी विहार से आई टी ओ (मस्जिद आई टी ओ क्रॉसिंग) वाया लारेंस रोड, आई एस बी टी

	से	तक	दूरी कि.मी. में	प्रति यात्री किराया
1.	पश्चिमी विहार	लारेंस रोड	7	5.00
2.	पश्चिम विहार	आईएसबीटी	18	13.00
3.	पश्चिम विहार	आई टी ओ	24	18.00
4.	लारेंस रोड	आईएसबीटी	11	8-00
5.	लारेंस रोड	आईटीओ	17	13.00
6.	आईएसबीटी	आईटीओ	6	5.00

उत्तरी क्षेत्र

रूट : आजादपुर (आजादपुर डीटीसी बस स्टैण्ड के समीप) से आई टी ओ (मस्जिद आई टी ओ क्रासिंग के समीप) वाया दिल्ली यूनिवर्सिटी आई एस बी टी

	से	तक	दूरी कि.मी. में	प्रति यात्री किराया
1.	आजादपुर	दिल्ली यूनिवर्सिटी	4	3.00
2.	आजादपुर	आईएसबीटी	8	6.00
3.	आजादपुर	आइटीओ	14	11.00
4.	दिल्ली यूनि.	आईएसबीटी	4	3.00
5.	दिल्ली यूनि.	आईटीओ	10	8.00
6.	आईएसबीटी	आईटीओ	6	5.00

दक्षिण दिल्ली

रूट डा. अम्बेदकर नगर डिपो (डा. अम्बेदकर नगर डिपो) से प्रगति मैदान (एनएससीआई क्लब) वाया मूलचन्द, आईटीओ

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	डा. एएन डिपो	मूलचन्द	6	5.00
2.	डा. एएन डिपो	आईटीओ	15	11.00
3.	डा. ए एन डिपो	प्रगति मैदान	17	13.00
4.	मूलचंद	आईटीओ	9	7.00
5.	मूलचन्द	प्रगति मैदान	11	8.00
6.	आईटीओ	प्रगति मैदान	2	2.00

दक्षिण दिल्ली

रूट सिरीफोट आडीटोरियम (सिरीफोर्ट आडीटोरियम) से कनॉट प्लेस (वाई एमसीए जयसिंह रोड) वाया सीजीओ कम्पलेक्स शास्त्री भवन

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	एसएफ आडीटोरियम	सीजीओ कम्पलेक्स	5.5	4.00

1	2	3	4	5
2.	एसएफ आडीटोरियम	शास्त्री भवन	11.5	9.00
3,	एस एफ आडीटोरियम	कनाट प्लेस	14	11.00
4.	सी जी ओ कम्पलेक्स	शास्त्री भवन	6	5.00
5.	सी जी ओ कम्पलेक्स	कनाट प्लेस	8·5	7.00
6.	शास्त्री भवन	कनाट प्लेस	2.5	2.00

दक्षिण दिल्ली

रूट ; ग्रीन पार्क (नजदीक उपहार सिनेमा) से कनाट प्लेस (वाई एमसीए, जयसिंह रोड) वाया एआईआईएमएस, शास्त्री भवन

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	ग्रीनपार्क	आईएनए	2	2.00
2.	ग्रीनपार्क	उद्योग भवन	6 5	5.00
3.	ग्रीनपार्क	कनाट प्लेस	9	7.00
4.	आई एन ए	उद्योग भवन	4.5	4.00
5.	आई एन ए	कनाट प्लेस	7	5.00
6.	उद्योग भवन	कनाट प्लेस	2.5	2.00

दक्षिणी दिल्ली

रूट मुनिरका (बाहरी रिंग रोड, मुनिरका) से कनाट प्लेस (वाईएमसीए, जयसिंह रोड) वाया चाणक्य सिनेमा, शास्त्री भवन

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	मुनिरका	चाणक्यपुरी	6	5.00
2.	मुनिरका	शास्त्रीभवन	10	8.00
3.	मुनिरका	कनाट प्लेस	12.5	9.00
4.	चाणक्यपुरी	शास्त्रीभवन	4	3.00
5.	चाणक्यपुरी	कनाट प्लेस	6.5	5.00
6.	शास्त्रीभवन	कनाट प्लेस	2.5	2.00

दक्षिण दिल्ली

रूट साकेत (एम ब्लाक साकेत) से आई टी ओ (मस्जिद के पास आई टी ओ क्रासिंग) वाया ए आई आई एम एस उद्योग भवन

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	साकेत	एआईआईएमएस	7	5.00
2.	साकेत	उद्योग भवन	12.5	9.00
3.	साकेत	आईटीओ	16.5	12.00
4.	एआईआईएमएस	आईटीओ	5.5	4.00
5.	एआईआईएमएस	आईटीओ	9.5	7.00
6.	उद्योग भवन	आईटीओ	4	3.00

दक्षिण दिल्ली

रूट मालवीय नगर (एच के एम ब्लाक, मालवीय नगर) से कनाट प्लेस (वाईएमसीए जय सिंह रोड) वाया एआईआईएमएस, शास्त्री भवन

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	मालवीय नगर	एआईआईएमएस	5	4.00
2.	मालवीय नगर	शास्त्री भवन	11	8.00
3.	मालवीय नगर	कनाट प्लेस	13.5	1.000
4.	एआईआईएमएस	शास्त्री भवन	6	5.00
5.	एआईआईएमएस	कनाट प्लेस	8.5	7.00
6.	शास्त्री भवन	कनाट प्लेस	2.5	2.00

दक्षिण दिल्ली

रूट नेहरु प्लेस (पार्किंग एरिया, रोहित चेम्बर के सामने पंजाब नेशनल बैंक नेहरु प्लेस) से राजेन्द्र प्लेस (विक्रम टावर ईस्टर्न साइड के पास राजेन्द्र प्लेस) वाया एआईआईएमएस गोल मार्किट

	से	तक	दूरी कि मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	नेहरु प्लेस	एआईआईएमएस	6	5.00

1	2	3	4	5
2.	नेहरू प्लेस	गोल मार्किट	15	11.00
3.	नेहरू प्लेस	राजेन्द्र प्लेस	19	14.00
4.	एआईआईएमएस	गोल मार्किट	9	7.00
5.	एआईआईएमएस	राजेन्द्र प्लेस	13	1.000
6.	गोल मार्किट	राजेन्द्र प्लेस	4	3.00

दक्षिण दिल्ली

रूट भीकाजीकामा प्लेस (भीकाजीकामा प्लेस) से कामा प्लेस (वाईएमसीए जयसिंह रोड) वाया चाणक्य सिनेमा उद्योग भवन

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	बी कामा प्लेस	चाणक्य सिनेमा	2	2.00
2.	बी कामा प्लेस	उद्योग भवन	5.5	4.00
3.	बी कामा प्लेस	कनाट प्लेट	8	6.00
4.	चाणक्य पुरी	उद्योग भवन	3.5	3.00
5.	उद्योग भवन	कनाट प्लेस	2.5	2.00
6.	चाणक्य सिनेमा	कनाट प्लेस	6	5.00

दक्षिण दिल्ली

रूट महरौली (पुलिस स्टे. के पीछे महरौली) से आईटीओ (मसजिद के पास आईटीओ क्रासिंग) वाया एआईआईएमएस, सीजीओ कम्पलेक्स

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	महरौला	एआईआईएमएस	6	5.00
2.	महरौली	सीजीओ कम्प्लेक्स	10	8.00
3.	महरौली	आईटीओ	16 5	12.00
4.	एआईआईएमएस	सीजीओ कम्पलेक्स	4	3.00
5.	एआईआईएमएस	आईटीओ	10.5	8.00
6.	सीजीओ कम्पलेक्स	आईटीओ	6.5	5.00

दक्षिण दिल्ली

रूट धौलाकुआं (डिफेंस क्लब गुड़गांव रोड धौला कुआं) से आईएसबीटी (कश्मीरीगेट के पास, बाटा के सामने डीटीसी बस स्टेन्ड) वाया गोल मार्किट दिल्ली गेट

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	धौलाकुआं	गोलमार्किट	6	5.00
2.	धौलाकुआं	दिल्ली गेट	10	8.00
3.	धौलाकुआं	आईएसबीटी	15	11.00
4.	गोल मार्किट	दिल्लीगेट	4	3.00
5.	गोल मार्किट	आईएसबीटी	9	7.00
6.	दिल्ली गेट	आईएसबीटी	5	4.00

दक्षिण दिल्ली

रूट मस्जिद मोठ (एसटीए आफिस के पास) से आईएसबीटी (कश्मीरी गेट के पास, बाटा के सामने डीटीसी बस स्टेन्ड) वाया सीजीओ कम्पलेक्स दिल्ली गेट

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	मसजिद मोठ	सीजीओ कम्पलेक्स	4	3.00
2.	मसजिद मोठ	दिल्ली गेट	11.5	9.00
3.	मसजिद मोठ	आईएसबीटी	16 5	12.00
4.	सीजीओ कम्पलेक्स	दिल्ली गेट	7.5	6.00
5.	सीजीओ कम्पलेक्स	आईएसबीटी	12.5	9.00
6.	दिल्ली गेट	आईएसबीटी	5	4.00

दक्षिण दिल्ली

रूट ग्रेटर कैलाश । (एम ब्लाक) एम ब्लाक मार्किट ग्रेटर कैलाश (से कनाट प्लेस) वाईएम सीए जयसिंह रोड) वाया सी जी कम्पलेक्स, उद्योग भवन

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	जीके एम ब्लाक	सीजीओ कम्पलेक्स	6	5.00

1	2	3	4	5
2.	जीके (एम ब्लाक)	उद्योग भवन	12	9.00
3.	जीके (एम ब्लाक)	कनाट प्लेस	14.5	11.00
4.	सीजीओ कम्पलेक्स	उद्योग भवन	6	5.00
5.	सीजीओ कम्पलेक्स	कनाट प्लेस	8.5	7.00
6.	उद्योग भवन	कनाट प्लेस	2.5	2.00

दक्षिण दिल्ली

रूट ओखला फेस-II से आईटीओ क्रासिंग (मसजिद के पास, आईटीओ क्रासिंग) वाया लाजपत नगर, सीजीओ कम्पलेक्स

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	ओखला फेस II	लाजपतनगर	6	5.00
2.	ओखला फेस II	सीजीओ कम्पलेक्स	10	8 00
3.	ओखला फेस II	आईटीओ	16.5	12.00
4.	लाजपत नगर	आईटीओ कम्पलेक्स	4	3.00
5.	लाजपत नगर	आईटीओ	10.5	8.00
6.	सीजीओ	आईटीओ कम्पलेक्स	6.5	5.00

दक्षिण दिल्ली

रूट नेहरु प्लेस (दोहिल चैमबर, पंजाब नेशनल बैंक नेहरु प्लेस के सामने पार्किंग क्षेत्र) से कनाट प्लेस (बाईस जनपथ, न्यू दिल्ली के सामने पक्के फुटपाथ के सामने का स्थान) वाया मूलचन्द उद्योग भवन

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	नेहरु प्लेस	मूलचन्द	4	3.00
2.	नेहरु प्लेस	उद्योग भवन	12	9.00
3.	नेहरु प्लेस	कनाट प्लेस	14.5	11.00
4.	मूलचन्द	उद्योग भवन	8	6.00
5.	मूलचन्द	कनाट प्लेस	7.5	6.00
6.	उद्योग भवन	कनाट प्लेस	2.5	2.00

दक्षिण दिल्ली

रूट कालकाजी (कालकाजी, भगत सिंह कालेज के पास) से आईएसबीटी (कश्मीरी गेट के पास बाटा के सामने डीटीसी बस स्टैंड) वाया सीजीओ कम्पलेक्स, दिल्ली गेट

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	कालकाजी	सीजीओ कम्पलेक्स	8	6.00
2.	कालकाजी	दिल्ली गेट	15.5	12.00
3.	कालकाजी	आईएसबीटी	20.5	15.00
4.	सीजीओ कम्पलेक्स	दिल्ली गेट	7.5	6.00
5.	सीजीओ कम्पलेक्स	आईएसबीटी	12.5	9.00
6.	दिल्ली गेट	आईएसबीटी	3	4.00

दक्षिण दिल्ली

रूट जामिया यूनिवर्सिटी (होली फेमली हॉस्पिटल) से आईटीओ क्रासिंग के पास) वाया आश्रम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन

	से	तक	दूरी कि.मी. में	किराया प्रति यात्री
1.	जामिया यूनिवर्सिटी	आश्रम	3	3.00
2.	जामिया यूनिवर्सिटी	निजामुद्दीन रेलवे स्टे.	5	4.00
3.	जामिया यूनिवर्सिटी	आईटीओ	10	8.00
4.	आश्रम	निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन	2	2.00
5.	आश्रम	आईटीओ	7	5.00
6.	निजाममुद्दीन रेलवे स्टेशन	आईटीओ	5	4.00

अहमदाबाद में स्वर्ण शोधन शाला

2953. श्री हरिन पाठक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अहमदाबाद में कार्यरत स्वर्ण शोधन-शाला को बंद करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अहमदाबाद में कोई स्वर्ण शोधन शाला नहीं है। तथापि, अहमदाबाद में एक स्वर्ण संग्रहण एवं वितरण केन्द्र है जिसे दिनांक 1 मार्च, 1992 से बन्द कर दिया गया है।

(ख) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968 के निरसन के परिणामस्वरूप स्वर्ण संग्रहण एवं वितरण केन्द्र बन्द कर दिया गया है।

बी. सी. सी. आई. द्वारा जमा धनराशि का वापस लौटाया जाना

2954. श्री हरिन पाठक :

श्री राम टहल चौधरी :

श्रीमती मारगथम चन्द्रशेखर :

क्या वित्त मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नागरिकों का बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इंटरनेशनल में इसके बन्द होने के समय कितना पैसा जमा था ;

(ख) बैंक के बन्द होने के पश्चात कितने लोगों को उनका पैसा वापस मिला है; और

(ग) जिन भारतीय नागरिकों का पैसा वापस नहीं मिला है उन्हें पैसा वापस दिलाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल (ओवरसीज) लि. की बम्बई शाखा को बन्द किए जाते समय उसकी जमाराशियां (बैंक जमाराशियों के अतिरिक्त) 285/-करोड़ रुपए थी।

(ख) अभी तक किसी जमाराशि को वापसी अदायगी नहीं की गई है।

(ग) बैंक परिसमापनाधीन है। देय राशियों की वसूली और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जमाकर्ताओं को उनका धन अधिकतम सीमा तक वापस मिल जाए, अनन्तिम परिसमापक ने कारंवाई शुरू कर दी है।

कर्नाटक में जीवन बीमा निगम का मंडल कार्यालय

2955. श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा :

श्री के. एच. मुनियप्पा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के "घप घाट" क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम का एक मंडल कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान डिवीजनल कार्यालय के नियंत्रणाधीन क्षेत्र, पर्यवेक्षणाधीन शाखाओं की संख्या कारोबार की संभावना, प्रीमियम-आय, आर्थिक सक्षमता, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, आदि जैसे विभिन्न घटकों को देखते हुए, कर्नाटक के "घप घाट" क्षेत्र में नया डिवीजनल कार्यालय खोलना इस समय व्यवहार्य नहीं समझा जाता।

सुपारी का निर्यात

2956. श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सुपारी का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(ख) इसमें कर्नाटक का कितना योगदान रहा ; और

(ग) सुपारी के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई सुपारी की मात्रा निम्नलिखित है :

मात्रा : किलोग्राम में
मूल्य : रुपए में

	मात्रा	मूल्य
1988-89	99171	1424787
1989-90	1000	27,000
1990-91	शून्य	शून्य

(ख) राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) सुपारी के मुक्त रूप से निर्यात की अनुमति है और इसके लिए निर्यात लाइसेंस संबंधी किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है।

काफी व्यापारियों के लाइसेंस

2957. श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी व्यापारियों के लाइसेंस रद्द करने करने की मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) व्यापारियों को क्या सरकार काफी की नीलामी में बोली देने की अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) तथा (ख) काफी के व्यापारियों के लाइसेंस रद्द करने की कोई मांग नहीं की गई है ।

(ग) तथा (घ) काफी बोर्ड ने पूल से बिक्री करने वाले व्यापारियों को नीलामियों में भाग लेने के लिए पहले ही अनुमति दे दी है । पूल से बिक्री करने वाले व्यापारियों द्वारा जिन पूल बिक्री नीलामियों में भाग लिया जाता है काफी बोर्ड उनके जरिए घरेलू बाजार में काफी का विपणन करता है ।

(हिन्दी)

महाराष्ट्र से कपास की तस्करी

2958. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री गुरुदास कामत :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र से भारी मात्रा में कपास की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस फसल में कितने मूल्य कपास की तस्करी हुई;

(घ) उससे सरकार को कुल कितनी हानि हुई है; और

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) ऐसी सूचनाएं हैं कि महाराष्ट्र से कुछ कपास की तस्करी करके पड़ोसी राज्यों को भेजी जा रही है क्योंकि राज्य में कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना के अन्तर्गत गारंटी शुदा कीमतें पड़ोसी राज्यों में बाजार कीमतों की तुलना में कम हैं ।

(ग) और (घ) ऐसे प्रचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तस्करी की गई कपास के मूल्य की जानकारी नहीं है तथा सरकार को इस कारण से हुए कुल घाटे का भी पता नहीं लगाया जा सकता है ।

(ङ) महाराष्ट्र की सरकार द्वारा राज्य से कपास की तस्करी को रोकने के लिए उठाए

गए कदमों में शामिल हैं। उपजकर्ताओं को समर्थन कीमत की तुलना में 35 प्रतिशत अग्रिम अतिरिक्त कीमत का भुगतान करना, सीमावर्ती क्षेत्रों में गहन चौकसी करना तथा तस्करी की कपास को ले जाने वाले वाहनों के लाइसेंस को रद्द करना।

[अनुवाद]

कोचीन बन्दरगाह में सुधार कार्य

2959. प्रो. के. वी. थामस :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन बन्दरगाह के दक्षिणी छोर के सुधार कार्य में कितनी प्रगति हुई है,

(ख) इस परियोजना की कुल लागत कितनी है, और

(ग) इस क्षेत्र का किस प्रकार उपयोग करने का प्रस्ताव है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कोचीन पत्तन द्वारा सुधार के लिए ली गई, 19 हेक्टेअर भूमि में से 7 हेक्टेयर भूमि का पहले ही सुधार किया जा चुका है। शेष सुधार कार्य नवम्बर, 1992 तक पूरा किया जाना है।

(ख) इस परियोजना की कुल लागत 4.77 करोड़ रु. है।

(ग) विकास होने के बाद इस भूमि का उपयोग पत्तन क्रियाकलापों से संबंधित व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र

2960 श्री अन्ना जोशी :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कुछ और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) तथा (ख) और अधिक निर्यात प्रोसेसिंग जो स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय निवेश केन्द्र

2961 श्री अन्ना जोशी :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का भारतीय निवेश केन्द्र को मजबूत करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क), (ख) और (ग) भारतीय निवेश केन्द्र के कार्यनिष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और विदेशी निवेश जुटाने की इसकी भूमिका के बारे में आवश्यक उपाय किए जाते हैं ।

[हिन्दी]

उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीश

+

2962. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं विशेषकर गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियों को न भरे जाने के क्या कारण हैं,

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान जो रिक्तियां भरी गई उनका न्यायालय वार ब्योरा क्या है,

(ग) उच्च न्यायालयों, विशेषकर गुजरात उच्च न्यायालय में वरिष्ठ महिला वकीलों में से पर्याप्त संख्या में रिक्तियां नहीं भरी जा रही हैं, और

(घ) यदि हां, तो सरकार इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क), (ख), (ग) और (घ) एक विवरण जिसमें उच्च न्यायालयों में 1.9-1991 से अब तक की गई नियुक्तियां दर्शाई हैं, संलग्न है ।

उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित सांविधानिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया में शीघ्रता लाई गई ।

आज की तारीख तक उच्च न्यायालयों में 17 महिला न्यायाधीश हैं। केन्द्रीय विधि मंत्रियों ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और राज्य के प्राधिकारियों को बारे से उपयुक्त महिलाओं का, उच्च न्यायालयों में समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए, पता लगाने के लिए पत्र लिखा है। केन्द्रीय सरकार द्वारा महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्याय-मूर्तियों और राज्य के प्राधिकारियों से प्राप्त सिफारिशों पर सम्यक् रूप से विचार किया जाता है।

विवरण

क. सं.	उच्च न्यायालय	1-9-1991 से अब तक की गई नई नियुक्तियां
1.	इलाहाबाद	21
2.	आंध्र प्रदेश	4
3.	मुम्बई	3
4.	कलकत्ता	—
5.	दिल्ली	—
6	गुवाहाटी	4
7.	गुजरात	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—
9·	जम्मू और कश्मीर	2
10.	कर्नाटक	2
11.	केरल	—
12.	मध्य प्रदेश	—
13.	मद्रास	—
14.	उड़ीसा	—
15.	पटना	—
16.	पंजाब और हरियाणा	—
17.	राजस्थान	3
18.	सिक्किम	—
	योग :	46

थोक मूल्य सूचकांक

2963. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

डा. रमेश चन्द तोमर :

श्रीमती भावना चिखालिया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई 1991 से आज तक थोक मूल्य सूचकांक की साप्ताहिक स्थिति क्या है, और

(ख) गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ?

वित्त मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत वृद्धि सहित 29 जून, 1991 से (1 जुलाई, 1991 के निकटतम) अद्यतन थोक मूल्य सूचकांक की साप्ताहिक स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

सप्ताहान्त (तारीख)	थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1981 82 = 100) 1990-91	1991-92	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3	4
29.6.91	178.2	200.1	12.29
06.7.91	178.8	201.0	12.42
13.7.91	179.2	201.8	12.61
20.7.91	179.5	202.6	12.87
27.7.91	179.8	205.8	14.46
03.8.91	180.2	207.2	14.98
10.8.91	180.2	208.4	15.65
17.8.91	180.2	209.6	15.32
24.8.91	180.3	210.4	16.69
31.8.91	180.7	210.3	16.38

1	2	3		4
7.9.91	180.7	210.6		16.55
14.9 91	180.9	210.6		16.48
21.9.91	180.9	210.4		16.31
28.9.91	181.2	210.1		15.95
05.10.91	182.1	210.0		15.32
12.10.91	18.23	15.25		15.25
19.10.91	184.3	210.1		14.05
26.10.91	184.6	210.4		13.98
02.11.91	184.8	211.1		14.23
09.11.91	185.1	212.1		14.59
16.11.91	185.1	212.6		14.86
23.11.91	185.3	213.0		14.95
30.11.91	185.7	21[illegible].9		14.65
07.12.91	186.1	212.9		14.40
14.12.91	187.0	212.9		13.80
21.12.91	187.0	212.8		13.85
28.12.91	187.4	214.2		14.30
04.1.92	188.5	213.3	(প)	13.16
11.1.92	189.1	213.8	(প)	13.06
18.1.92	190.2	214.1	(প)	12.57
25.1.92	190.6	214.5	(প)	12.54
01.2.92	191.1	214.2	(প)	12.09
08.2.92	191.8	214.4	(প)	11.78
15.2.92	191.8	214.8	(প)	11.99
22.2.92	191.8	215.0	(প)	12.10

প = পনতিশ্ব

आयकर की बकाया राशि

2864. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1991 को राज्यवार, देश में आयकर दाताओं की कुल संख्या और उन पर आयकर की बकाया राशि कितनी है;

(ख) उन व्यक्तियों तथा संगठनों की संख्या कितनी है जिन पर एक करोड़ आयकर राशि बकाया है; और

(ग) पिछले गत तीन वर्षों के दौरान आयकर की अदायगी न किए जाने के कारण कितने व्यक्तियों या संगठनों को दण्डित किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) आयकर दाताओं की संख्या के बारे में तथा उनकी तरफ बकाया आयकर की राशि के बारे में सूचना का संकलन मुख्य आयुक्त के क्षेत्र-वार किया जाता है । इस सूचना को संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है ।

(ख) दिनांक 31-12-1991 की स्थिति के अनुसार 587 ऐसे करदाता थे, जिनमें से प्रत्येक की तरफ एक करोड़ रु. तथा उससे अधिक आयकर की राशि बकाया थी ।

(ग) जिन करदाताओं पर कर-मांग की अदायगी नहीं किए जाने के कारण आयकर अधिनियम की धारा 221 के अन्तर्गत दण्ड लगाया गया है, उनकी संख्या के आंकड़े आयकर विभाग में समेकित नहीं किए जाते हैं । समूचे देश के कर-निर्धारण अधिकारियों से इस प्रकार की सूचना को एकत्र करने के कार्य में पर्याप्त समय तथा श्रम लगेगा, जो प्राप्तव्य परिणाम के अनुरूप नहीं होगा ।

विवरण

क्र. सं.	मुख्य आयकर आयुक्त/ आयकर महानिदेशक का क्षेत्र	दिनांक 31-12-1991 की स्थिति के अनुसार आयकर निर्धारितियों की प्रभावी संख्या	दिनांक 31-12-1991 की स्थिति के अनुसार आयकर की बकाया मांग की राशि (करोड़ रु में)
1	2	3	4
1.	मुख्य आयकर आयुक्त, अहमदाबाद	3,33,734	144.96
2.	मुख्य आयकर आयुक्त-II, अहमदाबाद	4,24,450	177.63
3.	मुख्य आयकर आयुक्त, बंगलौर	4,12,865	164.23

1	2	3	4
	4. मुख्य आयकर आयुक्त, भोपाल	4,13,689	128.66
	5. मुख्य आयकर आयुक्त, बम्बई	3,80,546*	806.22
	6. मुख्य आयकर आयुक्त-II, बम्बई	3,08,99	608.63
	7. मुख्य आयकर आयुक्त-III, बम्बई	3,80,620	393.09
	8. आयकर महानिदेशक (जांच) बम्बई	877	313.94
	9. मुख्य आयकर आयुक्त, कलकत्ता	3,61,036*	232.97
	10. मुख्य आयकर आयुक्त-II, कलकत्ता	2,71,892	425.78
	11. मुख्य आयकर आयुक्त-III, कलकत्ता	3,32,255	206.97
	12. आयकर महानिदेशक (जांच) कलकत्ता	983	135.69
	15. मुख्य आयकर आयुक्त, कोचीन	1,89,979	116.21
	14. मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली	2,04,354*	135.93
	15. मुख्य आयकर आयुक्त-II, दिल्ली	2,34,032***	279.29
	16. मुख्य आयकर आयुक्त-III, दिल्ली	1,31,042***	232.39
	17. मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद	3,26,537	176.67*
	18. मुख्य आयकर आयुक्त, कानपुर	3,06,335	603.80
	19. मुख्य आयकर आयुक्त, लखनऊ	2,44,953	137.07
	20. मुख्य आयकर आयुक्त, मद्रास	4,91,514	183.99
	21. मुख्य आयकर आयुक्त-II, मद्रास	1,25,830	123.99
	22. मुख्य आयकर आयुक्त, पटना	5,76,187**	126.35*
	23. मुख्य आयकर आयुक्त, पटियाला	4,78,492	86.12
	24. मुख्य आयकर आयुक्त, पुणे	6,41,528	184.40
	25. मुख्य आयकर आयुक्त जयपुर	2,63,267	64.45
	26. मुख्य आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) दक्षिण बंगलौर	2,321	209.60
	27. मुख्य आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) उत्तर दिल्ली	3,972	324.07
	28. आयकर महानिदेशक (जांच) अहमदाबाद	943	96.67

* दिनांक 31-11-1991 को स्थिति के अनुसार

** (दिनांक 31-12-1991 की स्थिति रांची तथा भुवनेश्वर प्रभागों के लिए है किन्तु दिनांक 30-11-1991 की स्थिति पटना प्रभार के लिए है तथा दिनांक 31-10-1991 की स्थिति शिलांग प्रभार के लिए है।)

*** दिनांक 31-10-1991 की स्थिति के अनुसार

[अनुवाद]

जी. सी. ए. और आर. पी. ए. में निर्यात की वृद्धि दर

2965. श्री ई. अहमद :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून से नवम्बर, 1991 तथा दिसम्बर 1991 से फरवरी, 1992 तक सामान्य करेंसी क्षेत्र और रुपया भुगतान क्षेत्र में निर्यात की वृद्धि दर क्या थी;

(ख) भूतपूर्व सोवियत संघ के विघटन के कारण निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(ग) निर्यात की वृद्धि दर को पुनः बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) व्यापार आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर संकलित किए जाते हैं और इस समय अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के आंकड़े उपलब्ध हैं। अनन्तिम अनुमानों के अनुसार, अप्रैल-दिसम्बर 1990 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 1991 के दौरान सामान्य मुद्रा क्षेत्र (जी सी ए) को भारत के निर्यात में डालर के रूप में 6.3 प्रतिशत की तथा रुपए के रूप में 44.4 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज हुई। इसी अवधि के दौरान, रुपया भुगतान क्षेत्र (आर. पी. ए.) को भारत के निर्यात में डालर के रूप में 46.5 प्रतिशत तथा रुपए के रूप में 27.4 प्रतिशत की गिरावट हुई।

(ख) रुपया भुगतान क्षेत्र को निर्यात में कमी मुख्य रूप से भूतपूर्व सोवियत संघ में हुए राजनीतिक परिवर्तनों के कारण हुई।

(ग) सरकार ने नीति संबंधी कई सुधार किए हैं जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ बनाना और आयात के लिए लाइसेंस की व्यवस्था को काफी हद तक समाप्त करना है। इन सुधारों में रुपये की आंशिक रूप से परिवर्तनीयता, टैरिफ की दरों में कमी, संवेदनशील मदों के आयात को छोड़कर अधिकांश आयातों पर से लाइसेंस हटाना, अग्रिम लाइसेंसिंग प्रणाली को मजबूत बनाना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कुछ अन्य उपाय भी किए हैं जिनमें लाइसेंस के जरिए नियंत्रण कम करना, निर्यात संबंधी क्रियाविधियों को सरल बनाना, व्यापार बोर्ड को सक्रिय बनाना, चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श, व्यापार और उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क करना आदि शामिल हैं।

काले धन में वृद्धि

2966. श्री भाग्य गोवर्धन :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री के. जी. शिवप्पा :

प्रो. प्रेम धूमल :

श्री मोरेश्वर सावे :

श्री जीवन शर्मा :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वैच्छिक निक्षेप) योजना, विदेशी मुद्रा अदायगी (उन्मुक्ति) योजना और भारत विकास बंधपत्र योजना के अन्तर्गत पता लगाये गये काले धन की राशि संतोषजनक है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी योजनाओं को और अधिक सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित तीन योजनाओं में से, राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वैच्छिक निक्षेप) योजना, 1991, जिसे स्वैच्छिक निक्षेप (उन्मुक्तियां तथा छूट) अधिनियम, 1991 के तहत बनाया गया था, का उद्देश्य, काले धन को समाप्त करना था। अन्य दो योजनाओं नामतः, विदेशी मुद्रा प्रेषण (उन्मुक्ति) योजना, 1991 तथा भारतीय विकास बाण्ड योजना, 1991 का सम्बन्ध विदेशी मुद्राओं को जुटाना था। इनकी प्राप्ति के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

(ग) ये योजनाएं 31 जनवरी 1992 को बन्द कर दी गयी थीं और इनके बारे में और कोई उपाय प्रस्तावित नहीं हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा कम्पनियों/फर्मों को दिये गए ऋण

2967. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष महाराष्ट्र में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने कितनी कम्पनियों/फर्मों को एक करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया है;

(ख) क्या ये कम्पनियां/फर्म ब्याज और मूलधन की अदायगी नियमित रूप से कर रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो ऋण की अदायगी के संबंध में कितनी कम्पनियां/फर्म बकायादार हैं; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख), (ग) और (घ) आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए तरीके के अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, मार्च 1990 और मार्च 1991 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिमों की कुल राशि क्रमशः 25145 करोड़ रुपए और 29910 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा, 1989-90 और 1990-91 के वर्षों के लिए महाराष्ट्र राज्य में उद्योग क्षेत्र को समस्त वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और और संवितरित राशि निम्नानुसार थी।

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	स्वीकृत	संवितरित
1989-90	3544	1878
1990-91	4438	2567

भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को दिए गए उनके अग्रिमों के संबंध में उनकी देयराशियों को कम करने और वसूली कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं।

1. बैंकों से एक व्यवहार्य वसूली प्रणाली प्रारंभ करने के लिए कहा गया है ताकि बैंकों के सीमित संसाधनों का पुनर्उपयोग एक ओर अर्थव्यवस्था के जरूरतमन्द और उत्पादक क्षेत्रों के लिए किया जा सके।

2. बैंकों के मुख्य कार्यपालकों से बड़े अग्रिमों की निगरानी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के लिए कहा गया है।

3. कारगर निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजन के लिए व्यक्तिगत अग्रिमों के स्वास्थ्य को प्रदर्शित करने के वास्ते एक व्यापक और समान ग्रेडिंग प्रणाली आरंभ करना।

4. सर्वाधिक अवरुद्ध खातों की वसूली पर बोर्ड स्तर पर नजर रखना।

5. अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना, यदि अग्रिम उनकी लापरवाही, अक्षमता आदि के कारण अवरुद्ध हुए पाए जाएं।

जीवन बीमा निगम की शाखाएं

2968. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में इस समय जीवन बीमा निगम की कुल कितनी शाखाएं कार्यरत हैं; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान जीवन बीमा निगम की कितनी नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारत में इस समय काम कर रहे जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालयों की कुल संख्या 1761 है। इनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

राज्य	कार्यालयों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	151
2. अरुणाचल प्रदेश	1
3. असम	41
4. बिहार	90
5. गोआ	10
6. गुजरात	126
7. हरियाणा	36
8. हिमाचल प्रदेश	20
9. जम्मू एवं कश्मीर	17
10. कर्नाटक	122
11. केरल	72
12. मध्य प्रदेश	105
13. महाराष्ट्र	220
14. मणिपुर	3
15. मेघालय	3
16. मिजोरम	1
17. नागालैंड	3
18. उड़ीसा	45
19. पंजाब	56
20. राजस्थान	89
21. सिक्किम	1
22. तमिलनाडु	152
23. त्रिपुरा	3
24. उत्तर प्रदेश	212
25. पश्चिम बंगाल	121
संघ शासित क्षेत्र	
26. अण्डमान एवं निकोबार	1
27. चण्डीगढ़	4

28. दादरा एवं नगर हवेली	—
29. दमन एवं दीव	—
30. दिल्ली	55
31. लक्षद्वीप	—
32. पांडिचेरी	1
	1761

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम का वर्ष 1992-93 के दौरान लगभग 110 शाखा कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है । उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थानों के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

[अनुवाद]

राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया निर्यात

2969. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम ने किन-किन वस्तुओं का कितना-कितना और कितने मूल्य का निर्यात किया; और

(ख) यह निर्यात किन-किन देशों को किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मूल्य : करोड़ रु. में

मात्रा : 000 एम.टी. कोष्ठ में

निर्यात	1988-89	1989-90	1990-91	मुख्य देश
1	2	3	4	5
जूट के सामान	4.70	17.96	14.46	यू.एस.ए., बेल्जियम, यू.एस.के., स्वीडन, यू.एस. आर., सीरिया,

1	2	3	4	5
अरण्डी का तेल	42.26 (25)	82.57	9.40	बेंकों, यू.एस.एस.आर., जापान, यू.के., थाइलैण्ड
शीरा	3.23	11.55	25.54	यू.एस.एस.आर.इटली, नीदरलैण्ड, जर्मनी, स्पेन,
अल्कोहल	7.99 (18)	2..00 (41)	21.75 (36)	जापान, कोरिया
चीनी	20.62 (32)	22.37	51.90 (65)	श्रीलंका, बेल्जियम, नीदरलैण्ड, जर्मनी, नेपाल, यू.एस.ए.
अफीम	0	8.95	9.68	यू एस.एस.आर
अरण्डी का तेल	0	22.32	5.05	
जूट के सामान	1.05	7.57	14.46	
चावल	13.02	64.14 (58)	5.51 (5)	कुवैत, एस. अरेबिया, बहरीन, श्री लंका, यमन
तम्बाकू	3.03	0.[illegible]8	1.20	बेल्जियम, एफ.आर.जी., यू.एस.एस.आर., यू.के.
काफी	10.03	5.97 (2)	4.76 (2)	यू.एस.ए., यूगोस्लोवाकिया, जर्मनी, इटली, कुवैत
मसाले	3.09	6.47	1.02	यू.एस.ए., श्री लंका
चाय	12.02 (3)	4.66 (1.6)	1.73 (0.7)	ट्यूनीशिया, ईरान, लीबिया
निस्तारण	40.39	21.07	21.00 (26)	यूएसएसआर, एस. अरब, आर.कोरिया,

1	2	3	4	5
				सिंगापुर, पोलैण्ड, जापान, यूएई, ऑस्ट्रेलिया हांगकांग, ईरान
गेहूं	2.31	0	11.45	सूडान, कोरिया, नेपाल
खेलकूद के सामान	2.22	2.53	2.27	इथोपिया, यू.के., यूएसएसआर
वस्त्र/आरएमजी/कॉयर	8.57	1.23	6.60	यूएसए. सिंगापुर, फ्रांस यूएसएसआर., बंगला देश, जर्मनी, स्वीडन, थाइलैण्ड
उपभोक्ता सामान	10.24	14.18	4.45	यूएसएसआर, यूके, अल्जीरिया, यूएई, एफआरजी.
इंजीनियरी/निर्माण के माल	12.88	7.75	13.39	यूके, सिंगापुर, यूएसए, आस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, ताइवान, यूएई, ईराक
रसायन तथा दवाइयाँ	31.18	31.17	29.25	अल्जीरिया, चाइना, हांगकांग, जर्मनी, यूएस, साउदी अरबीया, जापान, स्वीटजरलैण्ड
मांस तथा समुद्री उत्पाद	1.44	0.96	1.08	मलेशिया, यूएई, अफगानिस्तान, यूएसए.
ताजा और संसाधित खाद्य (नमक) सहित	4.95	4.05	7.47	इटली, जर्मनी, नीदरलैण्ड, आस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, यूके, सिंगापुर, नेपाल, बंगलादेश, स्वीटजरलैण्ड

1	2	3	4	5
चमड़ा तथा चमड़े का सामान	7[illegible].76	66.56	34.07	आर. कोरिया; पुर्तगाल, जर्मनी, यू.एस.एस. आर. नीदरलैण्ड
पति व्यापार	217.71	341.01	83.00	
अपतटीय व्यापार	4.02	14.50	0	
अन्य	1.85	0.17	2.81	
कुल निर्यात	529.51	751.70	3[illegible]8.79	

गोवा शिपयार्ड

2970. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोवा शिपयार्ड के विकास के लिये कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से 6 98 करोड़ रुपये की लागत पर एक नये जलावतरण-मंच के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव को सरकारी स्वीकृति पहले ही दे दी गई है।

गोआ में सेतुओं का निर्माण

2971. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन गोआ सरकार द्वारा राज्य में सेतुओं के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) तथा (ख) पुलों के निर्माण जो राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के 68-85 कि.मी. के बीच की पुनर्रचना परियोजना का एक हिस्सा है, से सम्बन्धित निम्नलिखित दो प्राक्कलन नवम्बर, 1991 में गोवा राज्य सरकार से प्राप्त हुए थे :—

(I) रा.रा.-17 के 70 कि.मी. पर तलपोना नदी पर पुल का निर्माण।

(II) रा.रा.-17 के 75 कि.मी. पर गजगोबाग नदी पर पुल का निर्माण।
इन दोनों प्राक्कलनों की जांच की जा रही है।

गोआ में नदियों का तलकर्षण

2972. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भारतीय तलकर्षण निगम द्वारा गोआ में कितनी धनराशि खर्च की गई है, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान किए गए तल-कर्षण कार्य का ब्योरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) गोवा में नदियों के निकर्षण पर पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय निकर्षण निगम द्वारा खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	लाख रु.
1988—89	शून्य
1989—90	88.33
1990—91	59.49

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान माण्डोवी नदी में किए गए निकर्षण कार्य के ब्योरे नीचे दिये गए हैं :—

वर्ष	घन मीटर में मात्रा
1988—89	शून्य
1989—90	67,388
1990—91	46,810

[हिन्दी]

बैंकों द्वारा ब्याज की वसूली

2973. श्री दिलीप सिंह भूरिया :

श्री रवि राय :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीयकृत, सरकारी तथा अन्य बैंकों द्वारा लेनदारों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दरों से अधिक ब्याज वसूल किये जाने की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विभिन्न संघों आदि से उन्हें कई अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो ऊंची उधार ब्याज दर और बैंकों द्वारा 2 लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों के लिये मनमानी ब्याज दर वसूली के सम्बन्ध में हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 फरवरी, 1992 को बैंकों से कहा था कि हालांकि वे उधार की वास्तविक दरों का निर्धारण करने के लिये स्वतन्त्र हैं, फिर भी यह आवश्यक है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम उधार ब्याज दर और विभिन्न ऋणकर्ताओं से वसूल की जाने वाली वास्तविक दरों के बीच दर की रेंज का निर्णय लेते समय उद्देश्यात्मक और युक्तियुक्त ढंग अपनाया जाए। 2 मार्च, 1992 से 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमाओं पर एक प्रतिशत प्वाइन्ट की कमी कर दी गई है अर्थात् उन्हें 20% (न्यूनतम) से घटाकर 19% (न्यूनतम) कर दिया गया है और बैंकों से पहले ही कहा गया है कि इस श्रेणी के अंतर्गत सभी उधारकर्ताओं के लिये दरों को 2 मार्च, 1992 से पूर्व के ऐसे उधारकर्ताओं से वसूल की जाने वाली दरों को कम से कम एक प्रतिशत प्वाइंट घटा दें।

[अनुवाद]

नशीली दवाओं को जब्त करना

2974. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर राजस्थान में पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा जब्त की गई नशीली दवाओं की मात्रा और ब्योरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिसम्बर, 1991 में राजस्थान में भारी मात्रा में अफीम जब्त की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(घ) इस सम्बन्ध में पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा देश में तथा राजस्थान में पकड़े गये नशीले पदार्थों की मात्रा और ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

नशीले पदार्थ का नाम	1989		1990		1991 (अनंतिम)	
	पूरे देश में	राजस्थान	पूरे देश में	राजस्थान	पूरे देश में	राजस्थान
1	2	3	4	5	6	7
अफीम	4855	887	2114	139	1977	634
हेरोइन	2714	369	2193	399	621	60
मार्फीन	92	—	6	—	5	—
गांजा	54463	2	39090	49	48210	418
हशीश	8179	1801	6388	1870	4397	1625
कोकीन	3	0100	1	—	—	—

(ख) से (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 20 दिसम्बर, 1991 को झालावाड़, राजस्थान के बस स्टैंड के निकट से 88.4 किलोग्राम अफीम पकड़ी। इस मामले में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। इस मामले में संगत कानून के अधीन उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

वस्तु-विनिमय करार

2975. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल संघ (फिक्की) ने सरकार से आग्रह किया है कि वह भारतीय कंपनियों द्वारा प्रस्थापित के साथ अदायगी योजना के अंतर्गत विदेशी कंपनियों के साथ किये गये वस्तु-विनिमय करारों को परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में हुए निर्यातों से अर्जित बिक्री आय के समकक्ष समझे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है/सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सहायता प्राप्त परियोजना के लिए रुपए में धनराशि उपलब्ध कराना

2976. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 की असाधारण वित्तीय आवश्यकताओं को तुरन्त दी जाने वाली सहायता और क्षेत्रीय समायोजन से सम्बन्ध ऋणों के माध्यम से पूरा किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये विश्व बैंक बहुराष्ट्रीय एजेन्सियों तथा विकसित ऋणदाता देशों से वार्ता आरम्भ करने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये रुपये में धनराशि उपलब्ध कराने के अपने अंश में बढ़ोतरी करने के बारे में भारत के सुझाव पर सहमत हो गया है;

(ग) क्या भारत ने यह सुझाव भी दिया है कि राजकोषीय समायोजन की सहायता से सरकार का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करना है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सुझाव को विश्व बैंक ने स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) 1992-93 तथा 1993-94 के लिए धनराशि प्रदान करने के बारे में विश्व बैंक द्वारा अंतिम निर्णय कब तक कर लिया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां ।

(ख) यह अभी विचार-विमर्श के प्रारम्भिक चरण में है तथा इस बारे कोई वचनबद्धता नहीं गई है ।

(ग) और (घ) जी, हां ।

(ङ) भारत सहायता संघ की 1992 और 1993 की वार्षिक बैठकों में निर्णय लिये जाएंगे ।

रक्षा क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग

2977. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री रवि राय :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारत और फ्रांस सिद्धान्त रूप से रक्षा क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिये सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क), (ख) और (ग) भारत और फ्रांस के बीच पिछले कई वर्षों से रक्षा के क्षेत्र में सहयोग चलाया जा रहा है । इसका विवरण देना राष्ट्रीय हित में नहीं है ।

मुम्बई अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर सोना जब्त करना

2978. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कस्टम अधिकारियों ने मुम्बई अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर जनवरी, 1992, में करोड़ों रुपये की मूल्य की सोने की छड़ें जब्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और जब्त किए गए सोने की मात्रा और मूल्य का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में जिन व्यक्तियों को सजा दी गई है उनका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सूचना प्राप्त होते ही, दिनांक 13-1-1992 को, सहार हवाई अड्डा सीमा-शुल्क, मुम्बई के अधिकारियों ने लोहे के चक्के की तरह के 575 किलोग्राम वजन के एक गोल पहिये को पकड़ लिया, जोकि गल्फ एयर द्वारा शारजाह से लाया गया था और जिसका एयरवे बिल में बंगलौर की एक पार्टी को सुपुर्दगी देने के लिए, लोकार्बन कार्बन स्लाइड स्टील फलेंज के रूप में उल्लेख किया था। प्रारंभिक जांच-पड़ताल से यह पता चलता है कि आयात एक नकली नाम और पते पर किया गया था, और इससे इस कार्य में शामिल व्यक्तियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। स्टील फलेंज को काट दिया गया और इसके फलस्वरूप लगभग 10.57 करोड़ रुपये के मूल्य की लगभग 213.72 किलोग्राम की 1832 सोने की छड़ें बरामद हुईं और उन्हें अभिगृहीत कर लिया गया।

छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता

2979. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री बापू हरि चौरे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं कि छोटे तथा मध्यम समाचार पत्रों को दी गई अग्रिम राशि को वरीयता प्राप्त क्षेत्र को दी गयी अग्रिम राशि के रूप में माना जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या लघु उद्योगों को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को भी उपलब्ध कराई जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं जिनके अनुसार छोटी और मझोली अख-

वाली इकाइयों को मंजूर किए जाने वाले अग्रिम, जो लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए दिए गए विशेष मानदण्ड को पूरा करते हैं, उन्हें प्राथमिकता अग्रिमों के रूप में माना जाए। बैंकों से ऐसी इकाइयों के लिए ब्याज सीमा मार्जिन आदि की दर में रियायतें प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, जैसाकि अन्य लघु उद्योग इकाइयों के लिए साधारणतया उपलब्ध हैं।

मुम्बई गोदी मजदूर बोर्ड तथा बी पी टी में समझौता

2980. श्री चार्ल्स फर्नान्डीज :

श्री रवि राय :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मजदूरों की समस्याएं हल करने के लिए मुम्बई गोदी मजदूर बोर्ड, श्रमिक संघों तथा मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इसी आधार पर देश के अन्य बड़े बन्दरगाहों से भी समझौता करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां। बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड के आर्थिक संकट को हल करने के लिए बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड के प्रबन्धकों, बम्बई स्टीवडोर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और श्रमिक यूनियनों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) समझौते की मुख्य-मुख्य बातें अनुबन्ध में दी गई हैं।

(ग) किसी अन्य गोदी श्रमिक बोर्ड से इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. बम्बई पत्तन गोदियों में कैजुअल श्रमिकों के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। चिपिंग और पेन्टिंग श्रमिक स्कीमों को छोड़कर गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा प्रचालित सभी स्कीमों का एक ही स्कीम में विलय किया जाएगा। विभिन्न स्कीमों से संबंधित श्रमिकों की परस्पर पूर्ण अदला-बदली का प्रावधान किया जाएगा।

2. चिपिंग और पेंटिंग श्रमिकों को बम्बई पत्तन न्यास अपनाया जाएगा।

3. यदि कोई फालतू श्रमिक हों तो उन्हें प्रशिक्षण देकर उपयुक्त रूप से पुनः नियुक्त किया जाएगा।

4. श्रमिक पिछले तीन वर्षों के दौरान निष्पादन के आधार पर निश्चित आउटपुट स्तर को

बनाए रखने पर सहमत है और यदि वह निष्पादन स्तर नहीं बनाए रखा जाता तो समुचित वेतन कटौती लागू की जाएगी।

5. फालतू जनशक्ति को कम करने के लिए एक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम शुरू की जाएगी।

6. स्कीम के वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हो जाने के बाद गोदी श्रमिक बोर्ड के श्रमिकों को बम्बई पत्तन न्यास द्वारा खपाया जाएगा और बाद में गोदी श्रमिक बोर्ड समाप्त कर दिया जाएगा और उसका बम्बई पत्तन न्यास में विलय कर दिया जाएगा।

7. श्रमिकों का कोई पंजीकरण तब तक समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के माध्यम से श्रमिकों की संख्या को घटा कर लगभग 2000 करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिया जाता।

8. सितम्बर, 1991 से बकाया राशि का भुगतान करने सहित बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड की वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड की सहायता करने हेतु भारत सरकार और बम्बई पत्तन न्यास उपयुक्त उपाय करेंगे।

नारियल का निर्यात

[हिन्दी]

2981. श्री राजवीर सिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल के निर्यात के लिये वर्ष 1990-91 के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया गया था;

(ख) क्या निर्यात निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप किया गया था ;

(ग) क्या वर्ष 1991-92 के लिये निर्धारित लक्ष्य वर्ष 1990-91 के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) नारियल के निर्यात की अनुमति नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों/कंपनियों द्वारा बांड जारी करना

2982. श्री राजवीर सिंह :

डा. लाल बहादुर रावल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 और 1992 में अब तक केन्द्र सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्योगों/कंपनियों को बांडों के माध्यम से अतिरिक्त धन जुटाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों/कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में किस दर से ब्याज/लाभांश का भुगतान किया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	स्वीकृत राशि	(करोड़ रुपए) ब्याज दर
1	2	3	4
	1991		
1.	न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन लि. बम्बई	162.18 रु.	13% कर देने योग्य बांड
2.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	435.00 रु.	—तदैव—
3.	शहरी आवास विकास निगम	400.00 रु.	9% कर रहित
4.	विद्युत वित्त निगम लि.	300.00 रु.	13% कर देने योग्य बांड
5.	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.	615.00 रु.	250 9% कर रहित 365 कर योग्य
6.	भारतीय रेलवे वित्त निगम लि.	800.00 रु.	9% कर रहित बांड
7.	कोल इण्डिया लि.	400.00 रु.	13% कर योग्य बांड
8.	भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि.	50.00 रु.	—तदैव—
9.	भारतीय रेलवे वित्त निगम (के. आर. सी.)	150.00 रु.	9% कर रहित बांड
10.	भारतीय रेलवे वित्त निगम	700.00 रु.	—तदैव—
11.	आवास और शहरी विकास निगम	300.00 रु.	—तदैव—
12.	दामोदर वेली कारपोरेशन लि.	200.00 रु.	कर योग्य बांड
13.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	422.00 रु.	—तदैव—
14.	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि.	800.00 रु.	250 9% कर रहित 550 कर योग्य बांड
15.	न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन लि.	586.00 रु.	100 9% कर रहित 486 कर योग्य बांड

1	2	3	4
16.	ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन लि.	260.00 रु.	कर योग्य बांड
	1992 (5 मार्च, 1992 तक)		
1.	राष्ट्रीय विद्युत प्रसारण निगम लि.	200.00 रु.	100 9% कर रहित बांड 100 कर योग्य बांड*
2,	स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि..	300.00	कर योग्य बांड*
3.	भारतीय रेल वित्त निगम लि. (कोंकण रेल निगम के लिए)	100.00	9% कर रहित

* 1-8-91 के बाद जारी किए गये योग्य बांडों के मामले में ब्याज की दर से प्रतिबन्ध हटा लिए गये थे और ब्याज दर बांड जारी करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और सहभागी निवेश संस्था के साथ निर्णय किए जाने के लिये छोड़ दी गई थी।

राजस्थान में कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

[अनुवाद]

2983. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कम्पनी अधिनियम, 1956 की परिधि में आने वाली कम्पनियों द्वारा इस अधिनियम की धारा 109, 160, 161, 220 तथा 621 (क) का उल्लंघन किये जाने संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ख) इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) व (ख) 1-4-90 से 28-2-92 तक की अवधि के दौरान, शेयर पूंजी वाली कम्पनियों द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार के पास वार्षिक विवरणियां दायर करने से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159 तथा तुलनपत्र एवं लाभ व हानि लेखा दायर करने से संबंधित धारा 220 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए राजस्थान में 161 कम्पनियों के विरुद्ध अभियोजन शुरू किए गये थे। धारा 109 शेयरों के अन्तरण की वैधता अथवा मृत सदस्य के वैधानिक प्रतिनिधि के अन्य हित के बारे में है और इसके उल्लंघन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो सकता। धारा 160 बिना शेयर पूंजी वाली कम्पनियों द्वारा वार्षिक विवरणियां दायर करने से संबंधित है और उस धारा के अन्तर्गत अभियोजन के कोई मामले नहीं थे। धारा 161 वार्षिक विवरणियों पर निर्धारित व्यक्तियों के हस्ताक्षरों की अपेक्षा के बारे में है, और जहां वार्षिक विवरणियां दायर नहीं की गयी थीं, वहां धारा 161 के लागू होने या इसके उल्लंघन का प्रश्न ही

नहीं उठता। धारा 621क अपराधों को संज्ञेय बनाने के सम्बन्ध में है और राजस्थान में इस धारा के अन्तर्गत दिये गये आदेशों के उल्लंघन के विषय में अभियोजनों के कोई भी मामले नहीं हैं।

कम्पनियों द्वारा अंशधारियों को संक्षिप्त रिपोर्ट दिया जाना

2984. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 के दायरे में आने वाली कुछ कम्पनियां उक्त अधिनियम की धारा 220 का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बहुत सी कम्पनियों ने अपने अंशधारियों को संबंधित कम्पनी की वित्तीय स्थिति स्पष्ट करने के लिये सम्पूर्ण तुलन पत्र तथा अपनी लाभ व हानि का लेखा भेजने के बजाय केवल संक्षिप्त रिपोर्ट (तुलन पत्र सहित) भेजी है और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा प्रत्येक कम्पनी द्वारा अपने अंशधारियों को सम्पूर्ण तुलन-पत्र तथा उसकी लाभ हानि का लेखा दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) जी हां। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 कम्पनी रजिस्ट्रार के यहां तुलन पत्र आदि दायर किए जाने के बारे में है। इस प्रकार का उल्लंघन होने के मामले में कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(ख) तथा (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 219 (1) (ख) (iv) में यह प्रावधान है कि ऐसी कम्पनी, जिसके शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, के मामले में तुलन पत्र तथा लाभ व हानि लेखा उसके प्रत्येक सदस्य को भेजने की आवश्यकता नहीं होती। यदि इन दस्तावेजों की प्रतियां इसके पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं तथा ऐसे दस्तावेजों की मुख्य विशेषताएं वाला विवरण निर्धारित प्रोफार्मा में उन्हें उपलब्ध कराया जाता है या इन दस्तावेजों की प्रतियां जैसा भी कम्पनी उपयुक्त समझे, कम्पनी के प्रत्येक सदस्य को निर्धारित अवधि के भीतर भेज दी जाती है। तथापि, ऐसी कम्पनी का कोई भी शेयर धारक मांग करने पर इस बात का हकदार होता है कि उसे निःशुल्क कम्पनी के अन्तिम तुलनपत्र की प्रति और उससे सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रति दी जाये। कम्पनी विधि बोर्ड को आदेश द्वारा यह निदेश देने की शक्तियां भी प्राप्त हैं कि सम्बन्धित व्यक्ति को मांगी गई प्रति तत्काल उपलब्ध कराई जाये। उपर्युक्त उपबन्ध कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा 17 अप्रैल, 1989 से लागू किये गए थे। संक्षिप्त तुलन पत्र तथा संक्षिप्त लाभ व हानि लेखाओं का फार्म सं.-23-क ख भी कम्पनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम तथा फार्म 1956 में एक अधिसूचना द्वारा 17 अप्रैल, 1989 को शामिल किया गया था। इन उपबन्धों को देखते हुए, यदि सूचीबद्ध कम्पनियां निर्धारित संक्षिप्त फार्म में दस्तावेज भेजें तो कोई उल्लंघन नहीं होगा।

स्टाक एक्सचेंजों के लिए समान आचार संहिता

2985. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों के कर्मचारी अधिकारी प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक्सचेंज की विभिन्न आचार संहिताओं को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा देश में सभी स्टाक एक्सचेंजों द्वारा समान आचार संहिता अपनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) (क) से (ग) स्टाक एक्सचेंज प्राधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि एक्सचेंज, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के उपबन्धों तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अनुरूप कार्य करते हैं। प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों में संरक्षण तथा विकास संवर्धन के लिए एक बोर्ड की स्थापना का उपबन्ध करने और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिये हाल ही में भारतीय प्रतिभूति विनिमय अध्यादेश प्रख्यापित किया है।

विदेशी मुद्रा जमा के लिए रियायती योजनायें

2986· श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा जमा पर जिसकी अवधि 31 जनवरी, 1992 को पूरी हो गई है, छूट देने की योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक इन दो योजनाओं के अन्तर्गत अनिवासी भारतीयों से सरकार को देशवार कितनी राशि प्राप्त हुई है: और

(ग) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत धनराशि जमा करने वाले अनिवासियों की संख्या क्या है और वे किन-किन राज्यों के हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)। (क) जी, नहीं। विदेशी मुद्रा प्रेषण (उन्मुक्ति) योजना, 1991, 31 जनवरी, 1992 को पहले ही बन्द हो चुकी है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी सूचना संकलित नहीं की जाती है क्योंकि ऐसा करना कठिन है।

आम और फूलों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु किसानों को सुविधा

[हिन्दी]

2987. श्री दिलीप भाई संघानी।

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार का आमों और फूलों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए किसानों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) आम और फूलों के उत्पादन तथा निर्यात में सुधार करने के लिए सरकार राष्ट्रीय बागान बोर्ड और कृषि तथा सम्बन्धित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से विभिन्न सहायता योजनायें चला रही है। इन योजनाओं के तहत उपजकर्त्ताओं, उनके संगठनों और संघों, निर्यातकों, उद्यमियों आदि को सहायता प्रदान की जाती है।

जीवन बीमा निगम द्वारा गुजरात को वित्तीय सहायता

2988 श्री दिलीप भाई संघानी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष गुजरात में जीवन बीमा निगम द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए दी गई वित्तीय सहायता की राशि कितनी है; और

(ख) वे कौन सी योजनाएं हैं जिनके लिए जीवन बीमा निगम चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रहा है और उनके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जैसाकि संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जैसाकि संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

गुजरात राज्य में जीवन बीमा निगम के निवेश

(करोड़ रुपए)

श्रेणी		1989-90 के दौरान निवेश	1990-91 के दौरान निवेश
1	2	3	3
1.	राज्य सरकार प्रतिभूतियां	5.52	4.50
2.	भूमि विकास बैंक ऋणपत्र	1.75	1.70
3.	राज्य बिजली बोर्ड बांड	3.00	3.00
4.	म्यूनिसिपल तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1.98	1.98

1	2	3	4
	निम्नलिखित को ऋण।		
	5. सामाजिक आवास योजना के लिए राज्य सरकार योजना	6.81	5.39
	6. शीर्ष सहकारी आवास वित्त समिति	20 14	20.0
	7. राज्य सरकारों/नगर पालिकाओं/जिला परिषदों आदि को जल आपूर्ति योजनाओं के लिए	13.33	0.90*
	8. राज्य बिजली बोर्ड	19.24	22.75
	9. राज्य सड़क परिवहन निगम	4.70	5.56
	जोड़ :—	76.47	65.86

* 1990-91 के आवंटन के प्रति स्वीकृत 14.43 करोड़ रुपए का ऋण 1991-92 में संवितरित किया गया।

विशेष ध्यान दें :—इस विवरण में निजी क्षेत्र (निगमित क्षेत्र) में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

विवरण-II

गुजरात राज्य में जीवन बीमा निगम के निवेश

(करोड़ रुपए)

श्रेणी	योजना आयोग द्वारा आवंटित/अब तक स्वीकृत राशि	वास्तव में निवेश की गई/अब तक जारी राशि
1	2	3
1. राज्य सरकार प्रतिभूतियां		6.50
2. भूमि विकास बैंक ऋण पत्र		2.00
2क. राज्य वित्त निगम		3.00
3. राज्य बिजली बोर्ड बांड		5.00
4. म्यूनिसिपल तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		—

1	2	3
निम्नलिखित को ऋण :		
5. सामाजिक आवास योजना के लिए राज्य सरकार	7.81	—
6. शीर्ष सहकारी आवास वित्त समिति	15.00	20.07*
7. राज्य सरकारों/नगर पालिकाओं/जिला परिषदों आदि को जल-आपूर्ति योजनाओं के लिए	17.48	14.53*
8. राज्य बिजली बोर्ड	25.02	—
9. राज्य सड़क परिवहन	6.12	—
10. गुजरात राज्य पुलिस आवास निगम	5.00	2.50
योग :—		53.70

* इस विवरण में निजी क्षेत्र (निगमित क्षेत्र) में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

* इसमें पिछले वर्ष की पहले की वचनबद्ध राशि (जल-आपूर्ति योजनाओं के लिए 14.43 करोड़ रुपए तथा शीर्ष सहकारी आवास वित्त समिति के लिए 10.07 करोड़ रुपए की राशि) शामिल है।

भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

[अनुवाद]

2989. श्री के. वी. तंगकाबालू :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जहाजरानी निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ;

(ख) भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा इस अवधि के दौरान पोतों की मरम्मत तथा रख-रखाव पर कितनी राशि खर्च की; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष निगम को कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी गई ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय नौवहन निगम द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा और मरम्मत तथा रखरखाव पर खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	अर्जित राशि	मरम्मत और रख-रखाव पर व्यय की गई राशि
	(करोड़ रु.)	
1988-89 (५ महीने)	175	33
1989-90	264	42
1990-91	296	57

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय नौवहन निगम को ऋण के रूप में दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :—

वर्ष	करोड़ रुपए
1988-89	109.40
1989-90	138.41
1990-91	84.29

भारत और चीन के बीच व्यापार

2990. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और चीन के बीच व्यापार घटा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत चीन व्यापार का वर्षवार ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या भारत-चीन संयुक्त व्यापार परिषद ने नई दिल्ली में हाल ही में हुई अपनी बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ योजनायें बनाई हैं और व्यापार के लिए क्षेत्रों का पता लगाया है। और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार निम्नानुसार था :—

(करोड़ रुपए)

	भारत से निर्यात	चीन से आयात
1988-89	66.33	141.94

1989-90	39.10	65.84
1990-91	32.55	63.62

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना एवं
सांख्यिकी महानिदेशालय

(ग) तथा (घ) भारत-चीन संयुक्त व्यापार परिषद ने दिनांक 17-2-92 को हुई अपनी बैठक में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी अन्तरण और संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्र अभिज्ञात किए :—

1. धातु कर्म
2. कृषि क्षेत्र के लिए रसायन
3. पेट्रोरसायन
4. खाद्य प्रसंस्करण
5. रेशम-उत्पादन
6. आटोमोबाइल संघटक
7. दूरसंचार उपस्कर एवं
   कम्प्यूटर साफ्टवेयर

रबड़ के वृक्ष लगाने वालों को दिए गए ऋणों की ब्याज दरें

2991. श्री पी. सी. थामस :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक अन्य बैंकों को रबड़ के वृक्ष लगाने के लिए किन-किन ब्याज-दरों पर ऋण देता है;

(ख) ये बैंक रबड़ के वृक्ष लगाने वालों को किन ब्याज-दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान सरकार को ऐसी कुछ शिकायतें मिली हैं कि ये बैंक वृक्षारोपण करने वालों से ब्याज की ऊंची दरें वसूल करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि मौसमी कृषि कार्यों के ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त पर ब्याज की दर, वर्ष के दौरान केन्द्रीय सहकारी बैंक स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के मुकाबले औसत बकाया की तुलना में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से लिए गये औसत ऋणों की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। इस प्रकार पुनर्वित्त की ब्याज दरें निम्नानुसार हैं:—

केन्द्रीय सहकारी बैंक स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के मुकाबले औसत बकाया की तुलना में राष्ट्रीय बैंक से लिये गये औसत ऋणों की प्रतिशतता	पुनर्वित्त की ब्याज दर प्रतिशत वार्षिक
34 से कम	3.00
34 और अधिक लेकिन 37 से कम	3.00
37 और अधिक लेकिन 40 से कम	3.50
40 और अधिक लेकिन 45 से कम	4.00
45 और अधिक लेकिन 50 से कम	4.50
50 और अधिक लेकिन 58 से कम	5.00
58 और अधिक लेकिन 67 से कम	5.50
67 और अधिक लेकिन 80 से कम	6.00
80 और अधिक	6.50

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वृक्षारोपण और बागवानी ऋणों सहित सावधि रिणों के लिए बैंकों से अपने पुनर्वित्त पर वसूल की जाने वाली ब्याज की दरें निम्नानुसार हैं :—

सीमा का आकार	पुनर्वित्त पर ब्याज की दर
(i) 15,000/-रुपए तक	6.5%
(ii) 15,000/-रुपए से अधिक और 50,000/-रुपए तक	7.5%
(iii) 50,000/-रुपए से अधिक और 2 लाख रुपए तक	10.5%
(iv) 2 लाख रुपए से अधिक	राष्ट्रीय बैंक द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज दर से 4.5% कम

(ख) वृक्षारोपण/बागवानी के लिए सावधि ऋणों पर अन्तिम उधारकर्ताओं से बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज की दर;

(I) 7,500/-रुपए तक और उसके सहित	11.5%
(II) 7,500/-रुपए से अधिक और 15,000/-रुपए तक	13.0%
(III) 15,000/-रुपए से अधिक और 25,000/-रुपए तक	13.5%
(IV) 25,000/-रुपए से अधिक और 50,000/-रुपए तक	14.0%

(V) 50,000/-रुपए से अधिक और 2 लाख रुपए तक	15.0%
(VI) 2 लाख रुपए से अधिक	15.0% (न्यूनतम)

(ग), (घ) और (ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें सितम्बर 1991 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें एक वित्तपोषक बैंक द्वारा रबड़ बागान के लिये प्रदान किये गये बकाया सावधि ऋण का ब्याज कम करने का अनुरोध किया गया था। अंतिम उधारकर्ता से वित्तपोषक बैंक द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज की दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी की गई हिदायतों के अनुसार हैं। बापसी अदायगियों के मामले में किसी रियायत/समझौते की मंजूरी वित्तपोषक बैंक और उधारकर्ता के बीच आपस में की जाती है।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अखबारी कागज का आयात

2992 श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा कितना अखबारी कागज आयात किया गया और कितना वर्ष 1991-92 के दौरान आयात करने का विचार है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान अखबारी कागज के आयात में राज्य व्यापार निगम को कितना लाभ अथवा हानि हुई और चालू वर्ष के दौरान क्या प्राक्कलन किया गया है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आयात कीमतों में की गई कथित कमी का अभी तक फुटकर बाजार पर प्रभाव नहीं पड़ा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) एस टी सी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए अखबारी कागज की मात्रा निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	मात्रा एस टी में
1989-90	224,000
1990-91	226,000
1991-92 (अन्तिम)	215,000

(ख) एस. टी. सी. को बंधा खर्च वसूल करने के लिए आयातित अखबारी कागज की बिक्री की सी आई एफ लागत के 1 प्रतिशत की दर से सिर्फ सेवा शुल्क मिलता है।

(ग) और (घ) एस. टी. सी. आयातित अखबारी कागज का वितरण सूचना और प्रसारण

मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली अखबारी कागज मूल्य निर्धारण सलाहकार समिति द्वारा निश्चित किये गये निर्गम मूल्य पर अखबारी कागज उद्योग के ग्राहियों का समाचार पत्र उद्योग के पंजीयक द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार करती है देशी अखबारी कागज के मूल्य पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है।

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा शाखाओं को खोला जाना

2993. श्रीमती रीता वर्मा :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

श्री बलराज पासी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी बैंकों द्वारा शाखाओं को खोलने के लिये भेजे गये प्रस्ताव की संवीक्षा से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में ऐसी कितनी शाखायें खोलने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख) और (ग) शहरी सहकारी बैंकों के लिये शाखा लाइसेंसिंग कार्यक्रम (1991-94) के तहत 651 बैंकों ने विभिन्न राज्यों में 2000 से अधिक शाखाओं के आबंटन के लिये आवेदन किये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त आवेदन या तो अपूर्ण है या फिर निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं। पात्र आवेदन पत्रों में से 304 बैंकों को 379 शाखाएं आबंटित की गई हैं। बैंकों को लाइसेंस जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक की निरन्तर प्रक्रिया है और इसके लिये कोई कठोर समयबद्ध नहीं हो सकती।

गैर-बासमती चावल और आम के गूदे का निर्यात

2994. श्री दत्तात्रेय बंडारु :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-बासमती चावल और आम के गूदे का निर्यात किये जाने के बारे में मार्गनिर्देश क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त वस्तुओं की कितनी-कितनी मात्रा निर्यात की गई तथा उनके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ग) उपरोक्त निर्यात में दक्षिण राज्यों की कितनी भागीदारी थी;

(घ) क्या सरकार का विचार उत्पादन और गुणवत्ता के आधार पर गैर-बासमती चावल और आम के गूदे के कोटे आवंटित करने का है;

(क) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) 231 अमरीकन डालर प्रति एम टी के न्यूनता निर्यात मूल्य तथा कृषि अन्य एवं संशाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के निपटान हेतु निर्धारित अधिकतम मात्रा की सीमा के तहत, खुला सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी जाती है। निर्यात के लिए उपलब्ध देशी को ध्यान में रखकर अधिकतम मात्रा की सीमा का निर्धारण किया जाता है। एपीडा द्वारा समय-समय पर जारी व्यापार सूचनाओं में विस्तृत दिशा निर्देशों को सार्वजनिक किया जाता है। अभी एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यह है कि आवेदक द्वारा आवेदित मात्रा उपलब्ध निर्यात कोटा से ज्यादा होने की दशा में आबंटन उच्चतम इकाई मूल्य अधिप्राप्ति के आधार पर किया जाता है। आम के गूदा (मैंगो पल्प) को बिना किसी प्रतिबंध के मुक्तरूप से निर्यात की अनुमति है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किये गये ग़ैर-बासमती चावल तथा आम के गूदा की मात्रा तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :—

मात्रा : एम टी

मूल्य : लाख रु.

वर्ष	गैर-बासमती चावल		आम का गूदा
1988-89	मात्रा	35753	18992
	मूल्य	2023	2464
1989-90	मात्रा	26705	36054
	मूल्य	1636	3425
1990-91	मात्रा	313718	15760
	मूल्य	18783	2351

स्रोत : एपीडा

(ग) अलग से क्षेत्र वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) (क) और (ख) सरकार ने 31.3.1992 तक निर्यात के लिये 7 लाख मी. टन गैर-बासमती चावल के कोटा का आबंटन किया है सरकार आम के गूदा निर्यात किसी कोटे का आबंटन नहीं करती है।

नकद प्रतिपूरक सहायता के भुगतान पर ब्याज

2995. श्री वी. राजेश्वरन :

श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्यातकों ने नकद प्रतिपूरक सहायता दावों के भुगतान में विलम्ब होने के कारण ब्याज के भुगतान की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी हां।

(ख) नकद मुआवजा सहायता की योजना में देर से भुगतान किए जाने के लिए किसी प्रकार के मुआवजे की व्यवस्था नहीं है, अतः नकद मुआवजा सहायता के लिए भुगतान में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में ब्याज का भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोटा छावनी में सैनिकों के लिए अस्थाई आवास

2996. श्री दाऊ दयाल जोशी :

श्री राजेश कुमार :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की किन सैनिक छावनियों में सैनिकों के लिए स्थाई और अस्थाई आवास उपलब्ध हैं तथा किन-किन छावनियों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या कुछ छावनियों में सरकार द्वारा आवास किराये पर लिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो छावनी-वार तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में अस्थाई आवासों को स्थाई आवासों में बदलने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) सभी 62 छावनियों में सैनिकों के लिए स्थायी और अस्थायी आवास उपलब्ध हैं। ऐसी कोई छावनी नहीं है जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध न हों।

(ख) ऐसी 37 छावनियां हैं, जिनमें सेना द्वारा आवास किराए पर लिए गये हैं।

(ग) इस संबंध में छावनीवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) अस्थायी आवासों की उपयोगिता-अवधि समाप्त हो जाने पर उनके स्थान पर स्थायी आवास बनाए जाते हैं।

विवरण

किराए पर लिए गए आवास का ब्यौरा

क्र. सं.	स्टेशन	अफसर		जे सी ओ		अन्य रैंक	
		परिवार आवास	एकल आवास	परिवार आवास	एकल आवास	परिवार आवास	एकल आवास
1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य कमान							
1.	इलाहाबाद	13					
2.	आगरा	7					
3.	बरेली	7					
4.	क्लेमेंट टाउन	4					
5.	देहरादून	26					
6.	दानापुर	37	9			2	
7.	फतेहगढ़	1					
8.	जबलपुर	12					
9.	झांसी	15					
10.	कानपुर	1					
11.	महू	12					
12.	पचमढ़ी	1					
13.	रुड़की	3					
14.	लखनऊ	22					
15.	वाराणसी	4					
दक्षिण कमान							
16.	अहमदनगर		16				
17.	अजमेर	17					
18.	औरंगाबाद	3					
19.	बेलगाम	24					

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	कामठी	3					
21.	किरकी	12	1				
22.	पुणे	139					
23.	सेंट थामस मद्रास	37					
24.	सिकन्दराबाद	154					
25.	वेलिंगटन	1					
पूर्व कमान							
26.	बैरकपुर	8					
27.	शिलोंग	2					
पश्चिम कमान							
28.	अमृतसर	19					
29.	दिल्ली	438	12	71			
30.	फिरोजपुर	1					
31.	जालंधर	17					
32.	जतोग		9				
33.	कसौली	4		2			
34.	डगशाही	2					
35.	सुबाथु	6					
उत्तर कमान							
36.	जम्मू	54					
37.	श्रीनगर	31					
	जोड़	962	38	82		2	

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में उत्पाद शुल्क राजस्व

2997. श्री जे. चोक्का राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश स्थित उत्पाद शुल्क समाहर्तालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ मदों के लिये उत्पाद शुल्क राजस्व या तो स्थिर रहे हैं या उनमें गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पाद शुल्क की वसूली में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क), (ख) और (ग) आंध्र प्रदेश में तीन समाहर्तालयों से गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है। तथापि, प्रमुखत: बाजार स्थितियों के कारण मुख्य जिन्सों में से, पेट्रोलियम उत्पादों से राजस्व में कुछ कमी हुई है।

जूट की बोरियों में सीमेंट भरना

2998. श्री के. ओबला राव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुल सीमेंट उत्पादन के एक निश्चित प्रतिशत को जूट की बोरियों में भरने के बारे में कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) क्या समूचे देश में सीमेंट कम्पनियों द्वारा सरकार के इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सीमेंट का कुल कितना उत्पादन वर्षवार जूट की बोरियों में भर कर बेचा गया;

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान किन-किन कम्पनियों ने सरकारी आदेशों निदेशों दिशा-निर्देशों का पालन किया; और

(च) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) से (च) पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के प्रावधानों को उच्चतम न्यायालय में जहां कि यह मामला निर्णय अधीन है, चुनौतियां दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को यह सलाह दी है कि जब तक इस मामले का निपटान नहीं हो जाता तब तक इस प्रकार का कोई और आदेश पारित न करे जिससे प्रार्थियों को हानि पहुँचती हो।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा में भेजी गई राशि

2999. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1992 तक विदेशी मुद्रा प्रेषण और बंधपत्र (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1991 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) क्या इस धन का उचित उपयोग करने के लिए सरकार ने कोई दिशा-निर्देश तैयार किए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का प्रबंध कार्यों के लिए उपयोग न किए जाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए है ?

वित्त मन्त्रालय मे राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) दिनांक 5 मार्च, 1992 की रिपोर्ट के अनुसार दो स्कीमों अर्थात विदेशी मुद्रा प्रेषण (उन्मुक्ति) योजना, 1991 और भारत विकास बाण्ड स्कीम, 1991 के अन्तर्गत 2.46 अरब अमेरिकी डॉलर 6400 करोड़ रुपए के समकक्ष राशि एकत्रित की गई थी ।

(ख) और (ग) इस संबंध में सरकार की नीति के अनुसार इन निधियों का इस्तेमाल किया जाएगा ।

(घ) विदेशी मुद्रा प्रेषण और विदेशी मुद्रा बाण्ड निवेश (उन्मुक्ति एवं छूट) अधिनियम, 1991 में निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षोपायों का प्रावधान किया गया है ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम को वित्तीय सहायता

3990. श्री एस. बी. थोरात :

श्री पी. जी. नारायणन :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कार्यचालन पूंजी को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की वित्तीय स्थिति इतनी शोचनीय है कि कम्पनी के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए राशि नहीं है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम के संबंध में वर्ष 1992-93 के लिए आधुनिकीकरण पैकेज की स्वीकृति दी है;

(ङ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने भूमि और संयंत्रों की बिक्री द्वारा आधुनिकीकरण योजना के लिए धनराशि जुटाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के लिए ऋण के रूप में 54.80 करोड़ रु. की बजट व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है ताकि उसकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(ग) चूंकि नए बीमयों की प्रतिभूति के लिए बजट प्रावधान पिछले से वर्षों की तुलना में कम है इसलिए एस टी पी को कुछ मिले इस संबंध में कठिनाइयों का सामना कर सकती है।

(घ) और (ङ) एन टी सी की मिलों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है तथा इसे वित्तीय संस्थाओं की सहायता से पूरा किया जाता है। सरकार मार्जिन धनराशि के रूप में प्रवर्तक के अंशदान की व्यवस्था करती है। वर्ष 1992-93 के लिए आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित बजट प्रावधान 20 करोड़ रुपये है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम को संसाधन जुटाने के लिए अपनी आवश्यकताओं से फालतू भूमि को बेचने की अनुमति कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर दे दी गई है तथा सरकार द्वारा गठित एक समिति ऐसी बिक्री को मानीटर करती है।

मशीनों की बिक्री निर्धारित प्रक्रियाओं के अध्यधीन होती है और इसके लिए वस्त्र मंत्रालय का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होता है।

अरुण सिंह समिति की सिफारिशें

3001. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरुण सिंह समिति की कुछ सिफारिशों पर विचार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने आर्थिक उपायों से संबंधित कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इनमें अन्य बातों के साथ, कर्मचारियों और ईंधन तथा तेल के खर्च में कमी करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को युक्तिसंगत बनाना आदि शामिल हैं।

(ग) सशस्त्र सेनाओं ने कुछ क्षेत्रों में व्यय कम करने के निर्णय को कार्यान्वित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

व्यापार विकास प्राधिकरण और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा किया गया व्यापार

3002. श्री पी. सी. नारायणन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार विकास प्राधिकरण और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की सहायता से पिछले तीन वर्षों के दौरान, अलग-अलग कितने मूल्य का व्यापार किया गया; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान व्यापार विकास प्राधिकरण और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) भूतपूर्व व्यापार विकास प्राधिकरण (अब आई टी पी ओ) की स्थापना निश्चित बाजारों को चुनिन्दा गैर-परम्परागत उत्पादों के निर्यात बढ़ाने तथा मुख्य रूप से लघु क्षेत्र में निर्यातकों को अनेक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक निर्यात संवर्धन संगठन के रूप में की गई थी। यह प्रत्यक्ष रूप से निर्यात सौदे नहीं करता है अपितु एक उत्प्रेरक की भूमिका अदा करते हुए अपने सदस्यों को सौदे करने में केवल सहायता प्रदान करता है। अतः व्यापार विकास प्राधिकरण की सहायता से किए गए व्यापार का मूल्य बताना संभव नहीं है। तथापि, इसके संवर्धनात्मक कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप, पिछले तीन वर्षों अर्थात 1988-89 से 1990-91 के दौरान उसके सदस्यों द्वारा किये गए कारोबार का अनुमानित मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	किया गया कारोबार (करोड़ रु. में)
1988-89	115.68
1989-90	188.48
1990-91	129.21
योग :	433.37

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान मुख्यतः विदेश व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विपणन के क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण देने वाला संस्थान है जो विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। चूंकि यह गैर व्यापारिक संगठन है, इसलिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की सहायता से किए गए व्यापार का मूल्य बताना संभव नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1988-89 से 1990-91 के दौरान व्यापार विकास प्राधिकरण तथा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान पर खर्च की गई कुल राशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	व्यापार विकास प्राधिकरण	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
	(लाख रु में)	
1988-89	443.14	172.37
1989-90	523.61	191.60
1990-91	553.29	204.03 (अन्तिम)

हिन्द महासागर में भारत-अमेरिका का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास

3003. **श्री चित्त बसु :**

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार इस बीच हिन्द महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों में भाग लेने के लिए राजी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) भारतीय नौसेना अन्य मित्र देशों की विभिन्न विदेशी नौसेनाओं के साथ समय-समय पर संयुक्त अभ्यासों का आयोजन करती है। यह सहमति हुई है कि हमारी नौसेना 1992 में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के साथ हिन्दमहासागर क्षेत्र में समुद्री हवाई बचाव, समुद्र में संचार व्यवस्था आदि की कार्य प्रणाली स्थापित करने के लिए संयुक्त अभ्यास करेगी।

कलकत्ता पत्तन न्यास का निजीकरण

3004. **श्री चित्त बसु :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या हाल ही में कलकत्ता पत्तन न्यास में ऐसे परिचालन क्षेत्रों का पता लगाने हेतु व्यापक कार्यवाही की गई है जिसे निजी क्षेत्र के लिए खोला जा सकता है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कलकत्ता पत्तन न्यास की ओर से सरकार को इस बीच कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां। निजीकरण के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के कार्य अभी चल रहे हैं।

(ख) तथा (ग) : पत्तन द्वारा निजीकरण/इच्छुक प्रयोक्ताओं द्वारा समर्पित सुविधाओं के उपयोग से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रस्तावों का पता लगाकर सरकार को भेजा गया है।

(I) एस.ए.आई.एल. द्वारा एच.डी.सी. पर बर्थ 5 के उपयोग के लिये एम.ओ.यू.।

(II) एच.डी.सी. पर टी.आई.एस.सी.ओ. द्वारा बर्थ 8 के उपयोग के लिये एम.ओ.यू.।

(III) ले-अप बर्थ के साथ सीडीएस पर एनएसडब्ल्यूई डाक 1 तथा 2 को पट्टे पर देने के लिये निविदायें आमंत्रित करना जिसमें 30 वर्ष के पट्टे की पेशकश की गई है।

(घ) सरकार पत्तन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण का स्वागत करती है। तथापि प्रत्येक मामले का उसके गुणावगुणों पर निर्णय किया जाएगा।

पटसन की वस्तुओं का निर्यात

3005. श्री चित्त बसु :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पटसन की वस्तुओं की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पटसन की वस्तुओं के निर्यात में भारी कमी आने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पटसन का तथा इससे बनी वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पटसन उत्पादों के विश्व आयात वर्ष 1987 में 1043.3 हजार मीट्रिक टन के स्तर से घटकर 1988 में 944.9 हजार मीट्रिक टन हो गये तथा 1989 में यह और घटकर 922.5 हजार मीट्रिक टन रह गये। तथापि, वर्ष 1990 के दौरान विश्व आयात बढ़कर 966.9 हजार मीट्रिक टन हो गये।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से पटसन माल के निर्यात निम्नोक्त अनुसार थे।

वर्ष	मात्रा ('000 मीट्रिक टन)	मूल्य (रुपये/करोड़)
1988-89	223.5	239.07
1989-90	236.7	296 40
1990-91 (अनन्तिम)	241.0	298.0

(ग) पटसन तथा पटसन माल का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(1) विशेष पटसन विकास निधि की स्थापना।

(2) पटसन कृषि विकास कार्यक्रम।

(3) पटसन आधुनिकीकरण निधि की स्थापना।

(4) पटसन/वस्त्र मिलों को विविधीकृत पटसन उत्पादों का निर्माण करने के लिये सभी प्रकार के फाइबर/यार्न का प्रयोग करने की छूट प्रदान करना।

(5) नई शृंखला के विविधीकृत पटसन उत्पादों का विकास करने के लिये अनुसंधान व विकास सम्बन्धी क्रिया-कलाप।

(6) सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों को पटसन उत्पादों का निर्यात करने के लिये निर्यात दायित्व के साथ पटसन बोरों की सप्लाई के लिये डी.जी.एस.एण्ड.डी. के आर्डरों को को जोड़ना।

(7) बाह्य बाजार सहायता योजना।

(8) विश्व व्यापी निविदाओं में सहभागिता पर होने वाले घाटे को बांटने की योजना।

बैंकों द्वारा ऋण की वसूली

3006. श्री के.डी. सुल्तानपुरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में न उगाही गई बकाया ऋण-राशि का ब्योरा क्या है ; और

(ख) बकाया राशि की उगाही करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मार्च, 1991 (आयतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की कुल बकाया राशि 72060 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 12184 करोड़ रुपये की अतिदेयराशियां थीं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को दिये गये उनके अग्रिमों के सम्बन्ध में उनकी देयराशियों को कम करने और वसूली कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं :

1. बैंकों से एक व्यवहार्य वसूली प्रणाली प्रारम्भ करने के लिए कहा गया है ताकि बैंकों के सीमित संसाधनों का पुनर्प्रयोग एक ओर अर्थव्यवस्था के जरूरतमंद और उत्पादक क्षेत्रों के लिये और दूसरी ओर उधार देने वाले बैंकों की लाभप्रदता और अर्थक्षमता को सुधारने के लिए किया जा सके।

2. बैंकों के मुख्य कार्यपालकों से बड़े अग्रिमों की निगरानी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के लिए कहा गया है।

3. कारगर निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजन के लिए व्यक्तिगत अग्रिमों के स्वास्थ्य को प्रदर्शित करने के वास्ते एक व्यापक और समान ग्रेडिंग प्रणाली आरम्भ करना।

4. सर्वाधिक अवरुद्ध खातों की वसूली पर बोर्ड स्तर पर नजर रखना।

5. अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना, यदि अग्रिम उनकी लापरवाही, अक्षमता आदि के कारण अवरुद्ध हुए पाए जाएं।

आयात सम्बन्धी प्रतिबन्धों पर छूट

3007. इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने आयात सम्बन्धी प्रतिबंधों पर तत्काल प्रभाव से और आगे छूट दी है अथवा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान अब तक भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी छूट दी है; और

(ग) ये छूटें किस सीमा तक आयातकर्ताओं के लिए सहायक सिद्ध हुई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) देश की कठिन भुगतान संतुलन स्थिति और अत्याधिक मुद्रिक घाटे के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्पावधि उपाय के रूप में आयातों पर कुछेक प्रतिबन्ध लगाए थे, जिसका उद्देश्य कुल मांग को सीमित रखना था। तथापि, विदेशी मुद्रा भण्डारण स्थिति को हुए, समय-समय पर अनेक रियायतें प्रदान की गई हैं। तदनुसार आयात वित्त पोषण पर निर्धारित न्यूनतम नकदी मर्जिन तथा ब्याज दर सरचार्ज सम्बन्धी प्रतिबन्ध पूर्ण रूप से हटा लिये गये हैं। अतः इससे और अधिक रियायतें प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, माल सूची (इन्वेन्ट्री) मानदण्डों पर लगे प्रतिबन्ध जारी रहेंगे क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति के दबावों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और आशा है उद्योग द्वारा माल सूची पर बेहतर प्रबन्धन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(ग) यह बात निर्विवाद है कि उपर्युक्त रियायतों से आयातकों को मदद मिली है परन्तु इसकी सही मात्रा का आकलन कठिन है।

ब्रिटेन से हथियारों की खरीद

3008. श्री मोहन सिंह :

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन सरकार ने भारत को रक्षा उपकरण बेचने की पेशकश की है;

(ख) क्या सरकार ने ब्रिटेन के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) ब्रिटेन सहित विभिन्न देशों से रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिये प्राप्त प्रस्तावों की तकनीकी तथा वाणिज्य दृष्टि से मूल्यांकन किया जाता है और प्रत्येक मामले के औचित्य के आधार पर उनके अर्जन का निर्णय लिया जाता है।

(ग) ऐसे मामलों का विशिष्ट विवरण प्रकट करना सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार

2009. श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार से सम्बन्धित मामलों का तेजी से निपटारा किया जाना सुनिश्चित करने के लिये राज्यों को एक उपयुक्त समरनीति बनाने तथा उपयुक्त स्तरों पर प्राधिकारयुक्त नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों में ऐसे कितने मामले लम्बित पड़े हैं; और

(ग) मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किये गए हैं अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) : केन्द्र सरकार ने नशीले पदार्थों के सम्बन्ध में उनके साथ उपयुक्त समन्वय बनाने के लिये नोडल एजेंसियों की पहचान अथवा स्थापना हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध किया है। मामलों का शीघ्र निपटान एक अलग मुद्दा है जोकि केवल स्वापक औषध एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत स्थापित विशेष अदालतों द्वारा सम्भव है। विशेष अदालतों के गठन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है।

(ग) हाल ही के वर्षों में विभिन्न नए तथा कठोर विधायी उपाय शुरू किये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप भारत के भीतर तथा पारगमन से स्वापक औषध का अवैध व्यापार निरुत्साहित हुआ है। इन उपायों में कुछ मामलों में 10 से 30 वर्षों की कड़ी सजा, कुछ तरह के दोबारा अपराध करने पर मृत्यु दण्ड तथा शीघ्र निपटान हेतु विशेष अदालतों में मुकदमा चलाया जाना शामिल है। ऐसे उपायों में अवैध व्यापारियों का स्वापक औषध के अवैध व्यापार से प्राप्त की गई सम्पत्ति तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों का अनुवतन्ध तथा जब्त करना भी शामिल है।

जम्मू तथा कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पार करने का प्रयास

3010. श्री बारेलाल जाटव :

श्री रवि राय :

श्री मोरेश्वर सावे :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कार्यकर्त्ताओं तथा पाकिस्तानी मुजाहिदों ने फरवरी, 1992 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पार करके जम्मू तथा काश्मीर में प्रवेश करने का आह्वान किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके आगमन को विफल करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं।

(ग) क्या इन घुसपैठियों द्वारा वास्तव में ऐसा कोई प्रयास किया गया;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयास के दौरान कितने घुसपैठियों/कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया तथा कितने मारे गए; और

(ङ) भविष्य में ऐसे प्रयासों को विफल करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ) हालांकि 11 फरवरी, 1992 को नियंत्रण रेखा को पार करने के लिए किये गये आह्वान की सरकार को जानकारी थी और किसी भी अतिक्रमण को रोकने के लिये पर्याप्त उपाय किये गये थे, परन्तु नियंत्रण रेखा पार करने के वास्तव में कोई प्रयास नहीं किये गये। नियंत्रण रेखा तथा हमारी सीमाओं का किसी भी समय अतिक्रमण न होने देने के लिये पर्याप्त उपाय किये गये हैं।

"बी आई पी" दस्ते में सम्मिलित किए गए विमान

3011. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

श्री हरिकिशोर सिंह :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "बी आई पी" दस्ते में सम्मिलित किये गये विमानों की किस्मवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस "बी आई पी" दस्ते में सम्मिलित विमानों में से किसी ने अपनी चालन-अवधि पूरी कर ली है और उसे बदलने की आवश्यकता है;

(ग) क्या "बी आई पीज" और वी वी आई पीज" के लिये और विमान लिये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त विमानों का चयन कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रयोग के लिये निम्नलिखित वायु सेना के वायुयान निर्धारित किये गये हैं और इन सबकी कार्य-अवधि काफी है।

वायुयान	संख्या
एच. एस.—748	7
बी—737	2
एम आई.—8	6

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

मध्याह्न 12.00

भारत के प्रति संयुक्त राज्य अमरीका के रूख में हाल में हुए परिवर्तन के बारे में

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : भारत पर केवल अमरीकी दबाव है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री निर्मल कांति चटर्जी को बोलने के लिए कहूंगा। अन्य सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। पहले वक्ता श्री निर्मल कान्ति चटर्जी होंगे।

(व्यवधान)

12.01 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आज के समाचार पत्रों में तीन प्रकार के ही समाचारों की प्रमुखता है। एक है पेंटागन की रिपोर्ट जिसका उल्लेख सभा में श्री सेफुद्दीन चौधरी ने किया और हम सभी ने उसका समर्थन किया। इसे राष्ट्रपति बुश का समर्थन मिला हुआ है।

दूसरा समाचार सुपर 301 पर है जिसमें सुश्री कार्ला हिल्स ने कहा है कि या तो समझौता करें या कार्रवाई का सामना करें।

तीसरा समाचार हमारे विदेश सचिव के बारे में है जो अमरीका के साथ क्षेत्रीय परमाणु सम्मेलन सम्बन्धी चर्चा से पीछे हट गए।

प्रधानमंत्री ने परमाणु अप्रसार के संबंध में जो कुछ भी कहा है उसके बावजूद इन्ही सभी समाचारों से लगता है कि भारत के समक्ष एक बड़ा खतरा बना हुआ है।

इसके साथ साथ हम इस बात पर भी गौर करें कि हम अमरीका के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं।

एक ओर तो अमरीकी राजनैतिक और अर्थशास्त्र के आकाओं का कहना है कि या तो हम उनके सामने घुटने टेक दें या जो लाभ मिलना है वह नहीं दिया जाएगा। हम समर्पण कर रहे हैं हम यह कहने की स्थिति में नहीं है "भाड़ में जाए ये आप का संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास। जब तक आप ऐसी शर्तें नहीं हटाएंगे तब तक हम आपके साथ नहीं आएंगे।"

जब ऐसी बातें समाचार पत्रों में छपी तो हमने यह मांग की कि सरकार की ओर से स्वतः वक्तव्य दिया जाए और मामले को स्पष्ट किया जाए कि हम समर्पण करने हैं जा रहे या नहीं और संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास का विचार त्याग रहे हैं या नहीं और इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है।

सरकार अब तक यह नहीं सीख पाई है कि जब तक वह संसद को विश्वास में नहीं लेती है और जब तक सभा के सभी पक्ष एक जुट होकर पूंजीवादी ताकतों का विरोध नहीं करते हैं भारत पतन की राह पर चलता जाएगा।

इस प्रश्न पर मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि सरकार अविलम्ब अपनी रिपोर्ट दे या पूरे दिन में एक रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभी व्यक्ति एक ही मुद्दा विशेष पर नहीं बोल सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस चर्चा में सभी को भाग लेना चाहिए : सभा के सभी पक्षों को भाग लेना चाहिये।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : केवल सुश्री कार्ला हिल्स ही नहीं बल्कि अमरीका के औषधि और फार्मास्युटिकल उद्योग भी हमारे देश को यह धमकी दे रहे हैं कि पेटेंट कानून में परिवर्तन किया जाना चाहिए। हमारे देश की संप्रभुता को धमकी नहीं दी जा सकती है। सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री रविराय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 7-8 दिन से हम लोग यह सवाल इस सदन में उठा रहे हैं और सिर्फ हर दिन अखबार में ही नहीं, युनाईटेड अमेरिका सरकार भारत को प्रेशराईज करता चला आ रहा है। आज यह साफ तौर पर हम लोगों के सामने आ गया है कि जो 46 पेज वाली रिपोर्ट पेंटागन की ओर से हिन्दुस्तान के खिलाफ छपी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि इस रिपोर्ट के पीछे यू. एस. सरकार की राय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज अखबार में आया है कि यूनाइटेड स्टेट्स की इसके पीछे राय रही है। यह पेण्टागन की बाकायदा रिपोर्ट है। इसमें यह कहा गया है कि हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, ईराक के ऊपर और खासकर हिन्दुस्तान के ऊपर वह इसलिए हमला करेगा कि हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स सरकार को बाकायदा कहते हैं कि एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में जो विदेश विभाग के सचिव श्री दीक्षित, जो फिलहाल यू. एस. में हैं, उनकी भी कार्ला हिल्स से जो बात हुई है, उन्होंने साफ बता दिया है कि हिन्दुस्तान जब तक हमारे प्रशासन के साथ, इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी राइट्स पर सहमत नहीं होगा, कांग्रेस का सीनेट में दबाव है कि हम रीटेलिएट करेंगे। रीटेलिएशन की धमकी दी है और एक सीनेटर बोलता है कि

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान ने बौद्धिक सम्पदा की चोरी की है।

[हिन्दी]

ऐसा अमेरिका की सरकार की तरफ से और सीनेटरों की तरफ से कहा जाता है। इस सिलसिले में निर्मल चटर्जी ने जो सवाल आप के सामने उठाया है, यह बहुत गंभीर सवाल है। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में और सब काम को छोड़कर सदन इस बारे में बाकायदा बहस करे और मेरा कहना है कि जिस तरीके से यह चीज चल रही है, इसमें मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि डंकल की रिपोर्ट पर सरकार ने बहस के लिए कहा है लेकिन उस रिपोर्ट पर भी ये दस्तखत करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए कार्ला हिल्स की तरफ से जो दबाव पड़ रहा है, यह सरकार उस दबाव के अन्दर चली जाती है। मेरा कहना है आज मैं आपसे कह रहा हूं और आप इस चीज को मानेंगे। हमारी मांग है कि इस पर बाकायदा सदन में बहस हो।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : इस ओर भी ध्यान दें इस पक्ष के लोगों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा था किसी ने हाथ ही नहीं उठाया।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह रोजमर्रा का मामला नहीं है। हमें इस बारे में अपने विचार अवश्य व्यक्त करने चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले पर सदन की ओर से गहरी चिन्ता पहले भी व्यक्त की गई है और सरकार की ओर से हर बार जो उत्तर आता है कि हम सदन में इस पर बहस करेंगे वह बात दूसरे दिन समाचार पत्रों में झूठी पाई जाती है। अब समाचार पत्रों में स्पष्ट हो गया है कि पेण्टागन पेपर्स के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का समर्थन प्राप्त था। कार्ला हिल्स इनको टर्म्स डिक्टेट कर रही है और ऐसा लगता है कि इनके अन्दर आत्मसम्मान बिलकुल

समाप्त हो गया है। हर बात में ये समर्पण किए जा रहे हैं। इसलिए मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि इस पर पूरी बहस इस सदन में हो और सरकार कोई भी बात वहां करने से पहले सदन को विश्वास में लें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी दलों को बोलने का अवसर देना चाहता हूं। हम बारी-बारी से दलों के विचार जाने।

श्री चित्त बसु (बारासाट) : महोदय, यह ठीक ही कहा गया है कि हमारे देश के प्रति आज अमरीका के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं।

पहली बात यह है कि राष्ट्रपति बुश ने पेंटागन की रिपोर्ट को ही आधार माना है जिसे पूर्व में हमारे विदेश सचिव ने मानने से इंकार कर दिया था।

दूसरी बात यह है कि सुश्री कार्ला हिल्स ने खुली धमकी दी है कि यदि भारत सरकार विशेषकर बौद्धिक सम्पदा अधिकार के मुद्दे पर समर्पण नहीं करती तो भारत के विरुद्ध स्पेशल 301 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आज यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि एक माह के अंदर या इसके आस-पास भारत और अमरीका के नौ सैनिक हिन्द महासागर में संयुक्त अभ्यास करेंगे। यह देश के आंतरिक मामले में खुला हस्तक्षेप है। इतना ही नहीं इसने हमारी रक्षा संबंधी नीतियों को भी प्रभावित किया है। हमने हमेशा यह मांग की है कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाया जाना चाहिए। भारत के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत संयुक्त राज्य अमरीका के नौसैनिकों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास होने जा रहा है।

अन्त में, परमाणु अप्रसार संधि पर भारत द्वारा हस्ताक्षर करने संबंधी नीति पूर्णतया उल्टी पड़ गई है। हमारे विदेश सचिव का कहना है कि दो सप्ताह के अन्दर हमारी सरकार अमरीका के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता की जांच करेगी। इसलिए इन चारों मुद्दों पर सरकार को सभा को स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं यह चाहता हूं कि आप सरकार को इन मुद्दों पर एक वक्तव्य देने की सलाह दें।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त उपाध्यक्ष महोदय, विगत कुछ दिनों के दौरान समाचार पत्रों में अनेक खबरें छप रही हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका कई तरह से भारत पर दबाव डाल रहा है। कई बार विपक्षी के सदस्यों ने उस मुद्दे को उठाया भी है। पिछले दिनों मैंने श्री बुश जो कर रहे हैं उस मुद्दे को उठाया था। और यदि पेंटागन की रिपोर्ट जिसे राष्ट्रपति बुश ने स्वीकार कर लिया है, जैसा कि समाचार पत्रों में छपा है, तो यह एक गंभीर बात है। हम नहीं जानते यह रिपोर्ट कहां तक सत्य है। इसलिए भारत सरकार को विदेश मंत्री को इस संबंध में वक्तव्य देना चाहिए कि वास्त-

विक स्थिति क्या है ताकि सारी बातें स्पष्ट हो जाएं और कोई भ्रम न रह जाए। इसीलिए, मैं संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करता हूं जो यहां पर उपस्थित है कि वह हमें आश्वासन दें कि इस संबंध में देश को बताया जाएगा कि क्या घटित हुआ है और तथ्य क्या है। इन समाचार पत्रों में कुछ विभ्रमित करने वाली रिपोर्ट भी हो सकती हैं जिनसे हमारे विपक्ष के मित्रों को सरकार की खिंचाई के लिए बहाना मिल जाता है। इसीलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उस पर गौर करें और स्थिति को स्पष्ट करने के लिये वक्तव्य दें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुर द्वारस) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बैलेंस आफ पावर्स की स्थिति खत्म हो जाने से, शक्ति संतुलन के खत्म हो जाने से, क्योंकि रशिया अब स्वयं छोटे-छोटे देशों में बंट गया, अमेरिका अब एकत्व रूप से सारी दुनिया में अपनी नीति चला रहा है, सभी देशों पर अपनी नीति थोप रहा है, यह सब बात है, वह जैसा चाहेगा, अल्पविकसित देश उसे मानेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, सब कुछ कई बार कहा जा चुका है। इस विषय में, हमारी सरकार बैठे ही कमजोर सरकार है, दिवालिया सरकार है, हर चाज में यहां तक कि डिफेंस जैसे मामलों में भी, वह उनसे बातचीत कर रही है, सलाह-मशवरा कर रही है। मैं आपके माध्यम से, अपने दल आर. एस. पी. की तरफ से, मांग करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर, सरकार पूरी स्थिति स्पष्ट करे और सदन में पूरी बहस होनी चाहिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री लिंबस बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हम सभा के इस पक्ष में······

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्षमा चाहता हूं। कृपया मेरी बात सुनें···

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वह प्रत्यक्ष प्रहार नहीं करते हैं। वह अप्रत्यक्ष प्रहार करने वाले हैं। (व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स : सभा के इस ओर बैठे हुए लोगों को भी प्रेस द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों तथा संचार माध्यमों पर क्या प्रचारित हो रहा है, इस पर हमारी चिंता भी उतनी ही है। हम उन्हें एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहते हैं। जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार सत्ता में थी तो अमरीका द्वारा सुपर 301 लागू करने का प्रयास किया गया था। और तब श्री राजीव गांधी ने जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि हम किसी भी स्थिति में अपने आर्थिक अधिकार या किसी भी अधिकार को नहीं छोड़ सकते। लेकिन दुर्भाग्यवश, यह गलत प्रचारित किया जा रहा है कि यह सरकार देश की आर्थिक प्रभुता का समर्पण करने का प्रयास कर रही है।

महोदय, हमारे प्रधान मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी स्थिति में सरकार इस देश के आर्थिक अधिकारों और देश के हितों का किसी भी प्रकार समर्पण नहीं करेगी। यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित है। (व्यवधान) एक और बात है। हमारा देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक और "गैट" का संस्थापक सदस्य है। इन सभी मंचों पर अपना पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने का हमें पूरा अधिकार है और यह सरकार ऐसा करने में सक्षम है।

मेरा अनुरोध है कि पूरी स्थिति को स्पष्ट करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री एक वक्तव्य दें। इस ओर से हम स्पष्ट कहते हैं कि हम विश्व के किसी भी कोने से, चाहे वह अमरीका हो, और कुछ हो कोई अन्य शक्ति हो, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। निश्चय ही सदन में हम सभी सदस्य एक जुट होकर अपनी पहचान बनायेंगे। हम सदन को इस मुद्दे पर विभाजित नहीं करें। देश के सामने उत्पन्न इस संकट का हम एक होकर मुकाबला करें।

हमें सम्पूर्ण देश को एक संदेश देना है कि हम सब एक हैं। किन्तु विपक्ष का प्रयास सदन को विभाजित कर देना और इससे राष्ट्र को गलत संदेश मिलेगा। (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, यदि आप मुझे छोड़ दें तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। किन्तु भाकपा को कैसे छोड़ सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं वक्ताओं क्रम से बुला रहा हूं। प्रत्येक राजनैतिक दल को बोलने का अवसर मिलेगा। सत्ताधारी दल को भी अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। सदस्य संख्या के अनुसार सत्ताधारी दल के दो सदस्य बोल चुके हैं और मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाजपा इनमें से प्रत्येक के एक सदस्य को और एक निर्दलीय सदस्य को भी बोलने का अवसर दिया गया था और वह बोल चुके हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : किन्तु आपने भाकपा को छोड़ दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा, आपके आरोप में कोई दम नहीं है। मैं प्रत्येक राजनैतिक दल के सदस्यों को बुला रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की उपेक्षा कर रहा हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : भाकपा के अतिरिक्त, आप एक उचित सिद्धांत का पालन कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है? कृपया मुझे क्षमा करें। यदि भाकपा के सदस्य को नहीं बुलाया गया है। तो अब बुलाऊंगा। श्री भोगेन्द्र झा।

श्री भोगेन्द्र झा : उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई महत्वपूर्ण पहलू है तो आप सदन को बता सकते हैं। किन्तु आप सारा समय नहीं ले सकते। आपके विषय भी महत्वपूर्ण हैं। आपको इसे सदन के ध्यान में लाना चाहिए। एक विषय पर सदन का संपूर्ण समय नहीं लिया जा सकता और ना ही अन्य सदस्यों का समय लिया जा सकता है। अतः यह पूरी तरह से माननीय सदस्यों के हाथ में है। श्री भोगेन्द्र झा।

श्री योगेंद्र झा : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यंत गंभीर एवं महत्वपूर्ण मामला है यदि भारत के विरुद्ध एक नव औपनिवेशिक आक्रमण पूरे जोर शोर से हो रहा है ; इस मुद्दे या उस मुद्दे पर नहीं। डंकेल के प्रस्ताव अन्य रूप में लागू किए जा रहे हैं हालांकि उन्हें स्वीकृत नहीं किया गया। विदेश सचिव ने अमरीका में कहा कि जिस सीमा तक संभव हो वे इसे लागू कर रहे हैं। यह मन्त्री द्वारा इस सदन में दिए गए आश्वासन का उल्लंघन है कि पहले इस पर सदन में चर्चा की जाएगी और तभी सरकार निर्णय लेगी। किन्तु विदेश सचिव, श्री दीक्षित ने अमरीका में, इस सदन में दिए गए इस आश्वासन का खुला उल्लंघन किया है। यह विदेश सचिव के विरुद्ध एक विशेषाधिकार का मामला है और सरकार को इसे स्पष्ट करना होगा।

दूसरी बात यह है कि हिंद महासागर को एक शांति क्षेत्र घोषित करने के आंदोलन में भारत अग्रणी था। हिंद महासागर को एक शांति क्षेत्र बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक संकल्प पारित किया था। उस आंदोलन के हम नेता थे संयुक्त राष्ट्र में उस संकल्प के पक्ष में मत देने वाले हम थे और आज अमरीका के दबाव में हम अपने उस वचन का उल्लंघन कर रहे हैं। हिंद महासागर में अमरीका के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास कर के हम इस सदन के इस देश के और संयुक्त राष्ट्र के संकल्प का उल्लंघन कर रहे हैं।

यह सिर्फ एक औपचारिक मामला नहीं है, हालांकि औपचारिक रूप से भी हमें संयुक्त राष्ट्र के संकल्प का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है। हम अमरीका देश के पक्ष में कभी भी नहीं हैं इस देश को सर्वसम्मति से माना गया इस स्थिति का कि हिंदसागर एक शांति क्षेत्र हो का उल्लंघन करने का हमें कोई अधिकार नहीं है और ना अपने पड़ोस में युद्धाभ्यास करने का। हम स्वयं अपने ही प्रण को तोड़ने में सहायक हो रहे हैं और अपने देश के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं ?

इसके अतिरिक्त गोपनीय पेंटागन रिपोर्ट में दक्षिण एशिया में भारत के तथा कथित प्रभाव स्थापित करने संबंधी महत्वाकांक्षाओं का उल्लेख है। राष्ट्रपति बुश ने प्रायः इसकी पुष्टि कर दी है। यह हमारे भ्रातृ तथा मित्र सदृश पड़ोसी देशों से इस देश के विरुद्ध खड़ा करने भड़काने और उकसाने का एक प्रयास है।

ऐसी स्थिति में हमारे वित्त मन्त्री वित्त के आधार पर बहस करते हैं। वे तर्क दे रहे थे कि विदेशी बैंक बेहतर हैं। मुझे लगता है कि शायद एक के एक प्रस्ताव रख सकते हैं कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को बंद किया जाए और देश में विदेशी बैंकों की शाखाएं खोली जाएं। (व्यवधान)

क्योंकि यह सरकार देश की अर्थ व्यवस्था को भली भांति संभाल नहीं सकती, क्योंकि इस सरकार ने अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया है। धीरे-धीरे हम समर्पण कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से यह इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि हमारे वित्त मन्त्री और अन्य शायद यह न समझ पाएं कि हम हैं वे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया है हम इसकी कद्र करते हैं, इसकी महत्ता

समझते है और अब नव औपनिवेशिक आक्रमण के द्वारा यह खतरे में पड़ती है, तो इसे हम सहन नहीं कर पाते।

इसे हम सदन में कार्य सूची का एक विशेष विषय बनाना होगा और इस पर विस्तृत चर्चा करनी होगी। इसस पूर्व सरकार को अमरीकी सरकार के आदेशानुसार व्यापार, उद्योग या आर्थिक नीति पर या संयुक्त युद्धाभ्यास के संबंध में देश के हितों के विरुद्ध एक भी कदम नहीं उठाना चाहिए। इन सभी मुद्दों पर मैं उस ओर के अपने मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे इसका महत्व समझें और एकजुट हों।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : विभिन्न दलों के अन्य नेताओं द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का मैं समर्थन करता हूं। यह देश की जनता के एक वर्ग को प्रभावित करने वाला मामला नहीं है। यह संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावित कर रहा है उस राष्ट्र के स्वाभिमान को प्रभावित कर रहा है। अब काफी समय हो गया है सरकार को अमरीका के साथ भारत की स्थिति को स्पष्ट करने वाला एक वक्तव्य देना चाहिए। हम अमरीका या किसी अन्य राष्ट्र के संरक्षण में नहीं रह सकते हमारी अपनी नीति है हिंद महासागर क्षेत्र के सम्बन्ध में हमारा अपना दृष्टिकोण है। हम इसे शांति क्षेत्र बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विश्व की कोई भी ताकत जो इन मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो उसे साफ शब्दों में बताना पड़ेगा।

मेरे माननीय मित्र आनेन्दबाबू जी उस मामले को हमारी आर्थिक नीति में किए गए ढांचागत परिवर्तनों से मिला रहे हैं। यह बिल्कुल असंगत है। आर्थिक नीति एक संकटपूर्ण स्थिति से निबटने के लिए है। किन्तु इसे राजनीतिक रूप से देखना होगा। जवाहरलाल नेहरू के समय से ही हम एक नीति का पालन कर रहे हैं और उसको हम देश की किसी भी शक्ति के समक्ष समर्पित नहीं करेंगे चाहे वह अमरीका हो या कोई अन्य शक्ति हो।

मैं अपने दल की ओर से माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि पेंटागन दस्तावेजों को निन्दा करते हुए वे एक वक्तव्य दें क्योंकि राष्ट्रपति बुश की पुष्टि के बाद से ये दस्तावेज काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : कुछ अन्य सदस्य भी इस पर बोलना चाहेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां, यह काफी गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कई अन्य मुद्दे भी हैं।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : आप उत्तर नहीं चाहते ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप कृपया कुछ समय के लिए बैठ जायें। हम सब के इस विषय पर बोलने के बाद आप उत्तर दें (व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) महोदय, बाहर से हमारे देश की प्रभुसत्ता एकता और अखण्डता को जो खतरा उत्पन्न हुआ है उसके बारे में हम काफी सुन चुके हैं। मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कर रहा हूं कि ऐसा खतरा देश के भीतर से भी उत्पन्न हो रहा है। अभी हाल ही में, हुबली में, कुछ प्रमुख नागरिकों ने एक विशाल जन समूह के साथ, कित्तूर रानी चेनम्मा चौक के सामने स्थित म्युनिसिपल कारपोरेशन मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कुछ ही क्षणों में कुछ पुलिस कर्मचारियों ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए और राष्ट्रीय आचरण के विरुद्ध वह राष्ट्रीय ध्वज उतार कर फेंक दिया।

यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है। देश को खतरा और अखण्डता को देश के भीतर से भी खतरा उत्पन्न हो गया है। मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसे दोषी अधिकारियों को निलम्बित करने और केन्द्रीय ब्यूरो द्वारा जांच करवाने के लिए तुरन्त कदम उठाए। सरकार को इस पर वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो आदरणीय रवि राय जी ने सवाल उठाया है कि प्रेजीडेंट जार्ज बुश ने जो पेंटागन का अपना दस्तावेज था, जिस पर हिन्दुस्तान दस्तखत नहीं करे, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, यह जो उसका प्रस्ताव था, उसका जार्ज बुश ने समर्थन कर दिया। हमारे प्रधान मन्त्री ने मारिशस में कहा है कि हम एन पी टी पर दस्तखत नहीं करेंगे। ऐसे में एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई। अमरीका हमको धमकाने का काम कर रहा है। हम भारत सरकार के विदेश मंत्री जी से अपील करेंगे कि विदेश मन्त्रालय में अमरीका के राजदूत को सम्मन किया जाए और यह बतलाया जाए कि भारत किसी भी कीमत में अमरीका के रवैये के सामने नहीं झुकेगा, वरना यह माना जाएगा कि प्रधानमंत्री बोलते कुछ हैं और अन्दर कुछ दूसरी बात चल रही है, मिलीभगत हो चुकी है। भोगेन्द्र झा जी ने अभी ठीक ही कहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आर्थिक क्षेत्र में कुछ न कुछ कर रहे हैं और अब लगता है कि कूटनीतिक क्षेत्र में अमरीका के सामने उन्होंने घुटने टेक दिये हैं। अगर नहीं टेके हैं तो भारत की आजादी और सार्वभौमिकता का थोड़ा भी ख्याल है तो निश्चित रूप से विदेश मन्त्रालय में आज अमरीका के राजदूत को बुलाया जाना चाहिए और साफ-साफ बात कह कर अपनी नीतियों के बारे में बताना चाहिए कि हम किसी भी समय और किसी भी स्थिति में उनके सामने झुकने वाला नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, हम काफी समय से कह रहे हैं कि कार्ला डंकल एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। अभी हाल ही में विदेश सचिव और अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के बीच हुई बैठक से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, क्योंकि हम डंकल प्रस्ताव में बौद्धिक सम्पदा अधिकार सम्बन्धी एक अत्यधिक विवादास्पद मुद्दा देखते हैं। इसी मुद्दे के ही कारण अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि हमारे विदेश सचिव पर दबाव डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार के प्रतिनिधि, हमारे विदेश सचिव का उत्तर अमरीका के समक्ष बिल्कुल ही घुटने टेक देने वाला जैसा ही है।

मैं सरकार की ओर से एक वक्तव्य की इच्छा करता हूँ, जिसमें वह यह स्पष्ट करें (क) कि क्या श्रीमती कार्ला हिल्स ने यह मांग की है कि जब तक भारत व्यापार, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों इत्यादि जैसे मामलों पर शीघ्रता से कोई समझौते के लिए सहमत नहीं होगा। विशेष धारा 301 के अन्तर्गत भारत के खिलाफ जांच-पड़ताल पुन: चालू हो जाएगी। दूसरे मैं जानना चाहूंगा कि क्या हमारे विदेश सचिव ने यह कहा है कि जेनेवा में भारतीय शिष्टमंडल कुछेक मामलों पर मतभेदों को कम करने के लिए अमरीकी शिष्टमंडल के साथ काम करेगा और और यथासंभव समझौते करेगा। हम जानना चाहेंगे कि कौन से मतभेदों को कम करने की बात की जा रही है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या हमारे विदेश सचिव ने यह कहा है कि वे अमरीकी शिष्टमंडल के साथ काम कर रहे हैं, ताकि डंकल प्रस्ताव के स्वरूप के अन्तर्गत ही वे किसी समझौते पर पहुंच सकें और यह भी कि डंकल प्रस्ताव की सिफारिशों से बाहर आकर कोई समझौता करना कठिन होगा। महोदय, वाणिज्य मन्त्री जी ने स्वयं सभा में जो हमें वचन दिया था यह उसका प्रत्यक्ष उल्लंघन है। यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है और इसीलिए हम इन विशिष्ट मुद्दों पर सरकार से वक्तव्य चाहते हैं।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, यह एक अत्यन्त चिन्ताजनक बात है। आज के समाचार पत्रों के अनुसार श्रीमती कार्ला हिल्स ने भारत को और हमारे विदेश सचिव को चेतावनी दी है और उसमें उनको अत्यन्त असहाय सा बताया गया है। श्रीमती कार्ला हिल्स ने सुपर 301 का जिक्र किया है। हिन्द महासागर बिल्कुल एक शान्तिपूर्ण क्षेत्र होगा, इसके प्रति हम वचनबद्ध हैं और हम इस संबंध में कोई समझौता नहीं कर सकते। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्रीजी ने सभा में अपनी स्थिति काफी अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी है। पिछले तीन चार दिनों से विपक्ष के सदस्य पेंटागन की रिपोर्ट और अन्य विषयों के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें। क्योंकि एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर दूसरे समाचार पत्र की खबर से बिल्कुल अलग है। अतएव मैं सरकार और विदेश मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में अपना वक्तव्य दें, ताकि सभा के समक्ष वास्तविक तथ्यों को रखा जा सके और देश इस बारे में अवगत हो सके। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश के हैदराबाद नगर में गणेश उत्सव ··(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम निश्चित रूप से उन सम्माननीय मित्रों को भी सुनेंगे जो दूसरे महत्वपूर्ण मामलों को भी उठाना चाहते हैं। महोदय, परन्तु यदि वे बीच में बोलेंगे तो सम्पूर्ण चर्चा ही विषय से इतर हो जायेगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, वह सरकार से किसी उत्तर की आकांक्षा नहीं रखते। वह केवल सरकार के ध्यान में इस मामले को लाना चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : परन्तु उसके बाद··· (व्यवधान)

श्री ई. अहमद : महोदय, हम पहले सरकार का पक्ष सुनना चाहेंगे। (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मन्त्री जी उत्तर देना चाहते हैं। उन्हें उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है कि यह वास्तव में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और कई सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं और अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। परन्तु इसके साथ ही इसमें काफी समय भी लगेगा। मन्त्री जी के उत्तर के बाद एक-दो सदस्य प्रश्न पूछना चाहेंगे। अतएव क्या हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद : महोदय, माननीय मंत्री जी को वक्तव्य देने दीजिए और तब फिर इस विषय पर चर्चा समाप्त हो जायेगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : फर्नान्डीज जी, सोमनाथ चटर्जी, सैफुद्दीन चौधरी और प्रो. निर्मल कान्ति चटर्जी जी चर्चा में अपना योगदान देना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरे सदस्यों के विचार से कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामले भी हैं जो वह यहां उठाना चाहते हैं और चूंकि 10.00 बजे से पूर्व यहां कार्यालय में पहुंच गये थे और नोटिस दे दिया था। उनके नोटिस का उल्लेख यहां सूची में है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इस विषय पर चर्चा समाप्त हो जाने के पश्चात् वे इन विषयों का जिक्र कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसे निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं ? आप पहले ही इस पर बोल चुके हैं और दूसरे सदस्य भी इस बात पर बोलना चाहते हैं...

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमने पहले ही अपनी चिन्ता व्यक्त कर दी है यह मामला हमें इतना अधिक उत्तेजित कर रहा है कि कई अन्य सदस्य भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाह रहे हैं। अत: हम चाहते हैं कि मंत्री जी इस पर वक्तव्य दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे 100 फीसदी सहमत हूं। क्या हम यह मान लें कि जब मन्त्री उत्तर दे रहे हों, तब चाहे आप उत्तर से सन्तुष्ट हों अथवा नहीं, परन्तु आप और कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उन सदस्यों को बोलने की अनुमति दीजिए जो अमरीकी हस्तक्षेप के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। जब उस विषय पर चर्चा समाप्त हो जाये तब अन्य सदस्यों को उनके मामले उठाने दीजिए। मैं आशा करता हूं कि कार्ल हिल्स ने माननीय विदेश सचिव को एक वक्तव्य देने की अनुमति दे दी है। यह एक

अत्यन्त गम्भीर मामला है। सर्वप्रथम उन सदस्यों को बोलने की अनुमति दीजिये जो इस मामले पर बोलना चाहते । दूसरे सदस्यों को बाद में भी अनुमति दी जा सकती है और हम ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनेंगे, इसका आपको आश्वासन देते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप यहां पर उपस्थित हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या उन्हें बोलने का समय मिल सकेगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सरकार की तरफ से वक्तव्य दिया जाना चाहिए। और कितने सदस्य बोलना चाहते हैं ? हम सभी ने इस बारे में अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं। कृपया यह सुनिश्चित करें कि अब इस मामले पर चर्चा समाप्त हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : पाणिग्रही जी, आपकी तरफ के भी कई सदस्य बोल चुके हैं। वे बोलना चाहते हैं। कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री जार्ज फर्नाण्डीज को बोलने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न को यहां सदन में उठाया गया है, उस पर मैं दो बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हम यह नहीं समझ पा रहे हैं, सरकार की इस देश की सुरक्षा और इस देश की विदेश नीति के बारे में कोई नीति है या नहीं है। जो बातें यहां पर उठाई गई हैं और पिछले कई दिनों से उठ रही हैं, उन पर हम दो प्रकार के सरकार के रुख देख रहे हैं। जहां एक तरफ आज हम लोगों को उत्तेजित करने वाली अनेक खबरें छप कर आई हैं, कार्ला हिल्स और उनकी 301 से लेकर पेंटागन की योजनायें हमारे देश के लिए हैं, उसी के साथ-साथ आज सरकार की तरफ से यह बात भी आई है कि अमरीका की जल-सेना के साथ भारत की जल-सेना का इंडियन-ओशन में संयुक्त एक्सरसाइज होना है। देखिए, ये कैसी दो अलग-अलग भूमिकायें हैं, एक तरफ हमें कैसे खत्म किया जाए, उसकी योजनायें बनाने का काम कर रहा है और उस पर सारा सदन उत्तेजित हो रहा है और दूसरी तरफ सरकार हमें कह रही है कि इस सदन को विश्वास में लिए बगैर हम कुछ नहीं करने वाले हैं। यानि, जो भी कुछ उनको करना है, वे करते रहेंगे। लेकिन उनके साथ-साथ उधर योजनायें तैयार हो गई हैं कि उनके साथ हमारी जल-सेना मिले। इधर चंद दिन पहले हमारी सेना के तो मुख्य अधिकारी हैं, वे अमरीका गए थे और आज अब यह भी ऐलान हुआ है कि हमारे रक्षा मंत्री अगले महीने के प्रथम सप्ताह में अमरीका जा रहे हैं। तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी क्या नीति है यानि हम लोग क्या उपनिवेश बन गए। यह प्रश्न छेड़ने पर प्रधानमन्त्री गुस्सा करते हैं लेकिन हम जानना चाहेंगे कि उपनिवेश करके हम लोगों को केवल घोषणा होना बाकी है, बाकी सब कुछ हो गया, क्योंकि नीतियां आपकी कौन सी हैं, हम लोग कहां जाएं, किसके यहां पूछें, इस सदन की गरिमा क्या बच गई। इस देश में अभी कौन सी जगह बची है कि जहां पर हम इस देश की विदेश नीति और सुरक्षा की बात पर आज किसी भी गंभीर बहस को चला सकें।

उपाध्यक्ष जी, मैं यह सवाल आज नहीं उठाने वाला था, मैंने आज सुबह एक नोटिस दिया था, इस सवाल को हम सोमवार को उठाना चाहते थे, चूंकि जिस अखबार में कुल हिन्दुस्तान के सेना के सबसे बड़े जनरल रोड्रिग्स का, एक नहीं, दो नहीं, तीन पन्नों पर तस्वीरों के साथ मुलाकात और खबरें छपी हैं, उसने कल यह ऐलान किया था कि आज उनकी मुलाकात का उत्तरार्ध छप जाएगा। हम उत्तरार्ध के इन्तजार में रह चुके हैं, हम राष्ट्रपति से पूछना चाहते थे क्योंकि सेना के सिपहसालार, अर्थात भारतीय सेना के तीनों अंगों के प्रधान सेनापति इस देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये जो सेना का हमारा मुखिया है जिसका नाम है जनरल रोड्रिग्स, इसने कल मुलाकात दी है एक अखबार पायोनियर को, दो घण्टे की मुलाकात दी है, वह सब इसमें छपा है।

[अनुवाद]

मुख्य सेनाध्यक्ष का कहना है "अच्छा अभिशासन ही हमारा कार्य है।

[हिन्दी]

अमरीका जाकर आए हैं और उनकी जो मुलाकात है उस मुलाकात में वह यह नहीं बता रहे हैं कि देश की तरफ से उनको कुछ बोलना है, हालांकि उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, जनरल तिमैया को, इस बहुत ही मामूली चीज का कहने पर पंडित जवाहर लाल नेहरू जब प्रधान मन्त्री थे तो उन्होंने निकाल बाहर कर दिया और आज यह जनरल सरकार को चुनौती दे रहा है, ये जनरल आपके पड़ोसियों को चुनौती दे रहा है ये जनरल आपके मित्र हों, शत्रु हों, जो भी राष्ट्रों से आपके रिश्ते हैं, जिसमें रूस, चीन और अमरीका तीनों को बोलता है, ये बैंडीकुट्स हैं।

[अनुवाद]

जी हां, उसने उन तीनों देशों को 'बैंडीकुट्स' कहा है। लेनाय परमाणु अप्रसार संधि में अमरीका चीन और रूस के शामिल होने पर जनरल रोड्रिग्स इन तीनों 'बैंडीकुट्स' की भूमिका पर काफी आश्चर्यचकित हुए थे। "आपके यहां दो नायक हैं और तीन पर्यवेक्षक हैं। क्या वे पर्यवेक्षक हैं अथवा वे इस सम्पूर्ण के अंग हैं ?

[हिन्दी]

अब चीन एक 'बैंडीकुट' हो गया, रूस एक 'बैंडीकुट' हो गया। विदेश मंत्री जी, आप रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपके जनरल, जिनके साथ आप रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं उनको कह रहा है कि ये 'बैंडीकुट्स' हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय सदस्य ने समाचार पत्र को दिये अपने उस साक्षात्कार को अधिप्रमाणित किया है।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : जी, हां महोदय, मैंने इसे अधिप्रमाणित किया था।

श्री राम कापसे (ठाणे) : महोदय, उनका साक्षात्कार कल के 'पायोनियर' में प्रकाशित हुआ था। इस समय न तो सरकार की ओर से और न स्वयं जनरल ने ही इसका कोई खण्डन किया है। अतः इन सभी बारीकियों से कुछ लाभ नहीं होगा।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : हमें इस बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिए। मैं इसे अधिप्रमाणित करने को तैयार हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, मैं विशेषकर अपने मित्र रंगराजन जी से कहूंगा कि वे ऐसे मसलों पर कम से कम औरों से अधिक गम्भीर हो जाएं, चूंकि हम आज ऐसी बात को यहां पर देख रहे हैं जिस बात को अगर आज आपने इस सदन में गंभीरता से नहीं लिया तो मैं यहां चुनौती देता हूं, मैं बात कहना चाहता हूं कि इस जनरल ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है। (व्यवधान) आज उनकी मुलाकात का उत्तर आना था।

[अनुवाद]

इसमें यह उल्लेख किया गया है :

"थल सेनाध्यक्ष जनरल एस. रोडरीग्यूज द्वारा रमेन्द्र सिंह को दो घण्टे तक दिए गए इन्टरव्यूह के उत्तरार्द्ध का ब्योरा कल छापा जाएगा।"

[हिन्दी]

आज आना था, लेकिन आज नहीं आया है। इसका मतलब है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ कदम तो अवश्य उठाए हैं, इसका मतलब मैं यह भी मानने को तैयार हूं कि हमारे डिफेंस फोर्सेस के, जो सबसे बड़े सिपहसालार हमारे राष्ट्रपति हैं तो उन्होंने भी शायद इस पर कुछ दखल देने का काम किया है। हमको खुशी इस बात की है कि सरकार ने इस जनरल की मुलाकात पर, उत्तरार्द्ध को आज छपने से रोक लगाया। मगर रोक लगाने पर भी एक दूसरी बात आ जाती है, जब उन्होंने मुलाकात की थी हम उसकी पूरी बात को सुनना चाहते थे कि उसके दिमाग में क्या बातें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैं यह नहीं कहूंगा कि हम लोग कांप उठे हैं। हम तो तानाशाहों से लड़े हुए लोग हैं, हम कांप नहीं उठते हैं, लेकिन देश के भविष्य के बारे में एक डर मेरे मन में पैदा होने लगा है, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान में पहली बार मिलट्री का सिपहसलार, सबसे बड़ा जनरल, उसने इस देश के राजनीतिक फैसलों को चुनौती दी है। उसका कहना है कि मैं क्या करता, उनसे पहले जो प्रश्न पूछा गया तो वे बोलते हैं कि—

[अनुवाद]

"पाकिस्तान कुछ स्पष्ट है।"

वह आधे पृष्ठ का ब्यौरा है।

"प्रश्न : 11 फरवरी के मार्च की घटनाओं के बाद पाकिस्तान आज कैसी गंभीर चुनौती दिखाई देता है ?

उत्तर : एक व्यवसायी के रूप में मैं यह कहूंगा कि परिसरीय चुनौती दिखाई देता है।

प्रश्न : पाकिस्तान हमारे सुरक्षा संबंधों के लिए परिसरीय चुनौती है ?

उत्तर : जी हां, वह स्पष्ट है लेकिन बात यह है कि इसके स्पष्ट होने पर मैं क्या कर सकता हूं।

प्रश्न : क्या यह जरूरत से ज्यादा विश्वास वाली बात नहीं है ?

उत्तर : नहीं यह एक व्यावसायिक विश्लेषण है।"

"मैं भावावेश में इस बात की परवाह नहीं करता कि वह क्या करने का प्रयास कर रहा है। वह मेरा अभिप्राय है "पाकिस्तान"। साधारण शब्दों में उसकी समस्या यह है कि वह मुझे अपने सुरक्षा संबंधों में सर्वप्रमुख समझता है। और जहां तक मेरा संबंध है, मैं उसे ही अपने लिए सर्वप्रमुख नहीं समझता। (व्यवधान) "

उपाध्यक्ष महोदय : इसे यहां मत पढ़िए।

श्री ई. अहमद : यह महत्वपूर्ण है। इसे उद्धृत किया हो जाता है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, सदन को कैसे मालूम होगा। उपाध्यक्ष महोदय, कल सुबह यह चीज अखबारों में छपी। मैंने सदन में अपने मित्रों से बात की। हमने फैसला किया कि हम आज इस चीज को नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम उनकी मुलाकात का उत्तर भी आज देखना चाहते थे और फिर सम्पूर्ण मुलाकात के विवरण को लेकर सदन में उठाना चाहते थे, लेकिन आज वह उत्तर नहीं छपा, मेरी मान्यता है कि इनको खत्म किया गया है और इसलिए इसको उठाने की आवश्यकता हुई। तो उनसे पूछा जाता है कि क्या अभी जब पाकिस्तान जेकेएलएफ को कश्मीर जाने वाला था, तो कितना गंभीर मामला था, जनरल बोलता है कि कोई गंभीर मामला नहीं था और हमने एक भी जवान को डिप्लाय नहीं किया था।

जब पत्रकार पूछता है—

[अनुवाद]

"प्रश्न : जब विदेश सचिव ने सभी सम्पादकों को बुलाकर यह बताया कि पाकिस्तान कश्मीर में नागरिक उपद्रव शुरू करने के प्रयास करेगा...।

उत्तर : हमारे दृष्टिकोण से, यह एक मूलभूत प्रश्न है...''

प्रश्न : आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्रचार माध्यमों ने तनाव पैदा किया है ?

उत्तर : क्योंकि जो कुछ हो रहा था, आपने इसका काफी प्रचार किया। यदि आग भड़क जाती, तो मुझे लड़ाई की स्थिति में होना पड़ता। मेरी इसमें भूमिका नहीं थी।''

[हिन्दी]

सीआईए ने भारत सरकार को कौन सी जानकारी दी है, उसका रहस्योद्घाटन इसमें है। कौन-सी इंटेलीजेंसी की रिपोर्ट भारत सरकार के पास अमरीका से आई है, उसका उद्घाटन इसमें है। अमरीका की दी हुई जानकारी को सार्वजनिक करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जनरल नहीं कर सकता। मिलिट्री को जो इंटेलीजेंस का रिकार्ड पाकिस्तान के बारे में, अमरीका के बारे में मिला था, अन्य पड़ोसियों के बारे में मिला था, इसको सार्वजनिक करने का अधिकार जनरल को नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस संदर्भ में आज यह बहस चल रही है, हम परेशान हैं, क्या हो रहा है, इधर नेवल एक्सरसाइजेज अमरीका के साथ और इधर जनरल हम लोगों को बता रहा है कि वही इस देश को चला रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके अपने शब्द हैं।

पाकिस्तान के नेताओं के बारे में उसकी सुनने लायक राय है, लेकिन उसको मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन यहां अपने देश के बारे में उसकी क्या सोच है, वह यह है। (व्यवधान)

हेडलाइन तो अलग है, उस मुलाकात में वह कहता है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मेरा आखिरी वाक्य सुन लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं वह यह कहता है कि मुझे आसाम में, पंजाब में अपनी सेना को जो कहना पड़ रहा है और इसलिए उनका कहना है —। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अमोरंजन भक्त : महोदय, यह चर्चा नहीं है। वह पूरी चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने अन्य सदस्यों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटा दिया है। इन्हें इसके लिए सूचना देनी चाहिए थी। (व्यवधान)

श्री आर्थर फर्नाण्डीज : इसमें कहा गया है :

> ''यदि पाकिस्तान देश की सुरक्षा के लिए मुख्य खतरा खतरा नहीं है तो और कौन है ?''

उत्तर इस प्रकार है :

"चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा इस किसी से संबद्ध हो चुकी है, इसलिए अच्छी सरकार देना भी हमारा कार्य है।"

[हिन्दी]

सेना जिम्मेदारी ले रही है, जनरल जिम्मेदारी ले रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जनरल को तत्काल उसके पद से हटाया जाए। यह मांग हम इस सदन से करना चाहते हैं सदन की तरफ से एक राय से यह माना जाए।

(अनुवाद)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : ये ऐसा नहीं कर सकते।

श्री मनोरंजन भक्त : उन्हें उचित सूचना देनी चाहिए। यह क्या है ? ये तो चुनावी भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राम कापसे : रक्षा मन्त्री को इस सभा में उपस्थित होकर इस मुलाकात के सिलसिले में वक्तव्य देना चाहिए। यह इन्टरव्यूह खतरनाक है। हम चाहते हैं कि रक्षामन्त्री सभा में उपस्थित हों और वक्तव्य दें। रक्षा मन्त्रालय ने इस मुलाकात के सिलसिले में क्या आवश्यक कार्रवाई की है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : जिस समाचार को ये पढ़ रहे हैं, वह प्रामाणिक नहीं है।

श्री राम कापसे : यह कल छपी है; और श्री जार्ज फर्नान्डीज ने इसे प्रामाणिक बताया है। उन्हें इस पर बोलने का अधिकार है।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं सोचता हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने पहले ही यह कहा है कि उन्होंने इसे प्रामाणिक बताया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे यकीन है कि सारी सभा इस बात से सहमत है कि यह एक गंभीर मामला है, इसे नकारा नहीं जा सकता। मैं यह समझता हूं कि माननीय विदेश मन्त्री इस सभा में हो रही चर्चा को ध्यान में रखते हुए यहां उपस्थित होने के लिए राजी हो गये हैं। मुझे यकीन है कि विदेश सचिव के इन क्रियाकलापों के कारण वे स्वयं को उलझन में अनुभव कर रहे हैं। सच्चाई क्या है ? मुझे उम्मीद है कि सच्चाई के बारे में अमरीकी एजेंसी द्वारा आपको सूचना दे दी गई है इसलिए मैं यह आशा करता हूं कि देश की प्रभुसत्ता इससे जुड़ी होने के कारण इसे तरफदारी का मामला न समझा जाए। और मुझे यकीन है कि हमारे युवा साथी रमेश चेन्नितला की तरह, इस सभा में भी एक वर्ग ऐसा है, जोकि मैं उम्मीद करता हूं कि सत्ता पक्ष में ही एक ऐसा वर्ग है जो इस बारे में अपने आप को उलझन में अनुभव कर रहा है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने वक्तव्य के दौरान मैंने थल सेना तथा नौ-सेना के संयुक्त

अभ्यास के बारे में एक प्रश्न किया था। माननीय प्रधान मन्त्री ने मतदान के संभावित परिणाम के सूचक कल्पना में अपने उत्तर में इन सभी बातों को नकार दिया क्योंकि वे यह सिद्ध करने के लिए तत्पर थे कि उनकी अवधारणा के अनुसार आर्थिक प्रभुसत्ता कायम है। लेकिन वाणिज्य मन्त्री के इस आशय से स्पष्ट आश्वासन के बाद भी कि सभा में चर्चा से पूर्व डंकल प्रस्तावों पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, विदेश सचिव आज भी वहां जा रहे हैं; और वायदे कर रहे हैं।

जहां तक सुपर-301 का सम्बन्ध है, हमें यह खुली धमकी दी जा रही है कि हमें, चाहे हमारी जो भी शर्तें हो, लेकिन उनकी शर्तों से समझौता कर लेना चाहिए। नौ-सेना अभ्यास संयुक्त रूप से जारी है।

श्री मनोरंजन भक्त : यह समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार नहीं हो रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अन्तत: श्री मनोरंजन भक्त देश भक्त बन गए हैं। इसलिए वे इस बात को जारी रखने के बारे में मुझे उचित बात करने के लिए कह रहे हैं। बात यह है कि जैसाकि हम अनुभव करते है कि सबसे पहले हमारे देश की सर्वोच्च संस्था इस सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिए।

जब इस तरह का कोई समाचार राष्ट्रीय समाचार पत्रों में छपता है, तो मुझे यह देखकर हैरानी होती है कि सरकार अपनी इन बातों के बारे में अपना दृष्टिकोण नहीं रखती। उन्हें यहां 11.00 म पू. अधिक से अधिक 12.00 मध्याह्न तक इस आशय के वक्तव्य देना चाहिए था कि यह सही है कि ऐसा समाचार मिल रहा है। यह सही बात है। हमारा देश स्वतन्त्र है। मुझे उम्मीद है कि आप अभी भी मानते हैं कि यह एक स्वतन्त्र देश है। हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता, राजनैतिक प्रभुसत्ता, हमारे रक्षा संबंधी रहस्यों, संयुक्त कार्य-व्यवहार, कार्ल-हिल्स द्वारा दबाव और डंकल प्रस्तावों के आगे आत्म समर्पण नहीं करेगी एक जनरल इस ढंग से व्यवहार कर रहे हैं कि जैसेकि वे स्वयं भारत की सरकार हों। इस देश में यह क्या हो रहा है? यह कोई सामान्य बात नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इसे सामान्य बात न समझा जाए और इसे इतने हल्के ढंग से न लिया जाए। इसलिए मैं यह आशा करता हूं कि विदेश मंत्री आज शीघ्र ही वक्तव्य देंगे और माननीय सदस्यों के मन में उठी शंका के समाधान के लिए रक्षा मंत्री को भी यहां आना चाहिए। यह एक ऐसा मामला है जिसे हम यों ही नकारने अथवा छोड़ने या इसकी उपेक्षा करने की अनुमति नहीं दे सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते। इससे पूर्व कि आगे की कारंवाई हो, हमें इसका सन्तोषजनक उत्तर मिलना चाहिए। रेलवे पर कार्यवाही हो चुकी है। यह सब इधर-उधर की कारंवाई है। अब पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अमरीका के हस्तक्षेप के बारे में जो कुछ कहा गया है, इसके अतिरिक्त एक अन्य बात आज हमारे ध्यान में लायी गई है। अमरीका के युद्ध विमान भारतीय तटों पर निगरानी रखे हुए हैं। उनके नौसेना कमांडर ने इस बात को स्वीकार किया है कि वे उस समुद्री जहाज पर निगरानी रखे हुए थे जोकि, उनकी ही रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी कोरिया से ईरान मिसाइल ले जा रहा था। किसी को इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम ऐसे किसी भी देश का समर्थन नहीं कर रहे हैं जोकि ईरान को परमाणु मिजाइल दे रहा है। हमारी भारतीय तटसीमा पर निगरनी रखने की अमरीका के पास क्या शक्ति है? ऐसा किस की आज्ञा से किया गया है?

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं यह चाहता हूं कि हमें यह नौ-सेना अभ्यास रद्द कर देना चाहिए। और अब विदेश सचिव ने यह कहा है, 'यह हिन्द महासागर के मध्य में होगा अथवा और कहीं होगा, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है।" यह भारतीय तट-सीमा पर होना चाहिए।

आज हमारे प्रधानमन्त्री मारीशश की यात्रा पर हैं। अमरीका को डिगो गारसिया से बाहर कर देने में मारीशश सरकार की भावना क्या है? अब वे तो वहां हैं और समाचार यह मिल रहा है कि हम संयुक्त नौसेना अभ्यास करने जा रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि इसे इसी के साथ ही रद्द कर दिया जाना चाहिए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मैं केवल आधा मिनट लूंगा। जैसे ही जार्ज फर्नान्डीज बोल रहे थे, मेरी यादाश्त अतीत में उन दिनों की ओर चली गई जबकि अयूब खां ने सत्ता हासिल कर अन्ततः पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। ** ये बहुत ही घिनौने शब्दों में, मैं, मैं, मैं' करके बोलते हैं। मैं जानता हूं कि देश का हित किसमें है। मैं वह करूंगा जिससे देश का हित हो।"

मैं समझता हूं कि यह मांग बहुत महत्वपूर्ण है तथा मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि इस मामले पर बहुत ही गंभीरता से विचार करें कि क्या ऐसे व्यक्ति को ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बने रहने दिया चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे तो ऐसे व्यक्ति को आज ही निलम्बित कर देना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं। मैं कहूंगा कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, वहां पर कुछ आश्चर्यजनक है। उन्होंने यह सब अपनी पेंटागन यात्रा के बाद कहा है। इसलिए, मैं इसमें कुछ संबंध देखता हूं। इसमें भारत की सुरक्षा पर गहरा असर छोड़ने और उस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाने की अमरीकी योजना है और वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस कार्य में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। यह व्यक्ति यदि कोई कार्य करता है, और जब भी वह कोई कार्य करता है, वह इसलिए नहीं करता क्योंकि वह चाहता है बल्कि एक * * इसलिए इसे यहां से जाना चाहिए।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : जो बात हमें परेशान कर रही है वह है विदेश सचिव का भारत सरकार की घोषित विदेश नीति के बाहर जाकर वक्तव्य देना। दक्षिण एशिया के परमाणु शस्त्र मुक्त क्षेत्र पर पांच राष्ट्रों के सम्मेलन के प्रश्न पर उनका पलट जाना। वे कह रहे हैं कि अब यह सम्मेलन नहीं होगा लेकिन ऐसे सम्मेलन के आयोजित न किये जाने के लिए पूर्णतः इन्कार भी नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अब, माननीय मंत्री।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री सुदर्शन राय चौधरी : विदेश सचिव ने कहा है कि भारत के सम्बन्ध में यह संकल्पना कि भारत एक शान्तिपूर्ण क्षेत्र है, पूर्णतः अस्पष्ट है। क्या भारत सरकार अपने पूर्व निर्णय पर पुनः विचार करेगी ? यही मेरा प्रश्न है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : मैं केवल अपना एक सुझाव देना चाहता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारत के सेनाध्यक्ष के खिलाफ ऐसी बातें कही जा रही हैं जोकि अपने बचाव के लिए यहां नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : सरकार के मंत्री यहां हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : उन्होंने कहा है * * यही शब्द हैं।

वे समाचार पत्रों में प्रकाशित वक्तव्य का हवाला दे सकते हैं जो कि श्री जार्ज फर्नांडीज द्वारा अधिप्रमाणित है।

1·00 म. प.

लेकिन वे किसी व्यक्ति को * * नहीं कह सकते। आप किसी व्यक्ति को गाली नहीं दे सकते। मुझे माफ कीजिए महोदय। यहां संसदीय प्रक्रिया है; एक संसदीय अनुशासन है। यदि आप उनके कथन का हवाला चाहते हैं, तो आप उसे अधिप्रमाणित करने के बाद ऐसा कर सकते हैं जैसा कि श्री जार्ज फर्नाण्डीज ने किया है। लेकिन यह कहना कि वे * * मामला है अथवा एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ इस प्रकार की ऐसी अन्य बातें उपयुक्त नहीं हैं। मेरा विचार है ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए।... (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : वे एक व्यक्ति नहीं हैं; वे आज भारतीय सेनाध्यक्ष हैं...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उनको यहीं से तनख्वाह दी जाती है, वतन देता है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : आप उन्हें * * नहीं कह सकते हैं। आपके पास इस संबंध में कोई स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है।... (व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : आप केवल एक व्यक्ति के बारे में चिंतित हैं और आपको अन्य लोगों की कोई चिन्ता नहीं...(व्यवधान)

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री राम कापसे : उन्होंने जो कुछ भी यहां कहा है, हम उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। रक्षा मन्त्री को सभा में स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस सम्बन्ध में हम उनके द्वारा वक्तव्य की मांग करते हैं। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, मैं व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं। दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। यद्यपि वे पृथक हैं और फिर भी हमारे देश की प्रभुसत्ता व सुरक्षा से सम्बन्धित हैं। एक मुद्दा जो कि हम पहले उठा रहे थे। वह अमरीकी दबाव के बारे में है। विदेश मंत्री यहां हैं। वे अपना वक्तव्य दे सकते हैं अथवा जो कुछ भी कहना चाहें कह सकते हैं। लेकिन श्री जार्ज फर्नाण्डीज ने एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। रक्षा राज्य मंत्री केवल इतना ही कहकर अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर सकते कि क्योंकि सेनाध्यक्ष इस समय सभा में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए सदस्य इस मुद्दे को यहां नहीं उठा सकते ...(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : हमने ऐसा नहीं कहा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे एक मिनट की अनुमति दें तो मैं स्पष्ट करूंगा। ...(व्यवधान)

श्री एस. कृष्ण कुमार : सेनाध्यक्ष के खिलाफ किए गए संकेत और टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : श्री जार्ज फर्नाण्डीज द्वारा एक वक्तव्य की ओर, सेनाध्यक्ष के एक साक्षात्कार की ओर सभा का ध्यान दिलाते हुए श्री जार्ज फर्नाण्डीज द्वारा एक बहुत ही आधारभूत मुद्दा उठाया गया है, जो कि आजाद भारत में अभूतपूर्व है। वे आधारभूत मुद्दों पर टीका-टिप्पणी करते हैं जोकि हमारी सुरक्षा से ही सम्बन्धित नहीं है बल्कि अन्य देशों के साथ हमारे संबंधों से भी संबंध रखता है। यह बहुत गंभीर मुद्दा है जोकि यहां उठाया गया है। अब मंत्री जी केवल यह कह कर इस मुद्दे से छुटकारा नहीं पा सकते कि यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वह व्यक्ति यहां विद्यमान नहीं है इसलिए हम यह मुद्दा यहां नहीं उठा सकते हैं। आप मंत्री जी का पूरा साक्षात्कार सभा के सामने लाने दीजिए। उन्हें अपना वक्तव्य देने दीजिए। हम सेनाध्यक्ष के खिलाफ कोई वक्तव्य नहीं देंगे। उन्हें वह साक्षात्कार सदन के समक्ष रखना चाहिए जो हमारे राष्ट्र की मुख्य नीतियों के संबंध में थल सेनाध्यक्ष ने दिया है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात न करते हुए यह कहूंगा कि इस राष्ट्र में किसी भी थलसेनाध्यक्ष को किसी ऐसे विषय पर जो हमारे राष्ट्र की सार्वभौमिकता और दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों से सम्बद्ध हो, पर अपनी विचारधारा व्यक्त करने का अधिकार नहीं है ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक बजे का समय हो चुका है। कृपया मेरी बात सुनिए। जैसाकि श्री कामनाथ जी ने कहा है यह सहमति हुई थी कि एक या दो सदस्य वाद-विवाद में भाग लेंगे और अपने विचार रखेंगे और उसके बाद मंत्री महोदय जो कहना चाहते हैं कहेंगे। सभी ने अपनी भावनाओं और नाराजगी व्यक्त कर दी है। अन्य सदस्यों ने भी अपने विषय उठाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। शायद कुछ सदस्यों ने, जो कुछ लॉबी में होने वाली न सुनी हों। कुछ सदस्य यह महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, और वे इससे क्रुद्ध हैं कि उनके विषयों को चर्चा के लिये नहीं

लिया गया है और हर बार उसके विषयों से स्थगित कर दिया गया है शायद आपने उसे सुनना होगा कि किस तरह से अन्य सदस्य बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना (कटक): महोदय, सदन के सभी पक्ष इस विषय में रुचि रखते हैं। यहां सवाल किसी सदस्य विशेष द्वारा अपनी बात न कह पाने का नहीं है।

श्री रामविलास पासवान : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। जो लोग इस पर बोलना चाहते हैं उन्हें कृपया अनुमति प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह महत्वपूर्ण विषय है। इसका संबंध समूचे राष्ट्र से है। लेकिन यदि हर सदस्य इसमें भाग लेना चाहता है तो हमारे पास इतना समय कहां है ?

श्री ई. अहमद : महोदय, हमें सरकारी पक्ष को भी सुनना चाहिए।

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं आप उन्हें सुनते क्यों नहीं ?

श्री रविराय : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रवि राय जी शून्य काल के दौरान व्यवस्था के प्रश्न का सवाल ही कहां पैदा होता है ?

[हिन्दी]

श्री रवि राय : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि यह बहुत ही गम्भीर सवाल है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों का सहयोग आवश्यक है अन्यथा हम सदन को सुचारू रूप से नहीं चला सकते।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : उपाध्यक्ष जी, मैं शायद दुबारा खड़ा न होता यदि श्री एस. कृष्ण कुमार फिर बोलने के लिए खड़े न हो रहे होते। मैं कह रहा हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो सवाल उठाया है, यह कोई खुशी की बात नहीं है। असल में मन बहुत चीजों के बारे मे शंका होती है, देश के भविष्य के बारे में और हम लोगों को देश के संविधान के बारे में चिन्ता होती है और इस तरह की बात लोग बोलते हैं तो यह कोई साधारण सवाल नहीं है। श्री पी. आर. कुमार मंगलम एक सवाल उठाना चाहते हैं लेकिन मैं बयान नहीं पढ़ रहा हूं। क्योंकि इसके बारे में श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जिक्र किया है, मेरा कहना है कि हम लोगों का जो कांस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसमें सिविल अथारटीज हैं, वे राजनैतिक फैसला करती हैं, कोई मिलिट्री अथारटीज उसमें फैसला नहीं लेती हैं।

यही हमारे संविधान की विशिष्टता है। तो मैं आज बहुत चिन्तित हूं और श्री कृष्ण कुमार, कैबिनट के मिनिस्टर्स से कहूंगा और सदन से विनती करूंगा कि यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। तो शायद पहली बार इस तरह की बात देश के सेनाध्यक्ष कमांडर-इन-चीफ ने की है। हो सकता है कि वे न बोलते तो मैं नहीं कहता लेकिन मेरा इतना ही कहना है श्री कृष्ण कुमार के बारे में कि सदन में बयान देते हैं तो फिर टैक्नीकल प्वाइंट की कुमारमंगलम् को नहीं कहकर उनका नाम नहीं लेना चाहिये क्योंकि वे इस सदन में अनुपस्थित हैं। तो उनका जिक्र नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मुझे स्पष्ट करने दीजिए। मैंने मसले को उठाने पर आपत्ति व्यक्त नहीं की थी मैंने तो यह आपत्ति की थी किसी व्यक्ति को ** कहा गया। बस मुझे यही कहना है। मैं समझता हूं वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। आप किसी व्यक्ति के संबंध में इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते जिसका उत्तर भी नहीं दिया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : मैं एग्री करता हूं कि उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मैं मांग करता हूं कि इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि असंसदीय शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो उनको देखा जाएगा और कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जायेगा।

(हिन्दी)

श्री रवि राय : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मसला है। हो सकता है कि समाधान हो जाये पर इस पर ज्यादा बहस नहीं करके श्री कृष्ण कुमार जो बोलें, वह विचार करके इसके बारे में ध्यान देंगे ताकि हम लोगों को, इस सदन को तसल्ली हो जाये।

प्रो. प्रेम धूमल : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला सदन में उठाया गया है और केवल मात्र यह कह कर कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आये मैं सहमत हूं कि जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है उनका नाम उनकी प्रोसिडिंग्ज में नहीं आयें लेकिन इन नियमों की पालना करते रहें और हाऊस को सुपरमेसी को अगर हम नहीं बचा सके तो कल यह कहने वाले क्या कहेंगे ? अगर चीफ आफ डिफेन्स इस तरह की पोलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है, वह कल के अखबार

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

में छप चुका है, यह इतना महत्वपूर्ण मामला है और उस पर सरकार की ओर से स्पष्टीकरण नहीं आया ? सरकार को इस मामले को जिस गम्भीरता से लेना चाहिए था, उस प्रकार नहीं लिया जब तक कि यहां शोरोगुल नहीं हुआ, यह मामला यहां नहीं उठा, सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। हमारा स्पष्ट कहना है कि ऐसे मामले में एक बार पहले भी पंजाब में जाकर यहीं महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां भी ऐसा राजनीतिक बयान देकर आप आए थे और ये बात ऐसे ही बढ़ती गई तो फिर वही चेतावनी भी आएगा जैसे दूसरे देशों में सेना के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। शासन संभालने की बात है। उन्होंने कहा है कि अच्छी व्यवस्था ही हमारा उद्देश्य है। तो फिर एक चेतावनी उसकी ओर से आई है उस अधिकारी को हटाया जाए और सरकार स्पष्ट बयान दे कि ये क्यों मौन है। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूँ कि सेना के प्रति हमारे लोगों के मन में अगाध श्रद्धा है और सेना की देशभक्ति और बहादुरी के ऊपर किसी भी संसद सदस्य या किसी भी पक्ष के लोगों को कोई संदेह नहीं है। अलग-अलग क्षेत्रों में काम बटे हुए हैं और ये जो काम बटे हुए हैं उसमें आज हम लोगों का काम है कि अपने कर्तव्य को निभाते हैं। ज्यूडीशरी अपने कर्तव्य को निभाती है, सेना और प्रशासन अपने कर्तव्य को निभाते हैं और यदि उसमें कहीं हस्तक्षेप होता है तो स्वाभाविक है कि ये जो संसद है, इस संसद के सदस्य जो हैं, उन के मन में गुस्सा होता है और यह कोई स्टेटमेंट नहीं है। यह मामला है इंटरव्यू का और यह पार्लियामेंट सोवरीन है और पार्लियामेंट सोवरीन है तो इसकी संप्रभुता की रक्षा करना चेयर का काम होता है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार के पास थोड़ा सा भी अपने दायित्व का ज्ञान होता, जैसे कल अखबार में आया था, सरकार की तरफ से या तो इसका कंट्राडिक्शन होना चाहिए था या सरकार सदन में आकर कह सकती थी कि जो बातें निकली हैं वे सही नहीं हैं। लेकिन जो इंटरव्यू छपा है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार चिंतित है। सरकार ने भी इस संबंध में कार्रवाई की है। हम इतना ही जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है और यदि ये इंटरव्यू सही है, यदि ये इंटरव्यू चीफ आफ आर्मी स्टाफ का दिया हुआ है तो मैं समझता हूं कि **

और सरकार का दायित्व है कि सरकार सदन में आकर इसको क्लेरिफाइ करे।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय कृपया यह पूछ लीजिए कि विपक्ष से कोई बोलने के लिए तो नहीं रह गया ताकि उन्हें समय दिया जा सके। इस पक्ष के साथ अन्याय किया गया है हम इसका विरोध करते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पाणिग्रही जी मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा।

(व्यवधान)

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : यह सिर्फ इनका मामला नहीं है। यहां भी लोग हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही को असंतुष्ट नहीं रखना चाहता हूं, यदि आप दो मिनट को बोलना चाहते हैं तो मैं आपको समय दे दूंगा।

श्री राम कापसे : वह बोलना नहीं चाहते। वह आपके व्यवहार पर टिप्पणी करना चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह भाषण देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अध्यक्षपीठ का कार्य है कि वह इस प्रकार की बातें सहन करे। अध्यक्षपीठ को ऐसी बात सहन करनी होगी।

(व्यवधान)

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, न तो मैंने और ना ही मेरे साथी श्री कुमारमंगलम ने इन मामलों को उठाने के सदस्यों के अधिकार से इंकार किया है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारे थलसेना अध्यक्ष जो कि एक बड़े देशभक्त अफसर हैं के संबंध में कुछ टिप्पणी की गई है उन्होंने विशेषतौर से यह उल्लेख किया है कि वह···**···है (व्यवधान) और पेंटागन के लिये काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उपाध्यक्ष महोदय कृपया रिकार्डों की जांच करा लें और मेरा यह निवेदन है कि इन शब्दों को कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रयोग किये गये असंसदीय शब्दों को पहले ही कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री एस. कृष्ण कुमार : श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक समाचार पत्र को उधृत करते हुए कुछ मामले उठाये थे तकनीकी से तो कोई आपत्ति नहीं है, न ही सेनाओं के अध्यक्षों या जनरलों पर प्रेस के साथ वार्ता करने पर कोई पाबंदी ही है; ऐसे मामले पहले भी हुए हैं। अतः सदस्यों द्वारा दिए गए महत्व और यहां उठाए गए मामलों के परिप्रेक्ष में हम उक्त समाचार की सत्यता की जांच करेंगे; हमें इसमें किए गए उल्लेख को देखना होगा और यदि सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया या उत्तर आवश्यक होगा। तो उचित समय पर मेरे वरिष्ठ साथी द्वारा ऐसा कहा भी जाएगा।

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : सरकार या सदस्यों के रूप में राष्ट्र की सुरक्षा अखंडता, सार्वभौमिकता हमारे लिए सर्वोपरि है और हम किसी भी स्थिति में किसी भी तरह से

इस बारे में कोई समझौता नहीं करेंगे, न करने देंगे। महोदय, मेरे माननीय सदस्यों द्वारा, विशेषतः पेंटागन के संबंध में समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट पर व्यक्त की गई चिंता को ध्यान पूर्वक सुना है। इस समय मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे विदेश सचिव जो कि संयुक्त राज्य अमरीका में है, ने इस सम्बन्ध में विभिन्न अमरीकी अधिकारियों में विचार विमर्श किया है। वह आज या कल लौटने वाले हैं, और सोमवार को हम इस माननीय सदन में एक वक्तव्य देंगे।

जहां तक माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा उठाये गए मुद्दों का सवाल है मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री सोमवार या उसके अगले दिन वक्तव्य देने की स्थिति में होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : सभापटल पत्र रखे जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय मैंने विशेषाधिकार के एक प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वाणिज्य मंत्री को संकेत प्रस्तावों संबंध में उठायी गयी आपत्तियों के विषय में क्या कहना है ? (व्यवधान)

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मेरा औचित्य का प्रश्न है (व्यवधान) महोदय, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सदन में संकेत प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। महोदय वह क्यों नहीं बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

———

1.16 म. प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सेना अधिनियम, 1950 और तटरक्षक अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस कृष्ण कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सेना अधिनियम, 1950 की धारा 12 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 11, जो 15 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारतीय सेना की चुनी हुई शाखाओं/संवर्गों में महिलाओं की भर्ती के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) तट रक्षक अधिनियम, 1978 की धारा 123 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तट रक्षक (सामान्य) संशोधन नियम, 1991, जो 13 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 4-अ में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1539/92]

लोक प्रति निधित्व (संशोधन) अध्यादेश 1992 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण ।

संसदीय कार्य मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : महोदय, श्री विजय भास्कर रेड्डी की ओर से, मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1992 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी-1540/92]

खेल कूद निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) खेल-कूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) खेल कूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखें संख्या एल. टी.-1541/92]

(3) वर्ष 1991-92 के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड और वाणिज्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखें संख्या एल. टी.-1542/92]

डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम 1948 के तहत अधिसूचना और कोचीन पत्तन न्यास कोचीन का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि ।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) डाक कर्मकार (नियोजन) का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8 क के अन्तर्गत मद्रास अपंजीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन योजना

1992 जो 9 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 13 (अ) में प्रकाशित हुई थीं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.-1543/92]

(2) (एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-1544/92]

(4) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी.-1545/92]

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम 1944 इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह): महोदय, मैं श्री रामेश्वर ठाकुर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 19 (अ) से सा. का. नि. 25 (अ) तक जो 3 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कार्यालय उपस्करों के कल-पुर्जों तथा उपभोग की वस्तुओं को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के तहत उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमा शुल्क से उस दशा में छूट देने के बारे में है जब उनका आयात एस. ई. ई. पी. जेड. कोचीन, नोएडा, फाल्टा, मद्रास, स्थित

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में, विशेष स्वर्ण आभूषण परिसर, नई दिल्ली में तथा आभूषण इकाइयों में, शत प्रतिशत योजना के अधीन भारत में किया जाता हो, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1546/92]

(2) केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 734 (अ) जो 11 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय यह उपबंध करना है कि उस साधारण प्रथा के अनुसार, जो सुसंगत समय पर प्रचलित था, सीमेंट किलकरी के विनिर्माण में बन्द रूप से उपयोग किये जाने वाले "रो फाइन" या "कमल" के संबंध में संदत्त न किया गया उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क 20 मार्च, 1990 से 17 मई, 1990 तक की अवधि के दौरान संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1547/92]

(3) दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत दिल्ली बिक्री कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1991 जो 19 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 4 (22)/89-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1548/92]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

लोकतंत्रीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रारूप (दूसरा संशोधन) 1991 जो 3 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 614 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कम्पनी (निक्षेपों की स्वीकृति) संशोधन नियम, 1992 जो 10 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 39 (ई) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची दो में 1 नवम्बर, 1991 से कतिपय संशोधन करने

वाली अधिसूचना संख्या का. आ. 606 (अ) जो 3 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 1549/92]

बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1990, जो 21 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या लीगल/3/90 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिंडिकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम 1991, जो 25 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 319/एस/0090/पीडी: आई आई डी (ओ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1990, जो 6 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ/पी आर एस/आईआरपी/91-92-270 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अधिसूचना संख्या डब्ल्यू आई ई/11/मिस/91, जो 25 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो पंजाब नेशनल बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 मे संशोधन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल. टी. 1550/92]

(2) (एक) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की समीक्षा करने वाले टिप्पण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 1551/92]

निर्यात क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : मैं निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1991, जो 12 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2560 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 1552/92]

1.17 म.प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 11 मार्च, 1992 को हुई अपनी बैठक में पारित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 1992

राज्य सभा द्वारा यथा पारित

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1992 सभा पटल पर रखता हूं।

1.17 1/2 म.प.

प्राक्कलन समिति

नौवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय—रक्षा भूमि तथा भूमि उपयोग नीति सम्बन्धी प्राक्कलन समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

1.18 म.प.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण

श्री के प्रधानी (नवरंगपुर) : महोदय, मैं देना बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को बैंक द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा) के अध्याय—एक, दो और तीन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय—पांच के सम्बन्ध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

1.18 1/2 म.प.

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 16 मार्च, 199 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा तथा प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार और पारित करना।

3. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1992 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा तथा राज्य सभा द्वारा पारित किये गए रूप में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार और पारित करना।

4. भारतीय रेडक्रास सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 1992 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा तथा भारतीय रेडक्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार और पारित करना।

5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अध्यादेश, 1992 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विधेयक, 1992 पर विचार और पारित करना।

6. खनिजों उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1992 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा तथा खनिज उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 पर विचार और पारित करना।

7. 1992-93 के लिए जम्मू और कश्मीर के बजट पर सामान्य चर्चा।

8. 1992-93 के लिए अनुदान मांगों (जम्मू और कश्मीर) पर चर्चा और मतदान।

9. 1991-92 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (जम्मू और कश्मीर) पर चर्चा और मतदान।

10. 1992-93 के लिए मणिपुर के बजट पर सामान्य चर्चा।

11. 1992-93 के लिये अनुदान मांगों (मणिपुर) पर चर्चा और मतदान।

12. 1991-92 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (मणिपुर) पर चर्चा और मतदान।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय विचारार्थ जोड़ें जाएं :—

"1. चालू वर्ष में विदेशों से रुपए की मुद्रा व्यापार करने वाले देशों से तेजी से गिर रहे निर्यात के कारण जूता उद्योग व अन्य उद्योगों में कार्यरत कारीगरों में आई बेरोजगारी की समस्या पर विचार।

2. पाकिस्तान द्वारा आणविक अस्त्र बना लिए जाने तथा भारत के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण देश की सुरक्षा व्यवस्था को सबल बनाने के लिये भारत द्वारा आणविक अस्त्र बनाने पर विचार किया जाए।"

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय कृपया निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए :—

"1. मध्य प्रदेश में बिजली की कमी की पूर्ति आपूर्ति करने के लिये केन्द्र सरकार के अंतर्गत विचाराधीन बिजली उत्पादन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृत किया जाए।

2. मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थापित करने के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दी जावे तथा उज्जैन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिपो की स्थापना के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जाएं।"

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न कार्य और जोड़ा जाए :—

"1. कोटा नगर को "बी" श्रेणी का शहर घोषित करने हेतु चर्चा करवाने के बाबत।

2. राजस्थान की मध्यम सिंचाई योजनाओं को पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं करवाने से असंतोष पर चर्चा।"

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करने के आदेश प्रदान कर कृतार्थ करें :—

"1. मध्य प्रदेश में काटन कारपोरेशन आफ इंडिया (सी. सी. आई.) द्वारा कृषि उपज मंडियों में अचानक किसानों से कपास खरीदना बन्द कर दिया गया है। उसे पुन: शुरू करने की आवश्यकता।

2. मध्य प्रदेश में अधिकांश जिलों और तहसीलों में अपर्याप्त वर्षा से सूखा पड़ने से गांवों में पीने के पानी की समस्या से निपटने, सूखा-राहत कार्यों में सहायता हेतु, राज्य सरकार द्वारा मांगे गये 220 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता।"

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :—

(1) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उड़ीसा में सम्बलपुर जिले में हुमा स्थान पर प्राचीन झुके हुए शिव मन्दिर तथा ढेनकनाल जिले में कुआलू स्थान पर अष्ठ शम्भू मन्दिर का अधिग्रहण ताकि उनकी विशिष्ठता बरकरार रखी जा सके।

(2) नई दिल्ली में संसद भवन को संसद भवन सौध से जोड़ने वाले (भूमिगत) पारपथ का निर्माण।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए।

(1) विभिन्न शैक्षिक प्राधिकरणों द्वारा त्रिभाषा फार्मूले को लागू करने के तरीके पर चर्चा।

(2) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक चरित्र को बहाल करने पर चर्चा तथा संविधान के अनुच्छेद 3 (1) के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित शैक्षिक संस्थाओं की मान्यता हेतु मार्गनिर्देश।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किये जाएं :—

1. भारत सरकार के भू-तल परिवहन मन्त्रालय द्वारा डीजल एवं पैट्रोल पर लेवी से जो केन्द्रीय सड़क कोष बनाया गया है जिसके अन्तर्गत इस कोष से राजस्थान को 14 करोड़ रुपये का हिस्सा दिया जाना है उसमें से अभी तक केवल 1 करोड़ रुपया दिया गया है। शेष आवंटन राशि राजस्थान राज्य सरकार को शीघ्र दी जाए।

2. राज्य के तीन प्रमुख नगरों जयपुर, उदयपुर व बीकानेर को जल प्रदाय एवं सीवरेज योजनाएं जो 4 6.40 करोड़ रुपये की है शहरी विकास मन्त्रालय से वित्त मन्त्रालय के आर्थिक मामलात विभाग को अग्रेषित किया जाए जिससे विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने वाले प्रोजेक्टों में शामिल हो सके।

मुझे उम्मीद है कि संसदीय मंत्री मेरी बात पर अवश्य ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए :—

एक केन्द्रीय मंत्री सहित एक अध्ययन दल मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में भेजा जाए जो वहां पर सूखे की स्थिति का जायजा ले और राहत कार्य शुरू करे।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।—

(1) महाराष्ट्र राज्य में स्थापित होने वाली नई सहकारी चीनी मिलों की समस्याएं।

(2) सहकारी कताई मिलों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए :—

1. इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए।

2. देहली-इलाहाबाद वायु सेवा फिर से नियमित रूप से लागू की जाए।

1.25 म.प.

जूट विनिर्मित विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पुरःस्थापित किया जाए। श्री अशोक गहलोत।

* दिनांक 13.3.92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खण्ड में

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जूट विनिर्मित विकास परिषद् अधिनियम, 1983 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जूट विनिर्मित विकास परिषद अधिनियम, 1983 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2.30 म.प. पर पुन: समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

1.27 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.36 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.36 म.प. पर पुन: समवेत हुई।

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं]

रेल बजट, १९९२-९३ सामान्य चर्चा जारी

रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के बारे में संकल्प (जारी)

अनुदानों की मांगें (रेल), १९९२-९३ (जारी)

अनुपूरक और अनुदानों की मांग (रेल), १९९१-९२ (जारी)

सभापति महोदय : आज की कार्य सूची के मद संख्या 15 से 18 को लेने से पूर्व, मैं सभा को सूचित करती हूं कि कल माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाने वाली एक सूची सूचना पट पर लगाई गई है।

सभा में उपस्थित जो माननीय सदस्य कल अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सके वे 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेजकर अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा। इस प्रकार आज प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक दूसरी सूची तुरन्त सूचना-पट्ट पर लगा दी जायेगी।

यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभा पटल पर कार्यरत अधिकारी को देना चाहिये।

अब डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय बोलें।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति जी, मैं अपने द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों के समर्थन में तथा रेल बजट के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

मैं विस्तार से उसके ऊपर चर्चा करूं, उसके पहले मैं दो घटनाएं माननीय रेल मंत्री जी को सुनाना चाहता हूं। दो महीने पहले की बात है, मैं मध्य प्रदेश से सफर करते हुए जगदलपुर से रामानुजगंज होकर जब डाल्टनगंज पहुंचा, मेरा रिजर्वेशन था और डाल्टनगंज से मुझे देहरी ऑन सोन तक जाना था। मैं डिब्बे में बैठा लेकिन मैंने देखा उस डिब्बे की जो गद्दी थी, उसका ऊपर का कवर गायब था। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि मेरे पास बेडशीट है, मैं बेडशीट बिछा लूं और सो जाऊं, बिटलनी अन्दर से लगा लूं तो वह भी गायब थी, यह प्रथम श्रेणी की बात मैं कह रहा हूं। मैंने दूसरे स्टेशन पर जाकर जब स्टेशन मास्टर से उसकी चर्चा की कि क्या यही व्यवस्था है, आप की इस रेल के अन्दर, तो उन्होंने मुझे एक सीधा सा उत्तर दिया कि आप इस बात को ज्यादा मत बढ़ाइए। आपके उस डिब्बे में अगर और लोग आकर बैठ गए हों तो उनको बैठने दीजिए, नहीं तो आप झगड़े में लग तो आप की भी खैरियत नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसी हमारी निरापद रेल यात्रा है।

मैंने इसीलिए एक घटना जो मेरे साथ बीती थी, वह सुनाई। यह सही है कि विश्व भर में हमारी भारतीय रेल द्वितीय और एशिया में तो प्रथम है, हमने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। हम मीटर गेज, ब्राड गेज और नैरो गेज लेकर हम चला रहे हैं। उनकी अपनी आवश्यकता है मीटर गेज की भी आवश्यकता है, ब्राड गेज की भी आवश्यकता है, क्योंकि, जिन क्षेत्रों में मीटर गेज आज फैली हुई है, यदि सर्वथा समाप्त कर दी जाती है ब्राड गेज में परिवर्तित कर दें तो व्यावहारिक दृष्टि से ठीक तो हो सकता है व्यय की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से ब्राड गेज में कुछ लागत कम आयेगी लेकिन इतनी लंबी दूरी की ब्राड गेज में कन्वर्ट करना हमारे लिये बड़ा कठिन हो जायेगा जैसी आज आर्थिक स्थिति भी नहीं है, इसलिए कुछ समय तो शायद हमें यह चलानी ही पड़ेगी। 62,211 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन कोई सामान्य रेल लाइन नहीं है। लगभग आठ-नौ हजार इंजन इसमें लगते हैं जिसमें वाष्प चालित इंजन भी हैं, डीजल चालित इंजन भी हैं और विद्युत चालित इंजन भी हैं। तीनों प्रकार के इंजन हैं। अब धीरे-धीरे वाष्प चालित इंजन छोड़ कर डीजल,

और डीजल से ज्यादा विद्युत पर हम आ रहे हैं, क्योंकि बिजली कम खर्चीली पड़ती है। डीजल इन्जन को छोड़कर अगर हम विद्युत इंजन पर आयें, तो विद्युत इन्जन का हमारे यहां पर निर्माण नहीं हो रहा है, इस वजह से हम को बाहर से आयात करना पड़ता है और उस पर पूरा खर्च आता है। यह भी हमारे लिए एक कठिनाई है, इस कारण हम एक दम विद्युत इन्जनों पर निर्भर नहीं हो सकते विद्युतीकरण भी तेजी से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि विद्युतीकरण में भी जो पैसा लगता है या विदेशी मुद्रा लगती है। उसकी कठिनाई है किन्तु इसका लाभ है। मैंने देखा है, जहां-जहां भी विद्युतीकरण हुआ है, उससे रेल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के समय में कमी आई है और काफी परिवर्तन आया है। गाड़ी की गति में तीव्रता आई है। गाड़ी की तीव्रता बढ़ने में केवल इंजन ही एक कारण नहीं है, पटरी भी उसका एक कारण है और सिगनल्स वगैरह भी उसी में आते हैं। सभी साधन सुचारु हों, जरूरी है।

इस बात को माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्यगण भी जानते हैं कि हमारे यहां ब्राड-गेज विश्व भर में अनोखी है। हमारे यहां की ब्राड गेज से बड़ी ब्राड गेज नहीं है, बाकी सब छोटी है और भारत में तो अपने ढंग की ब्राड गेज है। इस ब्राड गेज से हमारी क्षमता बड़ी है। जहां तक कैपेसिटी यूटलाइजेशन का प्रश्न है, वह कपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। हम प्रतिदिन अधिक से अधिक रेलगाड़ियां दौड़ाना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर गाड़ियां रुकी रहती हैं, 10-10, 12-12 घण्टे रुकी रहती है, कहीं कहीं टर्मिनल सुविधा नहीं है। अगर टर्मिनल है भी, तो आगे कहां कैसे ले जाएंगे, इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है या वैसी योजना नहीं है। यह बात ठीक है कि आपने बम्बई के सन्दर्भ में टर्मिनल की व्यवस्था के बारे में सोचा है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है, उसके बारे में निश्चित रूप से आपको विचार करना पड़ेगा। जो गाड़ियां 10-10, 12-12 घण्टे एक स्थान पर खड़ी रहती हैं, अगर वे आगे जा सकती हों, तो उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाया जाना चाहिए।

माननीय रेल मन्त्री महोदय ने नई गाड़ियों के परिचालन की बात भी कही है। मेरे पास यह "भारतीय रेल परिचायक" है, इसमें गाड़ियों की संख्या के बारे में बताया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1990-91 में 2,661 थी और 1989-90 में भी 2,661 थी। उपनगरीय रेल-गाड़ियां 1990-91 में 3,245 थी और 1989-90 में 3,247 थीं। इसी प्रकार मेल-एक्सप्रेस और माल गाड़ियां भी क्रमशः 1059 और 6,174। कहने का तात्पर्य यह है कि 1989-90 और 1990-91 में गाड़ियों की संख्या के सुधार में कोई अन्तर नहीं है। आपने किस प्रकार से गाड़ियों को बढ़ाया है, कृपया उसको बताने की कृपा की जायगी, तो अच्छा होगा। आपने जो ऐट-ए-ग्लान्स दिया है, उससे ऐसा कहीं नहीं लगता है कि संख्या बढ़ी है। आप प्रतिदिन तेरह-चौदह हजार पसेंजर ट्रेन चलाते हैं, उसके बावजूद भी यात्रियों को ले जाने की क्षमता नहीं बढ़ पा रही है यात्रियों की भीड़ यथावत है। केवल इतना मात्र यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि रेल एक व्यापारिक संस्था है, ताकि लाभ देखेंगे। इसका सामाजिक दायित्व भी है और सरकार का भी सामाजिक दायित्व होने के नाते यह कर्तव्य बनता है कि वह इसको केवल उसी दृष्टि से न देखें। आज रेल विकास की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। इसलिए जिन-जिन क्षेत्रों में भी अभी रेल नहीं गयी है, उन-उन क्षेत्रों में रेल की बहुत आवश्यकता है। पिछले दिनों मैंने सदन में मध्य प्रदेश के संदर्भ में चर्चा की थी। विशेष-

[illegible]-जबलपुर रेल लाईन के संबंध में चर्चा की थी। यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यदि उस क्षेत्र में थोड़ी भी रेल लाइन मिल जाती है, तो निश्चित रूप से वहां के क्षेत्रीय विकास में और आदिवासी क्षेत्र के विकास में काफी सहूलियत हो जाएगी। मुझे यह जानकर बहुत ही दुःख हुआ कि इस दिशा में कदम नहीं उठाया गया है। दुःख मुझे इसलिए भी हुआ कि मध्य प्रदेश की विधान सभा ने सर्वसम्मति से, जिसमें कांग्रेस और दूसरे दलों के सदस्य भी हैं, इस प्रस्ताव को पारित किया कि अगर मध्य प्रदेश में कहीं रेलगाड़ी की सर्वप्रथम आवश्यकता है, तो उस क्षेत्र में आवश्यकता है।

मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहूंगा, इसी मध्य प्रदेश के सन्दर्भ में, इन्दौर-दाहोद रेलवे लाईन के बारे में आपने पैसा तो दिया है लेकिन यह इतना नगण्य है कि पता नहीं कब जाकर होगा और यह भी एक पिछड़ा इलाका है, जो झाबुआ व धार के ट्राइबल ऐरिया से होकर के गुजरती है और गुजरात में जाकर के ट्राइबल ऐरिया में मिलती है। अगर यह रेल लाइन जल्दी बने तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का भरपूर विकास हो सकता है। औद्योगिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आज वहां का आदिवासी बाहर चला जाता है, इधर-उधर भटकता फिरता है, शायद उसको तब जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहां पर अगर उसके लिए ज्यादा सहूलियतें होंगी, उद्योग धन्धे वहां पर आएंगे, क्योंकि जहां-जहां इस प्रकार की रेल-गाड़ियां हैं वहां पर उद्योग धन्धे निश्चित रूप से हैं।

सड़क परिवहन आज की आवश्यकता की दृष्टि से इतना कार्यक्षम नहीं हो सकता है इसलिए रेल की अपनी आवश्यकता महत्वपूर्ण है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आर्थिक विकास की दृष्टि से रेलों को इन क्षेत्रों में ले जाने की अति-आवश्यकता है। जो क्षेत्र पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, जो क्षेत्र विकास तक से वंचित है और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने की दृष्टि से भी इसका विचार किया जाना आवश्यक है। कहीं तो रेलों का अत्यधिक विकास हुआ है, बहुत ज्यादा ट्रेनें हैं और कहीं पर बहुत कम हैं, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की दृष्टि से अगर आप विचार करेंगे तो मैं समझता हूं कि ठीक होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने माल भाड़े में वृद्धि की है और यात्री किराए में भी वृद्धि की है। अब अगर आप कहते हैं कि माल भाड़े में वृद्धि थोड़ी है मेरी समझ में तो नहीं आता है कि यह थोड़ी है, यह थोड़ी नहीं है, माल भाड़े में वृद्धि साढ़े सात प्रतिशत की है और यात्री किराए में वृद्धि हुई है 10 से 15 प्रतिशत कहीं 25 प्रतिशत लेकिन इसका कुल मिलाकर जो बाजार में आने वाली वस्तुएं हैं उनके ऊपर तो निश्चित रूप से असर पड़ेगा क्योंकि कोयला भाड़े में भी 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है, इससे और महंगाई तो बढ़ेगी ही, आप महंगाई को कम नहीं कर सकते। माननीय वित्त मंत्री जी पास में बैठे हुए हैं, वह भले ही महंगाई को कम करने का प्रयत्न करें लेकिन आप महंगाई को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं आपको चाहिए कि आप उनका सहयोग करें। क्योंकि आपके बजट प्रस्तावों से और महंगाई बढ़ेगी, बाजार में इससे कीमतें बढ़ेंगी। ये जो गरीब, मध्यम वर्ग है, अब आपने 10 कि. मी. तक का भाग छोड़ा है। आज 10 कि. मी. तक का कोई यात्रा करता ही नहीं है, सामान्यतया, कम से कम भी अगर कोई यात्रा करेगा तो 50-100 कि. मी. तक करेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो इसके बाद आपको पता लगेगा कि सबसे ज्यादा अगर आपको राशि

यात्री किराए को प्राप्त होता है और वह द्वितीय श्रेणी के किराए से प्राप्त होगा और द्वितीय श्रेणी वाले मध्यम वर्ग से आप ज्यादा लेना चाहते हैं और जो उच्च वर्ग है उस उच्च वर्ग को आप सहूलियत देना चाहते हैं। यह कहने को तो जरूर लगेगा कि हमने 15-25 प्रतिशत बढ़ा दिया है लेकिन 15-25 प्रतिशत बढ़ाने के बावजूद भी उससे होने वाली जो आय है वह कम है, बनिस्पत उसके जो द्वितीय श्रेणी में यात्रा करते हैं और इस दृष्टि से मेरा आपसे निवेदन है कि इस बढ़े हुए किराए को पूर्णतया आप वापस लेने की कृपा करें। माल भाड़े की दृष्टि से और यात्री भाड़े की दृष्टि से साथ ही साथ आपने एक और वृद्धि की है सीजन टिकट पर अब ये जो सीजनल टिकट वाले हैं वह दूर जगह हैं, बम्बई उपनगर का तो यह बहुत बड़ी समस्या है, केवल वहां की ही नहीं, अभी मेरे उत्तर प्रदेश का कह रहे थे, झांसी के बारे में हमारे यहां पर भी जहां से प्रतिदिन इधर-उधर जाते हैं सीजनल टिकट लेते हैं और सहूलियत प्राप्त करते हैं उस पर भी आपने भाड़े में वृद्धि कर दी। अब लाखों लोग जहां यात्रा करते हैं उनके बारे में आपने एकदम वृद्धि करके, मैं समझता हूं कि उनके साथ आपने न्याय नहीं किया है वह पहले ही इस बढ़ती हुई महंगाई के अन्दर दुखी हैं और आपने और संकट उनके सामने खड़ा कर दिया है।

मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमने जो उसके बारे में कटौती प्रस्ताव दिए हैं, मैं उस के ऊपर और जोर देकर कहना चाहता हूं कि आप उस वृद्धि को भी वापस लेने की कृपा करेंगे। यह वृद्धि भी ऐसी वृद्धि है जिसके कारण लोगों को काफी कठिनाई होगी। मैं आपसे अन्य विषय पर निवेदन करना चाहूंगा, अभी कल चर्चा हो रही थी रेल में खान-पान व्यवस्था के बारे में, अब हमें तो कई बार काम पड़ता है लेकिन दोनों तरह के अनुभव हैं, अब खान-पान में निजी व्यवस्था आपने ठेके पर दे दी है, अब चूंकि हम संसद सदस्य हैं तो ऐसा जान लेते हैं तब तो वे ठीक-ठीक करके भोजन गर्म करके देने का प्रयत्न करते हैं और अगर उनको यह पता नहीं होता है तो शायद अच्छा-सा लाकर रखने का प्रयत्न करते हैं, ठेकेदारी प्रथा से भी कोई लाभ नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा अच्छा तो यह था कि आपकी जो आपकी जो अपनी व्यवस्था चल रही थी वह बुरी नहीं थी, वह ठीक थी उसमें कोई दिक्कत नहीं थी और उसमें अगर कोई आवश्यकता है तो उसमें सुधार भी हो सकता था।

मैं इसी सदन में निवेदन करना चाहूंगा, पिछले दिनों मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर पश्चिम रेलवे श्यामगढ़ नाम का स्थान है वहां पर किचन बनाया गया है। लाखों रुपए उपकरणों पर लगा कर उपकरण लाए गए और उसको इसलिए बनाया गया, क्योंकि वहां पर सुपर फास्ट ट्रेन जाती है, फ्रंटियर मेल ठहरती है, इसलिए वहां से भोजन सप्लाई होगा, लेकिन अब यह व्यवस्था ठेकेदारों को दे दी गई है और वह लाखों रुपया बेकार हो गया है। मुझे समझ नहीं आता कि अगर इस प्रकार की योजना थी तो फिर लाखों रुपये इन उपकरणों पर क्यों व्यय किए गए। इस प्रकार बार-बार योजना बदल कर आप क्या करने जा रहे हैं, इसको समझने में असमर्थ हूं।

कुछ और विशेष बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात गुणवत्ता के बारे में है। यह बात ठीक है कि आपने बहुत सी नई रेलें चलाई हैं, लेकिन जैसे जैसे रेल की उपयोगिता और मांग बढ़ रही है, गुणवत्ता में कमी आती चली जा रही है। इसके बारे में आप विचार कीजिए। पैसेंजर अमेनिटीज के बारे में तो चिंता नहीं है, अनदेखा कर दिया जाता

है। बंबई कलकत्ता आदि बड़े स्टेशनों को छोड़ दीजिए, हालांकि कलकत्ता में भी पीने के पानी की कठिनाई हो सकती है, लेकिन रतलाम इन्दौर, अजमेर, जयपुर जैसे स्टेशनों पर पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है : बड़े-बड़े स्टेशनों पर तो व्यवस्था है, कूलर भी लगे हुए हैं लेकिन छोटे स्टेशनों पर यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। वाटर हट बनी हुई हैं, लेकिन वाटर मैन नहीं हैं पश्चिम रेलवे के मदसोर स्टेशन से यही हालत है। स्टेशन मास्टर से बात करते हैं तो वह कहता है कि वाटर-मैन हटा लिए गए हैं, पानी नगर-पालिका सप्लाई करती है, जब वह सप्लाई करती है तब उपलब्ध होता है, जब नहीं करती है तो नहीं होता है, आप प्यासे चले जाइए, यह उनका उत्तर होता है। मैं चाहूंगा कि ऐसी जगहों पर जहां काफी यात्री आते जाते हैं, वाटर हट बने हुए हैं, वहां पर वाटर-मैन नियुक्त करें।

एक निवेदन और करना चाहूंगा। कोटा से नीमच तक पहले मालगाड़ी चलती थी अब यात्री गाड़ी चलाई गई है। मैंने इसके बारे में भी कटौती प्रस्ताव दिया है, मैंने कहा है कि कोटा नीमच लाइन को ब्राडगेज पर रतलाम तक बढ़ाया जाए। मैंने इसके लिए मंत्री महोदय से निवेदन किया है, मुझे आशा है कि मेरे तर्क से वे सहमत होंगे। नीमच में सी०आर०पी०एफ का मुख्यालय है, नीमच के पास खोर के अन्दर एक बहुत बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है, उसके पास एक और सीमेंट फैक्ट्री है। उसके पास ही नयागांव के अन्दर भी एक सीमेंट फैक्ट्री है, नीमच के अन्दर अल्कालाइन फैक्ट्री है, चित्तौड़ के अन्दर 2 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। इनकी लोडिंग-अनलोडिंग वहां पर होती है पिछले दिनों सीमेंट फैक्ट्री मालिकों ने बताया कि हमारा माल पहले मीटर गेज से जाता था तो रतलाम जाकर लदान हो जाता था और आगे चला जाता था। अब हमसे कहा जाता है कि आप ब्राड गेज पर माल भेजिए। हमारा माल यहां से सीधा कोटा होकर, रतलाम होकर बम्बई पहुंचता है और जितनी दूरी इस तरह से बढ़ जाती है, उसका किराया लिया जाता है। यह उनके ऊपर अननेसेसरी बर्डन आ गया है। या तो उस लाइन को आगे तक बढ़ा दिया जाना ही ठीक होगा। मेरा इस बारे में निवेदन है कि मंत्री महोदय इस पर विचार करें साथ ही पुनः कहूंगा कि नीमच से रतलाम ब्राड-गेज का सर्वे हो चुका है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन सर्वे के आगे की कार्यवाही करने पर आप विचार करने की कृपा करें।

इसी प्रकार से कुछ रेल-लाइनों के बारे में कहना चाहूंगा। मीटर गेज पर काचीगुडा से लेकर जयपुर तक गाड़ी चलती है, बहुत अच्छी गाड़ी है। कई दिनों से वहां की मांग है कि इस गाड़ी को दिल्ली तक बढ़ा दिया जाए, ताकि यात्रियों को जयपुर हाल्ट करके गाड़ी बदलने की आवश्यकता न पड़े और सीधे काचीगुडा से दिल्ली तक की यात्रा सुविधा उनको प्राप्त हो। इस बारे में विचार करने का कष्ट करें। इसी तरह से कुछ गाड़ियां अजमेर से चल कर चित्तौड़ और कुछ गाड़ियां चित्तौड़ से चल कर नीमच पड़ी रहती हैं, मेरा निवेदन है कि इनको रतलाम तक एक्सटेंड कर दिया जाए। ये शटल का काम भी करेंगी, यात्रियों को आने जाने में सुविधा होगी और व्यापारिक क्षेत्र को भी लाभ होगा। अन्य लोगों को भी लाभ मिलेगा। उस दृष्टि से इन गाड़ियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उम्मीद है आप इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। रतलाम भोपाल के मध्य चलने वाली गाड़ी 111-112 पुनः चलाई जाए। रेल में जो चोरियां होती हैं, घटनाएं घटती हैं, उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसके बारे में भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि उनको सहज रूप में नहीं लेना चाहिए। खासतौर से जो आपका

नुकसान होता है, वह तो होता ही है, कोयले की चोरी होती है, ओपन, खुले डिब्बे होते हैं, जहां-तहां कोयला चुरा लिया जाता है और रेलवे की हानि होती है। अन्य सामान की काफी चोरी होती है। इसके लिये सुरक्षा का प्रबन्ध आप निश्चित रूप से करने की कृपा करेंगे, ताकि इस चोरी को रोका जा सके। रेल कर्मचारियों व श्रमिकों के हितों की भी रक्षा होनी चाहिए।

लखनऊ से अजमेर के बीच में स्वतंत्रता से पहले जो गाड़ी चलती थी वही गाड़ी अब भी चल रही है। उनके बीच में फास्ट ट्रेन चलाने की आवश्यकता है। मैं मांग करूंगा कि वहां पर फास्ट ट्रेन भी चलायी जाए। मैं अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि गत दो वर्षों में जिस अनुपात में यात्री भाड़े में वृद्धि हुई है, उस अनुपात में यात्रि सुविधाओं में वृद्धि नहीं हुई है। मेरा अनुरोध है कि आप इसके बारे में भी फैसला करें। मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि जिन बातों की तरफ मैंने उल्लेख किया है और जिनकी तरफ मैंने ध्यान आकर्षित किया है उन पर आप निश्चित रूप से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे। आवरा मंडजीर मौसम में स्टेशन के पास क्रॉसिंग पर ओवर-ब्रिज बनाया जाना जरूरी है।

अन्त में मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने मंत्री महोदय से दो-तीन बार निवेदन किया कि जम्मू तवी से लेकर बम्बई, जम्मू तवी-हापा जम्मू तवी से अहमदाबाद सुपरफास्ट ट्रेन चलती है। उसको श्यामगढ़ में हाल्ट किया जाए। श्यामगढ़ ऐसा स्टेशन है जो मध्यवर्ती स्थान है; वहां पर व्यापारिक केन्द्र है, गांधी सागर जैसा पर्यटक स्थल वहां से पास है। केन्द्र होने के कारण वहां पर यात्री भी उपलब्ध हैं। इस तरीके से वहां पर हाल्ट दिया जाना आवश्यक है। उनके बारे में आप हाल्ट देने की कृपा करेंगे। अन्त में मैं फिर से कटौती प्रस्तावों को दोहराना नहीं चाहता, उनके बारे में निवेदन करते हुए कि मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिए हैं आप उन्हें स्वीकार करेंगे, सभापति महोदया, आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक (दुर्गापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं;

कि विविध व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

बर्दवान से आसनसोल तक ई.एम.यू. सेवाएं बढ़ाने की आवश्यकता।

कि विविध व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

कालका मेल ए.सी. एक्सप्रेस और चम्बल एक्सप्रेस का रानीगंज में रुकवाने की आवश्यकता। (33)

कि विविध व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

दार्जीलिंग मेल को खाना और गुशकरिया में रुकवाने की आवश्यकता। (34)

कि विविध व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

बर्दवान और आसनसोल के बीच चलने वाली यात्री रेल गाड़ियों के पुराने सवारी डिब्बों को बदलने की आवश्यकता। (36)

कि विविध व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

आसनसोल डिवीजन में प्राम और मंकर स्टेशनों के बीच कोन्डईपुर में हाल्ट बनाने की आवश्यकता। (37)

कि विविध व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

बोंडल-कटवा लाइन के विद्युतीकरण की आवश्यकता। (39)

कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

बर्दवान और बुधकई के बीच रेल लाइन पर ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता। (40)

कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

बर्नपुर तथा आसनसोल रेलवे स्टेशनों के बीच एक और रेलवे लाइन बिछाने की आवश्यकता। (460)

कि परिसम्पत्तियां खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

दक्षिणपूर्व रेलवे के आद्रा-मिदनापुर खण्ड का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता। (461)

कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

दूसरी श्रेणी 3 टियर में भीड़भाड़ कम करने के लिए सभी गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (462)

कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

दक्षिणपूर्व रेलवे के बंकुरा-दामोदर रेलवे लाइनों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता। (463)

कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

बर्दवान-कटवा लाइनों पर अधिक गाड़ियां चलाने की आवश्यकता। (464)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।

बर्दवान शहर में कल्ना गेट पर एक ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता। (465)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।

[समस्तीपुर-दरभंगा मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता।] (97)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

[समस्तीपुर में रेलवे कार्यशाला को बनाये रखने की आवश्यकता।] (98)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।

[साकरी-हसनपुर को नई रेलवे लाइन में जोड़े जाने की आवश्यकता।] (99)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाये।

[दरभंगा-रक्सौल, दरभंगा-लोहाना बाजी, दरभंगा-जयनगर और दरभंगा-नीरगाली के मध्य पुनः रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता।] (100)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाए।"

[दरभंगा जंक्शन के उत्तर में गुमटी के पास एक उपरिपुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।] (101)

[जयनगर से इलाहाबाद और गुवाहाटी के लिए नई रेलगाड़ियां शुरू किये जाने की आवश्यकता।] (102)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

]बिहार के हजारी बाग तथा दुमका मंडल मुख्यालयों को रेलवे लाइन से जोड़े जाने की आवश्यकता।] (1253)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।

[पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर मंडल में निर्मली तथा थारमोठा स्टेशनों को पुल द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता।] (1254)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[वर्ष 1989-90 तक समस्तीपुर तथा दरभंगा से जयनगर, रक्सौल लोकहा बाजार तथा निर्मली को जाने वाली रेल गाड़ियों को पुनः शुरू करने की आवश्यकता।] (1255)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

[समस्तीपुर मंडल में खजोली रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करने तथा प्लेटफार्म को ऊंचा करने की आवश्यकता।] (1256)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[समस्तीपुर मंडल में खाद्य निगम के गोदाम तक रेल पटरी बिछाने की आवश्यकता।] (1257)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाये।"

[समस्तीपुर दरभंगा, जयनगर नाटरगेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की आवश्यकता।] (1258)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[मोमनगर से चतरा तक की रेल लाइन को बिहार सरकार से अधिग्रहण किये जाने की आवश्यकता।] (1259)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

सीतामढ़ी—जयनगर—लौकहा बाजार स्टेशनों को रेल लाइन से जोड़े जाने की आवश्यकता।] (1260)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[समस्तीपुर मंडल में सकरी जंक्शन के पूर्वोत्तर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।] (1261)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

[समस्तीपुर मंडल में कोरठिया, मुरैठा तथा टेकटार रेलवे स्टेशन को पूर्ण स्टेशनों के रूप में बदले जाने की आवश्यकता।] (1262)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

[समस्तीपुर मंडल में मधुबनी जिला मुख्यालय के स्टेशनों का आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता।] (1263)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाये।"

[समस्तीपुर मंडल के जयनगर स्टेशन से सीधा इलाहाबाद तथा गुवाहाटी के लिए एक रेल डिब्बा जोड़े जाने की आवश्यकता।] (1264)

"कि रेलवे शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[समस्तीपुर से पटना के लिए एक सीधी रेल गाड़ी या कम से कम एक रेल डिब्बा लगाये जाने की आवश्यकता।] (1265)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

[मुजफ्फरपुर से दरभंगा के बीच मीटरगेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की आवश्यकता।] (1266)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[बगहा—छितौनी रेल पुल को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता।] (1267)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[जयनगर—जनकपुर—नेपाल मीटरगेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता।] (1268)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[रेलवे बोर्ड को समाप्त किए जाने की आवश्यकता।] (1269)

श्री ब्रह्मानन्द मण्डल (मुंगेर) :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

पूर्व सराय रेलवे स्टेशन के रेल फाटक पर एक उपरिपुल बनाये जाने की आवश्यकता।] (133)

"कि, रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

पूर्व सराय रेलवे स्टेशन के पश्चिमी प्लेटफार्म को ऊंचा उठाए जाने की आवश्यकता।] (134)

"कि, रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[जमालपुर रेलवे स्टेशन पर दो नये प्लेटफार्म बनाये जाने की आवश्यकता।] (135)

"कि, रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[जमालपुर रेलवे स्टेशन पर तत्काल कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता।] (136)

"कि, रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[पूर्व सराय रेलवे स्टेशन पर चौबीस घण्टे पेयजल की सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता।] (137)

"कि, रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें :"

[जमालपुर रेलवे स्टेशन पर द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिए और प्रतीक्षालयों का निर्माण कराये जाने की आवश्यता।] (138)

"कि, रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[कियुल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नं. 1 को ऊंचा किए जाने की आवश्यकता।] (139)

"कि, रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[जमालपुर रेलवे स्टेशन पर तिनसुकिया मेल में पटना के लिए रेलवे बुकिंग सुविधाएं दिये जाने की आवश्यता।] (140)

"कि, रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[दानापुर-हावड़ा तेज गति की यात्री रेल गाड़ी (पैसेंजर ट्रेन) में द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिये कम से कम एक और सवारी डिब्बा जोड़े जाने की आवश्यकता।] (141)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[समय से रेल गाड़ियों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता।] (142)

"कि, रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[जमालपुर या भागलपुर से पटना के लिए एक नयी एक्सप्रेस या मेल रेलगाड़ी की व्यवस्था करने की आवश्यकता।] (143)

"कि, रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[यात्रियों की सुविधा के लिए जमालपुर से विक्रमशिला एक्सप्रेस में एक सवारी डिब्बा जोड़ने की आवश्यकता।] (144)

"कि, रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[सियालदह-मुगलसराय एक्सप्रेस रेलगाड़ी को दिल्ली तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता।] (145)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[मुंगेर-जमालपुर सेक्शन के अन्तर्गत रद्द कर दी गयी प्रातः कालीन रेल गाड़ियों को पुनः शुरू करने की आवश्यकता।] (146)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[पूर्व रेलवे के बाठीपुर रेलवे स्टेशन पर हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस रेलगाड़ी का स्टापेज बनाने की आवश्यकता।] (147)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[मलुई हाल्ट स्टेशन को यथाशीघ्र पूर्ण स्टेशन बनाये जाने की आवश्यकता।] (148)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[आसनसोल-सियुलतला यात्री रेलगाड़ी को मुकामा तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता।] (149)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[जमालपुर का रामपुर रेलवे कालोनी में तत्काल पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता (150)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[8183 अप और 8184 डाउन टाटा-पटना एक्सप्रेस का कियूल रेलवे स्टेशन पर हाल्ट बनाये जाने की आवश्यकता।] (151)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[तिनसुकिया मेल में सिलीगुड़ी से भागलपुर तक और जमालपुर रेलवे स्टेशन से आरक्षण सुविधाएं बहाल करने की आवश्यकता] (152)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[मनानपुर रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का हाल्ट बनाये जाने की आवश्यकता।] (153)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[कियूल साहेबगंज लूप रेल सेक्शन के अन्तर्गत कजरा और मनानपुर रेलवे स्टेशन के बीच एक नया हाल्ट बनाये जाने की आवश्यकता।] (154)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[जमालपुर-रतनपुर के बीच के 6 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन को दुहरा किये जाने की आवश्यकता।] (255)

कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[क्यूल और कजरा के बी 16 किलोमीटर के रेल मार्ग को तत्काल दुहरा किये जाने की आवश्यकता ।] (156)

"कि परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[भाप चालित इंजिनों पर आवर्ती व्यय, विशेषतः जबकि भारतीय रेलवे में इन इंजनों के पुनः प्रयोग को रोका जा रहा है, को रोकने की आवश्यकता ।] (881)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए"

[जमालपुर रेल कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक धनराशि दिए जाने की आवश्यकता ।] (1109)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए"

[जमालपुर लोको शेड का विस्तार करने के लिए और अधिक धनराशि दिए जाने की आवश्यकता ।] (1110)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए"

[भागलपुर खंड में कीवो-जमालपुर के बीच दोहरी रेलवे लाइन बिछाने के लिए तथा कीवो-काजरा के बीच दोहरी रेल लाइन के कार्य को अविलम्ब पूरा करने के लिए और अधिक धनराशि दिए जाने की आवश्यकता ।] (1111)

श्री श्याम लाल कमल (बस्ती) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[अतिथि सत्कार तथा मनोरंजन व्यय में कटौती किए जाने की आवश्यकता ।] (230)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[उत्पादकता से जुड़े बोनस में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता ।] (23)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[रेलवे में क, ख, ग श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोटा भरा जाने की आवश्यकता ।] (232)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

[उत्तर भारत में विशेषकर उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे के क और ख श्रेणी के लिए कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता ।] (233)

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपए किया जाए।"

[यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता] (475)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपए किया जाए।"

[रेल डिब्बों और शौचालयों को साफ रखने की आवश्यकता।] (476)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपए किया जाए।"

[रेलों में समयबद्धता और सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता।] (477)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपए किया जाए।"

खान-पान सेवा के स्तर में सुधार करने की आवश्यकता।] (478)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग को कम करके 100 रुपए किया जाए।"

[चालू रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता।] (479)

"कि रेलवे पर सामान्य प्रचालन और सेवाओं के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

दूसरी श्रेणी के रेल यात्री किराये में की गयी वृद्धि को वापिस लिए जाने में असफलता।]

(505)

"कि रेलवे पर सामान्य प्रचालन और सेवाओं के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[सीजनल टिकटों के किराए में की गयी वृद्धि को वापिस लिए जाने में असफलता।]

(506)

"कि रेलवे पर सामान्य प्रचालन और सेवाओं के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[रेल माल भाड़े में की गयी वृद्धि को वापिस लिए जाने में असफलता।] (507)

"कि शीर्ष पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[रेलवे वर्कफोर्स में कटौती न होने देने में असफलता।] (508)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[दूसरे श्रेणी के यात्रियों की सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता।] (555)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[रेल सेवा में नियमितता और सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।] (556)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[लम्बी दूरी की रेल गाड़ियों की गति में वृद्धि करने की आवश्यकता।] (557)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[रेलवे स्टेशनों को प्रतीक्षालय गृहों और शौचालयों सहित स्वच्छ रखने की आवश्यकता।] (558)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[जिन रेल कर्मचारियों को बिना किसी जांच के बर्खास्त कर दिया गया था उन्हें बहाल करने की आवश्यकता। (559)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[रेलवे के विभिन्न श्रेणियों की रिक्तियों को भरे जाने की आवश्यकता।] (560)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[आरक्षित डिब्बों में अनाधिकृत यात्रियों को रोकने की आवश्यकता।] (56)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[रेल डिब्बों तथा शौचालयों को स्वच्छ रखने की आवश्यकता।] (562)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[रेलवे आरक्षण कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता।] (563)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[बर्खास्त रेल कर्मचारियों को तुरन्त बहाल किए जाने की आवश्यकता।] (1283)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[गाड़ी सेवाओं में समय पाबन्दी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।] (1284)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[रेलवे बुकिंग कार्यालयों में कदाचार को रोके जाने की आवश्यकता।] (1285)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[दार्जिलिंग मेल की समय पाबन्दी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता।] (1286)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस को डालखोला और अलुबारी रोड पर ठहराए जाने की आवश्यकता।] (1287)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[अवध असम एक्सप्रेस को डालखोला और अलुबारी रोड पर ठहराए जाने की आवश्यकता।] (1288)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[प्रस्तावित हल्दीबाड़ी-सियालदह ट्रि-विकली एक्सप्रेस को डालखोला, अलुबारी रोड, हरीशचन्द्रपुर और सांसी रेलवे स्टेशन पर ठहराए जाने और इसे सप्ताह में तीन दिन चलाने की बजाए प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता।] (1289)

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग 100 रुपए कम किये जायें।"

[डालखोला और किशनगंज स्थित रेलवे लाइनों पर ऊपरी पुल बनाए जाने की आवश्यकता।] (1290)

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

[बारसोई से राधिकापुर तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता।] (1291)

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग 100 रुपये कम किये जायें।"

[टॉलीगंज से गारिया तक मेट्रो रेलवे का विस्तार किए जाने की आवश्यकता।] (1292)

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[पश्चिम दिनाजपुर जिले और पश्चिम बंगाल राज्य के अन्य भागों को रेल से जोड़े जाने की आवश्यकता।] (1293)

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग 100 रुपये कम किये जायें।"

[बालुरघाट-एकलक्खी रेल लाइन का तुरन्त निर्माण किये जाने की आवश्यकता।] (2194)

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरयिंकिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[हजारों कर्मचारियों को उनके रोजगार से हटाकर खान-पान सेवा का निजीकरण करने तथा यात्रियों की यात्रा को कठिन करना।] (894)

"कि रेलवे बोर्ड, शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[कर्मचारियों की संख्या में 40 प्रतिशत की छंटनी जिसके फलस्वरूप युवकों के लिए रोजगार के अवसरों में कमी आएगी तथा उन्हें उनके रोजगार से हटाया जाना।] (895)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[अनेक वर्षों से सामयिक तथा अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने में असफलता।] (896)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनों का निर्माण करने में असफलता।] (897)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[त्रिपुरा जैसे राज्य की उपेक्षा जहां अगरतला से देश के अन्य भागों के लिए कोई रेल संपर्क नहीं है।] (898)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[केरल में रेल के डिब्बे बनाने की एक फैक्टरी अथवा कम से कम एक बड़ी रेल कार्यशाला खोले जाने में असफलता।] (899)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[केरल के रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षालय गृहों, प्लेटफार्मों के ऊपर छत तथा नये भवन जैसी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान कराने में असफलता।] (900)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किया जाये।"

[दक्षिण को विशेषकर केरल की ओर जाने वाली रेल गाड़ियों में नाम डिब्बे तथा यात्री डिब्बों की दशा में सुधार करने की आवश्यकता।] (901)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किया जाये।"

[दुर्घटनाओं से बचने के लिए रेल लाइनों तथा डिब्बों का निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों को मिट्टी के तेल के लैम्प के बजाए बैटरी दिए जाने की आवश्यकता।] (902)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किया जाये।"

[केरल में निलम्बार से फिरोक तक रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता] (903)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[नयूलोन, त्रिवेन्द्रम बड़ी लाइन के अन्तर्गत चिराइंकल (शारकारा) पर एक ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता।] (904)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[जयन्ती जनता रेल गाड़ी में मुम्बई से कोचीन तक यात्रियों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करने तथा आरक्षित डिब्बों में भीड़भाड़ को रोकने की आवश्यकता।] (905)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[जयन्ती जनता में मुम्बई से कोचीन तक गुण्डागर्दी रोकने तथा यात्रियों को ऐसे हमलों एवम् उनका सामान की क्षति से बचाये जाने की आवश्यकता।] (906)

"कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[यात्री संघों की मांग को ध्यान में रखते हुए कडकापूर रेलवे स्टेशन पर और अच्छी सुविधायें प्रदान कराये जाने की आवश्यकता।] (907)

"कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[वरकला स्टेशन पर जो कि एक पर्यटन केन्द्र है, एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस गाड़ी को रोकने की आवश्यकता।] (908)

"कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[तिरुपति से त्रिवेन्द्रम तक एक नई रेल गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।] (909)

"कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[एर्णाकुलम जंक्शन पर नवीकरण सम्बन्धी कार्य को तेज किये जाने की आवश्यकता।] (910)

"कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[उत्तरी केरल में रेल स्टेशनों का पुनर्निर्माण किये जाने की आवश्यकता।] (911)

"कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[कालीकट-मंगलौर बड़ी रेल लाइन के अन्तर्गत कोलेश्वरम पर रेलवे प्लेटफार्म में छत सहित अन्य अच्छी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।] (912)

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[कायनकुलम एलेप्पी रेल लाइन में अम्बालपुरम पर एक रेल पुल का निर्माण करने की आवश्यकता।] (913)

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

[कोंकण रेलवे के शीघ्र निर्माण के लिए और अधिक धनराशि दिये जाने की आवश्यकता।] (914)

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[रेलवे लाइनों के निरीक्षकों और अधिक अच्छी सुविधायें दिए जाने की आवश्यकता।] (916)

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[क्वीलोन से मदुरई तक मीटर गेज लाइन बिछाने की आवश्यकता।] (916)

"कि रेलों पर सामान्य प्रभाक्षण और सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।"

श्री दत्तात्रेय बंडारु (सिकन्दराबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं।—

"कि रेलों पर सामान्य प्रभोक्षण और सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[इस दशा में दो रातों के लिए बिस्तर का किराया न लिए जाने की आवश्यकता जब बिना बिस्तर बदले उसी यात्री द्वारा वही बिस्तर दूसरी रात के लिए प्रयोग किया जाता है।] (1149)

"कि रेलों पर सामान्य प्रभोक्षण और सेवायें शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

[रेल सेवाओं में समयबद्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।] (1150)

"रेल पर सामान्य प्रभोक्षण और सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेलवे बुकिंग कार्यालयों में भ्रष्टाचार रोकने की आवश्यकता।] (1151)

"कि रेलों पर सामान्य प्रभोक्षण और सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[तमिलनाडु एक्सप्रेस को खम्मम रेलवे स्टेशन पर रोके जाने की आवश्यकता। (1152)

"कि रेलों पर सामान्य प्रभोक्षण और सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[आठवीं योजना प्रतिवेदन को लागू किए जाने की आवश्यकता (आठवीं योजना का आकलन 20 हजार रेलवे डिब्बों की आवश्यकता का है जबकि रेलवे विभाग द्वारा केवल प्रतिवर्ष 2400 डिब्बे बनाए जाते हैं)।] (1153)

"कि रेलों पर सामान्य प्रभोक्षण और सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।"

पुराने इन्जनों, पुराने सवारी डिब्बों तथा पुराने माल डिब्बों को बदलने की आवश्यकता।] (1154)

"कि रेलों पर सामान्य प्रभोक्षण और सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[रेलवे में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए नये तरीके निकालने की आवश्यकता।] (1155)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[खम्माम रेलवे स्टेशन पर आरक्षण सुविधा का कम्प्यूटरीकरण करने की आवश्यकता।] (1156)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि 100 रुपए कम किए जायें।"

[सीजन टिकटों के किराये में अनुचित, असहनीय और अतर्कसंगत वृद्धि को वापस लेने की आवश्यकता :] (1157)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

[हैदराबाद में फतेहनगर रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल बनाए जाने की आवश्यकता।]

(1156)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।"

देशभर में खासतौर पर आंध्र प्रदेश में रेल विद्युतीकरण कार्य पूरा कराने की आवश्यकता।

(1159)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

[कच्चीगुडा मनमाड छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की आवश्यकता।]

(1160)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[रामागुंडम से भाटूर के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता।] (1161)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[हैदराबाद से काजीपेट तक रेल विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने की आवश्यकता।]

(1162)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[दक्षिण मध्य रेल जोन में नये रेल मार्ग बनाने की आवश्यकता।] (1163)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[कोडूर रेलवे स्टेशन पर पैदल पुल बनाने की आवश्यकयता।] (1164)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[हैदराबाद और सिकन्दराबाद साथ-साथ लगे दोनों शहरों में सर्कुलर रेल प्रणाली को पूरा करने की आवश्यकता।] (1165)

"कि परिचालन व्यय यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[अपना हिस्सा पाओ योजना (ओन यूवर कोच स्कीम) का निजीकरण करने को वापस लेने की आवश्यकता। (1166)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[कार्यरत 2,500 भाप इंजनों को बदलने की आवश्यकता।] (1167)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[तिरुपति कटिपाडु छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की आवश्यकता।] (1168)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[पांडुरंगपुरम स्टेशन का नाम बदल कर भद्राचलम रोड स्टेशन न करके वही नाम बनाये रखने की आवश्यकता।] (1169)

"कि परिचालन व्यय यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[स्टेशनों पर आपातकालीन रोशनी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।] (1170)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[तमाम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए शयनशाला आवास उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।] (1171)

"कि परिचालन व्यय यातायात की शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

[तमाम रेलवे स्टेशन पर कुलियों के लिए विश्राम गृह बनाये जाने की आवश्यकता।] (1172)

कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[समाम रेलवे स्टेशन के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।] (1173)

कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

[सिकन्दराबाद रेलवे स्टेशन के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।] (1174)

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि. रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

[हाजीपुर-समस्तीपुर-दरभंगा मार्ग पर बड़ी लाइन बिछाई जाने की आवश्यकता।] (1270)

"कि, रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

[हसनपुर और सकरी (उत्तर रेलवे) के बीच एक नई रेल लाइन का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।] (1271)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

[रेलवे कार्यशाला समस्तीपुर का विकास किये जाने की आवश्यकता।] (1272)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

पटना और हाजीपुर के बीच गंगा नदी पर एक ऊपरी पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।] (1273)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाये।"

[भागलपुर-सुल्तानपुर के निकट गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता।] (1274)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

[बनारस-छपरा-सोनपुर-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता।] (1275)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

[घरौंदा और महाराजगंज के बीच मीटरगेज लाइन को पुनः खोले जाने की आवश्यकता।] (1276)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

[बरखास्त रेलवे कर्मचारियों को बहाल किये जाने की आवश्यकता।] (1277)

प्रो. वी धनंजय कुमार (मंगलोर) मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रेलवे शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

[दक्षिण-पश्चिम रेलवे जोन जिस का मुख्यालय बंगलौर हो, का गठन किये जाने की आवश्यकता।] (1279)

"कि, रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जावें।"
[सभी मीटरगेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदले जाने की आवश्यकता।] (1280)

"कि, रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जावें।"

[मंगलोर और मगलौर के बीच दिन के दौरान एक गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।] (1281)

"कि, रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जावें।"

[एक पृथक रेलवे डिवीजन, जिसका मुख्यालय बंगलौर हो, का गठन किये जाने की आवश्यकता।] (1282)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।

[छितौनी-बगहा रेल तथा सड़क पुल को शीघ्र पूरा किये जाने तथा रेल लाइन को तीन साल के निर्धारित समय में पूरा किये जाने की आवश्यकता।] (1299)

"कि रेलवे शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

[अक्तूबर, 1994 तक कोंकण रेलवे को पूरा किये जाने की आवश्यकता।] (1300)

"कि, रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

नियम 14 (ii) के अधीन बर्खास्त किये गये रेलवे कर्मचारियों को बहाल किये जाने की आवश्यकता।] (1301)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

श्रमिक संघ को मान्यता देने के लिए नये मान्यता--नियमों को क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता। (1302)

"कि, रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

[प्रत्येक वर्ष 1000 किलोमीटर तक नई रेलवे लाइन बिछाये जाने के लिये कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता। (1303)

"कि, रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जाय।"

[ऐसी नीतियों का अनुसरण करने की आवश्यकता जिससे कि रेलवे कर्मचारियों में बेरोजगारी न फैले। (1304)

"कि, रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

[कुम्हारों के लिए रोजगार पैदा करने तथा उसे संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से, ठेकेदारों द्वारा स्टेशन प्लेटफार्मों पर चलायी जा रही चाय की दुकानों, जलपान गृहों सहित सभी रेलवे खानपान सेवाओं में कुल्हड़ों का प्रयोग शुरू करने की आवश्यकता।] (1305)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

रेलवे कर्मचारियों के लिए हथकरघा वस्त्र यूनीफार्म उपलब्ध कराये जाने तथा बुनकरों के लिए रोजगार पैदा करने तथा उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए अतिथि गृहों रेलगाड़ियों आदि में हथकरघा वस्त्रों का प्रयोग करने की आवश्यकता। (1306)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

रेलवे में फैले कदाचारों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (1307)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाय।"

पूर्व रेलवे के साहिबगंज लूप सेक्शन पर बर्द्धमान से 404 अप को पुनः शुरू किये जाने की आवश्यकता। (1308)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाय।"

रेलवे खानपान सेवाओं द्वारा दिये जाने वाली सभी खानपान की वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करते समय उपभोक्ताओं के सुझाव पर विचार किय जाने की आवश्यकता। (1309)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

रेल गाड़ियों में चोरी की घटनाओं को रोके जाने की आवश्यकता (1310)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।"

दूसरी श्रेणी के किराये में वृद्धि को वापस लिये जाने की आवश्यकता। (1311)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

जयपुर से चलने वाली मीनाक्षी एक्सप्रेस में और अधिक डिब्बे लगाये जाने की आवश्यकता। (1312)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

रेलवे में खानपान सेवाओं में सुधार किये जाने की आवश्यकता। (1313)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

दूसरी श्रेणी के यात्रियों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (1314)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाये जाने की आवश्यकता। (1315)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

छोटे स्टेशनों पर पेयजल की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (1316)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

रेल गाड़ियों के सभी डिब्बों में यात्रियों को पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (1317)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

स्थापना व्यय में कटौती किये जाने की आवश्यकता। (1318)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

मासिक तथा त्रैमासिक सीजन टिकटों के किराये में हुई वृद्धि को कम किये जाने की आवश्यकता। (1319)

"कि परिचालन व्यय यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

रेलवे यात्रा टिकट निरीक्षक कर्मचारियों को रनिंग स्टाफ माने जाने की आवश्यकता। (1320)

डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे (जलगांव) मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।

भुसावल तथा मुंबई के बीच नई सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (1321)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

जलगांव रेलवे स्टेशन पर महानगरीय एक्सप्रेस, मुंबई-लखनऊ एक्सप्रेस, गुवाहाटी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, गीतांजली एक्सप्रेस का हाल्ट बनाये जाने की आवश्यकता। (1322)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

रद्द की गई यात्री गाड़ी को पुन: चलाये जाने की आवश्यकता। (1323)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

खानदेश होकर भुसावल से मुंबई तक एक नई होलीडे एक्सप्रेस चलाने की आवश्यकता। (1324)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

भुसावल जंक्शन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता। (1328)

"कि परिसम्पत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए किया जाए।"

अडाला तथा फेकरी गेट क्रासिंगों पर रेलवे पुल बनाये जाने की आवश्यकता। (1335)

श्री याइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

दीमापुर के रेलवे स्टेशन में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता। (1370)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

मणिपुर के तीर्थ यात्रियों को मणिपुर रेलवे स्टेशन पर आरक्षण कोटा दिये जाने की आवश्यकता। (1371)

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाये।"

सुरक्षित रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल की संख्या को बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (1377)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

मासिक सीजन टिकटों के किराये में हुई वृद्धि को वापिस लिये जाने की आवश्यकता।
(1378)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।"

दूसरी श्रेणी के दर्जे की रेल यात्रा के किरायों में की गई वृद्धि को वापिस लिये जाने की आवश्यकता। (1379)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

रेल यात्रा को अधिक आरामदेह बनाये जाने के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (1380)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

व्यर्थ के खर्च में अधिकतम मितव्ययिता करने तथा रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या में कटौती करने की आवश्यकता। (1381)

श्री गंगा राम कोली (बयाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

दिल्ली-मुम्बई सुपर फास्ट रेलगाड़ी को कम से कम दो मिनट के लिए बयाना रेलवे स्टेशन पर रोकने की आवश्यकता। (1413)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"
बयाना रेलवे स्टेशन का विकास करने की आवश्यकता। (1414)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए किया जाए।"

बयाना रेलवे स्टेशन पर लोको शेड की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (1415)

श्री राम सिंह कस्वां (चूरू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रेलों पर सामान्य प्रयोजन और सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।

दिल्ली और जोधपुर के बीच बरास्ता रतनगढ़-सादुलपुर रोजाना सुपर फास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता।] (1416)

"कि रेलों पर सामान्य प्रयोजन और सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।

[गंगानगर और जयपुर के बीच एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की आवश्यकता।] (1417)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।

[बीकानेर मेल और जोधपुर मेल में मुम्बई के लिए द्वितीय श्रेणी में आरक्षण सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता।] (1418)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

[पडिहार स्टेशन पर जोधपुर मेल का दो मिनट का हाल्ट बनाने की आवश्यकता।] (1419)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।"

[जोधपुर मेल, बीकानेर मेल और लिंक एक्सप्रेस में लाडनू सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू, सादुलपुर और डूंगरगढ़ स्टेशनों पर आरक्षण कोटा बढ़ाने की आवश्यकता।] (1420)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[सीकर-चूरू यात्री रेलगाड़ी को सादुलपुर तक बढ़ाने की आवश्यकता] (1421)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[रामपुरा रेलवे स्टेशन पर लिंक एक्सप्रेस का स्टापेज बनाने की आवश्यकता। (1422)

"कि रेल इंजिनों की मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किये जायें।"

[गंगानगर एक्सप्रेस में डीजल का इंजन लगाने की आवश्यकता।] (1423)

"कि परिचालन व्यय यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[गंगानगर और जयपुर के बीच गंगानगर एक्सप्रेस की गति बढ़ाने की आवश्यकता।] (1424)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

[रतनगढ़ और मेड़ता रोड के बीच छापर रेलवे स्टेशन पर ऊंचे प्लेटफार्म बनाने की आवश्यकता। (1425)

कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

[रतनगढ़-सादुलपुर के बीच तीसरी श्रेणी के रेल फाटकों पर कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता।] (1428)

कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

[लोहारू और सादुलपुर के बीच गुगलावा-किर्तन रेलगाड़ी का हाल्ट बनाने की आवश्यकता।
(1429)

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन करने की आवश्यकता। (1430)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।"

गोरखपुर में रेलवे में ठेका प्रणाली को समाप्त करके छटनी किये गये कर्मचारियों को काम उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (1431)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

रेल लाइनों के पास पड़ी हुई कृषि योग्य भूमि को भूमिहीन किसानों को आवंटित किए जाने की आवश्यकता। (1432)

"कि रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवायें शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

सभी एक्सप्रेस गाड़ियों के किरायों में हुई वृद्धि को कम करने की आवश्यकता। (1433)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

गोरखपुर और इलाहाबाद के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता।
(1434)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

5205/5206 रेल गाड़ियों का टिनिच रेलवे स्टेशन पर हाल्ट बनायेजाने की आवश्यकता।
(1435)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।

उत्तर प्रदेश में कोयले को विभिन्न जगहों, ईंट भट्ठों तक पहुंचाने तथा लेवी की चीनी की ढुलाई के लिए रेल गाड़ियों में माल डिब्बे पर्याप्त तथा रेक जोड़ने की आवश्यकता। (1436)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किये जायें।"

गोरखपुर से लखनऊ तक एक सुपरफास्ट रेल गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (1437)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

507 अप और 508 डाउन रेल गाड़ियों में गोरखपुर और लखनऊ से एक थ्री टियर तथा दो सामान्य डिब्बे जोड़े जाने की आवश्यकता। (1438)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।"

गोरखपुर तथा नई दिल्ली के बीच चलने वाली वैशाली एक्सप्रेस में वातानुकूलित चेयर-कार जोड़ने की आवश्यकता। (1439)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जायें।"

सभी गाड़ियों में बस्ती स्टेशन से आरक्षण कोटा बढ़ाये जाने तथा वहां कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (1440)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये कम किए जायें।

सभी महानगरों से रेल के मुख्यालयों को जाने के लिए एक साधारण डिब्बों वाली सुपर-फास्ट गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (1441)

कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए कम किए जाएं।

गोरखपुर से रतलाम तक एक रेल गाड़ी चलाने की आवश्यकता। (1442)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

खलीलाबाद से बलरामपुर तक डोहारीघाट, बनागांव, बजानी तथा तामेश्वरनाथ होकर नई बड़ी लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता। (1451)

कि परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जाएं।

कानपुर से बरोनी तक बड़ी लाइन का विद्युतीकरण किये जाने की आवश्यकता। '(1452)

[हिन्दी]

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने मुझे समय दिया। मंत्री महोदय हमारे पुराने मित्र हैं। अन्दाजा है कि जब से मैं पार्लियामेंट में हूं, वे भी हैं, जब मैं हारा हूं, वे भी हारे हैं। मैं बराबर उन बातों को बताता रहा हूं, फिर अब कहने जा रहा हूं।

[अनुवाद]

रेल मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : मैं पराजित नहीं हुआ हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कमला मिश्र मधुकर : मैं कहना चाहता हूं कि आपका यह रेल बजट मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही खतरनाक है, सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही खतरनाक हैं, मजदूरों के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि आपने द्वितीय श्रेणी का भाड़ा बढ़ाया है। आपने कभी सोचा है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी 10 किलोमीटर से कम नहीं होती है। आपने कहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी पर हम भाड़ा नहीं बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा दूरी का बढ़ाने जा रहे हैं। 25 रुपये आपने बढ़ा दिया है। इसका असर सारे देश के मध्यम वर्ग के लोगों पर, जो सरकारी नौकरी करते हैं, उन लोगों पर, बहुत बुरा पड़ रहा है। आपने उच्च श्रेणी में भाड़ा बढ़ाया है उसका मैं विरोध नहीं करता, लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों पर जो बोझ डाला है, मैं आग्रह करता हूं कि इस भाड़े की वृद्धि को आप जरूर रोकिए। वैसे ही आपने फ्रेट रेट बढ़ा दिया है, साढ़े सात परसेंट कर दिया। आप कहते हैं महंगायी दूर करेंगे। क्या इसका असर महंगायी पर पड़ने जा रहा है या नहीं ? क्या इससे महंगायी में वृद्धि होगी या नहीं ? मैं ऐसा मानता हूं कि इससे महंगायी में वृद्धि होगी, इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

3.00 म. प.

दूसरी बात यह है कि आपने मध्यम वर्ग के लोगों के लिए पांच रुपए स्लीपर चार्ज बढ़ा

दिए हैं। इससे आम जनता के लिए बहुत ही कठिनाई होगी। इसका मैं विरोध करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जी.एफ. स्लीपर के ब्याज की बढ़ोत्तरी को कम कीजिए, यह आपका मजदूर विरोधी बजट है। संसद में बहुत बहस हो चुकी है। 1980 की हड़ताल में जिन मजदूरों पर सख्ती की गई थी तो उनको पुनर्स्थापित करने के लिए बहुत बहस हो चुकी है, उस ओर आपने ध्यान नहीं दिया है। एन. ई. रेलवे में कई वर्षों से समस्तीपुर में रेलवे वर्कशाप में कैजुअल कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को आपने बैठा दिया है और ठेकेदारों से काम लेते हैं। आप इस पर ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 360 दिन तक जो कैजुअल कर्मचारी काम करते हैं उनको आगे के लिए बढ़ा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मंत्री महोदय ने भुला दिया लगता है। दस वर्षों से बरौनी में 50 मजदूर काम कर रहे हैं। न्यायालय के आदेश के बावजूद आपने उन मजदूरों की छंटनी कर दी है। सरकार का ध्यान उस ओर खींचा गया था। सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया और मजदूरों ने भी मेमोरेन्डम दिया है। लेकिन इन मजदूरों को वापस लेने के लिए आप नहीं सोच रहे हैं। वैसे ही समस्तीपुर लोकोमोटिव वर्कशाप में 1981 से 3500 मजदूर काम करते थे। वहां भी धीरे-धीरे छंटनी करके 800 तक पहुंचा दिया है। विजयनगर में उनसे काम लिया जाता था। इसके अलावा गोरखपुर में सरप्लस के काम को आपने छीन लिया है क्योंकि इन्जिन मरम्मत, सवारी गाड़ी, फाउन्ड्री, वेल्डिंग और मोल्डिंग आदि काम वहां पर होता था। इन सारे कामों को आपने वहां से हटा दिया था और विजयनगर और गोरखपुर में भेज दिया है। उत्तर बिहार में काम करने के एकमात्र वर्कशाप में से आपने मजदूरों को इधर-उधर भेज दिया है जिसकी वजह से मजदूरों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि समस्तीपुर लोको शेड को क्यों सरप्लस किया जाए। उत्तर बिहार में वह वर्कशाप है जिसमें हजारों मजदूर काम करते हैं और वहां के कामों को वहां से हटा दिया गया जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई है। आपने बहुत सारे मजदूरों को सरप्लस करके, सरप्लस करके छांट दिया है। बिहार में जमालपुर में वर्कशाप है। इस वर्कशाप में वैगन निर्माण होता था। इसमें इन्जिन की मरम्मत होती थी और आपने कहा है कि माडिफिकेशन करेंगे। लेकिन इस सिलसिले में आपने कोई ध्यान नहीं दिया है। जो काम वहां होता था तो उसमें आपने कटौती कर दी है। जमालपुर के वर्कशाप में आपने काफी मजदूरों को छांट दिया है और उनके जीवन के लिए कठिनाइयों में वृद्धि करने जा रहे हैं और कटौती नहीं करने जा रहे हैं। इसके चलते उत्तर में और बिहार में, खासकर जमालपुर इलाके में मजदूर आन्दोलित हुए हैं और उन्होंने कई बार ममोरेडम भी दिये हैं। लेकिन उस पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया है। आपके बजट में उच्चाधिकारियों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। वह किस कीमत पर की गई है, निम्न श्रेणी के रेलवे मजदूरों की छंटनी करके। उनके खर्चों में कटौती की कोई बात नहीं है। उसमें फैले हुए भ्रष्टाचार की समीक्षा करने की बात आपने नहीं सोची है। बल्कि उस दिशा में आपने अपनी आंख बन्द की है। सरकार की जो पालिसी है उसके अनुसार सन् 2000 तक एक लाख रेलवे मजदूरों की छंटनी होने जा रही है, उसके विषय में आप क्या करने जा रहे हैं यह बताएं। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आधार पर आपकी नीतियां बन रही हैं। जिसका जिक्र आपके वित्त मंत्री ने किया है। उस दिशा में आप भी कदम बढ़ा रहे हैं और रेलवे में निजीकरण करने जा रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य ने बताया है कि निजीकरण खान-पान की व्यवस्था में करने जा रहे हैं। हम

भी जानते हैं निजीकरण की इस व्यवस्था से ठेकेदारों की लूट बढ़ेगी, कोई तरक्की नहीं होगी। इसलिए निजीकरण की दिशा में आपका जो कदम है उसके हम सख्त विरोधी हैं।

हिन्दुस्तान में रेलवे ही ऐसा विभाग है जहां सबसे अधिक मजदूर काम में लगे हुए हैं। रेलवे बोर्ड का नया आर्डर हुआ है कि जितने रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं हिन्दुस्तान में उसमें कटौती कर दें। इस घोषणा से या इस निर्णय से पच्चीस हजार मजदूर जो करीब पढ़े लिखे नौजवान हैं वे बेकार हो जायेंगे। आपके यहां 60 हजार मजदूर भर्ती होते हैं उनमें से आधे बेकार हो जायेंगे। लाखों की भर्ती की सम्भावना भी अब खत्म हो गई है। इसलिए आपकी नीति रेलवे में बेकारी बढ़ाने वाली है, उसको खत्म करने वाली नहीं है। मैं इस बेकारी बढ़ाने वाले रेलवे बजट का विरोध करता हूं।

आपने जो मासिक टिकट की दरें बढ़ा दी हैं उससे बम्बई, कलकत्ता जैसे नगरों में रोज सुबह शाम यात्रा करने वाले लोगों पर असर पड़ेगा, वे भी इसके बढ़ने से प्रभावित होंगे, सरकारी कर्मचारी भी प्रभावित होंगे। जिनकी आय सीमित है उन लोगों का अधिक असर इन मासिक टिकटों के दाम बढ़ने से पड़ेगा और उनको इस बढ़ोत्तरी से कठिनाई होगी। इस पर आप गौर करें।

सभापति महोदया, यह बजट बिहार विरोधी है। आपने रेल बजट बनाते समय उत्तर प्रदेश और बिहार की उपेक्षा की है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक आबादी, आठ करोड़, बिहार की है। आपने बिहार के विषय में कुछ नहीं सोचा है, कोई परवाह नहीं की है। नतीजा यह हो रहा है कि सारे बिहार में जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं, विभिन्न समुदाय के लोग हैं और विभिन्न दलों के लोग हैं वे इसका विरोध कर रहे हैं कि इस रेल बजट से बिहार का कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। आपको सोचना चाहिए कि इतना बड़ा राज्य है वहां रेलवे की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, नई लाइनें खोलनी चाहिए, बड़ी लाइनों का विस्तार होना चाहिए, सुपर फास्ट गाड़ियां बढ़ानी चाहिए। इस पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए हम कहते हैं कि बिहार विरोधी यह रेल बजट है। लगता है कि आपने यह इसलिए किया है क्योंकि वहां पर जनता दल और वामपंथी दलों की मिलीजुली सरकार है। जहां जहां पर आपकी सरकार नहीं है वहां वहां की आपने उपेक्षा की है। इसके अलावा केन्द्र में कांग्रेस की सरकार होने के साथ-साथ जहां-जहां आपकी सरकार है वहां आपने सोचा है। लेकिन गैर कांग्रेस राज्यों की उपेक्षा की है। जबकि हमारे यहां रेलवे का काम काम नहीं हो रहा है।

बिहार की राजधानी पटना का आज बंगलौर, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, हैदराबाद, इन तमाम केन्द्रों से कोई सीधा रेल सम्पर्क नहीं है। पटना जैसे शहर को जो कि ऐतिहासिक शहर है उसको छोड़ दिया है। पटना एक ऐतिहासिक शहर है उस पर आप चोट नहीं कर सकते हैं, वह एक ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन इतने बड़े राज्य की राजधानी पटना को अन्य राज्यों की राजधानियों से आपने जोड़ा नहीं है। इसके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं कि जो साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद से वाराणसी के लिए सप्ताह में दो बार चलता है, उसे पटना तक बढ़ाया जाये। आप इसको नोट कर लें और इसका आपको जवाब देना होगा अथवा एक बोगी उस गाड़ी में जोड़ दें जो

अहमदाबाद से दिल्ली के लिए और दिल्ली से अहमदाबाद के लिए चलती है। इससे कोई विशेष फर्क नहीं रहेगा।

श्री सी. के. जाफर शरीफ : आज सवेरे यू. पी. से थोड़े लोग मेरे पास आये थे और कह रहे थे कि बिहार की तरफ कोई ट्रेन मत भेजो क्यों कि जो भी कंपार्टमेंट जाता है, वह टूटकर आता है—

श्री कमला मिश्र मधुकर : आप इस तरह से बिहार और और यू. पी. के बीच में लड़ाई नहीं करवा सकते हैं। इसी प्रकार से हैदराबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर के लिए व्यवस्था की जाये ताकि पटना से सम्पर्क होता रहे। मुजफ्फरपुर बहुत बड़ा व्यवसायिक केन्द्र है जहां के लिए आपने वैशाली एक्सप्रेस दी हुई है परन्तु उस गाड़ी में इतना भारी रश रहता है कि चेम्बर्स आफ कामर्स ने भी आपको लिखकर दिया है, मेमोरेंडम भेजा है कि एक सुपर फास्ट गाड़ी वैशाली होकर बरौनी तक दिल्ली से आये और वापस ले जाये। यह बहुत जरूरी है। आपको इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो भारी रश रहेगा।

एक बात की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि पता नहीं आपने टी. टी. ई. को लिखित आदेश दिया है या नहीं कि उसे महीने में 5000/-रु. चैकिंग करके देना होगा क्योंकि ऐसा न करने से उसका प्रोमोशन रुक जायेगा या पे रूक जायेगा, यह आपको मालूम करके बताना होगा। अब बिहार से हजारों की संख्या में लोग, मजदूर पंजाब में काम करने के लिए जाते हैं। उन यात्रियों को लूटा जा रहा है। यह भयंकर लूट है। मेरे ख्याल से यदि कार्रवाई नहीं करते हैं तो बिहार के लोगों और विशेषकर गरीब खेत मजदूरों के साथ, जो पंजाब में काम करते हैं, उनके प्रति उपेक्षा की भावना होगी। इसके लिए कार्रवाई की जाये। क्या सरकार का ऐसा आदेश है कि एक टी. टी. ई. को 5000/-रुपया देना पड़ेगा ?

सभापति महोदया, वैसे ही मुजफ्फरपुर-भागलपुर के लिए कोई गाड़ी नहीं है। ऐसी गाड़ी चलाये जाने के लिए वहां की जनता बहुत दिनों से मांग करती चली आ रही है। आप देश में रेलवे स्टेशनों का कम्प्यूट्रीकरण करते जा रहे हैं। मुजफ्फर पुर रेलवे स्टेशन को आप कम्प्यूटर से क्यों नहीं जोड़ते हैं, इसमें हर्ज ही क्या है ? आप सोचें कि ऐसा कर सकते अथवा नहीं ?

वित्त मन्त्री जी बैठे हुए हैं, वे इस बात की ओर ध्यान दें कि बिहार का एक इलाका चम्पारण है जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय आन्दोलन की अपनी भूमिका अदा करके महात्मा बन गये। आप उनका नाम जरूर लेते हैं, माला की तरह उनका नाम बार बार कहते रहे हैं लेकिन उनके काम से मतलब नहीं है। इसी प्रकार मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज तक बड़ी लाईन बनाये जाने के लिए पत्र लिखता रहा हूं, दबाव डालता रहा हूं और इस बजट में भी दबाव डाल रहा हूं कि गांधी जी के नाम यहां एक गाड़ी चलायें, क्योंकि आप उनको याद करते हैं। इससे कम से कम लोगों की जुबान पर तो उनका नाम याद रहेगा। महात्मा गांधी जिनको पूज्य पिता कहते हैं, राष्ट्र-पिता कहते हैं लेकिन आप का इस पर क्या ध्यान है, यह अन्दाज लग जाता है। इसलिए इस ओर ध्यान देना चाहिए।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों को जोड़ने वाली गण्डक नदी पर छितौनी में पुल बनाने की जरूरत है। मैंने इस सम्बन्ध में पत्र लिखा तो इन्होंने जवाब दे दिया कि बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार अपना शेयर नहीं दे रहा है, इसलिए हम पुल का निर्माण नहीं कर रहे हैं। यह तो कोई जवाब नहीं हुआ कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार कोई काम नहीं करे। तो बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए, व्यवसाय के लिए, औद्योगिक उन्नति के लिए छितौनी पुल का निर्माण करना बहुत जरूरी है। मैं इस पर फिर आपका ध्यान खींच रहा हूं कि यह कब तक किया जाएगा? नहीं किया जाएगा तो आप कोई जवाब दीजिए। भोजपुरी में कहावत है कि "दाता से सूम भला, पर दिन दे जवाब।"

श्री जाफर शरीफ : आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब तक बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार पैसा नहीं देगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे।

श्री कमला मिश्र मधुकर : उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार है, बिहार में दूसरी सरकार है इसलिए बिहार उसका फल भोगे। जब उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस सरकार हो जाएगी, तब पुल बनेंगे। यही बात है न। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होने वाला है।

श्री जाफर शरीफ : ऐसी बात नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं। इसमें सब की जिम्मेदारी है। इसमें सब मिलकर काम करेंगे। मैं उन सरकारों को कहना चाहता हूं कि वह क्यों नहीं पैसा देते हैं?

श्री कमला मिश्र मधुकर : आप उनको पत्र क्यों नहीं लिखते हैं? आप भी लिखिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को कि यह जनता की लोंग स्टैंडिंग मांग है कि एक ब्रांच लाइन खोली जाए जो हाजीपुर, वैशाली, वैशाली एक पर्यटन केन्द्र बनता जा रहा है और उसका एक लम्बा इतिहास है, पहले गणतंत्र का इतिहास है, हाजीपुर से वैशाली, वैशाली से साहेबगंज, अरेराज, पहाड़पुर होते हुए बेतिया तक एक लाइन ले जाई जाए। यहां के सांसद श्री शिवशरण सिंह ने यह मामला आपकी कंसलटेटिव कमेटी में उठाया था। मैं भी बरसों से उठा रहा हूं। आपने जवाब दिया था कि इन कामों के लिए फंड नहीं है। आप रेल का विस्तार कर रहे हैं। क्या रेलवे सिर्फ कामर्शियल है या यहां वेलफेयर का काम भी होता है? अगर वेलफेयर का काम नहीं है तो वह कामर्शियल है, तो इसे वहां बनाइए। खुशी की बात है कि वित्त मंत्री जी भी बैठे हुए हैं और रेल मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। इसलिए हम जो कह रहे हैं, हमारे कहने का मतलब यह है कि... मैं दो मिनट और लूंगा।

उत्तरी बिहार में जो इलाका पड़ता है—दरभंगा, समस्तीपुर, रक्सौल, निर्मली, झंझारपुर, ये सब इलाके बाढ़ के इलाके हैं। यह जरूरी है कि उस इलाके में रेल का विस्तार हो। वहां जो बड़ी लाइन बनाने का निर्णय लिया है उसमें तीव्रता लाइए ताकि वहां रेल का विस्तार हो सके, यह बहुत जरूरी है। आप कहें कि आप इसे स्वीकार कर रहे हैं। बस हो। मैं कहना चाहता हूं कि आपने रेल सम्बन्धी जो नीतियां अख्तियार की हैं, वह नीतियां आपको विश्व बैंक और आई.एम.एफ. की बनाई हुई नीतियों के मातहत हैं। इसलिए उसका श्रीगणेश आपने रेलवे में किया है। मनमोहन

सिंह जी हंस रहे हैं···, आपको भी बोलने का अधिकार है, हमें भी अधिकार है। लेकिन यह नीति मजदूर विरोधी है। नयी रेलों के विस्तार के जरिए मजदूरों को छांटा है, उनको छंटनी बन्द करके जो कैजुअल लोग हैं उनको रेगुलर बनाने की दिशा में आपका कोई कदम नहीं है, इसका उदाहरण आपने दिया है। बरौनी में दिया है, समस्तीपुर में दिया है। आप इन नीतियों को ठीक कीजिए और रेल सेवाएं जो इस देश की नाड़ियां हैं, उनको दुरुस्त कीजिए तभी शरीर ठीक से रहेगा। इस बात का हम विरोध करते हैं और अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि आज जो आप ने रेल में भाड़ा बढ़ाया है दूसरी श्रेणी के लिए, उसको आप वापस लें। अभी बजट में एक लाइन कीजिए : हम जानते हैं कि आप ऐसा करेंगे। आप चाहते हैं कि एम.पी. लोग भी बोल दें तो हमने आपकी बात मानी और हम बोल रहे हैं। आप ऐसा करेंगे हमें विश्वास है क्योंकि आप जनता की नब्ज को पहचानते हैं, आप दवा करते हैं देश की नब्ज को पहचानते हैं। इसलिये आपने सेकेण्ड क्लास के रेल भाड़े में जो बढ़ोत्तरी की है, उसे खत्म कीजिये। इसी के साथ-साथ मंथली सीजन टिकट के बारे में, मैं पहले ही कह चुका हूं कि आपने जो बढ़ोत्तरी की है, उसे वापस लीजिये। सबरबन रेलवे के किराये जो आपने बढ़ाये हैं, उन्हें खत्म कीजिये। मजदूर विरोधी नीति को खत्म कीजिये। बिहार विरोधी नीति को खत्म कीजिये। बिहार में अधिक से अधिक रेलवे सेवा का विस्तार कीजिये ताकि बिहार की जनता महसूस कर सके कि हमारे रेल मंत्री जाफर शरीफ साहब वास्तव में शरीफ हैं और उन्होंने अपने नाम के अनुकूल एक शरीफ रेलवे बजट बिहार के लिये दिया है। यदि आप बिहार की ओर से आंखें बन्द किये रहेंगे तो हम कैसे कह सकेंगे कि आप शरीफ हैं। वैसे मैं मानता हूं कि आप शरीफ हैं, लेकिन शरीफ होने का मतलब यह है कि आप काम भी वैसे ही करें, अपने काम में शराफत दिखाइये, बातों से काम नहीं होने वाला है, यही मेरा कहना है।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, आज देश में एक करोड़ लोग रेलों से यात्रा करते हैं। इसमें से 60 प्रतिशत उपनगरीय रेलों से यात्रा करते हैं। इन उपनगरीय रेलों से यात्रा करने वालों में 11 लाख लोग कलकत्ता में, साढ़े चार लाख लोग मद्रास में और बाकी 45 लाख लोग मुम्बई में उपनगरीय रेलों से यात्रा करते हैं। वर्ष 1951 में मुम्बई की आबादी 30 लाख थी और 8 लाख लोग उपनगरीय रेलों से यात्रा करते थे। मुम्बई में प्रतिदिन 300 परिवार अन्य स्थानों से रोजी की तलाश में आते हैं और आज मुम्बई की जनसंख्या एक करोड़ को पार कर गयी है। वर्ष 1951 की तुलना में आज 6 गुना लोग मुम्बई में उपनगरीय रेल सेवा का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग वी.टी. और चर्चगेट से कल्याण और विरार तक आते जाते हैं। इस प्रकार रेल यात्रा से होने वाली आय की मात्रा मुम्बई शहर से बहुत ज्यादा है। लेकिन रेलमंत्री ने मासिक सीजन टिकट के किराये में वृद्धि करके मुम्बई वासियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। मुम्बई दिल्ली के बीच यात्री किराये में 17 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है जबकि मुम्बई शहर में 50% वृद्धि की गयी है।

1968 में चर्चगेट-विरार (दूरी 50 किलोमीटर) के बीच एक महीने के सीजन टिकट का किराया पहले 14 रुपये 55 पैसे था जो 1988 में बढ़कर 60 रुपये हुआ, 1991 में 83 रुपये हुआ और अब रेल मंत्री ने 1992 में इसको बढ़ाकर 116 रुपये कर दिया है। बोरीवली तक 30 किलोमीटर की दूरी का किराया, जो 1978 में 10 रु. 60 पैसे था, 1988 में बढ़ाकर 47 रुपये, 1991

में 64 रुपये कर दिया गया और अब 1992 में उसे बढ़ाकर 97 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार मध्य रेलों में कोपरी से ठाणे तक 30 किलोमीटर दूरी का किराया भी जो 1968 में 10 रुपये 35 पैसे था 1988 में बढ़ाकर 47 रुपये, 1991 में और बढ़ाकर 64 रुपए किया गया और अब 1992 मे उसमें और वृद्धि करके 97 रुपए कर दिया गया है। यह कितनी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है।

मंथली सीजन टिकट के किरायों में वृद्धि तो कर दी गयी है लेकिन यात्रियों की सुख-सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। मुम्बई में 4? लाख लोग अब उपनगरीय रेलों से यात्रा करते हैं, लेकिन उनके लिए गाड़ियां ही पर्याप्त नहीं हैं। वहां एक गाड़ी में 9 डिब्बे लगाए जाते हैं, और उनकी क्षमता 17?0 यात्रियों को ले जाने की है, लेकिन उनमें लगभग 4000 यात्री सफर करते हैं। इस प्रकार रेलवे को अधिक आमदनी होती है। गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के बारे में, न जाने सरकार कहां से आंकड़े इकटठा करके कहती है कि उपनगरीय रेलों से लाभ नहीं होता। आज इन उपनगरीय रेलगाड़ियों में इतनी भीड़भाड़ रहती है कि लोगों को मजबूर होकर पायदन पर लटककर और छत पर बैठकर यात्रा करनी पड़ती है। इस प्रकार अनेकों दुर्घटनाएं हो जाती हैं और बहुत से लोग रेल यात्रा करने के चक्कर में अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। यह रेल बजट समाज के कमजोर वर्ग को जो महंगाई की मार से पहले ही त्रस्त हैं, और अधिक पीड़ा पहुंचाने वाला है। हमारी उपनगरीय रेलें सरकार को लाभ कमाती हैं लेकिन विदेशों में उपनगरीय रेल सेवा को सामाजिक दायित्व मानकर सरकार द्वारा उसको सबसिडी दी जाती है और यात्रियों की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है।

सभापति महोदया, गाड़ियों का समय पर चलना और उनकी गति बढ़ाना बहुत आवश्यक है। रेलवे क्रासिंग पर रेलगाड़ियां अक्सर धीमी हो जाती हैं और इस प्रकार समय की बरबादी होती है। रेलवे क्रासिंग पर ऊपरी पुल बनाए जायें ताकि गाड़ियां पूरी रफ्तार से आ जा सकें और समय की बचत हो सके। रेलवे क्रासिंग पर दुर्घटनायें भी बहुत होती रही हैं। वहां से हर 5 किलोमीटर के क्षेत्र में मोबाइल एम्बुलेंस की व्यवस्था रहनी चाहिए और शव वाहिनी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त लोगों के रिश्तेदारों को शीघ्र खबर की जानी चाहिए। प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के महिला डिब्बों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। प्रत्येक महिला डिब्बे में आर.पी.एफ. की महिलाओं को तैनात किया जाना चाहिए ताकि गुंडागर्दी, छेड़छाड़ और जेबकतरी की घटनाओं को रोका जा सके रेल डिब्बों में पंखे अक्सर खराब रहते हैं, उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। स्टेशनों पर सफाई की और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। वहां से भिखारियों को हटाना चाहिए। स्टेशनों पर शौचालय साफ नहीं होते, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बोरीवली से हर 3 मिनट के बाद सुपर फास्ट और धीमी चलने वाली गाड़ियां अलग-अलग ट्रैक से लगातार चलाई जानी चाहिए। 1975 में मुम्बई में भूमिगत रेल बनाने की बात थी अब पता नहीं उसका क्या हुआ। यदि भूमिगत रेल बन जाती है, तो यात्रियों की भीड़भाड़ काफी हद तक कम हो सकती है। नई पैरेलल (समानान्तर) वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे ट्रेन ट्रैक चालू करने चाहिए।

कल्याणपुरी में रेल वेगन से 60 करोड़ रुपए का पेट्रोल चोरी हुआ था। इसके लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन ने रेलवे पर दावा डाला है, तो वह दावा कितनी राशि का है और उसका निपटान कैसे किया गया है। इसके बारे में क्या कोई जांच की गई है और उसके क्या परिणाम

निकली है। जिन रेल कर्मचारियों का इस चोरी में हाथ पाया गया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

उप नगरीय रेलों में जो गुंडागर्दी और जेबकतरी होती है वह पुलिस के संरक्षण में होती है। पुलिस और गुंडे, जेबकतरे एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं।

रेलमंत्री के मुताबिक खाली पड़ी रेलवे की भूमि का कामर्शियल उपयोग किया जाएगा और यह योजना मुम्बई से शुरू होगी, तो यह योजना कब से शुरू की जाएगी। इस प्रकार जो पैसा प्राप्त होगा, उससे महाराष्ट्र और मुम्बई के विकास पर अधिक पैसा खर्च किया जाना चाहिए।

रेल किराये में वृद्धि पर पहले लोग चिन्ता व्यक्त करते थे, लेकिन इस बार जो इतनी अधिक वृद्धि हुई है, उससे उनकी वह चिन्ता, आक्रोश में बदल गई है और रेल रोको आन्दोलन शुरू हो गया है, अनेक रेल डिब्बों को जला दिया गया। कई दिनों तक रेलगाड़ियां बन्द रहीं और जनता को अपार कष्ट हुआ।

रेल बजट प्रस्तुत करने के बाद देशभर में इसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई, उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है।

मालगाड़ियां धीमी गति से चलती हैं। उनकी स्पीड बढ़ाई जानी चाहिए। रेल से माल जाना ट्रक द्वारा माल ले जाने की अपेक्षा काफी सस्ता पड़ता है और रेलवे की आय भी बहुत होती है। यदि हम इसकी रफ्तार इतनी बढ़ा दें कि हर दस दिन के पीछे एक दिन बचा सकें, तो रेलवे को एक वर्ष में 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हो सकती है।

दुनिया में जहां-जहां रेल की सुविधा पहुंची है, वहां के विकास में तेजी आई है। कोंकण रेलवे जो चार राज्यों से होकर गुजरेगी, उसका लाभ कन्याकुमारी तक कोंकण की खनिज सम्पत्ति को भी एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकेगा। इससे पर्यटन के विकास में भी सहायता मिलेगी। कोंकण क्षेत्र को दूसरा कैलिफोर्निया कहा जाता है, पर्यटन से हमें बहुत आय हो सकती है। कोंकण रेलवे के विकास और विस्तार की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए। कोंकण रेलवे बांड जो जारी किए गए हैं, उन पर 9 प्रतिशत ब्याज दिया जाता है और उस पर 15 प्रतिशत कमीशन दिया गया है। वास्तव में ब्याज की राशि अधिक होनी चाहिए और कमीशन की कम। कोंकण रेलवे के लिए गोवा सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन ट्रांसपोर्टर लोग बिना कारण इसका विरोध कर रहे हैं। इस बारे में बिना किसी दबाव में आए, कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि अभी काम रुक जाएगा, तो आने वाले समय में इसकी लागत बहुत बढ़ जाएगी मेरी विनती है कि कोंकण रेलवे को दी जाने वाली राशि में उदारता से धन दिया जाना चाहिए। बाद में यह धन कोंकण रेलवे से वसूल किया जा सकता है। यदि कोंकण रेलवे बांड पर दिए जाने वाले ब्याज की दर बढ़ा दी जाती है, तो इससे अधिक पैसा मिल सकेगा।

हम अपने रेल डिब्बों का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ायें ताकि विदेशों में उनकी मांग

बढ़े। इस प्रकार हमारा उत्पादन भी बढ़ सकता है। हमें विदेशी मुद्रा की भी आय हो सकती है। हमको अफ्रीका में रेल-व्यवस्था में सुधार करने का निमंत्रण मिला है, हमें वह संहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए।

ट्रकों द्वारा माल ले जाने पर 400 किलो कैलोरी टन किलोमीटर ऊर्जा खर्च होती है जब कि रेलवे से माल ले जाने पर 26 किलो कैलोरी टन किलोमीटर ऊर्जा खर्च होती है। आज 50 प्रतिशत माल का परिवहन ट्रकों और टैम्पो से होता है।

कोयला, फौलाद, कच्चा लोहा, सीमेंट, पेट्रोलियम पदार्थ और अन्य प्रमुख औद्योगिक माल यदि रेलवे से ढोया जाता है, तो इससे रेलवे को फायदा भी होगा और मालवाहकों को भी सुविधा होगी। रेल से माल ले जाने पर खर्च कम बैठता है। अधिक मजबूत पुल बनाकर और कंकरीट के स्लीपर डालकर रेल मार्ग को मजबूत बनाकर मालगाड़ी की गति बढ़ाई जा सकती है और इस प्रकार यदि 10 दिनों के सफर में हम एक दिन की भी बचत कर लें गति बढ़ाकर, तो एक वर्ष में 500 करोड़ रुपए की आय हो सकती है।

हमारे क्षेत्र में एलफिन्स रोड स्थित ऊपरी पुल की चौड़ाई बहुत कम है और इस कारण वहां बार-बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब तक अनेक लोगों की, जिनमें रेल यात्री भी शामिल हैं, उस पुल पर दुर्घटनाएं होने के कारण मृत्यु हो चुकी है।

मुम्बई नगरपालिका के इस पुल को चौड़ा करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है और साथ ही पुल के दोनों तरफ जो इमारतें हैं उनको हटाने में 10-20 वर्ष भी नगरपालिका को लग सकते हैं। इसके लिए लोगों की जीवन-रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि इस पुल के दोनों ओर पैदल चलने वालों के लिए एक मार्ग बनाया जाए जैसा कि चर्नी रोड स्टेशन पर व्यवस्था की गई है।

असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के पदों पर कोंकण रेलवे कारपोरेशन में कितने महाराष्ट्रीयन हैं, अभी तक जो भर्ती किए हैं क्या वे रेलवे बोर्ड के स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं या नहीं? कोंकण रेलवे कारपोरेशन में कितने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं?

आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लें।

श्री श्याम बिहारी मिश्र।

3.31 म. प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 11 मार्च, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 11 मार्च, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.32 म. प.

भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक*

(धारा 213 में संशोधन)

प्रो. के. वी. थामस (एरणाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. के. वी. थामस : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 13-3-92 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

3.32 1/2 म. प.

राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक*

(धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

श्री रामेश्वर पाटीदार (खारगोन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामेश्वर पाटीदार : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.33 म. प.

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 31 का अन्तःस्थापन)

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी (वारंगल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.33 1/2 म. प.

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 84 और 173 में संशोधन

श्री आर सुरेन्द्र रेड्डी (वारंगल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* दिनांक 13-3-92 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.34 म. प.

अध्यापक नियोजन विधेयक*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें निर्धारित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक बोर्ड का गठन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें निर्धारित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक बोर्ड का गठन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मनमोहन सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.35 म. प.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*

(धारा 77 आदि में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारासात) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

* दिनांक 13-3-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 2, में प्रकाशित

सभापति महोदय : (श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य) : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

सभापति महोदय : श्री दत्तात्रेय बंडारू अनुपस्थित हैं।

3.36 म. प.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 356 में संशोधन)

सभापति महोदय : श्री सुधीर गिरि द्वारा 20 दिसम्बर, 1991 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर अब हम आगे विचार करेंगे—अर्थात्—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री पी. सी. थामस अपना भाषण जारी रखें।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : सभापति महोदया, मैं एक विधेयक पर बोल रहा था और यह कहने का प्रयत्न कर रहा था कि अनुच्छेद 356 यद्यपि अत्यंत अनिवार्य है फिर भी यह एक ऐसा अनुच्छेद है जिसकी लगभग सभी खुले आम आलोचना कर रहे हैं चूंकि अनेक बार विभिन्न राज्यों में इसका इस्तेमाल किया गया है। वर्ष 1977 में हमने देखा कि जो सरकार यह आरोप लगाने के पश्चात् केन्द्र में सत्ता में आई कि भूतपूर्व सरकारों द्वारा इस अनुच्छेद का प्रयोग अकारण अन्धाधुन्ध प्रयोग किया गया, उस सरकार ने यह वक्तव्य देकर अनेक सरकारों को गिरा दिया कि बहुमत उनके विरुद्ध था। वर्ष 1977 में सरकार के सत्ता में आते ही ऐसा किया गया था और इस का कोई कारण नजर नहीं आ रहा था।

इसी प्रकार से हम सभी सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। हम अनेक बार कह चुके हैं कि यह एक ऐसी रिपोर्ट है जिसे लागू किया जाना चाहिए। परन्तु हमने देखा है कि दो वर्ष पूर्व 1989 में जो सरकार सत्ता में आई थी उसने इस रिपोर्ट के मुख्य सार की कश्मीर के मामले में अवज्ञा की थी जबकि एक राज्यपाल की नियुक्ति बिल्कुल अनुचित ढंग से की गई थी और उसकी नियुक्ति सरकारिया आयोग की रिपोर्ट की भावना के बिल्कुल विपरीत थी जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि राज्यपालों की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकारों अथवा मुख्य मन्त्रियों से परामर्श किया जाए।

3·38 म. प.

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

परन्तु न केवल मुख्यमन्त्रियों से परामर्श किया गया बल्कि उस सरकार की इच्छा के खिलाफ राज्यपाल की नियुक्ति की गई और इससे भी अधिक यह कि केवल इस नियुक्ति के कारण ही उस सरकार को सत्ता से हटना पड़ा था। सरकार ने इस्तीफा दे दिया और उसके तुरन्त बाद केन्द्रीय सरकार ने विधानसभा तक को बर्खास्त कर दिया। अतएव हमारे पास अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन में अनुच्छेद 356 को लाभप्रद पाया गया है परन्तु कई बार इसका अनुचित इस्तेमाल भी किया गया है।

परन्तु यह एक ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसे रद्द किया जाए और मैं नहीं समझता कि इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता ने भी यह कहा है कि इस अनुच्छेद को हटाया जाना चाहिए। परन्तु संशोधन इस हेतु रखा गया है कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को साधारण शक्ति नहीं दी जानी चाहिए जबकि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करने की स्थिति में नहीं है अथवा उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। संशोधन इस हेतु भी रखा गया है कि इसका इस्तेमाल मन्त्री परिषद के सदस्यों की गिनती के आधार पर यह ज्ञात करने हेतु किया जाना चाहिए कि क्या मन्त्री परिषद को बहुमत प्राप्त है अथवा नहीं। दूसरे, यह भी कहा गया है कि यदि राज्य सरकार इस प्रकार से कार्य करती है जिससे देश की सार्वभौमिकता संकटग्रस्त हो जाती है तब उस स्थिति में कार्रवाई की जायेगी। ये सभी ऐसी बातें हैं जिनके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। मैं यह कहूंगा कि यदि यह संशोधन आ भी जाता है तब भी भावी संकटों को टाला नहीं जा सकता क्योंकि इस अनुच्छेद का दूसरे अर्थों में इस्तेमाल किया जा सकता है और इस आधार पर सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने का पूरा अधिकार होगा।

मैं नहीं समझता कि इस संशोधन के आने के पश्चात् भी अनुच्छेद 356 के लिए किसी प्रकार की कुछ सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं। मेरा सुझाव है कि ऐसे संशोधन को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु यह एक ऐसा पक्ष है जिसके अंतर्गत राजनीतिज्ञों और सत्ताधारी व्यक्तियों को विचार करना है और उन्हें इस विधेयक में निहित उद्देश्यों और इस विधेयक के प्रति झुकना चाहिए। एक अडिग निर्णय लेने का अब समय आ गया है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अन्धाधुन्ध नहीं किया जाएगा और अधिक सतर्कता के साथ इसका इस्तेमाल किया जायेगा जिसके लिए संविधान में पहले ही प्रावधान किया गया है।

अन्त में मैं एक और बात कहना चाहूंगा। इस चर्चा के दौरान कई माननीय सदस्यों ने वर्ष 1957 में केरल सरकार की बर्खास्तगी का जिक्र किया था। वर्ष 1957 में मार्क्सवादी सरकार सत्ता में आई। यह ठीक है कि सन 1959 में सरकार को बर्खास्त किया गया था। परन्तु यह भी ठीक है कि लगभग 18 माह अथवा दो वर्ष के संक्षिप्त शासन के अन्दर ही राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल समाप्त हो गई थी और सरकार के कारण अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होने के उदाहरण मौजूद थे। एक समय ऐसा भी था जबकि केरल

की जनता ने सरकार को इस प्रकार से काम करने नहीं दिया था। ऐसी स्थिति हो गई थी। सरकार भी यह महसूस कर रही थी कि संवैधानिक रूप में कार्य करना आसान नहीं था और इसीलिए सरकार को इतने सारे उपाय करने पड़े जिन्हें केरल की जनता बिल्कुल पसन्द नहीं करती थी। ऐसे भी उदाहरण थे कि गर्भवती महिलाओं की मृत्यु पुलिस द्वारा गोलीबारी में हुई। उस दौरान इतनी गोलीबारी हुई कि जिसका वर्णन करना कठिन है। उस समय केरल राज्य में इस सम्बन्ध में बिल्कुल विचार नहीं किया गया जो इतने वर्षों के पश्चात् भी अभी एक अत्यंत शांतिपूर्ण राज्य कहलाता है और जहां पर उचित रूप में कानून और व्यवस्था कायम है।

जब वहां पर स्थिति उस हद तक पहुंच गई और केन्द्र के लिए हस्तक्षेप करना बिल्कुल आवश्यक हो गया तब उस समय केवल अनुच्छेद 356 से ही स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता था। मेरे विचार से अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत इस शक्ति का इस्तेमाल करके केरल सरकार की बर्खास्तगी के लिए अनुच्छेद 356 का सर्वोत्तम रूप में उसी समय ही इस्तेमाल किया गया था।

[अनुवाद]

मैं इसकी सराहना करता हूं और मुझे प्रसन्नता है कि जिस अनैतिक तरीके से कभी-कभी इस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है, उस पर माननीय सदस्य ने विधेयक यह संशोधन प्रस्तुत किया है। इसका दुरुपयोग भी किया गया है। उन्होंने इस संशोधन को इसलिए प्रस्तुत किया है ताकि सभी संबंधित व्यक्ति यह विचार करें कि क्या इस अनुच्छेद का अधिक प्रयोग करना चाहिए अन्यथा अधिक संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए।

मैं माननीय सदस्य को बधाई दूंगा और इसके साथ ही मैं उनसे विधेयक वापस लेने का अनुरोध करूंगा क्योंकि यह संशोधन इस विधेयक की अपेक्षित भावना के अनुकूल नहीं है।

प्रो. के. वी. थामस (एरणाकुलम) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने माननीय सहयोगी श्री सुधीर गिरि को इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किए जाने पर बधाई देता हूं जिससे इस सदन को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 पर चर्चा करने का अवसर मिला है।

महोदय, भारत 1950 में गणतंत्र बना और इसे 42 वर्ष बीत चुके हैं। हमारी संघीय संरचना है, मजबूत केन्द्र और खुशहाल देश है। किन्तु 42 वर्षों पश्चात् भी जब हम अनुच्छेद 356 पर चर्चा करते हैं, मुझे लगता है कि इस अनुच्छेद पर काफी विचार करने की आवश्यकता है। महोदय, 1959 में केरल में कम्युनिस्ट सरकार को भंग करने में इस अनुच्छेद का पहली बार प्रयोग किया गया था। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने जो निर्णय लिया था उसकी पृष्ठभूमि से हम अवगत हैं। तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ जन आंदोलन हुआ और वह सरकार भी मत पत्रों द्वारा चुनी गई भारत की पहली सरकार थी। 42 वर्षों पश्चात् जब हम पण्डित जी द्वारा लिए गए निर्णय का विश्लेषण करते हैं, तो इस पर मतभेद हो सकता है कि उनका निर्णय सही था या नहीं। इसमें अभी भी कुछ ऐसे प्रासंगिक बिन्दु हैं। जिन्हें हमें ढूंढना है।

महोदय, इस वर्तमान स्थिति में जब हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो विश्व का

परिदृश्य को देखें। सोवियत संघ जो एक गणतंत्र था, विश्व में राजनैतिक शक्तियों का संतुलन करने वाली एक शक्ति था, उसका धीरे-धीरे विघटन हो रहा है। मेरे कुछ मित्र कहते हैं कि कम्युनिस्ट अप्रासंगिक हो गया है। मेरे कुछ मित्र कहते हैं कि सोवियत रूस में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन सोवियत संघ की जनता की आशाओं के अनुरूप नहीं था। किन्तु सोवियत संघ के विघटन से मैं अत्यन्त दुःखी हूं क्योंकि अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ सिर्फ वही एक शक्ति थी। अब, अमरीका विश्व का प्रधान देश बन गया है। अमरीका सभी विकासशील देशों के विकास के खिलाफ है। सोवियत संघ ही एक ऐसा देश था जो अमरीकी सरकार की साम्राज्यवादी चालों को हमेशा मात देता था। आप जानते हैं कि अमरीका के अपने हित हैं। वह कभी नहीं चाहता कि कोई अन्य देश इसके समान प्रगति करे। वह हमेशा विश्व की पुलिस की भूमिका निभाना चाहता है। इसलिए सोवियत संघ का विघटन यूगोस्लाविया का विघटन, जनतांत्रिक शक्तियों के लिए एक नया प्रहार है। मैं अभी भी सोचता हूं कि सोवियत संघ को मजबूत होना चाहिए था और इसका विघटन नहीं होना चाहिए था। किन्तु आप जानते हैं। गार्बाचोव द्वारा शुरू की गई उदारवादी नीतियां पेरेस्त्रोइका और ग्लास्नोस्त खुले विचारों के साथ अच्छी दिशा में थी। किन्तु अब रूस का क्या हुआ? इसलिए, हम दुखी है, मेरा अभी भी मत है कि समाजवाद और साम्यवाद को अभी भी विश्व में भूमिका निभानी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि साम्यवादी आंदोलन और समाजवादी आंदोलन समाप्त हो जाएं। उन्हें विकसित होना है, किन्तु उन्हें विश्व परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों को समझना है। व्यापक और द्रुत संचार के परिवर्तनों की वजह से विश्व सिकुड़ रहा है। दूरदर्शन के माध्यम से मास्को में हो रही घटनाओं को भारत में देखा जा सकता है। अतः जब विश्व सिकुड़ कर इतना छोटा हो रहा है तो साम्यवादी आंदोलन को भी यह समझना चाहिए था कि विश्व में क्या हो रहा है। दुर्भाग्य से विश्व में हो रहे परिवर्तनों को कम्युनिस्ट नेता समझ नहीं पाए और इसके परिणामस्वरूप अब सोवियत संघ का विघटन हो गया है और कई समाजवादी देशों का भी विघटन हो रहा है। भारत के चारों ओर हो रहे इन विशेष घटनाक्रमों पर हमें भी विचार करना है।

अतः, हमारा केन्द्र मजबूत होना चाहिए जो इतना सक्षम हो कि भारत को अखण्ड रख सके। अब हम पाते हैं कि विभाजन और अलगाववादी शक्तियां हमारे देश में सक्रिय हैं। पंजाब में समस्याएं हैं। आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादियों की समस्या है और तमिलनाडु में 'लिट्टे' की समस्या है। हमारे देश में ही अनेक विघटनकारी शक्तियां हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ साम्प्रदायिक शक्तियां भी हैं। फिर, भाषा की समस्या है। आज प्रातः, प्रश्नकाल में दुर्भाग्य से हमारे कुछ मित्र कुछ बातें मनवाना चाहते थे। हममें से कोई भी हिंदी के विरुद्ध नहीं है, किन्तु हम चाहते हैं कि सभी भारतीय भाषाओं का समान आदर हो। इस देश में कई विघटनकारी शक्तियां कार्यरत रही हैं। भारत एक विशाल देश है जिसमें 83 करोड़ लोग रहते हैं, उनकी भाषाएं संस्कृति और खान पान भिन्न है। अतः यदि इस देश में एकता लानी है तो एक मुख्य कार है कि केन्द्र मजबूत होना चाहिए। वह केन्द्र कैसा होना चाहिए? क्या वह एक भारतीय परिवार की भांति होना चाहिए जिसमें पति और पत्नी साथ-साथ कार्य करते हैं और पति का महत्व थोड़ा अधिक होता है?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : हम केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों में भी एकसमान संबंध चाहते हैं।

प्रो. के. वी. थामस : मैं इससे सहमत हूं। (व्यवधान) एक ऐसा संबंध जहां केंद्रीय सरकार मानती है कि राज्य सरकार को कार्य करना चाहिए। अपना कार्य करने में राज्य सरकार स्वतंत्रता होनी चाहिए।

महोदय, श्री वी. पी. सिंह सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में से एक कश्मीर पर लिया गया निर्णय था और हम जानते हैं कि बाद में क्या हुआ था। 1989 में कम से कम हम श्रीनगर तो जा सकते। मैं 1988 और 1989 में वहां गया था। उस समय वहां ऐसी कोई समस्या नहीं थी जो अब है। एक राजनैतिक निर्णय ने एक लोकप्रिय सरकार को हटा दिया गया और अब स्थिति अत्यन्त खराब है। मेरा सुझाव यह है कि अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्य सरकारों के बारे में निर्णय लेते समय केन्द्रीय सरकार को राजनैतिक हितों से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। यह सिर्फ राजनैतिक नहीं होना चाहिए बल्कि मुख्य दलों के साथ चर्चा करनी चाहिए केन्द्र सरकार में एक दल की सरकार हो सकती है और राज्यों में दूसरे दल की। इस देश में कई राज्यों में दूसरे दलों का शासन है। केन्द्र में भी ऐसी सरकार है जिसमें बहुमत में थोड़े सदस्यों की कमी है। और यह सरकार, जैसाकि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, सर्वसम्मति के अनुसार कार्य करना चाहती है और वह इस सरकार को सर्वसम्मति से चलाना चाहते हैं। सभी मुख्य मुद्दे सदन में संख्या बल के अनुसार नहीं अपितु सर्वसम्मति से निपटाए जाने चाहिए। हमें अनुभव है कि सर्वसम्मति ने कैसे कार्य किया? जब दसवीं लोक सभा शुरू हुई थी, तो मण्डल आयोग की समस्या और अन्य समस्याएं थी। कम से कम अब शांतिपूर्ण वातावरण तो है। इसी प्रकार रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है और कुछ शांतिमय वातावरण है। कई वाद-विवद और चर्चाओं के बाद यह संभव हुआ है। सभी मुख्य राजनैतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए।

मेरा एक अनुरोध है कि जब अनुच्छेद 356 के तहत केन्द्रीय सरकार को कोई निर्णय लेना हो तो केन्द्रीय सरकार को सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से चर्चा करनी चाहिए। कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। उस में एक बहस होनी चाहिए मान लीजिए एक सुबह मैं उठकर पाता हूं कि हमारी राज्य सरकार अब नहीं है और विधानसभा भंग कर दी गई है, तो यह मेरे लिए दुःखदायी होगा। अतः इस पर बहस होनी चाहिए। इसके साथ ही, मैं इससे पूर्णतः सहमत नहीं हूं कि एक ऐसा खण्ड होना चाहिए जिसमें यह कहा गया हो कि मन्त्रि परिषद के बहुमत की परीक्षा विधान सभा में ही होनी चाहिए। काफी हद तक मैं इससे सहमत हूं। किन्तु सिर्फ यही मापदण्ड नहीं हो सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि कई राज्यों में क्या होता है। व्यापक स्तर पर विधायकों की खरीद-फरोख्त होती है। हम इस खरीद-फरोख्त की अनुमति नहीं दे सकते चाहे वह किसी भी दल द्वारा किया जाए। एक राजनैतिक व्यवस्था में हम विधायकों की खरीद फरोख्त की अनुमति नहीं दे सकते। इसलिए मैं ऐसे खण्ड से पूर्णतः सहमत नहीं हूं। यह सही है। कि जहां तक संभव हो, सदन में ही बहुमत का परीक्षण हमेशा सर्वोत्तम रहता है और सदन में संख्या बल पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही, सदस्यों की खरीद-फरोख्त नहीं होनी चाहिए।

कुछ विवाद हैं। उदाहरण के लिए, कावेरी जल विवाद है जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। जल किसी राज्य की सम्पत्ति नहीं है। यह पूरे राष्ट्र का है। कई जल विवादों में, प्रत्येक राज्य के अपने

बिन्दु हैं, जो प्रामाणिक हो सकते हैं किन्तु यह इस हद तक आ सकता है कि कई राज्यों को एक दूसरे से लड़ना पड़ता है। संघीय ढांचे से हटने की हद तक आ सकता है। हमें इस पर विचार करना चाहिए। जल संसाधन किसी एक राज्य की सम्पत्ति नहीं होने चाहिए और वह भी वर्तमान भौगोलिक स्थिति में जिसमें कि एक नदी की उत्पत्ति किसी एक राज्य से हो और वह कई विभिन्न राज्यों से होकर बहती हो। इस भौगोलिक स्थिति में, मेरा विचार है कि जल संसाधन किसी एक विशेष राज्य का नहीं होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि, जल संसाधन को देश की सम्पत्ति होना चाहिए क्योंकि यदि कोई विवाद हो तो भारत सरकार इसका निर्णय कर सके। (व्यवधान)

4410 बजे.

ये विवाद सामने आते हैं। ये समस्यायें राष्ट्रीय राजनीतिक ढांचे में आ गई हैं।

मेरा इस सम्माननीय सभा से अनुरोध है कि अनुच्छेद 356 का किस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए, इस पर हमें विस्तार से चर्चा करनी चाहिए और जब इसका प्रयोग हो तो इस देश के लोगों की जनता को समझाना चाहिए कि यह कोई अपनी स्वैर नहीं है बल्कि ऐसा अच्छी नीयत से ही किया गया है।

यह विधेयक मेरे माननीय मित्र महोदय ने इस सभा में पेश किया है। इस पर सभा में बहस आरम्भ हो गई है। यह इस विवाद को बाहर भी ले जा सकता है और हमें पुन: कोई संदेश प्राप्त होगा जिससे इस देश की राजनीतिक प्रणाली को सुधारने में सहायता मिलेगी।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री सुधीर गिरि के संकल्प का समर्थन करते हुए कुछ बातें रखना चाहती हूं।

अनुच्छेद 356 हमारे संविधान के भाग 18 के अन्तर्गत आता है। यह आपातकालीन उपबंधों में से एक है।

हम इस अनुच्छेद को संविधान से हटाने की एक लम्बे समय से मांग करते रहे हैं। विभिन्न राज्यों के सम्बन्ध में विभिन्न अवस्थाओं में जो आपातकालीन लगाया गया, यह उससे सम्बन्धित है। यह आपातकाल केन्द्र के सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे और सलाह से लगाया जाता है।

वर्ष सन् 1959 में ई. एम. एस. नम्बूदिरीपाद सरकार को गिराने से लेकर पिछले वर्ष तमिलनाडु सरकार को हटाए जाने तक हमारे संविधानिक इतिहास में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि अनुच्छेद-356 का दुरुपयोग न किया गया हो।

यहां तक कि अगर हम यह स्वीकार भी कर लें हमारे संविधान निर्माताओं ने इस अनुच्छेद को अच्छी नीयत से इसे शामिल किया था फिर भी हम एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते जिसमें इसका न्याय संगत रूप में प्रयोग किया गया हो। (व्यवधान)

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : यह लोगों की इच्छा थी कि तमिलनाडु सरकार को गिराया जाए और करुणानिधि की हार से यही सिद्ध हुआ है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : कृपया मुझे बोलने का अवसर दीजिये।

सभापति महोदय : कृपया हस्तक्षेप न कीजिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मेरे से पूर्व वक्ता वर्ष 1959 में ई.एम.एस. नम्बूदिरीपाद सरकार की बर्खास्तगी की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि यह लोगों के आन्दोलन का परिणाम थी।

अब अगर मैं क्षण भर के लिए यह स्वीकार भी कर लूं कि उस समय नम्बूदिरीपाद सरकार के विरोध में लोगों ने आंदोलन चलाया था, तो मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र इस बात से सहमत होंगे कि जन-आंदोलन सरकार को गिराने के लिए पर्याप्त कारण रहा होगा।

केन्द्र को क्योंकर हस्तक्षेप करना पड़ा और सरकार को हटाना पड़ा ? अगर सरकार को गिराने के लिए लोगों ने आंदोलन चलाया था जबकि केरल में ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद वहां मुख्य-मंत्री थे तो अनुच्छेद 356 लगाने की वहां कोई वजह नहीं थी।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. जेकब) : आप एक क्षण के लिए मुझे बोलने दें। यह विशेष रूप से वहां के तत्कालीन राज्यपाल के इस अनुरोध पर किया गया था कि वहां पर प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह जब ठप्प हो गई थी। उस समय इस आधार पर ही भारत सरकार ने निर्णय लिया था।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : हां, मैं जानती हूं कि अनुच्छेद 356 में व्यवस्था है कि राज्य सरकार की बर्खास्तगी हेतु किसी अन्य कारण का होना अथवा राज्य के राज्यपाल की उस आशय की रिपोर्ट होना आवश्यक है। मैं इस बात पर आ रही हूं जिस तरीके से राज्यपाल की रिपोर्ट अथवा राज्यपाल की रिपोर्टों के बगैर ही जब सरकारें गिराई गई। पिछले वर्ष तमिलनाडु के मामले में क्या राज्यपाल से कोई रिपोर्ट आई थी, यह आश्चर्य का विषय है। यह संदिग्ध है कि राज्यपाल ने उस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए अथवा नहीं और उसके बावजूद भी तमिलनाडु सरकार को गिराया गया। राज्यपाल की कोई रिपोर्ट नहीं था।

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दन : मैं यह स्वीकार करता हूं कि कोई रिपोर्ट नहीं थी। लेकिन ऐतिहासिक रूप में ऐसा सिद्ध किया गया। लिट्टे की गतिविधियों से सारे देशवासी क्षुब्ध थे। यह विश्व के लिए प्रमाणित था। राज्य सरकार लिट्टे को समर्थन दिए जाने के कारण गिराई गई थी। ऐसा देश के साथ ही विश्व के सम्मुख सिद्ध किया गया था।

सभापति महोदय : इस प्रकार की चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : अतः मैं कहना चाहूंगी कि "राज्यपाल की रिपोर्ट" अथवा राज्यपाल की रिपोर्ट न मिलने की अवस्था में "किसी अन्य कारण" की शर्त पर सरकारें गिराई जाती हैं। हमें मालूम है कि ये सरकारें तब गिराई जाती हैं जबकि ये केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए असुविधाजनक हो जाती हैं। विशेष रूप से इस उत्तरदायित्व के गलत ढंग से प्रयोग किए जाने के कारण ही हम इस अनुच्छेद को समाप्त करना चाहते हैं।

अब मैं कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर आती हूं। जब किसी सरकार को भंग किया जाना होता है तो राज्यपाल से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त होना चाहिये कि राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है जिसे राज्य सुलझाने में असमर्थ है, अतः राष्ट्रपति शासन वहां लागू किया जाना चाहिये। लेकिन बहुत से मामलों में हमें पता चला है कि कुछ इच्छुक राजनीतिक पार्टियों द्वारा ही विघटनकारी शक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। पंजाब में जब वहां अकाली दल की सरकार थी तो क्या हुआ था? अलगाववादियों को किसने प्रोत्साहन दिया भिंडरावाले को किसने इतना प्रतिष्ठित बनाया? पश्चिम बंगाल में हम इसी से परेशान रहे। कुछ वर्ष पहले अचानक ही पश्चिम बंगाल में एक अलगाववादी आंदोलन की लहर को हमने देखा। कुछ लोगों ने मांग करनी प्रारम्भ कर दी कि वे भारत से अलग होना चाहते हैं, वे अलग गोरखा-लैंड बनाना चाहते हैं।

सभापति महोदय : एक मिनट के लिए रुकिये इस विधेयक के लिए दिया गया समय समाप्त हो चुका है। क्या इसे बढ़ाना चाहिये? कितना समय हमें बढ़ाना चाहिये।

अनेक माननीय सदस्य: हमें समय बढ़ाना चाहिये।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। हमें समय बढ़ाना चाहिये।

सभापति महोदय: ठीक है। क्या हमें इसे एक घंटा बढ़ा देना चाहिये। हमने समय एक घंटा बढ़ा दिया है। आप इसे उससे पहले ही समाप्त कर सकते हैं। ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप इस पर एक घंटा और चर्चा करें। एक घंटे का समय बढ़ गया है। महोदया कृपया आगे बोलिये।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : पश्चिम बंगाल में कुछ वर्ष पूर्व विघटनकारी शक्तियां अचानक तेजी से प्रभाव छाया और केन्द्रीय सरकार द्वारा जानबूझकर उकसाये जाने वाले अलगाववादी आंदोलन के प्रति केन्द्र सरकार बड़ा अस्पष्ट दृष्टिकोण अपना रही थी और उसके विरुद्ध कोई कठोर रवैया नहीं अपना रही थी। फिर हमने चुनावों के दौरान उस पार्टी जिसने अलग होने की मांग उठाई थी तथा केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी के बीच खुली आपसी तालमेल देखा। इस प्रकार समय-समय पर हमने देखा कि विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा दिया जाता है। यह एक राजनीतिक मामला बन गया है। अगर अनुच्छेद 356 की भावना के अनुसार विभिन्न राज्यों में कानून और व्यवस्था को बनाये रखा जाये तो फिर इस भावना का बार-बार राजनीतिक कारणों से उल्लंघन होता है जो अक्सर देखने में आता है कि कुछ इच्छुक ताकतों की मंशा राज्य में कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करके फिर इसे लोकप्रिय निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए एक बहाने के रूप में प्रयोग करने की होती है।

मुझसे पहले वक्ता ने सोवियत संघ और उसके बिखराव के बारे में भी बोला है। मेरा विचार है कि हमें इस दुःखद विघटन से शिक्षा लेनी चाहिये। लेकिन वह शिक्षा का पाठ क्या हो मुझे ज्ञात नहीं है, समझ नहीं पाई कि माननीय सदस्य क्या कहना चाह रहे थे। एक स्थान पर

मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह यह कहना चाह रहे थे कि सोवियत संघ का विघटन इसलिये हुआ क्योंकि वहां पर पर्याप्त रूप से शक्ति शाली केन्द्र शासन नहीं था। अब मैं आपको पुनः इतिहास को याद करने के लिए कहूंगा। विभिन्न गणराज्यों ने जिन्होंने रूसी क्रांति के बाद सोवियत समाजवादी गणराज्य के साथ रहना स्वीकार किया, वे पिछड़े इलाके और पिछड़े राज्य थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का, विभिन्न भाषाओं और संस्कृति का आश्चर्यजनक रूप से विकास हुआ। यह विकास आश्चर्यजनक था और कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता। शक्ति के इसी विकेन्द्रीकरण के कारण ही सोवियत संघ समाजवादी में विभिन्न राज्यों को शक्तियों का हस्तांतरण करने और यह देखने का साहस और क्षमता थी विकास का अधिकाधिक लाभ पिछड़े क्षेत्रों को मिले यही कारण है कि सम्पूर्ण यूरोप को नाजीवाद के हमलों ने लड़खड़ा दिया वहीं सोवियत संघ सुदृढ़ हो रहा। किसी भी गणराज्य ने नाजी आतंक के सम्मुख समर्पण नहीं किया, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां पर यह विकेन्द्रीयकरण किया गया था। और पिछड़े हुए राज्यों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया था। यदि इतिहास के बाद के चरण में हमें कोई विपरीत बात इसमें दिखाई देती है यदि हम देखते हैं कि सोवियत संघ का विभाजन देखने को हो रहा है तो मैं नहीं जानती हो सकता है कि इसके विश्लेषण करने का अभी समय न आया हो एक अनुमान हम अवश्य यहां लगा सकते हैं कि विकेन्द्रीय करण की इस प्रक्रिया में विभिन्न राज्यों विभिन्न प्रदेशों, विभिन्न सांस्कृतिक व भाषायी वर्गों से संबंधित लोगों को शक्तियों के प्रतिनिधिकरण की प्रक्रिया में किसी न किसी मोड़ पर अवश्य ही कोई न कोई अवरोध आया होगा। शायद यहां एक गलती है मैं भी नहीं जानती। हमारे लिए इस समय किसी निश्चित विश्लेषण पर पहुंचना एक दुस्सत कार्य है। लेकिन हो सकता है कि सोवियत संघ के विभाजन में यह समस्या भी सहायक हुई हो। हो सकता है कि एक गणराज्य पर किसी दूसरे गणराज्य का कुछ प्रभुत्व रहा हो जो कि इतिहास के एक विशेष काल में उजागर हो गया हो। मैं नहीं जानती। ऐसा हो सकता है। लेकिन यह निश्चित है कि विकेन्द्रीय करण से रूसी गणराज्यों का विभाजन नहीं हुआ है। और मैं समझती हूं कि हमारी सरकार हमारे राजनैतिक दलों तथा हमारे राज्यों के लिए यह एक पाठ है। उन्हें सोवियत संघ के इस दुखद विभाजन से सीख लेनी चाहिये।

यहां मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगी कि जिस समय सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, हम यह उम्मीद कर रहे थे कि आयोग की सिफारिशें अनुच्छेद 356 को समाप्त करने के बारे में हमारे दृष्टिकोण से मेल खायेंगी। लेकिन सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और इसलिए आयोग की सिफारिशों के इस हिस्से को हमने स्वीकार नहीं कर सकते। तथापि हमने यह भी सुझाव दिया यदि अनुच्छेद 356 को इस समय समाप्त नहीं किया जाता है, तो अन्तर राज्य परिषद को ही सक्षम बनाया जाये और यदि इस अनुच्छेद को प्रयोग में लाना आवश्यक हो तो इस परिषद की स्वीकृति से ही ऐसा किया जाना चाहिए।

अन्तर राज्य परिषद को सक्रिय बनाया गया लेकिन यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के शासन काल में ही किया गया। इसे सक्रिय बनाया गया था, इसकी कुछ बैठकें भी हुई थी। लेकिन किसी प्रकार अन्तर राज्य परिषद की भूमिका निभाने के प्रश्न पर अनुच्छेद 356 को लागू करने के मामले में कुछ कह सकने के प्रश्न पर कोई आगे चर्चा नहीं हुई है और वर्तमान सरकार को इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है।

यह भी कहा गया है कि राज्यपाल को कुछ रिपोर्ट देनी होती है त्रिपुरा में हमने एक वर्ष पूर्व यह सुना था कि त्रिपुरा में कानून और व्यवस्था से निपटने के लिए सरकार से सरकार की दक्षता के बारे में कोई रिपोर्ट आयी थी। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? क्या हमेशा केन्द्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट पर हमेशा पूरा ध्यान देती है? हमेशा नहीं, बाद में तब जब वह केन्द्र सरकार के अनुकूल हो। और मैं सोचती हूं कि राज्यपाल की भूमिका भी निश्चय ही अध्यक्षपीठ की भूमिका के समान होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब अध्यक्षपीठ पर आसीन होता है, तो वह किसी भी राजनैतिक दल का सदस्य हो सकता है, उसके कोई राजनैतिक सम्बन्ध हो सकते हैं, लेकिन जब वह अध्यक्षपीठ पर आसीन होता है तो उसे राजनैतिक दृष्टि से पूर्णतया तटस्थ होना चाहिये। और राज्यपाल से भी इसी तरह के आचरण की उम्मीद की जाती है। राज्यपाल को भी इसी तरह का उच्च आदर्श अपनाना होता है, मुझे इस बात का डर है कि हमारे नागरिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने वाली दलगत राजनीति से, संकीर्ण राजनीति से जोकि छोटे-छोटे राजनीतिक स्वार्थों तक ही सीमित हो, राज्यपाल की भूमिका भी सदैव संदेह से परे नहीं हो पाती।

मैंने त्रिपुरा का मामला उठाया है। लेकिन त्रिपुरा के मामले में भी यदि वहां के राज्यपाल से प्रतिकूल रिपोर्ट मिली हो, हम, अपने आप को त्रिपुरा अथवा अन्य किसी भी राज्य में अनुच्छेद 456 को लागू करने के बारे में नहीं कहेंगे। त्रिपुरा में क्या हुआ है? जब हम किसी एक मंत्री विशेष अथवा दूसरे के पास जाकर बात करते हैं, तो केन्द्र सरकार से हमें सुनने को मिलता है "देखिये, यह यह राज्य से संबंधित मामला है और इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते।" राज्य से संबंधित मामला बाहरी मामला होता है।

अत: जब त्रिपुरा के उजान मैदान में कुछ वर्ष पूर्व कुछ गरीब आदिवासी महिलाओं के साथ असाम राईफल्स के कुछ सदस्यों ने बलात्कार किया था, तो त्रिपुरा सरकार ने इस घटना को दबा देना चाहा था।

सर्वोच्च न्यायालय ने एक आयोग गठित किया था और उस आयोग की रिपोर्ट आ गयी है। अब हमें यह पता चल गया है कि बलात्कार के यह आरोप व लांछन ठोस तथ्यों पर आधारित थे। हमें यह भी पता है कि यद्यपि इसके बाद भी दो तीन वर्ष तो बीत चुके हैं, परन्तु अपराधियों को अभी तक भी सजा नहीं दी गई है। ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि इसे राज्य से सम्बन्धित विषय कहा जाता है और इसलिए क्योंकि राज्य सरकारों के प्रति स्वायत्त आचरण में केन्द्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य सरकारों की इस स्वायत्तता की विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न तरीकों से व्याख्या की जा सकती। इस लिये अपने भाषण के प्रारम्भ में ही मैंने यह कहा है कि अनुच्छेद 356 का उचित प्रयोग कम होता है और दुरुपयोग अधिक। वास्तव में, तो मैंने कहा है कि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जबकि इसका उचित प्रयोग किया गया हो।

आज जहां कहीं भी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, वहां हमने देखा है कि विशेष

स्थिति में किया गया है, लोगों के नागरिकों के कतव्य अधिकारों में किस हद तक कम कर दिया गया है। यह कहा जाता है कि केवल बहुत ही विशेष स्थिति में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और चूंकि यह एक बहुत ही विशेष स्थिति होती है, तो इस विशेष स्थिति के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को अपने नागरिकता संबंधी कुछ मूल अधिकारों आधारभूत मानवीय अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए।

आज हम देखते हैं कि कुछ एक अत्यन्त समृद्ध अन्तर राष्ट्रीय शक्ति हमारे देश के अन्दरूनी मामलों में, हमारे देश की राजनीति तथा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहती हैं। हमने देखा है कि ये ताकतें पंजाब और कश्मीर के सन्दर्भों को उठाकर मानव अधिकारों के प्रश्न उछाल रही हैं। हमें इस बात का पूर्णत: आभास है कि ये शक्तियों के इसमें अपने स्वार्थ हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि मानव अधिकारों के यह प्रवक्ता केवल पुलिस के ही दमन की बात करते हैं, लेकिन वे उग्रवादियों द्वारा ढाहे जा रहे जुल्मों की बात नहीं करते, किसी राज्य विशेष के नागरिकों पर उग्रवादियों के दमन की बात नहीं करते। इसलिए हम यह मानते हैं कि ये विदेशी ताकतें जो कि ऐसा कहती हैं कि हम कश्मीर तथा पंजाब में मानव अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, स्वार्थी शक्तियां हैं और इसलिए हम उनके कथन से सहमत नहीं हैं।

इसके साथ साथ क्या यह भी सही नहीं है कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो वहाँ मानव अधिकारों का प्रश्न, नागरिक अधिकारों का प्रश्न और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है? कश्मीर और पंजाब के बारे में सोचिये। यदि पंजाब और कश्मीर में पुलिस और सेना की भूमिका को दमन कारियों की संज्ञा दी जा रही है, यदि लोग इसे अत्याचारी, राक्षसी भूमिका के तौर पर देखते हैं यदि पुलिस और सेना को आतंक तथा हताशा के साथ जोड़ा जा रहा है तब तो राष्ट्रपति शासन लागू करने का असली उद्देश्य असफल हो जाता है क्योंकि इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने की बजाय, लोगों को आतंकवादियों की ओर धकेलने अलगाववादी ताकतों की ओर धकेलने का कार्य हो रहा है।

मैं सोचती हूं कि किसी राज्य मे राष्ट्रपति शासन के दौरान यदि पुलिस और सेना भी लोगों के लिए आतंक और घृणा की चीज बन जाए तो ऐसी स्थिति को रोकना बहुत ही कठिन हो जाता है। यह एक अन्य तर्क भी है जिसके कारण अनुच्छेद 356 का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पंजाब में, अकाली सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। क्या उससे आतंकवाद कम हुआ? अथवा क्या इससे आतंकवाद बढ़ा है? मुझे यकीन है कि इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिला। इसीप्रकार राष्ट्रपति शासन लागू करने से आप कानून और व्यवस्था की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। आप आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसलिए मैं सोचती हूं कि संविधान में इस विशेष अनुच्छेद का कोई महत्व नहीं है और इसे रद्द कर देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, इतना समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर): अध्यक्ष महोदय, 20 दिसम्बर 1991 को श्री सुधीर गिरि द्वारा रखा गया संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन संबंधी विधेयक वास्तव में एक बहुत

ही संवेदनशील मुद्दा है। इस देश की विशालता तथा समेकित संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे संघात्मक ढांचे का सही चुनाव किया है जिसमें केन्द्र को कुछ अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। भारत जैसे देश में अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए केन्द्र के पास कुछ अतिरिक्त शक्तियां होनी चाहियें। यहां तक कि सरकारिया आयोग ने भी इस विचार को परिपुष्ट किया गया है। लेकिन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान निर्माताओं ने अपनी अपार बुद्धिमता से कुछ सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था भी की है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की जाने वाली कोई भी उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जानी चाहिए और दो महीने समाप्त होने पर इसका प्रभाव भी समाप्त हो जाना चाहिये बशर्ते कि इस अवधि की समाप्ति से पूर्व संसद के दोनों सदनों में इसको अनुमोदित नहीं कर दिया गया हो।

चूंकि हमारा संघात्मक ढांचा है, केन्द्र तथा राज्यों में भिन्न-भिन्न राजनैतिक दल शासन करते रहते हैं। जब किसी ऐसे राज्य में अनुच्छेद उक्त के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जहांकि केन्द्र में सत्ताधारी दल के अतिरिक्त अन्य कोई दल सत्ता में होता है, तो केन्द्र की कारंवाई में प्रायः राजनीति का रंग देखने को मिलता है। लेकिन ऐसी उद्घोषणाएं सामान्यतः संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिशों पर ही जारी की जाती हैं। यदि राष्ट्रपति जी को केवल तभी कार्यवाही करनी हो, जबकि राज्य की मंत्रिपरिषद विधान सभा में अपना बहुमत खो दे, तो इससे दल-बदल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य में परिहार्य राजनीतिक अनिश्चितता पैदा होती। यहां 1977 में जनता पार्टी सरकार की कार्यवाही को याद करना संदर्भ से परे नहीं होगा, जबकि कुछ राज्यों की चुनी हुई सरकारों को केवल इसलिए बरखास्त किया गया था क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी की सरकारें थीं। कि फिर 1989 में जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई तो, उस सरकार ने कुछ राज्यों के राज्यपालों को केवल इसलिए बदल दिया, क्योंकि ये राज्यपाल पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। इसलिए दूसरी तरफ बैठे हुए, संवैधानिक मर्यादा का नारा लगाने वालों से मैं अनुरोध करूंगा कि वे इन सरकारों की कार्यवाही की तरफ ध्यान दें, जिसके वे या तो साक्षीदार अथवा समर्थक थे।

कुछ मामलों में केन्द्र का हस्तक्षेप अनिवार्य होगा। कुछ अन्य मामलों में भी केन्द्र इस बात का इन्तजार नहीं करेगा कि इस मामले का निर्णय राज्य विधान सभा में लिया जाए, क्योंकि अधिकतर मामलों में मुख्यमंत्रि विधान सभा की सिफारिश करने से पहले विधानसभा सदस्यों का बहुमत प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यह स्थिति अनावश्यक रूप से राज्य की राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देगी। इसलिए, मेरे विचार से इस अनुच्छेद में उक्त संशोधन कर देने से ही, जैसा कि मेरे विद्वान सहयोगी श्री सुधीर गिरि ने सुझाव दिया है, समस्या हल नहीं हो जाएगी। आखिरकार अन्त में जनता ही हमारे देश में निर्णायक है। वह केन्द्र की कार्यवाही की जांच कर सकती है और और जब राज्य की विधान सभा के लिए चुनाव आयोजित हो उचित रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकती है। चूंकि यह मेरी अपनी राय है कि राष्ट्र की एकता के हित में अनुच्छेद 356 में परिवर्तन की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय- मेरे योग्य सहयोगी श्री सुधीर गिरि द्वारा प्रस्तुत विधेयक ने सांसदों प्रशासकों तथा सामान्य लोगों को एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करने

का अवसर दिया है । हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 356 को बनाए रखना अथवा हटा देना अथवा उसका उपयुक्त रूप से संशोधन करना आवश्यक है । महोदय, मेरा विचार यह है कि श्री ई. एम. एस. नम्बूदरीपाद सरकार के मामले के समय, अर्थात 1959 से अब तक इस अनुच्छेद में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि इस अनुच्छेद में दिए गए प्रावधानों अथवा अंशों में कुछ भी तो गलत नहीं है । समस्या उनको होती है जो कि इसका उपयोग करते हैं अथवा दुरुपयोग करते हैं । जैसा कि श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने कहा है, उन्होंने इसका दुरुपयोग किया । लेकिन जब भी हमने अनुच्छेद 356 पर बहस की है, स्थिति की वास्तविकता के परखने की बजाए राजनीतिक भावना ऊपर रही है । उदाहरण के लिए, 1977 में, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने कांग्रेस शासित कुछ राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था तो यह ऐसे किया गया था, जैसे कि वे राज्य सरकारें 1977 के चुनावों में प्रतिबिम्बित लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व न करती हों । लेकिन जब सन 1980 के चुनावों के बाद उसी अनुच्छेद 356 का प्रयोग श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा किया गया था, तो उन पर संविधान को बिगाड़ने का आरोप लगाया गया । केरल की घटना के सम्बन्ध में भी यही विचार व्यक्त किए गए थे । श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने अपने भाषण में 1959 में केरल में हुई घटनाओं के संबंध में कुछ टीका टिप्पणी की थी । मुझे स्पष्ट तौर से यह कहना पड़ रहा है कि राज्य सरकार के विरुद्ध आम लोगों के असन्तोष को देखते हुए श्री जवाहर लाल नेहरू ज्योति महान हस्ती के नेतृत्व वाली तत्कालीन केन्द्रीय सरकार को विवश होकर अनुच्छेद 356 का सहारा लेने का निर्णय लेना पड़ा था । संवैधानिक तन्त्र की असफलता के सम्बन्ध में अनुच्छेद 356 बहुत स्पष्ट है । इसलिए जब संवैधानिक तंत्र वास्तविक रूप से असफल हो जाता है, जैसा कि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत कहा गया है तो भारत सरकार के पास अनुच्छेद 356 का सहारा लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है । मैं यहां सूचित कर दूं कि 1959 में श्री ई. एम. एस. नम्बूदरीपाद की सरकार की बर्खास्तगी के बाद चुनावों के परिणामों को देखने के बाद यह महसूस किया गया था कि यह कार्यवाही न्यायोचित थी । 1960 के चुनावों में यही मुद्दा विवाद का विषय था । नम्बूदरीपाद के नेतृत्व में, विरोधी दलों ने यह मामला जनता के सामने उठाया और इस मामले के बारे में केरल के शिक्षित लोगों को जानकारी दी । केरल के लोगों ने यह निर्णय दिया कि केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सही थी ।

जब कम्युनिस्ट पार्टियां उस समय यह आरोप लगा रही थीं कि भारत सरकार द्वारा लोकतंत्र को चोट पहुंचाई गई है मुझे याद है कि इस माननीय सभा में श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी को बहुत ही रूचिकर उपमा देकर स्पष्ट किया था । उन्होंने कहा था कि यह तो ऐसे हुआ जैसे कि एक आदमी ने अपने माता तथा पिता दोनों की हत्या कर दी हो और फिर वह न्यायालय के सामने दया की यह भीख मांगे कि उसे कायम कर दिया जाए वह अनाथ हो गया है । उस समय केरल की स्थिति यही थी । जिन लोगों ने लोकतंत्र का अपहरण किया है वही यह आरोप लगा रहे थे कि लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है । मैं ऐसा अवश्य कहूंगा, क्योंकि उन्होंने केवल अपनी संवैधानिक शक्ति को ही बुरा भला कहा है बल्कि लोकतंत्र पर भी हमला बोल रहा है । मैं उस समय विद्यार्थी था और मैं समझ रहा था कि वास्तव में उन दिनों क्या हो रहा था ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : क्या आपने उस आन्दोलन में हिस्सा लिया था ?

श्री ई. अहमद : किसने नहीं लिया होगा ? जिस व्यक्ति के पास लोकतंत्र की समझ होगी तथा जिसमें लोगों के अधिकारों के प्रति भावना होगी, वह उस सरकार के खिलाफ अवश्य उठ खड़ा होगा, जो जनता का आदर नहीं करती।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं सरकार की बर्खास्तगी के खिलाफ लोगों में उत्पन्न भारी असंतोष के बारे में कह रहा हूं।

श्री ई. अहमद : वह निर्णय एक बड़ी संख्या में लोगों के विचारों का आदर करते हुए लिया गया था।

एक माननीय सदस्य : तो आप उस निर्णय पर बहुत खुश हुए थे।

श्री ई. अहमद : महोदय कोई भी सरकार लोकप्रिय भावनाओं की ओर ध्यान न दे, ऐसा नहीं हो सकता। जहां तक कि केरल का संबंध था, उस समय जवाहर लाल नेहरू सरकार द्वारा उक्त निर्णय लिया गया था। केन्द्र-राज्य सम्बन्ध बहुत महत्वपूर्ण बात है। केन्द्र तथा राज्य के बीच सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण होने चाहिए न कि लड़ाई-झगड़े वाले। जब कभी भी केन्द्र सरकार अनुच्छेद 356 का सहारा लेना चाहे, उन्हें अनुच्छेद 356 के ऐसे प्रयोग के परिणामों के बारे में दुबारा सोच लेना चाहिए। महोदय, मुझे बहुत खुशी होगी, यदि मेरी योग्य मित्र श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य तथा उनकी पार्टी के सदस्य यह मान लें कि जब उनकी पार्टी के जनता दल सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे तब जनता दल सरकार ने जम्मू तथा कश्मीर में अनुच्छेद 356 का सहारा लिया था। फारुख अब्दुल्ला के खिलाफ श्री जगमोहन ने न केवल अनुच्छेद 356 को इस्तेमाल किया, बल्कि अनुच्छेद 356 में उल्लिखित कार्यवाही से कहीं अधिक कड़ी कार्यवाही की। दुर्भाग्यवश, मेरी मित्र, श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य की पार्टी को तत्कालीन जनता दल सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन करना था। उनके समर्थन के बिना सरकार जारी न रह पाती। मैं अब मुद्दे पर आता हूं। मैं उस समय इस सभा का सदस्य नहीं था।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : यदि हमने ऐसा चाहा होता तो हमने बहुत पहले त्रिपुरा के बारे में ऐसा अनुरोध किया होता।

श्री ई. अहमद : मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या आप उस समय वी. पी. सिंह सरकार को समर्थन देने वाले दलों में से एक हिस्सा नहीं थीं, उन्होंने अनुच्छेद 356 का सहारा लिया था ?

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिए। यह प्रश्नोत्तर काल नहीं है।

श्री ई. अहमद : महोदय, लेकिन यदि कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इंडिया तथा सी. पी. एम. का समर्थन न मिला होता तो जनता दल सरकार सत्ता में न आई होती। इसलिए मैं कहता हूं कि एक राजनीतिक दल के लिए वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखने से ज्यादा राजनीतिक उद्देश्य को ध्यान रखना जरूरी होता है।

सरकारिया आयोग ने अनुच्छेद 356 के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल के कार्यों का भी उल्लेख किया है। मैं बताना चाहूंगा कि कई बार राज्यपाल बहुत हास्यास्पद तरीके से कार्य करते हैं। राज्यपाल की कुछ रिपोर्टों से मुझे ऐसे लगा है जैसे कि वे केन्द्र के हाथ में कठपुतलियां हों। वे वास्तविक समस्या पर भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। जैसा कि श्री गजपति ने भी कहा है, जोकि जनता दल सरकार ने भी यही किया है। उन्होंने राजनीतिक कारणों से अपने राज्यपाल की नियुक्ति की। इसलिए मैं कहूंगा कि वे सब इस खेल में भागीदार हैं। हम एक अथवा दूसरे दल पर आरोप नहीं लगा सकते। जब कभी भी ऐसा प्रश्न हमारे सामने आए, तो हम उस पर राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार न करके संवैधानिक दृष्टिकोण तथा देश के हित का ध्यान में रखकर विचार करना चाहिए। दुर्भाग्यवश, इस देश में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा ऐसा निर्णय नहीं लिया गया। जब हम किसी मामले पर बहस करते हैं, तो कुछ और कहते हैं तथा जब सत्ता में आते हैं तो करते कुछ और हैं। मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वे सरकारिया आयोग द्वारा दिए गए मुद्दों अथवा सुझावों पर विचार करें। रिपोर्ट में कहा गया है :

"राज्यपाल को विधान सभा के बाहर बहुमत के समर्थन सम्बन्धी मुद्दे का स्वयं निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसके लिए यही उचित है कि विरोधी दावों की सभा में जांच की जाए अथवा यदि सभा स्थगित हो तो उस अवधि में यदि राज्यपाल यह प्रमाण प्राप्त करता है कि मन्त्रिपरिषद ने बहुमत खो दिया है, तब यह संवैधानिक रूप से उचित नहीं है कि मन्त्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाए, जब तक कि विधान सभा में यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि परिषद ने उसमें अपना विश्वास खो दिया है......।"

"....प्रायः मुख्य मन्त्री को विधान सभा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाना युक्तिसंगत होगा, जब तक कि बजट पारित करने जैसा कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए न बचा हो, जिसके लिए इससे कम समय की अनुमति दी जा सके। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि साठ दिनों तक की हो सकती है।"

परिस्थिति विशेष में अनुच्छेद 356 को किस तरह लागू किया जाए, इस सम्बन्ध में यदि वह कोई मार्ग निर्देश राज्यपाल को देने में सक्षम है, तो मैं समझता हूं कि अनुच्छेद 356 को लागू करने संबंधी जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति और विवाद है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। सरकारिया आयोग ने राष्ट्रपति शासन लागू करने सम्बन्धी संविधान के अनुच्छेद 356 के मामले में विशेष ध्यान दिया है।

"इसका प्रयोग अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में अन्तिम उपाय के तौर पर जब किसी राज्य में संवैधानिक शासन तंत्र के टूटने से बचाने अथवा रोकने के लिए कोई भी विकल्प नहीं बचा हो, अथवा संविधान के प्रतिकूल कार्य करने वाले राज्य को स्पष्ट शब्दों में संविधान के अनुसार चेतावनी दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई किए जाने से पूर्व राज्य द्वारा दिये गए किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार किया जाना चाहिए।"

इसलिए अनुच्छेद 356 जिसका मुख्य रूप से संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति का

सामना करने के लिए प्रावधान किया गया है, उसमें संशोधन करने के बदले हमें एक नीति तैयार करनी होगी, जिसमें मार्गदर्शन तय करने होंगे तथा उसे सभा में प्रस्तुत करके उस पर चर्चा करायी जाए।

इस संदर्भ में मैं यह चाहता हूं कि सरकारिया आयोग के सिफारिशों को लागू किया जाए, जिससे अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग से उठने वाले विवादों से बचने में काफी सहायता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं और अपने मित्र से इसे वापस लेने के लिए कह रहा हूं।

श्री ओस्कार फर्नान्डीज (उडीपी) : सभापति महोदय, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता लेकिन मैं एक-दो बातें जरूर कहना चाहता हूं।

सबसे पहले, मैं श्री गिरि को, इस विधेयक को पेश करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। इसका कारण यह है कि इस मुद्दे पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसमें विशेष राजनैतिक दल कोई विशेष दृष्टिकोण अपना लें। इससे पूरा देश जुड़ा है। देश को दृष्टि में रखते हुए और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्र के शासन तंत्र को कैसे चलाया जाए, इस संदर्भ में अनुच्छेद 356 बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

लिखित संविधान के अलावा हमें संविधान की भावना पर गौर करना होगा।

ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं, है लेकिन संविधान की कार्यवाही वहां पूरे राष्ट्र को आगे बढ़ाती रहती है।

आदरणीया श्रीमती मार्गरेट ने राज्यपाल की भूमिका के बारे में कुछ गौरतलब बातें कहीं हैं। लेकिन इस बार में राज्य सरकारों और नगरपालिकाओं के बीच संबंध की भी बातें हैं। कभी-कभी राज्य सरकारें भी उसी तरह नगरपालिकाओं को भंग कर दिया करती है, जिस तरह राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। इसलिए हम इसे विशेष राजनैतिक पहलुओं तक ही सीमित न रखें। यहां तक कि उन मुद्दों को भी लें जिन पर निर्णय सदन में लिया जाता है। आज के सन्दर्भ में, एक समस्या है। कम से कम चार राज्यों में दल-बदल विरोधी कानून के कारण जिसमें सभा के पीठासीन अधिकारी—अध्यक्ष भी शामिल हो जाते हैं, सदन में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

राज्यपाल की भूमिका भी इससे जुड़ जाती है। लेकिन मेरा यह विचार है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। अनुच्छेद 356 को रद्द करने की बजाय अनुच्छेद 356 में निहित संविधान की भावनाओं का सही उपयोग और कार्यान्वयन होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुर द्वार) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री सुधीर गिरि,

द्वारा धारा 356 के अन्दर संशोधन करने के लिए जो बिल सदन में प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करते हुए मैं कुछ उसमें जोड़ना चाहता हूं ।

विधेयक के "आबजेक्टस एंड रीजन" में कहा गया है—

[अनुवाद]

"भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना एक संघ के रूप में की थी ताकि वह केन्द्र और राज्यों के बीच लोकतन्त्र और समता के आधार पर स्वस्थ संबंध का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सके ।"

[हिन्दी]

मेरे कहने का मतलब यह है कि इक्वेलिटी नहीं है, लेकिन सेन्टर-स्टेट रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए । यह बात सभी कह रहे हैं और सभी की मर्जी है । धारा 356 का मिसयूज हुआ है, इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । यह सदन में होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जिनको स्टेट का दर्जा मिला ही नहीं है, वे आंदोलन कर रहे हैं, उनका क्या होगा । मैं यह कहना चाहता हूं, छोटे स्टेट बनाने में आपको दिक्कत क्या हो रही है । जब पंजाब हरियाणा बन सकता है, केरल राज्य लम्बा करके और भाषा के आधार पर बन सकता है, तो छोटे स्टेट क्यों नहीं बन सकते हैं । पहले तो आपने भौगोलिक रूप से बनाए नहीं, भाषा के आधार पर स्टेट बनाए, जिससे आज लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है । हमारे देश में बहुत सी भाषाएं हैं, जो भाषाएं दबी हुई हैं, वे भी अपनी उन्नति करने के लिए उठना चाहती हैं, और अपने को छोटा नहीं समझती हैं । जिस समय यहां पर अंग्रेजों का राज था, उस समय में भी 620 देसी राज स्टेट थे, जिनको मेटल कहा जाता था । उस समय में भी गोलमाल नहीं था, आज कहा जाता है कि डेमोक्रेसी है, लेकिन मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी कहां है ।

[अनुवाद]

पहले उन पर अंग्रेजों का शासन था और अब उन पर दूसरे शासन करते हैं ।

[हिन्दी]

कोई भी आधार नहीं है । शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, जहां पर ट्राइबल एरिया है, वहां पर सात परसेंट रिजर्वेशन है । सात परसेंट गया, तो 93 परसेंट बच गया, यह भी बाहर से आकर लोग चौकीदार से लेकर ऊपर तक सब कुछ भरती कर देते हैं । सर्वाइवल-आफ-दि फिटेस्ट, जो गरीब है, जो कमजोर है, उनके लिए कोई चिन्ता नहीं है, तो सेन्टर स्टेट किसके लिए बना है । बहुत सी स्टेट में गोलमाल है । उड़ीसा में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहां लोग भूख से मर रहे हैं और उड़ीसा सरकार सोती है । सेन्टर-स्टेट सो रहा है और आदमी मर रहे हैं । वहां पर किसी को जाने की जरूरत नहीं है । सेन्ट्रल गवर्नमेंट को तो जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वहां कोई मरे या बचे । वे न जानवर हैं, न मनुष्य हैं, उन के लिए कुछ भी नहीं है । डेमोक्रेसी ऐसी नहीं, डेमो-

कैसी में तो सब को इक्वयल राइट होगा। हम तो चाहते हैं कि आटोनोमी डिस्ट्रिक्ट तक हो। आदमी अपना डेवलपमेंट कर आगे बढ़े। छोटी स्टेट हो और हर आदमी को घर, हर जाति को घर, कम्युनिटी-कम्युनिटी का रिलेशन बने। उनमें प्रेमभाव को बढ़ाना है, प्रेम से चलना है, तो आपको इस पर विचार करना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। धारा 366 क्या है, इसमें गवर्नर सेन्ट्रल गवर्नमेंट का एजेन्ट होता है। चाहे यहां पर विरोधी दल की सरकार हो, उस समय भी गवर्नर उस सेन्ट्रल गवर्नमेंट का एजेन्ट का काम करता है। ये लोग जैसा कहेंगे, पालिटिक्स के अनुसार काम करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, जैसे यहां राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, उसी तरह से गवर्नर का चुनाव वहां की स्टेट एसेम्बली करे। यह तभी हो सकता है, जब गोलमाल न हो और एजेन्ट न बना रहे।

[अनुवाद]

राष्ट्रपति की इच्छा से राज्यपाल की नियुक्ति होती है।

[हिन्दी]

वह किस की बात मानेगा और उस की ऑफिशल पोस्ट हो जाएगी। इसलिए यह अमेंड जरूर लाना चाहिए, जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी प्रकार से गवर्नर का चुनाव वहां की स्टेट एसम्बली करे।

दूसरी बात, यहां सदन में बहुत दिनों से छोटे राज्य बनाने की मांग चल रही है। बोडो की समस्या है, झारखण्ड, उत्तराखण्ड चल रहा है। यह इसलिए चल रहा है, क्योंकि वहां पर आदिवासी लोग हैं। इधर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, इनको कभी भी राज नहीं करने दिया जाएगा। इनको कहीं भी अच्छा पोस्ट नहीं दिया जाएगा, इनको रूल करने का अधिकार ही नहीं दिया जाएगा। ये सब जो अन्याय है, इस अन्याय को आप कितने दिन तक सहन करेंगे। यह सरकार कौन सी भाषा समझती है, जब मार-पीट होगी, खून-खराबा होगा, तब यह लोग सोचने के लिए बाध्य होते हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा। गोरखालैंड में वहीं हुआ, वहां बहुत मार-पीट हुई, बहुत बच्चे मरे, खून-खराबा हुआ, तब गोरखालैंड जिसको नहीं बनना चाहिए था, वह बना : कम्युनिटी-कम्युनिटी के साथ हम लोग एकता चाहते हैं। अभी हर जगह जाति की लड़ाई चल रही है। भाषा के अनुसार तो आप लोग बना चुके हैं तो क्या अब आप लोग जाति के अनुसार बनाइएगा। तो इस तरह की जो हम लोगों ने गड़बड़ी पैदा की है, उसके लिए अभी भी समय है कि इसमें कुछ सुधार किया जाए। प्रजातंत्र में प्रजा के हाथ में उसकी शक्ति आनी चाहिए।

पंजाब में वोट किस तरह से हुए। आज वोट के लिए रुपया चाहिए, मसल्स पावर चाहिए, किसी भी तरह से यहां पर मेम्बर तक खरीदे जाते हैं इतनी जागृति आज हम लोगों में आ गयी है, तो क्या यह तमाशा बना हुआ है। जो यह प्रजातंत्र है, वह किस लिए बिकता है कि ये जो रिप्रजेंट होते हैं वह जनता के लगाम में नहीं हैं। असल इण्डिया हिन्दुस्तान में अभी तक नहीं आया है, असल इण्डिया जिस दिन आएगा तो ये सारे तमाशे बन्द होंगे, अभी कुछ ही लोग रूलिंग पार्टी कर रहे हैं,

जो हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान के लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह से आज इसको अनदेखा करके आदमी को सताने का जरिया बनाया जा रहा है। आज लोग भूखे मर रहे हैं, शिक्षा नहीं है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, वे लोग क्या करेंगे, इसलिए कि हम लोग बड़े स्टेट में रहते है। इसलिए मेरा कहना यह है कि सब का समान अधिकार पहले होना चाहिए। सब के लिए घर की व्यवस्था होनी चाहिए।

यहां पर लोग कहते है कि हम दिल्ली में रहते हैं लेकिन जो लोग यहां पर झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं उनके लिए पानी नहीं है वे लोग जानवरों की तरह से रह रहे हैं। आप वहां जाकर देखिए और उनके लिए भी सब चीज की ठीक से व्यवस्था करिए, क्या हिन्दुस्तान में वे लोग समान अधिकार नहीं चाहते हैं, उनको क्या समान अधिकार नहीं चाहिए।

[अनुवाद]

राज्य को समता का अधिकार—उनके आपसी संबंध। उनके आपसी सम्बन्ध क्या होंगे जब कि एक समुदाय का दूसरे समुदाय और एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ आपसी सम्बन्ध नहीं है।

[हिन्दी]

तो इसलिए आपको यहां पर कुछ परिवर्तन करने होंगे, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा छोटे स्टेट बनाइए ताकि हर आदमी वहां पर उन्नति कर सके। सब लोगों की समस्याओं को आप लोगों को समझना होगा तभी यह देश उन्नति कर सकता है। जो लोग गांव में रहते हैं उन लोगों की समस्याओं को भी आपको समझना होगा और इसके लिए आपको सब लोगों की सलाह लेनी होगी, तभी आप कुछ कर सकते हैं। पुलिस के बल से यह डेमोक्रेसी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। आज एक एक मंत्री के साथ कई-कई देहरक्षक है, इस प्रकार से जब उसके साथ पुलिस जाएगा तो वह क्या राज करेगा, वह डेमोक्रेसी है और सेंट्रल स्टेट का रिलेशन क्या है, आप देखिए, आज मंत्री के यहां कितना चारों तरफ घेरा है और वह बोलता है कि पब्लिक से चुन कर वह आया है। आज इस तरह की डेमोक्रेसी और सेंट्रल स्टेट का रिलेशन है तो इस देश का क्या होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता लेकिन आज लोगों में जागरूकता आ रही है वे लोग जान रहे हैं कि हमको क्या चाहिए ? आप इस तरह से जबरदस्ती करके रूल नहीं कर सकते, इसलिए आप इस तरफ ध्यान दीजिए और मेरा सुझाव है कि हर गवर्नर का चुनाव उस स्टेट की असेम्बली से होना चाहिए।

5.00 म. प.

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): सभापति महोदय, देश के वर्तमान राजनीतिक वातावरण को देखते हुए श्री सुधीर गिरि जी ने अनुच्छेद 356 में जो संशोधन पेश किया है, वह स्वागत योग्य है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

भारतीय संविधान के निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य केन्द्र और राज्यों के बीच मधुर संबंध

स्थापित करना था, जिससे प्रजातांत्रिक तरीके से और एकता के आधार पर देश में केन्द्र और राज्य की सरकारें चल सकें। सन 1975-76 में जब देश में आपतकाल लागू किया गया, उसके बाद से देश के राजनीतिक वातावरण में एक उथल-पुथल आई और उसके बाद सारे राजनीतिक दलों की सोच में बदलाव आ गया। केन्द्र और राज्य सरकारों के संबंधों में मधुरता रहनी चाहिये, देश की एकता और अखण्डता कायम रखने के लिए, प्रजातान्त्रिक तरीके से सारे देश के नागरिकों की सेवा करने का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए था उसमें कहीं न कहीं कुछ भटकाव आने लगा और स्थिति यहां तक आ गई कि केन्द्र में जिस राजनीतिक दल की सत्ता रही, उसने इस अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि इस अनुच्छेद में परिवर्तन आवश्यक है। इसलिए गिरि साहब ने जो संशोधन रखा है, वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता है। अभी आप देखें कि केन्द्र सरकार ने मिजोरम और तमिलनाडु में क्या किया, उससे भी हम लोग कुछ सोच सकते हैं। मैं लम्बी बात नहीं करना चाहता, मेरा सुझाव सिर्फ यह है कि केन्द्र और राज्यों के बीच मधुर सम्बन्ध रहें, इसके लिए आवश्यक है कि यह संशोधन किया जाए। अभी जैसा मेरे मित्र ने कहा कि राज्यपालों की नियुक्ति में विधानसभा की राय भी ली जानी चाहिए और यदि किसी राज्य की सरकार को गिराना आवश्यक हो तो उसके लिए पर्याप्त समय राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए। जब तक कोई राज्य सरकार विधान सभा में किसी प्रस्ताव पर अल्पमत में न आ जाए, तब तक उस राज्य सरकार को नहीं गिराना चाहिए। इसके लिए आवश्यक होगा कि हम अनुच्छेद 356 में परिवर्तन करें क्योंकि केन्द्र सरकार कुछ राज्य सरकारों के साथ मनमाना व्यवहार कर रही है। आज की स्थिति यह है कि केन्द्र में राजनीतिक दल कांग्रेस की सरकार है और विभिन्न प्रांतों में दूसरे राजनीतिक दलों की सरकारें हैं। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार उन राज्य सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार करती है, जहां पर उनके दल की सरकार नहीं होती। इस प्रकार से अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग होता है।

मेरा एक और सुझाव है कि कोई भी राज्यपाल अगर किसी राज्य सरकार को भंग करने के लिए कोई प्रस्ताव करता है तो उसमें पर्याप्त कारण होने चाहिए और उन पर्याप्त कारणों के बाद उसमें यह भी देखा जाना चाहिए कि वास्तव में स्थिति क्या है, और विधानसभा में उसका बहुमत है कि नहीं। आज देश की स्थिति को देखते हुए जो राजनीतिक बदलाव पूरे देश में, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में आया है और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जनता ने उनको जो समर्थन दिया है, उसको देखते हुए यह आवश्यक है कि अनुच्छेद 355 में संशोधन किया जाए। संशोधन करने के बाद ही कोई सुधार लाया जा सकता है। यह संशोधन किया जाए, ताकि देश में एकता के आधार पर प्रजातान्त्रिक तरीके से केन्द्र सरकार चल सके और प्रजातांत्रिक तरीके से प्रदेश सरकारें चल सकें।

इस धारा के दुरुपयोग से जो हमारा राजनीतिक चरित्र होना चाहिए, उसमें भी कुछ गिरावट आई है। हमें यह भी देखना है कि जो राजनीतिक राष्ट्रीयता की भावना है उसमें कहीं गिरावट न आने दें और एक आदर्श के आधार पर चलते हुए पूरे विश्व के सामने प्रजातंत्र का सही रूप प्रस्तुत कर सकें, उसके लिए आवश्यक यह है कि धारा 35॰ में संशोधन किया जाए। यही मेरा अनुरोध है।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : महोदय, सबसे पहले मैं श्री सुधीर गिरि को इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं।

इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई है, अत: मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा।

संविधान के निर्माताओं ने इस अनुच्छेद को तैयार करने के समय इस पर पर्याप्त ध्यान दिया था और जब इस पर संविधान सभा में चर्चा की गई थी तो इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई थी। इस अनुच्छेद का अपना एक विशेष महत्व है। अन्य माननीय सदस्यगण जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है, उन्होंने कुछ उदाहरणों का उल्लेख किया है। उनमें से कुछ से मैं सहमत हूं। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को नहीं सहा जा सकता है। वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य के संदर्भ में इस अनुच्छेद का अपना महत्व है। देश की एकता और अखंडता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसे कि श्री के. वी. थामस ने कहा है, कुछ समाजवादी देश और दुनिया के कुछ अन्य देश यह कह रहे हैं कि उनका देश बिखर रहा है। इसलिए राष्ट्रीय एकता के लिए यह अनुच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कुछ माननीय सदस्य इस अनुच्छेद के बहुत ही विरोधी रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई राज्य विधान सभा यह संकल्प पारित करे कि उनके राज्य का स्वतंत्र स्वरूप होगा तो देश का भविष्य क्या होगा? इसलिए हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि राज्य ऐसा नहीं कह सकें। एक मजबूत केन्द्र होना चाहिए। इसके साथ ही राज्यों का आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि इस अनुच्छेद का व्यवहार बहुत सोच समझ के करना चाहिए और मात्र राजनीति को दृष्टिगत रखते हुए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। विगत में, मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, पर सभी जानते ही हैं कि इसका उपयोग इसी तरह किया गया था। 1957 में इसका:सबसे पहले उपयोग केरल में किया गया था। लेकिन स्थिति पूरी तरह भिन्न थी। वहां एक व्यापक आन्दोलन चल रहा था। राज्य सरकार जनता को जवाबदेह नहीं महसूस कर रही थी। जनता की इच्छा सबसे महत्वपूर्ण थी। वहां कानून और व्यवस्था पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गयी थी। इसलिए राज्यपाल ने केन्द्र सरकार को उक्त संबंध में अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके परिणामस्वरूप इस अनुच्छेद का उपयोग करके तत्कालीन नम्बूदरीपाद की सरकार को भंग कर दिया गया था। यदि हम उस समय के इतिहास को पढ़ें तो हम यह पायेंगे कि वहां एक अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

मेरा यह कहना है कि पूरी सत्ता केन्द्र सरकार में केन्द्रित नहीं होनी चाहिए और राज्यों को भी कुछ स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए। सरकारिया आयोग ने बहुत सारी सिफारिशें की हैं। सरकारिया आयोग द्वारा 247 सिफारिशें की गई है। राज्यों को अपनी सरकार चलाने में बहुत अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे विधेयकों का मामला है। कुछ विधेयकों को विधान सभा द्वारा पारित कर दिए जाने के बाद उसे बिना किसी सुसंगत कारण के केन्द्र सरकार के पास भेजा

जाता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कानून को पारित करने में अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सकता है। जब मैं केरल विधान सभा का सदस्य था तो मुझे यह जानकारी मिली कि राज्य सरकार द्वारा भेजा गया एक विधेयक केन्द्र सरकार के पास अकारण ही बीस वर्षों से लम्बित पड़ा है।

राज्यों को राज्य सूची के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों में संसद संशोधन की शक्ति प्रदान करने के लिए इस संबंध में संविधान में संशोधन लाने की सिफारिश सरकारिया आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश है। स्थानीय निकायों के नियमित चुनाव कराने और इनके सुचारू रूप से कार्य करने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। श्री आस्कर फर्नान्डीज ने ठीक ही कहा है कि कुछ राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को भंग कर रही हैं। स्थानीय निकाय भी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं।

सभापति महोदय : इनके बाद केवल एक सदस्य को बोलना है। इस विधेयक के लिए स्वीकृत समयावधि पूरी हो गई है। भाषणों के पश्चात सम्बन्धित मंत्री उत्तर देंगे और विधेयक के प्रस्तावक भी बोलेंगे। क्या विधेयक के लिए निर्धारित समय को और आधा घंटा बढ़ाने की सभा की इच्छा है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए निर्धारित समय को आधे घंटे के लिये बढ़ाया जाता है। श्री रमेश चेन्नितला अपनी बात जारी रख सकते हैं।

5.12 म.प.

[श्री पी. एम. सईद पीठासीन हुए]

श्री रमेश चेन्नितला : राज्यपाल की भूमिका पर व्यापक रूप से चर्चा हो चुकी है। राज्यपाल को राज्य प्रमुख माना गया है, लेकिन किसी राज्य विशेष के लिए राज्यपाल की नियुक्ति से पहले इस सम्बन्ध में राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए, यह सरकारिया आयोग की सिफारिशों में से एक महत्वपूर्ण सिफारिश है। कुछ अन्य सिफारिशें भी की गई हैं। सरकारों की बर्खास्तगी के बारे में सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया है कि सरकार की बर्खास्तगी या विधान सभा को भंग करने के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट में सभी वास्तविक तथ्यों का स्पष्ट विवरण दिया हुआ होना चाहिए और इसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

व्यापक प्रचार का मतलब यह है कि लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस अनुच्छेद को क्यों लागू किया जा रहा है और राज्यपाल यह रिपोर्ट क्यों भेज रहे हैं। जनता को इन तथ्यों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि कानून और व्यवस्था की स्थिति क्यों बिगड़ी है और राज्य सरकार सामान्य ढंग से कार्य करने की स्थिति में क्यों नहीं है। राज्य में और देश के अन्य भागों में रहने वाले लोगों को भी इसके बारे में अवश्य जानना चाहिए।

दूसरा मुद्दा है सशस्त्र सेनाओं की तैनाती। विषय इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पूर्णतः केन्द्र की जिम्मेदारी है। लेकिन इसे राज्यों से परामर्श करके किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें हैं कि अर्द्ध सैनिक बलों और सशस्त्र बलों को केन्द्र द्वारा मनमाने ढंग से भेजा जाता है। इससे स्थानीय पुलिस बल का भी मनोबल गिरेगा। इस सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें हैं। राज्य सरकारों के साथ उचित परामर्श करना अति आवश्यक है। यह एक संवेदनशील मामला है।

केंद्र-राज्य संबंधों के बारे में मुद्दों पर अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठकों में विचार-विमर्श किया जा सकता है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बात का जवाब कौन देगा कि अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठकें कब-कब हो रही हैं। अन्तर्राज्यीय परिषदों की ये बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए। केवल तभी इन मामलों पर विचार-विमर्श किया जा सकता है और इनका समाधान किया जा सकता है।

राज्य निगमित करों में अपने हिस्से के बारे में शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें उनका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है, जो उन्हें मिलना चाहिए। अनुदानों के बारे में भी राज्यों को रेल यात्री किराये के बदले में अनुदान दिया जाना चाहिए और राज्यों को बैंकों से उधार लेने की अनुमति होनी चाहिए और उन्हें विदेशी मुद्रा दी जानी चाहिए। ऐसा सरकारिया आयोग ने कहा है। आप किसी भी राज्य के बजट को ले लीजिए। आप देखेंगे कि ये सब अति आवश्यक हैं। धन के अभाव में वे सामान्य ढंग से कार्य कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। अतः केन्द्र से समर्थन मिलना अति आवश्यक है और आर्थिक सहायता, जिसके राज्य हकदार हैं, उन्हें दी जानी चाहिए।

महोदय, उत्तरोत्तर रूप से विकेन्द्रीकरण जरूरी है अन्यथा राज्य कार्य नहीं कर सकते हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। यहां तक कि अखिल भारतीय सेवाओं के सम्बन्ध में भी विवाद है। हमें इसके बारे में भी विचार विमर्श करना होगा, एक ओर केन्द्र का मजबूत होना आवश्यक है और दूसरी ओर राज्यों को भी और अधिक शक्तियां मिलनी चाहिए। उत्तरोत्तर रूप से विकेंद्रीकरण जरूरी है ताकि राज्य भी ठीक से कार्य कर सकें।

महोदय, अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए सरकारिया आयोग ने कहा है कि यह शक्ति आवश्यक थी, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग सीमित मामलों में कम से कम किया जाना चाहिए और वह भी उस स्थिति में जब सवैधानिक तन्त्र में व्यवधान को दूर करने में अन्य सभी संभावित विकल्प असफल हो गये हों।

महोदय, हमें इस अनुच्छेद को शामिल करने के लिए सावधानी से काम लेना होगा। केन्द्र और राज्यों के बीच संबंध मुख्य बात है, केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध अच्छे होने चाहिए।

अन्त में, मैं इस विषय पर जोर देना चाहता हूं कि अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठकें बेशक हो रही हैं और उनमें विचार-विमर्श हो रहा है लेकिन उनका नतीजा कुछ भी नहीं है। अतः इन परिषदों को कुछ सवैधानिक शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि उनके पास यह देखने की शक्तियां निहित हों कि राज्यों को उनका हिस्सा मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य सुबोध गिरि का जो प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान के अनुच्छेद 356 में सुधार होना जरूरी है। जिस समय संविधान बना उस समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में बहुत अन्तर है। उस समय देश के तमाम राज्यों में एक ही दल का राज्य था। इसलिए संवैधानिक संकट आने का कोई सवाल नहीं था। केन्द्र सरकार जिस राज्य को चाहती थी कि वहां की सरकार चले वह चलती थी, नहीं चाहती थी तो नहीं चलती थी। खासतौर से एक ही दल की सरकार थी संवैधानिक संकट नहीं था। लेकिन केन्द्र के खिलाफ जब से किसी भी राज्य में विरोधी दल की सरकार का बनना शुरू हुआ तभी से 356 का दुरुपयोग भी होना शुरू हुआ। मैं कहना चाहता हूं यह दुरुपयोग किसी विरोधी दलों की तरफ से नहीं हुआ। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से शुरू हुआ। विरोधी दल के लोग कहते रहे कि कानून की अवहेलना हो रही है, संविधान को जलाया जा रहा है, लेकिन सत्ता में, केन्द्र में रहने वाले लोगों ने जरा भी विचार नहीं किया। उन लोगों ने यही कहा कि राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट कहती है कि राज्य की कानून और व्यवस्था खतरे में है इसलिए राज्यपाल की रिपोर्ट पर मैं विधान सभा को भंग कर रहा हूं या सरकार को भंग कर रहा हूं। लेकिन आज वही काम अगर विरोधी दलों के लोग करते हैं तो कांग्रेस के भाई लोग कहते हैं कि नहीं, आप गलती कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं रास्ता आपने दिखलाया है जिस रास्ते पर आज विरोधी दल के लोग भी चल रहे हैं।

अगर नहीं चले तो कोई रास्ता नहीं है। आज देश की परिस्थिति जो है, उसके मुताबिक संविधान में संशोधन होना जरूरी है। केवल राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही नहीं, विधानसभा के जो मेम्बर्स हैं, उनकी विधानसभा के पटल पर ही फैसला होना चाहिए कि सरकार को भंग किया जाये या नहीं। जब यह अमेंडमेंट हो जायेगा तो केन्द्रीय सरकार की कभी भी मर्जी नहीं होगी कि वह राज्य सरकार को भंग कर दे, इस प्रकार यह अधिकार समाप्त किया जाये। आज की परिस्थिति के अनुसार देश के किसी राज्य में एक दल की सरकार नहीं है। इसलिए प्रत्येक राज्य का सम्बन्ध केन्द्र के साथ अच्छा रहना चाहिए। यह आज की परिस्थिति में जरूरी भी है। इसलिए इस संशोधन का समर्थन करना तमाम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। भले ही कुछ लोग ऐसा सोचें कि यह प्रस्ताव विरोधी दल की तरफ से आया है परन्तु यह संविधान संशोधन हो जाय तो किसी एक दल को कोई फायदा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम दल के लोगों का फायदा है। आज की परिस्थिति को देखते हुए कल क्या होगा, इसका कोई ठौर-ठिकाना नहीं है। मैं तमाम दलों के लोगों से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को पास कराना निहायत ही जरूरी है और इसे सर्वसम्मति से पास किया जाये।

सभापति महोदय, अगर-मगर करने का सवाल नहीं है। मैं विस्तृत रूप से तो नहीं जाना चाहता परन्तु आन्ध्र प्रदेश में जो लेफ्ट फ्रंट की सहयोग की सरकार थी, कांग्रेस की तरफ से तोड़ा गया, मणिपुर में, मेघालय में और केरल में यही काम किया गया। इस इतिहास को दोहराना नहीं चाहता हूं। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस प्रस्ताव को तमाम लोगों को समर्थन करना चाहिए और मैं भी समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, कुछ और बात भी सामने आयी है। गवर्नर का चुनाव विधानसभा के मेम्बरों का भार से होना चाहिए। यह बात सही है : केन्द्र की ओर से राज्यपाल को राज्य के ऊपर थोप दिया जाता है और वह जो रिपोर्ट देता है, उसका काम होता है लेकिन अगर राज्यपाल का चुनाव विधानसभा के मेम्बरों के द्वारा होगा तो मैं समझता हूं कि राज्य की परिस्थिति के मुताबिक ही राज्यपाल फैसला देंगे, केन्द्र की मर्जी के मुताबिक नहीं। इसलिए गवर्नर का चुनाव विधानसभा के सदस्यों की ओर से हो, इसका समर्थन करता हूं।

एक साथी ने कहा कि बिहार में जातीयता की बू आ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार से नहीं आ रही है। यदि वहां कोई जातीयता करता है तो उसे रोक दिया जाता है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जातीयता आप क्यों कहते हैं? जातीयता तो वहां होती है जहां एक ही जाति का राज्य बन जाये, या जाति के नाम पर पार्टी बन जाये, बिहार में ऐसा नहीं है। यदि एक जाति का राज्य बना भी है तो केन्द्र के तमाम मंत्री, राज्यों के तमाम मंत्री एक जाति के लोग हुए हैं और वह विरोधी पार्टी के जमाने में नहीं हुआ है। जहां कांग्रेस द्वारा शासित राज्य हैं, उसकी बू अभी तक आती है।

सभापति महोदय, अन्त में श्री सुधीर गिरि के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सत्ता पक्ष के तमाम लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर केन्द्र और राज्य के सम्बन्ध ठीक रखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस प्रस्ताव का समर्थन देना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, हम उनके मानक भाषण को जानते हैं। उन्हें कुछ नया कहना था।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जेकब) : सभापति महोदय, मैं सी. पी. एम. के वरिष्ठ नेता का आभारी हूं जिन्होंने सफल व्यवधान से मेरे भाषण का उद्घाटन किया है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पूर्ववर्ती साथी श्री चित्त बसु दूसरा विधेयक लाना चाहते हैं और उन्होंने अपने विधेयक की तात्कालिकता के बारे में जानकारी दी है। लेकिन श्री सुधीर गिरि द्वारा लाया गया यह संशोधन एक महत्वपूर्ण विषय है जिसने समय समय पर हमारे देश के बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जिसने इस अनुच्छेद 356 पर किसी समय टिप्पणी न की हो। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि अपने भाषण के दौरान श्री सुधीर गिरि ने उल्लेख किया कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्रावधान का मसौदा तैयार करते समय भारत की एकता और अखण्डता की बात को ध्यान में रखा। यही सबसे मुख्य बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। भारत की एकता और अखण्डता बहुत महत्वपूर्ण है। हममें से प्रत्येक इसके लिए वचनबद्ध है।

लेकिन अनुच्छेद 356 किस तरह से भारत की एकता और अखण्डता के प्रतिकूल है?

इसकी कल्पना करना भी अत्यन्त कठिन है, हमारा संविधान विश्व के प्रगतिशील संविधानों में से एक है, यह निश्चत नहीं है। यहां तक कि संविधान का समर्थन करते हुए पण्डित जवाहर लाल नेहरु ने राष्ट्र को यह बात बताई थी कि जब कभी आवश्यक होगा इसमें निरन्तर परिवर्तन की संभावना है, ताकि किसी विशेष समय पर देश में मौजूद परिस्थितियों के अनुकूल संविधान बन सके। शायद यही कारण है कि हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि हमें अनुच्छेद 356 पर फिर विचार करने दो, हमारे अपने इतिहास में अनेक ऐसे भी अवसर आए हैं जब सभापतित्व करने वाले अधिकारियों ने एक स्थिति में आवश्यक रूप से इस अनुच्छेद 'के बारे में विचार विमर्श किया है। वे भी एक निश्चित नतीजे पर पहुंचे कि बहुमत से अनुच्छेद 356 को बनाए रखा जाए। लेकिन इसकी कुछ आलोचना हुई। राज्यपालों ने इस पर राज्यपालों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया है, मैं राज्यपालों और सभापतित्व करने वाले अधिकारियों की सिफारिशों को उद्धृत नहीं करना चाहता हूं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इसका विश्लेषण किया सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत जैसे देश में, जहां बहुपार्टी व्यवस्था है, देश के विभिन्न भागों में, केन्द्र में और राज्यों में, विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के सत्तारूढ़ होने की संभावना होती है और वहां पर राष्ट्रपति की शक्तियां अनियंत्रित होनी चाहिए।

श्री सुधीर गिरि का ये विधेयक राष्ट्रपति के प्रतिनिधि में निहित अधिकारों का उपयोग करने की शक्ति को सीमित कर रहा है। जब आप संविधान सभा पर ध्यान देंगे तो पता चलता है कि हमारा संविधान विश्व का एक सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता था हालांकि हमारे कुछ तत्कालीन नेताओं ने कहा था कि : यह भिखारियों का संविधान है क्योंकि हमने कुछ तो इंग्लैण्ड से लिया है, कुछ अमेरिका से और कुछ सोवियत संघ से। लेकिन ये एक जीवंत संविधान सिद्ध हुआ है, मृत नहीं। ये संविधान, देश में आप किसी भी स्थिति का सामना करने में सक्षम है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : फिर आप क्यों कहते हैं कि राज्य में सांविधानिक संकट है ?

श्री एस. एम. शंकर : संविधान में यह उपबंध है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सांविधानिक स्थिति खराब न हो। देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए राज्य में बिगड़ती हुई सांविधानिक स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। इसलिए तो अनुच्छेद 356 का उपबंध किया गया है। यह उसका गतिशील पक्ष है।

अन्त में कई नेताओं ने कहा कि एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है, भारत सरकार ने केन्द्र और राज्य के संबंधों का पूरी तरह से विश्लेषण करने के लिए सरकारिया आयोग गठित किया। गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति में, और लोकसभा तथा राज्य सभा में, सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया। कई नेताओं के विचारों को लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन इस उद्देश्य से किया गया कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों को किस सीमा तक स्वीकार किया जाना चाहिए और कैसे। वर्ष 1990 में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई। एक उप-समिति नियुक्त की गयी। राष्ट्रीय एकता परिषद की इस उप-समिति की तीन बैठकें हुई।

सभा की सूचनार्थ मैं यह अवश्य कहूंगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद की उपसमिति की सिफा-

रिशो के परिणामों के प्रति मैं बहुत उत्सुक हूं । जैसे ही सिफारिशें प्राप्त होंगी, यह सरकार अवश्य ही इन सिफारिशों पर सकारात्मक निर्णय लेगी क्योंकि वह देश के सामूहिक सोच और विवेक का परिणाम होगा ।

कई बातें कही गई और 1५ वक्ताओं ने इस चर्चा में भाग लिया । मुझे दिए गए समय को ध्यान में रखते हुए मैं सभी वक्ताओं पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हालांकि मैंने कुछ बातें नोट की हैं । एक वक्ता तो चले भी गए हैं ।

श्री पीयूष तीरकी : मैंने एक नया मुद्दा उठाया है । लघु राज्यों की संकल्पना पर आपका क्या विचार है ? क्या आप इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री एम. एम. जैकब : वह अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत नहीं हैं जिसमें राज्यपाल के अधिकार निहित है ।

जैसा कि आप जानते हैं 1957 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की थी ।

सभापति महोदय : क्या आप लघु राज्य परिषद की बात कर रहे हैं ?

श्री एम. एम. जैकब : जी हां । और हमने भाषाई आधार पर कुछ राज्यों का गठन किया । उसके बाद हमने 1950 के जातीय आवश्यकता के आधार पर राज्यों की स्थापना की यहां एक अलग विषय हो यह संदर्भोचित नहीं है । इसलिए, मैं उस विषय में गहराई से नहीं जाना चाहता ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप फिर से राष्ट्रीय एकता परिषद की बात कर रहे हैं । आपका कहना ठीक है । मेरे मित्र, राज्य में अर्धसैनिक बल भेजने की बात भी कर रहे थे । सामान्य स्थितियों में राज्य में अर्धसैनिक बल नहीं भेजे जाते हैं । यदि विषय परिचालित हो तो तब ही राज्य सरकार के अनुरोध पर उन्हें भेजा जाता है । मैं नहीं समझता कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है ।

श्री एम. एम. जैकब : हमने ऐसी परिस्थिति को कभी भी उत्पन्न होने नहीं दिया । उन्हें सम्बद्ध राज्य सरकार के नियंत्रण पर भेजा गया और अर्धसैनिक बल को उस समय राज्य सरकार के विशेष निर्देश पर भेजा गया था । हम तो वही कर रहे हैं । मैं नहीं समझता कि इस बात पर आलोचना करना उचित है ।

एक अन्य सदस्य ने कानून बनाने के राज्य अधिकारों का प्रश्न उठाया है । इस सभा को हर कोई ये जानता है कि हमारे पास तीन सूचियां हैं राज्य सूची केन्द्र सूची और समवर्ती सूची । राज्य सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है । कोई भी उन्हें उस विषय पर कानून बनाने से रोक नहीं सकता ।

मेरे एक दूसरे मित्र यह कह रहे थे कि इस अनुच्छेद का कई बार दुरुपयोग हुआ है । श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि आपने इस अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है । उस विषय पर उनकी ये टिप्पणी थी । मैं उससे सहमत नहीं हूं । हमने देश

की एकता को बनाये रखने की कोशिश की। इसलिए हमने सदा सच्चाई पर ही विश्वास किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ···*

श्री एम. एम. जेकब : यह कुछ लोगों के लिए मजाक हो सकता है लेकिन कुछ अन्य लोगों को राष्ट्र ही महत्वपूर्ण होता है

श्री सोमनाथ चटर्जी : *

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री एम. एम. जेकब : जब राज्यपालों को बर्खास्त किया गया उस समय वहां पर कोई भी नहीं था। किसी ने भी आकर उनकी वकालत नहीं की। एक सरकार ने राज्यपालों को बर्खास्त किया। उस समय राज्यपाल दिहाड़ी पर थे। उस पर किसी ने भी टिप्पणी नहीं की। मैं भी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। लेकिन 1977 में किसी भी राज्यपाल की रिपोर्ट के बगैर जब सरकारें बर्खास्त की गईं, उस समय उस ओर बैठे हुए सदस्यों सहित किसी ने भी तीखी भाषा में उसकी आलोचना नहीं की।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमने सदैव आलोचना की।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें उच्चतम न्यायालय का अनुमोदन मिला। आप उच्चतम न्यायालय के प्रति बहुत आसक्त है। (व्यवधान)

श्री एम. एम. जेकब : आप सदा ही उसके अन्तिम परिणाम पर ध्यान देते हैं। आप उसमें शामिल हैं। कृपया, उस विषय पर बात मत कीजिए।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी माननीय सदस्यों से बात करने की अपेक्षा अध्यक्षपीठ कोसंबोधितकरे।

(व्यवधान)

श्री एम. एम. जेकब : महोदय, मैं नहीं समझता कि धारा 356 के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा अधिकार के दुरुपयोग करने की आलोचना को किसी भी तरह प्रमाणित किया जा सकता है।

1959 में केरल में सरकार को बर्खास्त करने के विषय पर श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य और कई अन्य सदस्यों द्वारा एक सवाल उठाया गया था। जो भी राजनैतिक इतिहास को जानता है वह आसानी से समझ सकता है कि वह जो कुछ किया गया वह राज्यपाल की उस रिपोर्ट पर किया गया। कि "राज्य का प्रशासन ठप हो गया है, कलेक्टरेट काम नहीं कर रहा है, सचिवालय काम नहीं कर रहा है सचिवालय की लगभग घेराबन्दी हो गई। ऐसी स्थिति में राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त हुई और सरकार को बर्खास्त किया गया। कुछ ऐसे मंत्री भी थे जो

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बर्खास्त के आदेश मिलने के बाद भी सचिवालय से बाहर जाने से इंकार कर रहे थे। वो एक अलग स्थिति है। अब मैं दूसरे विषय पर जाना नहीं चाहता।

तब उन्होंने पूछा "तमिलनाडु के बारे में आप क्या जानते हैं ?" दूसरा प्रश्न पूछा गया। उन्होंने कहा तमिलनाडु में आपने राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना ही सरकार को बर्खास्त कर दिया। हाँ, हमने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 356 में कहा गया।

"यदि राष्ट्रपति का, किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है...इत्यादि, इत्यादि।" (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मनोरंजन भक्त जी, कृपया व्यवधान मत डालिये। हमारे पास पहले से ही समय कम है।

श्री एम. एम. जैकब : ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तमिलनाडु में क्या हुआ ? उसका क्या परिणाम निकला ? कृपया परिणाम पर ध्यान दीजिए। उसके बाद ही चुनाव का आयोजन हुआ और भारी बहुमत के साथ लोग सत्ता में आए। बर्खास्त किये जाने की पुष्टि की गयी। उसके बाद की घटनाओं से यह प्रमाणित हो गया कि उस समय, राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी। यहां तक की श्री राजीव गांधी ने अपने प्राण खो दिए...(व्यवधान) श्री राजीव गांधी जैसे व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उस समय उस राज्य की स्थिति महसूस करा रही थी कि सतकर्ता की आवश्यकता है। मैं कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। असम में भी, क्या हुआ ? जनता ने नई व्यवस्था को अपना मत दिया। उस समय राज्य के राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्रवाई को उन्होंने स्वीकार किया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या चुनाव का परिणाम राज्यपाल शासन लागू करने को न्याय संगत ठहराएगा ?

श्री एम. एम. जैकब : यह थोपने का प्रश्न नहीं है। मैंने यह कहा है कि इसके पीछे जनादेश भी था। लोग इसके विरुद्ध थे। आपको दूसरी स्थिति के बारे में भी विश्लेषण करना चाहिए। मान लीजिए—तीन वास्तविकताएं है। मान लीजिए, यदि चुनाव के बाद कोई भी राज्य का प्रशासन चलाने के लिए आगे नहीं आता, किसी को बहुमत नहीं मिलता, तब इसका हल क्या होगा ? मैं आपको 1965 में केरल में उत्पन्न स्थिति का स्मरण कराऊंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या हम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं ?

सभापति महोदय : कृपया हमें यों न समझिए कि ऐसे बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। इन्हें उत्तर देने दीजिए। मंत्री जी, आपको कितना समय लगेगा ?

श्री एम. एम. जैकब : पांच मिनट लग सकते हैं।

सभापति महोदय : थोड़ी देर के लिए आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये । इस विधेयक के लिए समय बढ़ाना पड़ेगा ।

क्या सभा इस बात से सहमत है कि इस विधेयक के लिए दस मिनट का समय बढ़ा दिया जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

सभापति महोदय : सभा की सहमति से इस विधेयक के लिए समय दस मिनट बढ़ाया जाता है । अम्मा जी, कृपया अपनी बात जारी रखें ।

श्री एम. एम. जकब : मैं सभा की भावनाओं का आदर करता हूं । मैं केवल तीन स्थितियों के बारे में संकेत करना चाहता हूं । पहली स्थिति वह है जिसमें किसी को भी बहुमत नहीं मिलता । एक राज्य में ऐसा हो चुका है कि जब कोई भी प्रशासन को चलाने के लिए तैयार नहीं था । यदि ऐसा होता है तब राज्यपाल को रिपोर्ट भेजनी होती है और राज्यपाल शासन आवश्यक होता है । यहां भी ऐसी ही स्थिति है । बहुमत पाने वाले दल को सत्ता में आना था । एक दल को बहुमत मिला । लेकिन वह दल उस समय उत्तरदायित्व संभालने के लिए तैयार नहीं था । इसलिए ऐसी परिस्थिति में आप इसके बारे में सोच सकते हैं । अथवा यदि सरकारी तंत्र में कोई अवरोध पैदा हो जाए तब भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं । इस प्रकार से सभी परिदृश्यों में कार्य करना आवश्यक होता है । महोदय मैं एक और सुधार भी करना चाहता हूं । मैंने प्रारम्भ में राष्ट्रीय एकता परिषद की उपसमिति' कहा है । यह अन्तर-राज्य परिषद की उपसमिति है न कि राष्ट्रीय एकता परिषद की । इसे सही कर लिया जाए ।

इसके साथ, मुझे आपसे केवल एक अनुरोध करना है कि जब भी अन्तर-राज्य परिषद की उपसमिति की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, तब हम आपकी सभा में पुन: उपस्थित हो रहे हैं । इस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त अवसर होंगे । इस समय, मैं श्री सुधीर गिरि, जिन्होंने इस विधेयक को रखा है, से निवेदन करता हूं कि इसे वापस ले लें । इस अनुच्छेद की समीक्षा करना व इस पर चर्चा करना अच्छी बात है । राष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण होता है । इस बात को सभी ने स्वीकार किया है इन सभी बातों के दृष्टिगत मैं यह आशा करता हूं कि उत्तर देते समय श्री सुधीर गिरि इसे ध्यान में रखेंगे और विधेयक को वापस ले लेंगे । हमें प्रसन्नता है कि यह एक आवश्यक विषय है और इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा होनी चाहिए । जब भी समय आएगा, इस पर हम पुन: चर्चा करेंगे । हमें सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन में कुछ आदर्श अपनाने चाहिए । और इस समय एकता बनाये रखने का एकमात्र उपाय यही है कि राष्ट्रपति जी को अधिकार सौंपकर, विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग में लाई जाने वाली स्वैच्छिक शक्तियां सौंपकर उनके हाथ मजबूत किए जाएं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक राज्य की स्थिति दूसरे राज्य से भिन्न हो सकती है । हमारे देश में भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न परिस्थितियां हैं भिन्न-भिन्न अवस्थाएं हैं, और इनका आकलन किया जाना है । स्थिति की मांग है कि शक्ति अपने पास रखी जाए । और यही अनुच्छेद 356 का सार है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री गिरिजी से अनुरोध करते हुए कि वे अपना विधेयक वापस ले लें, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

सभापति महोदय : अब श्री सुधीर गिरि उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री गिरि के उत्तर देने से पूर्व मैं कुछ कहना चाहता हूं।

महोदय, कांग्रेस (इ) सरकार के शासन में कानून का शासन हो ही नहीं सकता। यह इस देश के लोगों का अनुभव है। (व्यवधान)

इन्होंने इस देश की एकता और अखण्डता की बात की है। मैं राजनैतिक प्रशासन में ईमानदारी चाहता हूं। 1950 से ही इस सरकार ने संविधान के किसी भी अनुच्छेद में विश्वास नहीं किया है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद का इतना दुरुपयोग नहीं किया गया जितना कि इस अनुच्छेद का किया गया है। यह केवल मैं ही नहीं कहता। न्यायाधीश सरकारियां ने भी ऐसा कहा है

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सामान्यतः विधेयक के बारे में मंत्री जी के भाषण के बाद विधेयक रखने वाला सदस्य उत्तर देता है। लेकिन अब आप इसके बीच में आ गये हैं। मैं नहीं जानता कि मुझे आपको बोलने की अनुमति देनी है अथवा नहीं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपका सम्मान करते हुए मैं यह कहूंगा कि फर्जी और बहाने बाजी के तर्कों की बजाए माननीय मन्त्री जी को इस विधेयक को स्वीकर कर लेना चाहिए था—कम से कम विधेयक के इस प्रावधान को तो स्वीकार कर ही लेना चाहिए था जिसमें यह कहा गया है कि मन्त्री परिषद के बहुमत का निर्णय सदन में किया जाएगा। आप ऐसा नहीं चाहते।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप अपवाद के तौर पर बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने इस पर अपने विचार कभी भी नहीं बताये। इस पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है ? (व्यवधान)

श्री एम. एम. जेकब : मैंने खासतौर पर यह कहा था कि राष्ट्रपति जी की शक्तियों में कमी करना उचित नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : सोमनाथ जी, विधेयक को रखने वाला सदस्य उत्तर देगा। इसलिए कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपकी इच्छा को सम्मान देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं (व्यवधान)

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन के बारे रखे गए मेरे प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लेने के लिए मैं 18 माननीय सदस्यों तथा माननीय मन्त्री जी के प्रति अत्यन्त आभार प्रकट करता हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी के भाषण को अपवाद के तौर पर कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जाएगा। लेकिन इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा।

श्री सुधीर गिरि : केन्द्र द्वारा विशेष परिस्थितियों में विशेष शक्तियों के दुरुपयोग की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया गया है, ऐसी मुझे आशा है।

कुछ साथियों ने मेरे विधेयक का समर्थन किया है और कुछ साथियों ने इसका विरोध किया है।

माननीय सुधीर सावन्त जी ने विधेयक की संवैधानिक मान्यता का प्रश्न उठाया है। उनकी राय में विधेयक प्रारम्भ से ही अवैध है और संविधान से बाहर है क्योंकि इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन करने की बात उठायी गई है। इनकी राय में अनुच्छेद 356 में संशोधन का यह विधेयक हमारे देश के संविधान के आधारभूत ढांचे के मूलाधारों पर प्रहार करता है।

इस बात पर मैं उनके इस दृष्टिकोण का सशक्त विरोध करता हूं। माननीय सावन्त जी ने केशवानन्द बनाम केरल राज्य के मामले के निर्णयों को उद्धृत किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि केशवानन्द के मामले में यह निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावना के अन्दर विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा समाहित है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संशोधित नहीं किया जा सकता। ये उद्देश्य क्या हैं। ये उद्देश्य तथा राज्य का स्वरूप प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक और गणराज्य है।

जहां तक भारत के नागरिकों को दी जाने वाली स्वतंत्रताओं का संबंध है, ये हैं—सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय; विचार, विश्वास अभिव्यक्ति, धर्म तथा उपासना की स्वतन्त्रता तथा प्रतिष्ठान अवसर की समानता। इसके साथ-साथ भारत के लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखण्डता को सुनिश्चित करते हुए आपस में बन्धुता की भावना का विकास करेंगे।

इस प्रकार मेरा संशोधन किसी भी तरह से हमारी राज्य व्यवस्था के स्वरूप में हस्तक्षेप नहीं करता। मेरा संशोधन किसी भी ढंग से देश की प्रभुता को प्रभावित नहीं करता। यह सरकार के समाजवादी कार्यकरण को भी प्रभावित नहीं करता। इसके साथ-साथ राज्य का धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतन्त्रात्मक स्वरूप भी किसी भी ढंग से इससे प्रभावित नहीं होता।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि श्री सावन्त द्वारा उठायी गई आपत्तियां मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार के मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में भी तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि मेरा संशोधन न्यायिक पुनरीक्षा की शक्ति को स्पर्श नहीं करता।

इसलिए विधेयक को प्रारम्भ से ही अवैध नहीं कहा जा सकता।

माननीय सदस्यों ने केन्द्र सरकार की दुर्भावना के बारे में गलत धारणा के प्रश्न उठाए हैं। इस बारे में अपनी तमाम सामर्थ्य के साथ मैंने पुनः यह पाया है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को बांधने के व्यापक उद्देश्य से विशेष शक्तियों का दुरुपयोग करती रही है जोकि केन्द्र में शासन करने वाली राजनीतिक पार्टी की राजनीतिक आस्था से भिन्न है।

1967, 1969 तथा 1971 में पश्चिमी बंगाल के मामले में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था? 1959 में केरल के मामले में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था? 1991 में कांग्रेस पार्टी के आदेश से चन्द्रशेखर सरकार ने तामिलनाडु में क्या किया था? कुछ ही सप्ताह पहले मणिपुर में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है? ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं। जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है? ये सभी घटनाएं केन्द्र सरकार की दुर्भावना को स्पष्टतः दर्शाती हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी से बनी केन्द्र सरकार भारत के संविधान के साथ धोखे व छलछद्म की जितनी कम बात करे, भावी पीढ़ी के लिए उतना ही अच्छा होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जोकि अपने इर्द-गिर्द शक्ति व्यूह बनाये बिना जिन्दा ही नहीं रह सकते। और वे इतने अवनत हो कर चलते हैं कि लोकतन्त्र के सिद्धांत उन्हें तुच्छ दिखाई देते हैं। क्योंकि कुछ राजनीतिक विचारकों के भ्रामक विचार उन्हें महत्वपूर्ण नजर आते हैं।

इसके बाद मजबूत केन्द्र का सवाल आता है। जब कभी भी अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत की जाने वाली घोषणा पर प्रश्नचिह्न लगाये जाते हैं, तो ऐसी आलोचना को अनदेखा करने के लिए मजबूत केन्द्र का विचार आगे रख दिया जाता है।

इसे इस तरह से दर्शाया गया है कि सेना और सशस्त्र बलों के माध्यम से और राज्यों को शक्तियां न देकर अधिक से अधिक शक्तियां को दिल्ली में केन्द्रीय सरकार में केन्द्रित कर लिया जाए तो भारत की केन्द्रीय सरकार काफी मजबूत हो सकती है। यह ठीक नहीं है। यह सही कदम नहीं है। हमने निश्चित रूप से एक मजबूत केन्द्र का नहीं बल्कि एक बहुत मजबूत केंद्र का समर्थन करना चाहिए। लेकिन राज्यों के अधिकार छीन लेने से उनकी शक्तियां क्षीण करने से केंद्र मजबूत नहीं बन सकता है। टैगोर ने कहा है:

> यदि सारे शरीर का खून चेहरे पर एकत्र हो जाए तो इसे अच्छा डील-डौल नहीं कहा जा सकता है। इसके बजाय यह घातक बीमारी का लक्षण है।

वास्तव में एक वास्तविक मजबूत केन्द्र के लिए हमें मजबूत राज्यों और उनके सहयोग एवं समन्वय की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके लिए हमें अनेक संस्कृति, अनेक धर्मों और अनेक भाषा-भाषी लोगों के बावजूद जनता के विश्वास और सद्भावना की आवश्यकता है।

इसे कैसे संभव बनाया जा सकता है? हमें समस्याओं पर विचार करना होगा और उनके हल निकालने होंगे। केंद्र और राज्यों को जो कुछ अलग-अलग कार्य करने हैं कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राजनीतिक, प्रशासनिक, विधाई और वित्तीय शक्तियों का

विकेन्द्रीकरण होना चाहिए जैसा कि पश्चिम बंगाल में किया गया है। यद्यपि मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

ऐसा कहा जा रहा कि मजबूत केंद्र के बिना राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाये नहीं रखा जा सकता है। अलगाववाद का प्रश्न भी उठाया जा रहा है। ये सभी बातें लोकतन्त्र और स्वतन्त्रता एवं समानता के अधिकार की धारणा से संबंधित हैं। संघवाद के प्रभुत्व को बनाए रखे हम लोकतन्त्र, स्वतंत्रता और समानता प्राप्त नहीं कर सकते। हम विखण्डनकारी तातकों से सचेत होकर इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो हम अपने उस संसदीय लोकतंत्र को बनाए नहीं रख सकेंगे जिसे हमने ग्रेट ब्रिटेन से लिया है।

समय कम होने के कारण मैं माननीय मंत्री और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता हूं, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को मेरा विधेयक स्वीकार करना चाहिए। अतः मेरे दल की मांग है कि इस विधेयक के उपबन्धों को सदन में मतदान के लिए रखा जाए।

6.00 म. प.

सभापति महोदय : श्री सुधीर गिरि क्या आप अपना विधेयक वापस ले रहे हैं ?

श्री सुधीर गिरि : जी, नहीं। मैं चाहता हूं कि यह प्रस्ताव सदन में मतदान के लिए रखा जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं सदन की बैठक कुछ देर के लिए और बढ़ाने का अनुरोध कर सकता हूं क्योंकि मतदान की प्रक्रिया में समय लगेगा ?

सभापति महोदय : विधेयक पर मतदान का प्रस्ताव विचारार्थ रखने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान (संशोधन) विधेयक होने के कारण इस पर मतदान मत विभाजन द्वारा किया जाए।

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं—

अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 6 | पक्ष में * | समय 6.02 म.प.

अंजलोज, श्री थाइल जान
कुमार, श्री वी. धनंजय
गिरि, श्री सुधीर
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जायनल, अबेदिन, श्री
डोम, डा. राम चन्द्र
दत्त, श्री अमल
दास, श्री द्वारकानाथ
दुबे, श्रीमती सरोज
पाटिल, श्री एस. टी.
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वसंतराव
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री आर. एस.
बंडारू, श्री दत्तात्रेय
बर्मन, श्री उद्धव
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
मिश्र, श्री राम मंगल
मोल्लाह, श्री हन्नान
यादव, श्री जनार्दन
राजेश्वरी, श्रीमती बासव
राम, श्री प्रेम चन्द्र
रेड्डी, श्री बी. एन.
रोशनलाल, श्री
वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शेखड़ा, श्री गोविन्दभाई कानजीभाई
शेखर, श्री एम. वी.
सिंह, श्री आनन्द
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, श्री तेज नारायण
हुसैन, श्री सैयद मसूदल

* इसके अलावा, निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मत दिया :
श्री पीयूष तीरकी, श्री अनादि चरण दास और श्री भगवान शंकर रावत।

विपक्ष में*

इस्लाम श्री नुरुल
उम्बे, श्री लाईना
मरेदवुला, श्रीमती कमला कुमारी
कुमारमंगलम, श्री रंगराजन
कुली, श्री बालिन
कोतला श्री राम कृष्ण
कैनियी, डा. विश्वनाथन
खां, श्री मयूख
गजपति, श्री गोपीनाथ
गहलोत, श्री अशोक
घटोवार, श्री पवन सिंह
चार्ल्स, श्री ए.
चेन्नीथला, श्री रमेश
जाफर शरीफ, श्री सी. के.
टाईटलर, श्री जगदीश
डेका, श्री प्रबीन
थामस, प्रो. के. वी.
दिघे, श्री शरद
देव, श्री संतोष मोहन
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पाणिग्रही, श्री श्रीवल्लभ
प्रधानी, श्री के.
फर्नाण्डीज, श्री ओस्कर
भक्त, श्री मनोरंजन
मरबनियांग, श्री पीटर जी.
यादव, श्री जनार्दन
राव, श्री जे. चौका
शिगड़ा, श्री डामू बरकू
साय, श्री ए. प्रताप
सिंह, श्री दलबीर
सिंह, कुमारी पुष्पादेवी
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

सभापति महोदय : मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में	—	23
विपक्ष में	—	34

प्रस्ताव प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमों के नियम, 157 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार पारित नहीं हुआ ।

* इसके अलावा, निम्नलिखित सदस्य ने भी विपक्ष में मत दिया :
श्री के. तुलसिऐया वान्डायार

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान) ...

सभापति महोदय : अब गृह मन्त्री श्री एम. एम. जैकब वक्तव्य देंगे। क्या सभा दस मिनट के लिए सभा का समय बढ़ाने को इच्छुक है ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

6.04 म. प.

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक*

(नई धारा 24 क को अन्तःस्थापित करना)

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : मैं विधेयक, पुरःस्थापित करता हूं।

6 05 म. प.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नया भाग II क अन्तःस्थापन)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हू :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय.........

सभापति महोदय : आप अगली बार अपनी बात जारी रख सकते हैं।

* दिनांक 18-3-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 2, में प्रकाशित।

माननीय मंत्री श्री जैकब वक्तव्य देना चाहते हैं।

6.06 म प.

मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य

पंजाब के संगरूर जिले में 10 मार्च, 1992 को हुई गोलीबारी की घटना

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम.): महोदय, मैं 10 मार्च, 1992 को संगरूर के नजदीक इंडियन एक्रालिक फाइबर प्लांट के ।र के नजदीक हुई दुखद घटना के बारे में सदन को सूचित करना चाहता हूं।

1. पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 6 आतंकवादियों ने 10 मार्च को सूर्य छिपने के बाद संगरूर के नजदीक एक्रेलिक फाइबर प्लांट के परिसर पर हमला बोला और 15 गैर-पंजाबी इंजीनियरों/विशेषज्ञों को गोली मार दी, जो केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर-प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। वे विभिन्न फर्मों जैसे सीमेंस, आई. सी. बी., इम्पाबर, पी. टी. पी. एल. और प्रासिम के इन्जीनियर्स और विशेषज्ञ और प्रतिनिधि थे। 200 करोड़ का एक्रेलिक संयंत्र निर्माण के अग्रिम चरण में है और जल्दी ही इसके स्थापित होने की संभावना है। विभिन्न फर्मों के ये विशेषज्ञ, निर्माण, मशीनरी और उपकरणों की स्थापना और तकनीकी जानकारी देने में एक्रेलिक संयंत्र के प्रमुखों की सहायता कर रहे थे। आतंकवादियों ने पंजाबियों को गैर-पंजाबियों से अलग किया और पंजाब के आतंकवादियों द्वारा बन्द का आह्वान किए जाने पर प्रबन्धकों द्वारा इसका पालन न करने का आरोप लगाकर उन्हें ए के-48 राइफल से गोली मारकर उड़ा दिया।

2. संगरूर पुलिस ने इंडियन एक्रेलिक्स लिमिटेड को सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूरी तरह से सचेत कर दिया था, यहां तक कि उसके परिसर में एक पुलिस चौकी स्थापित करने के लिए पेशकश की थी। प्रबन्धकों को शस्त्र भी दिए गए थे परन्तु उनका प्रयोग नहीं किया जा सका क्योंकि प्रबन्धकों सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त करने से इन्कार कर दिया था। प्रबन्धकों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेने से इन्कार करने तथा पुलिस द्वारा परिसर में भेजे गए शस्त्र और गोला बारूद को वापस हटाने का सुझाव देता हुआ एक पत्र सरकार के पास है। प्रबन्धकों ने सुरक्षा लेने से इस आधार पर इंकार किया था कि अमरीकी स्थित विदेशी सहनिर्माता, ड्यूपोन्ट ने परिसर सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने का विरोध किया है। फर्म ने बिना शस्त्रों वाले 20 सुरक्षा कार्मिकों को तैनात किया था, जो किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सके।

3. पंजाब के मुख्य मंत्री, सरदार बेअन्त सिंह ने, वरिष्ठ अधिकारियों सहित 11 मार्च को घटना स्थल का दौरा किया तथा राज्य के विभिन्न भागों से संगरूर जिले में 12 पी. एम. एफ. ...र्मियों को वहां तुरन्त भेजने के आदेश जारी किये ताकि संगरूर जिले की औद्योगिक इकाईयों में ...वास की भावना बहाल हो सके। परिसर के निकट एक सैनिक इकाई को भी वहां तैनात किया

गया है ताकि उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ सके । राज्य की ओर से राज्य के मुख्य मन्त्री द्वारा शिकार हुए व्यक्तियों को 50 हजार रुपये की दर से तदर्थ मुआवजा देने की घोषणा की गयी है तथा पीड़ितों को 50 हजार रुपये की दर से तदर्थ मुआवजा, इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा दिया जाएगा । पीड़ितों को और उचित राहत देने के लिये संबंधित फर्मों द्वारा बाद में भुगतान किया जायेगा ।

4. राज्य सरकार को शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने और किसी प्रकार की जवाबी प्रतिक्रिया को रोकने के लिए उचित सावधानी रखने हेतु सतर्क कर दिया गया है ।

5. मुझे विश्वास है कि इस सम्मानीय सदन के माननीय सदस्य इस घटना की निंदा करने और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन सहानुभूति प्रकट करने में मेरा साथ देंगे ।

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार को 11.00 म. पू. पर समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

6.11 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 16 मार्च, 1992/26 फाल्गुन, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, दिल्ली-6